

# मानव जाति का संघर्ष और प्रगति

१. अन्तर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियां
२. भारतवर्ष स्वराज्य की ओर
३. वैज्ञानिक प्रगति

लेखक—

चन्द्रगुप्त विद्यालंकार

प्रकाशचन्द्र सूरी एम. ए.

रामस्वरूप थापर एम. एस-सी.

प्रथम संस्करण]

दिसम्बर १९३६

[मूल्य ३)

प्रकाशक:—

साहित्य भवन

११, टैम्पल रोड, लाहौर



मुद्रक:—

१. बाम्बे मैशीन प्रेस, लाहौर (प्रथम खण्ड)
२. ला० देशराज चोपड़ा प्रिंटिंग प्रेस, लाहौर  
(द्वितीय खण्ड)
३. पंजाब आर्ट प्रेस ( तृतीय खण्ड )

## भूमिका

संसार का भविष्य आज अनिश्चित है। परिस्थितियां बड़ी तेज़ी से बदल रही हैं। कोई नहीं कह सकता कि निकट-भविष्य में क्या होने वाला है। मानव जाति का संघर्ष आज अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया है। एक बार तो यह भय प्रतीत होने लगता है कि वर्तमान युग की सम्पूर्णा सभ्यता कहीं इस महायुद्ध में नष्ट-भ्रष्ट न होजाय।

पिछले महायुद्ध के बाद राष्ट्रसंघ की नींव डाली गई थी। उस महायुद्ध से, पुराण-वर्गीत समुद्र मन्थन के परिणाम के समान, विष की एक बड़ी मात्रा के साथ-साथ, इतना ही अमृत निकला था। संसार के विचारकों को इस बात की आशा बंध गई थी कि शायद अब उत्कट राष्ट्रीयता की भावना का स्थान अन्तर्जातीयता ले ले; शायद मानव जाति में मानव-प्रेम और अन्तर्जातीयता का भाव पनप उठे। परन्तु वैसा नहीं हुआ। महायुद्ध के बाद पहले कुछ वर्ष तो युद्ध का प्रभाव मिटाने में लग गए। उसके बाद संसार के सभी राष्ट्र अपनी सम्पत्ति और शक्ति बढ़ाने में तत्पर होगए। राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की भावना दिन दूनी

और रात चौगुनी बढ़ने लगी। इसी राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा ने तानाशाही को जन्म दिया और आज, पिछले महायुद्ध की समाप्ति के सिर्फ २१ वर्ष बाद ही, संसार के दो प्रमुख प्रजातंत्रों और संसार की विकटतम तानाशाही में पुनः महायुद्ध जारी है।

इस पुस्तक में हमने उन सब परिस्थितियों पर प्रकाश डालने का भरसक प्रयत्न किया है, जिन्होंने वर्तमान महायुद्ध को जन्म दिया। पिछले महायुद्ध से लेकर आजतक संसार में जो बड़ी-बड़ी घटनाएं और महान आन्दोलन हुए, उन सबका दिग्दर्शन इस पुस्तक के प्रथम भाग किया गया है। इस तरह इस पुस्तक के प्रथम भाग को हम “अन्तर्राष्ट्रीय प्रगतियों और प्रवृत्तियों” का भाग कह सकते हैं।

दूसरे भाग में भारतवर्ष के वर्तमान शासनविधान और नागरिक-तन्त्र पर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रकाश डाला गया है। भारतवर्ष जिस प्रकार क्रमशः स्वराज्य के पथ पर अग्रसर हो रहा है, उसका वर्णन इस भाग में है। भारतीय शासन विधान पर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रकाश डालना इसलिए आवश्यक समझा गया, क्योंकि वर्तमान भारतीय शासन-विधान का एक भाग, संघ-शासन, तो अब सरकारी तौर पर ही स्थगित कर दिया गया है। इस के स्थान पर संघ-शासन का अर्थ कौन-सा स्वरूप निश्चित होगा, यह नहीं कहा जा सकता। शासन विधान का दूसरा भाग, प्रान्तीय शासन, भी आज भारतवर्ष के सात प्रान्तों में स्थगित हो चुका है। सम्भव है कि यह प्रान्तीय शासन-विधान पुनः कार्य-

रूप में आने लगे। परन्तु वर्तमान महायुद्ध के बाद भी प्रांतीय शासन विधान का यही रूप रहेगा, यह कहना कठिन है।

पुस्तक के तीसरे भाग में वैज्ञानिक प्रगति पर प्रकाश डाला गया है। सृष्टि रचना के प्रारम्भ से लेकर मानव जाति के विकास और उसके द्वारा किए गए आविष्कारों का, अत्यन्त संक्षिप्त, परन्तु मनोरंजक वर्णन इस भाग में है। वैज्ञानिक प्रगति की इस सम्पूर्ण कहानी को एक सिलसिले में बांधने का प्रयत्न किया गया है।

मुझे विश्वास है कि हिन्दी में इस पुस्तक का यथोचित आदर होगा।

आशानिकेतन, लाहौर  
१२ दिसम्बर १९१६

}

चन्द्रगुप्त विद्यालंकार

# विषय सूचि

प्रथम खण्ड

## अन्तर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियां

( लेखक—चन्द्रगुप्त विद्यालंकार )

अध्याय	पृष्ठ
भूमिका	३
१. पिछले महायुद्ध की समाप्ति पर	६
२. बोल्शेविक रूस	२१
३. फ्रासिस्ट इटली	५६
४. नाज़ी जर्मनी	७४
५. संसार के प्रमुख प्रजातन्त्र	(१०२-१५१)
क. इंग्लैण्ड	१०२
ख. संयुक्त-राष्ट्र अमेरीका	१२०
ग. फ्रान्स	१४२
६. हमारे पूरब के पड़ोसी	(१५२-१८८)
क. चीन	१५२
ख. जापान	१७१
७. वर्तमान महायुद्ध	१८६

## द्वितीय खण्ड भारतवर्ष स्वराज्य की ओर

( लेखक—प्रकाशचन्द्र सूरी एम. ए. )

अध्याय	पृष्ठ
१. भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना	३
२. शासन विधान का विकास	१६
३. शासन विधान के कुछ सिद्धान्त	३४
४. अखिल भारतीय संघ	४६
५. प्रान्तीय स्वराज्य	६६
६. सिविल सर्विसिज़	८८
७. संघ शासन	९२
८. संघ की आर्थिक व्यवस्था	९८
९. भारत मन्त्री	१०६
१०. रक्षा	११७
११. राष्ट्रीयता की ओर	१३२

कुल—१५०

तृतीय खण्ड

## विज्ञान की प्रगति

( लेखक—प्रो० रामस्वरूप थापर एम०, एस०-सी० )

सृष्टि की उत्पत्ति और रचना—३; चार तत्व—३; तत्वों की एकता—४; पदार्थ—५; नक्षत्र विद्या—६; तारों की संख्या—

७; सौर मण्डल का निर्माण—८; हमारा सौर मण्डल—६; एन्स्टाइन का सिद्धान्त—११; सूर्य—१३; पुच्छल तारे—१३; सूर्य के धब्बे—१४; पृथ्वी—१४; प्रकृति का समीकरण—१६ रसायन—१७; पदार्थ की खोज—१७; धातु और समास—१८; रसायन का प्रयोग—१६; तत्वों के भेद—२१; ऐलैट्रोन और प्रोटोन—२४; शक्ति—२८; शक्ति का समीकरण—२६; ताप की शक्ति—३०; प्रकाश की शक्ति—३१; विद्युत—३२; चुम्बकीय शक्ति—३३; रासायनिक शक्ति—३३; शक्ति—३३; शक्ति के प्रकार—३४; शक्ति के नियम—३५; शक्ति का ह्रास—३६; सूर्य की शक्ति—३७; सूर्य और जीवन की शक्ति—३८; कोइले और तेल की खानें—४० जल प्रपात और वायु—४१; भाभ की शक्ति—४२; बिजली और चुम्बक की शक्ति—४३; बिजली के प्रयोग—४४; प्रकाश—४५; सूक्ष्म-वीक्षण यन्त्र—४५; आकाशीय विद्युत लहरें—४६; रेडियो की शक्ति—४७; ऋतु का नियन्त्रण—४८; हृदय पर बिजली का प्रभाव—४८; रोबट—४६; जीवन शक्ति—४६; जीवन तत्वों की खोज—५१; एक सैल के जीव—५२; अधिक सैल्स के प्राणी—५३; मनुष्य के सैल्स—५४; जन—५४; क्या जीवन शक्ति बढ़ाई जा सकती है?—५५; वनस्पति जगत में सैल्स का विकास—५५; विकास की दूसरी स्थिति—५७; जन्तु जगत के सैल्स का विकास—५८; जन्तु जगत का विकास—५८; वंशपरम्परा का विकास—५६; जीवन शक्ति के परीक्षण—६०; जीवों में विशेष गुण उत्पन्न करना—६१; नये परीक्षण—६२; सैल्स का पृथक् जीवन—६४; पौध लगाने के परीक्षण—६५; मृत्यु—६६; मनुष्य की अमरता—६८; ग्लाइस—७०;

कुल पृष्ठ २०८ + १५० × ७२ = ४३०



## प्रथम अध्याय

# पिछले महायुद्ध की समाप्ति पर

यूरोप में आज जो महायुद्ध हो रहा है, उसका परिणाम क्या होगा, इस सम्बन्ध में अभी तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यह युद्ध कितने समय तक चलेगा, कौन-कौन देश इस युद्ध में सम्मिलित होंगे, इस सम्बन्ध में भी अभी निश्चय के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता।

आज से करीब २५ बरस पहले भी एक महायुद्ध हुआ था। उस महायुद्ध से मानवजाति को जो भारी धक्का लगा था, उसे संसार केवल एक चौथाई सदी में ही भूल गया! ऐसा क्यों हुआ, इस पर हम आगे चल कर विचार करेंगे। कतिपय विचारकों की राय है कि वर्तमान महायुद्ध की नींव पिछले महायुद्ध में ही पड़ी थी। इस अध्याय में हमें पिछले महायुद्ध की समाप्ति पर उत्पन्न हुई परिस्थितियों के सम्बन्ध में विचार करना है।

जो विश्वव्यापी महायुद्ध, सन् १९१४ में प्रारम्भ होकर सन् १९१८ के अन्त में समाप्त हुआ था, उसके सम्बन्ध में आज यह कहना भी कठिन है कि उस महायुद्ध का उद्देश्य क्या था। संसार की विभिन्न जातियों के ८० लाख से ऊपर स्वस्थ और हृष्ट-पुष्ट मनुष्य उस महायुद्ध की भेंट हुए। लगभग १३ करोड़ युवक इस महायुद्ध में जखमी हुए, जिनमें से एक बहुत बड़ी संख्या जीवन भर के लिए पंगु बन गई। महायुद्ध के बाद, युद्ध के परिणामस्वरूप, इन्फ्लूएन्ज़ा ( उस युग का युद्ध ज्वर ) नाम की जिस संक्राम बीमारीका आविर्भाव हुआ, लगभग दो करोड़ मनुष्य उसकी भेंट हो गए। उक्त महायुद्ध पर जो व्यय हुआ था, उसकी संख्या सोलह अंकों तक जा पहुंचती है। उतने रुपयों से अमेरिका इंग्लैण्ड, जर्मनी, फ्रान्स, इटली, कैनाडा और आस्ट्रिया में रहने वाले प्रत्येक परिवार के लिए पृथक्-पृथक् नई कोठियां बन सकती हैं !

इस सब का, इतने भयंकर जन-धन-संहार का उद्देश्य क्या था, यह कहना आज बहुत कठिन है। उस महायुद्ध को बीते अभी २१ बरस ही हुए हैं। महायुद्ध के समय मानव-जाति के शक्तिशाली राष्ट्रों की बागडोर जिन व्यक्तियों के हाथ में थी, उनमें से बहुत से लोग आज भी जीवित हैं। उन महा-पुरुषों से भी आज, जब यह प्रश्न किया जाता है कि पिछले महायुद्ध का उद्देश्य क्या था, तो वे इस प्रश्न का वे कोई सीधा और समझ आने वाला उत्तर नहीं देसकते। वे कहते हैं कि उन्हें युद्ध लड़ने

के लिए बाधित किया गया। महायुद्ध के कारखों में अपना कम से कम उत्तरदायित्व सिद्ध करने का यत्न या सही प्रयत्न ये पुराने राजनीतिज्ञ करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है, जैसे उतना भयंकर जनसंहार करने की इच्छा तो किसी की भी न थी, परन्तु परिस्थितियों ने उन्हें बह लड़ाई लड़ने को बाधित कर दिया। और यह भी कि यदि उनका बस चलता तो वे उस महा-युद्ध को और भी भयंकर बनाने का प्रयत्न करते, और भी अधिका-जन तथा धन का संहार करते।

संक्षेप में बात इतनी ही थी कि जर्मनी विश्व में अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाहता था और मित्रराष्ट्र उसकी इस दुष्कल्पना की सजा उसे देना चाहते थे। कुछ समय के लिए मित्रराष्ट्रों को अपने उक्त उद्देश्य में सफलता भी मिली। जर्मनी हार गया। मित्रराष्ट्रों द्वारा प्रस्तावित सभी दृष्ट जर्मनी ने सिर झुका कर स्वीकार कर लिए; जैसे यह सब, एक राष्ट्र का यह वंश, सार्थक था। अभी २१ बरस ही तो बीते हैं और जर्मनी आत्म-भ्रंश से संसार की एक महान शक्ति बन कर इंग्लैण्ड, अमेरिजी साम्राज्य और फ्रान्स की सम्मिलित शक्ति के साथ लोहा लेने उठ खड़ा हुआ है।

मतलब यही हुआ कि पिछले महायुद्ध से कोई उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। न तो जर्मनी का और न मित्रराष्ट्रों का ही। जर्मनी अपना साम्राज्य नहीं बढ़ा सका और मित्रराष्ट्र जर्मनी को लड़ा-के लिये निश्चल नहीं बना सके। अन्त-जाति ने बीसवीं सदी के

प्रारम्भ में एक महाभयंकर परीक्षण किया था। उस परीक्षण से लाभ कुछ भी नहीं हुआ और कौन कह सकता है कि वर्तमान महायुद्ध में भाग लेने वाले एक भी देश को किसी तरह का लाभ पहुंचने की सम्भावना है। फिर भी मानव समाज, जैसे अपने पिछले परीक्षण की भारी असफलता से खिज कर इस शताब्दि के पूर्वार्ध में ही पुनः उसी परीक्षण को और भी अधिक भयंकरता के साथ दोहराने लगा है।

जानकार लोग हमें बताते हैं कि यह सब परिस्थितियों का प्रभाव है। परिस्थितियों ने ही पिछला महायुद्ध करवाया और परिस्थितियों के प्रभाव ही से वर्तमान महायुद्ध हो रहा है। जर्मनी की प्रभुत्व-लालसा फिर से उतना ही उत्कट लालची रूप धारण कर गई है, वह कतिपय छोटे राज्यों को हड़प कर गया है और इन परिस्थितियों ने मानव समाज को लड़ने के लिये विवश कर दिया है। वह विवेकहीन होकर, लाभालाभ और फलाफल की चिन्ता छोड़ कर, अजस्र नर बलि देने को तत्पर हो गया है।

इन पृष्ठों में हमें देखना है कि वे परिस्थितियाँ कौन-सी हैं, जो आज तक मनुष्य पर राज्य किये चली जा रही हैं। यह एक पुरानी कहावत है कि मनुष्य परिस्थितियों का दास है। परिस्थितियों की यह दासता विभिन्न राष्ट्रों में बँटे हुए मनुष्य समाज पर और भी अधिक उग्रता और पूर्णता के साथ अपना आधिपत्य स्थापित किए हुए है। अगले पृष्ठों में हमें विश्व की उन परिस्थितियों से अपने पाठकों को परिचित कराना है, उन की विवेचना करनी है और उन के सम्भावित परिणामों का अन्दाज़ा लगाना है।

## वर्साई की सन्धि

जर्मनी का आत्म-समर्पण—११ नवम्बर १६१८ को पिछला महायुद्ध समाप्त हुआ, संसार के सभी राष्ट्र तब तक महायुद्ध युद्ध से तंग आ चुके थे। दोनों ओर के सैनिकों की बुरी दशा थी। खाइयों में लड़ने वाले सैनिक अनेक बार युद्ध के खिलाफ विद्रोह कर देने का इरादा करते थे। देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति और कर्तव्य-पालन आदि की भावना, महायुद्ध के हृदय-विदारक दृश्यों की तुलना में, क्षीण पड़ती चली जाती थी। जर्मनी की दशा विशेष चिन्ताजनक थी। परिणाम यह हुआ कि जर्मनी में राज्यक्रान्ति हो गई। राजा कैसर को राजत्याग कर देना पड़ा। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक सरकार की स्थापना हो गई और ११ नवम्बर १६१८ को इस नई सरकार ने सन्धिपत्र पर हस्ताक्षर कर दिए।

विल्सन का स्वप्न-भंग—इसी वर्ष के प्रारम्भ में अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन ने, संसार में शान्ति स्थापित करने की इच्छा से एक घोषणा की थी। इस घोषणा में १४ धाराएँ थीं। सन्धि करते हुए, जर्मनी ने यद्यपि मित्रराष्ट्रों की बहुत ही कठोर शर्तें भी स्वीकार कर ली थीं, तथापि जर्मनी को विश्वास था कि स्थायी सन्धि का आधार राष्ट्रपति विल्सन के १४ सिद्धान्त ही बनेंगे।

अस्थायी सन्धि स्थापित होने के लगभग एक महीना बाद राष्ट्रपति विल्सन यूरोप में पहुँचे। उन्हें विश्वास था कि वह मित्र राष्ट्रों से अपने १४ सिद्धान्त बखूबी स्वीकार करवा सकेंगे। परन्तु

यूरोप में परिस्थिति ही बदल चुकी थी। इंग्लैण्ड में उन्हीं दिनों पार्लियामैण्ट का नया चुनाव हुआ था और श्री लायडजार्ज इस आधार पर इस चुनाव में विजयी हुए थे कि वह विजित राष्ट्रों से महायुद्ध का पूरा हर्जाना वसूल करेंगे। उधर फ्रान्स के तत्कालीन राष्ट्रपति मि० पोटिन्कारे ने जैसे यह इरादा कर रक्खा था कि वह जर्मनी को संसार के नकशे से ही उड़ा देंगे। फ्रान्सीसी प्रधान मन्त्री मि० क्लीमेन्शो इतने उम्र तो न थे। परन्तु वह भी मि० विल्सन के १४ सिद्धान्तों से सहमत न थे। उन्होंने तो एक बार मजाक में कहा था—“देखो तो, अमेरिकन राष्ट्रपति अपनी चौदह आज्ञाएं ले आया है, जब कि परमात्मा की आज्ञाएं भी दस से अधिक नहीं !” इटली, यूनान, रूमानिया आदि देशों के प्रधान मन्त्री भी विल्सन के सिद्धान्तों के पक्ष में नहीं थे। मित्र राष्ट्रों को जर्मनी से प्राप्त होने वाली सम्पत्ति में से कुछ हिस्सा मिलने की उन्हें भी आशा थी।

शान्ति-परिषद् की बैठकें—सन् १९१६ की १८ जनवरी को पेरिस में शान्ति परिषद् की पहली बैठक हुई। पेरिस का उत्तेजित वातावरण मि० विल्सन के शान्ति सम्बन्धी सिद्धान्तों के अनुकूल नहीं था। इस परिषद् में जर्मनी और रूस के प्रतिनिधियों को निमन्त्रित नहीं किया गया इस से राष्ट्रपति विल्सन का काम और भी अधिक कठिन हो गया। परिषद् में मित्रराष्ट्रों के ५३ प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। बहुत शीघ्र १० सदस्यों की एक उपसमिति नियत हुई इस उद्देश्य से करदी गई कि बड़ी

सन्धियों के रूप निर्माण का कार्य करे। इस उपसमिति में अमेरिका, इंग्लैण्ड, फ्रान्स, इटली और जापान के ही प्रतिनिधि थे।

परन्तु यह १० सदस्यों की उपसमिति भी कुछ बोझिल-सी सिद्ध हुई। कामकाज की रफ्तार बहुत ही मन्द थी। राष्ट्र-पति विल्सन तो इस उपसमिति के भी पक्ष में नहीं थे कि एक दिन विल्सन की अनुपस्थिति में लायड जार्ज ने सन्धि परिषद् से यह प्रस्ताव स्वीकार करा लिया कि रूप-निर्माण का सारा कार्य विल्सन, लायड जार्ज, क्लीमेन्शो और ओरलेण्डों पर ही छोड़ दिया जाय। इन चार व्यक्तियों में विल्सन की स्थिति सब से अधिक निराली थी। उन्हें अपना एक भी समर्थक नज़र न आता था। लायड जार्ज जर्मनी से मिलने वाले हर्जाने के विभाजन तक की पूरी स्कोम पहले से बना चुके थे। इटली के प्रतिनिधि मि० ओरलेण्डो का सारा ध्यान उसी बात की ओर केन्द्रित था कि इटली को एड्रियाटिक अवश्य मिले। क्लीमेन्शों को एक ही धुन थी कि जर्मनी पर कतई विश्वास न किया जाय। उसे कुचल दिया जाय, इतना अधिक कुचल दिया जाय कि वह फिर कभी सिर न उठा सके।

परिणाम यह हुआ कि मि० विल्सन के १३ सिद्धान्तों की ओर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। जर्मनी से पूरा बदला निकालने की भावना को लेकर सन्धिपत्र तैयार किया गया और उस पर हस्ताक्षर कराने के लिए जर्मनी के प्रतिनिधियों को बर्साई बुला भेजा गया।

जर्मनी की सहमति—प्रजातन्त्र जर्मनी के परराष्ट्र सचिवका नाम था, काउण्ट बौकडाफ़ राजू । अपने कुछ सहकारियों के साथ वह वर्साई पहुंचा । ये लोग अपने भाग्य के सम्बन्ध में अभी तक कुछ भी नहीं जानते थे । ७ मई १९१६ को जर्मनी के ये सब प्रतिनिधि कैदियों की-सी दशा में शान्ति परिषद् के सन्मुख लाए गए । उन्हें लक्ष करके क्लीमेंशो ने एक भयंकर भाषण दिया, जिस में गत महायुद्ध का सारा दोष जर्मनी को दिया गया । जर्मन परराष्ट्र सचिव ने अपने जवाब में एक बात की ओर विशेष निर्देश किया—“पिछले ६ महानों में जब सम्पूर्ण जर्मनी एक-एक पल गिन कर आपके निर्णाय की प्रतीक्षा करता रहा है, वहां हजारों लाखों निर्दोष नागरिकों ने भूख से, तकलीफ़ से, बीमारी से, तड़प-तड़प कर प्राण दिए हैं । ऐसे नागरिक, जिन का युद्ध से कोई भी सम्बन्ध नहीं था । जब आप हमारे अपराध और उसकी सज़ा की बात कहते हैं, तो उन हजारों, लाखों निरपराध जर्मन नागरिकों का भी कुछ ध्यान रख लाएगा ।”

जर्मन परराष्ट्र सचिव के इस भाषण को गुस्ताखीभरा माना गया । सफ़ेद चमड़े की जिल्द से मढ़ी एक बड़ी-सी पुस्तक, जिसमें सन्धि की ४०० से ऊपर शर्तें दर्ज थीं, हस्ताक्षर के लिये उस के सामने कर दी गई ।

सन्धि की शर्तें—आखिरकार जर्मनी को सन्धि की शर्तों का पता लगा । ये शर्तें इतनी कठोर थीं कि जर्मनी में, कभी



किसी ने उन की कल्पना तक भी न की थी। सन्धि में ये शर्तें इस प्रकार थीं—“जर्मनी से उसके यूरोपियन स्थल भाग का आठवां भाग छिन जायगा। अलिस लोरेन और सार के कोयले के क्षेत्र फ्रान्स को मिलेंगे। कम से कम १५ वर्ष तक उन पर फ्रान्स का पूरा अधिकार रहेगा। पोलैण्ड को दक्षिण और पश्चिमी प्रशिया ( २६० मील लम्बा और ८ मील चौड़ा भाग जो कौरीडोर के नाम से प्रसिद्ध है ) मिलेगा। सिलेशिया का ऊपर का भाग जैचोस्जोवेकिया को मिलेगा और शेष भाग पोलैण्ड को। यूनन-मलमेडी चाहें तो जर्मनी के साथ रहें और चाहें तो बेल्जियम के साथ। डेन्जिग और मैमललैण्ड को मित्रराष्ट्रों के द्वारा नियत एक कमीशन के अधीन रक्खा जायगा।”

जर्मनी के सम्पूर्णा खनिज तथा अन्य उपयोगी उपज पदार्थ उस से छिन गए। लोहे और कोयले की कानें भी उस के हाथ में न रहीं। अफ्रीका आदि में उस के जितने उपनिवेश थे, वे सब उस से छिन गए। उस के सम्पूर्णा जहाज़ भी उस से छिन लिए गए। अपनी नदियों पर भी उस का प्रभुत्व नहीं रहा। निश्चय हुआ कि अपनी रक्षा के लिए १ लाख १५ हजार से अधिक ( १००००० स्थल और १५००० नौ ) सेना जर्मनी नहीं रख सकेगा। मई १९२१ तक जर्मनी मित्रराष्ट्रों को १४ अरब रुपया अदा करेगा। इजर्न के तौर से जर्मनी कुल कितना रुपया देगा, इस का निर्णय बाद में होगा। सन्धि की २३१ वीं धारा थी—“पिछले महायुद्ध में मित्रराष्ट्रों को जितनी जन और धन की क्षति उठानी पड़ी है,

जर्मनी स्वीकार करता है कि उस का पूरा उत्तरदायित्व जर्मनी और उस के मित्र देशों पर है और वह उस हर्जाने को, मित्रराष्ट्रों की इच्छानुसार, पूरा करने का ज़िम्मा अपने ऊपर लेता है।”

निश्चय हुआ कि जर्मनी ५ दिनों के भीतर ही इस सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर कर दे, अन्यथा मित्रराष्ट्र चाहे जो कुछ कर सकेंगे। जर्मन राष्ट्र सचिव ने चाहा कि उसे कुछ समय और मिल जाय। उसे आशा थी कि इस बीच में, प्राप्त माल के बट-बारे के सम्बन्ध में मित्रराष्ट्रों में परस्पर मतभेद पैदा हो जायगा। परन्तु इस कार्य में उसे सफलता नहीं मिली। २८ जून को इस सन्धि-पत्र पर जर्मनी के भी हस्ताक्षर हो गए।

आस्ट्रिया से सन्धि—इसी तरह आस्ट्रिया और हंगरी से भी विभिन्न सन्धिपत्रों पर हस्ताक्षर करवाए गए। इन दोनों राष्ट्रों को एकदम बलहीन तो अवश्य बना दिया गया, परन्तु विशेष ध्यान इसी ओर दिया गया कि इन राष्ट्रों को इतने टुकड़ों में बांट दिया जाय कि भविष्य में वे कभी जर्मनी की सहायता न कर सकें। आस्ट्रिया से सर्ब, क्रोट और स्लोवन पृथक् कर दिए गए। ३० लाख जर्मन भाषा-भाषी आस्ट्रियन जैचोस्लोवेकिया के अधीन कर दिये गए। कुछ हिस्सा रूमानिया और यूगोस्लाविया को भी मिला। कुल मिला कर आस्ट्रिया का आधे से अधिक भाग आस्ट्रिया से पृथक् कर दिया गया। आस्ट्रिया कभी जर्मनी से नहीं मिलेगा, इस की भी घोषणा कर दी गई। ११ सितम्बर १९१९ को आस्ट्रिया के साथ उक्त सन्धि हुई।

हंगरी का अंग-भंग—हंगरी के साथ सन्धि ४ जून १९२० को हुई। हंगरी का भी बुरी तरह अंग-भंग कर दिया गया। हंगरी के अधिकांश प्रदेश इधर उधर के देशों ( जैकोस्लोवेकिया और रूमानिया आदि ) को बांट दिए गए। परिणाम यह हुआ कि हंगरी के पास १२५००० वर्ग मील भूमि में से केवल ३५००० वर्ग मील भूमि ही बच रही। और उस की आबादी २ करोड़ १० लाख से केवल ८० लाख ही रह गई। हंगरी की लोहे की अधिकांश कानें भी उस से छीन ली गईं।

राष्ट्र संघ की स्थापना— इस तरह मित्रराष्ट्रों ने समझ लिया कि उन्होंने अपने शत्रुओं को सदा के लिये कुचल दिया है। वर्साई में जो कुछ हुआ, उस से राष्ट्रपति विल्सन इतने खिन्न हुए कि सन्धिपत्र पर जर्मनी के हस्ताक्षर होते ही वह अमेरिका के लिए रवाना हो गए। विल्सन के प्रयत्न से और चाहे जो कुछ हुआ हो या नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय राष्ट्र संघ की स्थापना अवश्य हो गई। इस संघ का मुख्य उद्देश्य संसार के विभिन्न राष्ट्रों में भ्रातृभाव और सहयोग की स्थापना करना था। यह भी सोचा गया कि सभी राष्ट्र मिल कर निरशस्त्रीकरण की ओर ध्यान दें। विल्सन का ख्याल था कि हारे हुए राष्ट्रों के साथ विजयी मित्रराष्ट्रों ने चाहे कितनी क्रूरता से काम क्यों न लिया हो, राष्ट्रसंघ द्वारा घोषित होने वाली अन्तर्राष्ट्रीय भ्रातृभाव की प्रवृत्ति जब पनप जायगी, सन्धियों की प्रस्तावित क्रूरता और बदले की भावना स्वयं शिथिल पड़

जायगी। विल्सन ने समझा कि वह यूरोपियन प्रजातन्त्र राष्ट्रों में राष्ट्र संघ की स्थापना द्वारा पारस्परिक सहयोग और मित्रतापूर्ण विश्वास का बीजारोप कर चले हैं, अब यूरोप भूतकाल को भूल जायगा और सौहाद्रचपूर्या भविष्य की चिन्ता करने लगेगा। परन्तु इस से बड़ी गलती वह कर नहीं सकते थे। उन की यह धारणा एकदम गलत थी और यह देख कर उन्हें असीम वेदना पहुंची कि सब से पहले अमेरिका ने ही राष्ट्रसंघ की प्रस्तावित योजना में सम्मिलित होने से इन्कार कर दिया। परिणाम यह हुआ कि संसार में मित्रता और भ्रातृभाव की वृद्धि तो नहीं हुई, शत्रु से पूरा बदला लेने की भावना ही विजयी रही।

—और इस के बाद सम्पूर्ण यूरोप महायुद्ध की क्षति पूर्ण करने, या यों कहना चाहिये कि वर्तमान महायुद्ध की तैयारी में सन्नद्ध हो गया।

## दूसरा अध्याय

# बोल्शेविक रूस

नवम्बर १९१७ में रूस में राज्यक्रान्ति हो गई। संसार की अत्यन्त महत्वपूर्ण राज्यक्रान्तियों में से एक यही राज्यक्रान्ति इतनी कम नरहत्या के साथ हुई कि देखकर आश्चर्य होता है। संसार की परिस्थितियों पर इस राज्यक्रान्ति का बहुत गहरा और व्यापक प्रभाव पड़ा है। अठारहवीं सदी के अन्त में होने वाली फ्रान्सीसी राज्यक्रान्ति संसार ने इतिहास की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना है, परन्तु १९१७ की इस रूसी राज्यक्रान्ति की महत्ता भी उससे कम नहीं है। फ्रान्सीसी राज्यक्रान्ति जहां राजनीतिक और सामाजिक क्रान्ति थी, वहां यह रूसी राज्यक्रान्ति राजनीतिक सामाजिक और अर्थिक तीनों ही थी। हमें देखना है कि इस रूसी राज्यक्रान्ति के कारण क्या थे और वर्तमान संसार पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है।

क्रान्ति के कारण—उन्नीसवीं सदी में रूस मुख्यतः

कृषि प्रधान देश ही था। वहां एक तरह की अर्ध-दासत्व प्रथा (serfdom) प्रचलित थी। सन १८६१ में ज़ार एलेक्जेंडर द्वितीय ने इस अर्धदासत्व प्रथा की समाप्ति कर दी। उसका कथन था—“इस से पहले कि अर्धदासत्व की प्रथा नीचे से बन्द हो, उसे ऊपर ही से स्वयं बन्द कर देना कहीं अधिक अच्छा है।”

रूस यदि पहले के समान कृषि प्रधान देश ही रहता तो शायद वहां उक्त राज्यक्रान्ति हुई ही न होती। परन्तु उन्नीसवीं सदी के अन्त से रूस को एक व्यावसायिक देश बनाने का गम्भीर प्रयत्न किया गया। तत्कालीन ज़ार ने फ्रान्सीसी और अंग्रेज़ व्यवसायियों को इस बात का अधिकार दिया, कि वे रूस में अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। विदेशों से पक्का माल अपने यहां मंगवाने की बजाय विदेशी व्यावसायिकों को रूस में ही माल पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करना तत्कालीन रूसी सरकार को अधिक श्रेष्ठ जान पड़ा। परिणाम यह हुआ कि सन् १६०४ के रूसी-जापानी युद्ध से पहले रूस एक अच्छा व्यावसायिक देश भी बन गया। सन १६१४ तक करीब २५ लाख मज़दूर शहरों की मिलों तथा कानों में काम करते थे। इन रूसी मज़दूरों की दशा बहुत ही दयनीय थी। इंग्लैंड के मज़दूर हाइडपार्क में जमा होकर अपने दुखड़ों का रोना रो सकते थे, वे इकट्ठे होकर पार्लियामेंट के भवन के सन्मुख प्रदर्शन भी कर सकते थे। उन्हें ट्रेड यूनियन बनाने की भी अनुमति थी, वे अपने पत्र भी प्रकाशित करते

थे। परन्तु रूस में इन में से एक भी बात की आज्ञा नहीं थी। बहां मज़दूरों की आर्थिक तथा सामाजिक दशा मध्य-कालीन गुलामों से किसी भी तरह अच्छी नहीं थी। ज़ार को सदा राज्य-क्रान्ति का डर बना रहता था और क्रान्तिकारी संगठनों को दबाने के लिए उसने 'ओज़ाना' नाम की एक क्रूर पोलीस भर्ती की हुई थी। रूसी मज़दूर तहखानों में जमा होकर अपनी सभाएं करते थे और तहखानों के छोटे-छोटे छापेखानों में चोरी से अपना साहित्य छापते थे। इन दशाओं में उनका उद्देश्य स्वभावतः क्रान्ति ही होता था और 'ओज़ाना' पोलीस जब उन्हें पकड़ पाती थी तो उन्हें प्रायः दण्ड अथवा साइबेरिया में देश-निर्वासन का दण्ड मिलता था। यह साइबेरिया का देश-निर्वासन, कुछ अंशतक, प्रायः दण्ड से भी अधिक भयंकर माना जाता था।

दमनचक्र—सन १८६६ में, एक स्कूल इन्स्पेक्टर के लेडि-मीर इलिच उलिआनोव नामक पुत्र को, जिसने अपना दूसरा नाम लेनिन रक्खा हुआ था, साइबेरिया में देश-निर्वासन का दण्ड मिला। ३ वर्ष बाद साइबेरिया से फिर लौट कर, लेनिन रूस छोड़ कर, यूरोप में चला गया और १८ वर्ष ( सन् १६१७ तक ) वह यूरोप में ही रहा। ट्राट्स्की (वास्तविक नाम—लेव डेविडो-विच बैन्स्टीन) नाम के एक और युवक को १८ बरस की उम्र में देश-निर्वासन का दण्ड मिला। स्टालिन ( वास्तविक नाम—जोसफ़ जुगाश्विली ) नाम के एक अन्य युवक को करीब बारह बार जेल में ठूँसा गया और बारह बार ही वह जेल से भागा। मज़-

दूरों के अन्दोलनों पर भयंकर से भयंकर अत्याचार किये जाते रहे। शासन व्यवस्था में सुधार करने का ज़रा भी प्रयत्न नहीं किया गया।

**क्रान्ति का प्रारम्भ—**कार्लोमाक्स ने भविष्यवाणी की थी कि जब कभी पूंजीपति राष्ट्र आपस में लड़ेंगे, मज़दूरों को राज्यक्रान्ति करने का अवसर मिलेगा। मार्च सन १९१७ में वह भविष्यवाणी पूरी हो गई। रूसी मज़दूर स्त्रियों के किसी प्रदर्शन के अवसर रूस की राजधानी पेट्रोग्रेड ( अब लेनिनग्रेड ) में हड़ताल हो गई। हड़ताल के तीसरे दिन २,४०,००० मज़दूरों ने राजधानी की सड़कों का चक्कर लगाया। इन मज़दूरों को भगाने के लिए कज़ाक फौज़ बुलाई गई। कज़ाक सेना अपनी क्रूरता के लिए प्रसिद्ध थी। परन्तु अत्याचारों का प्याला इतना अधिक भर चुका था और देश की अन्तरिक दशा इतना अधिक बिगड़ गई थी कि ये कज़ाक भी हड़ताली मज़दूरों से जा मिले। सम्पूर्ण नगर पर हड़तालियों का अधिकार हो गया। ज़ार पेट्रोग्रेड में वापस आने की हिम्मत नहीं कर सका और वहां कुछ संभ्रान्त व्यक्तियों की अस्थायी सरकार स्थापित होगई।

**लेनिन की वापसी—**लेनिन उन दिनों जर्मनी में था। बड़ी कोशिशों के बाद जर्मन सरकार ने लेनिन को इस बात की अनुमति दी कि वह अपने साथियों के साथ एक स्पेशल ट्रेन में रूस वापस जा सकता है। एप्रिल में लेनिन जब पेट्रोग्रेड पहुंचा तो हज़ारों की संख्या में रूसी साम्यवादी उसका स्वागत करने



पहुंचे हुए थे। जनता ने लेनिन का हार्दिक स्वागत किया। उसके जयकारों से अस्मान गुंजा दिया। जनता को आगा था कि ज़ार का राज्य समाप्त कर देने के लिए उनका नेता लेनिन उन्हें बधाई देगा। परन्तु लेनिन ने स्टेशन पर ही जनता को उमकी इम बंवकूफ़ी के लिए खूब लताड़ा कि ज़ार की जगह उन्होंने साम्यवादी जनताका राज्य स्थापित न कर पूजीपतियों की सरकार क्यों कायम कर दी ! लेनिन ने घोषणा की—“हमें एकदम एक और क्रान्ति करनी होगी। हम मज़दूरों के हाथ में शक्ति देंगे, हम भूमि पर किसानों का राज्य स्थापित करेंगे। हम भूखों को रोटी देंगे और देश में शान्ति स्थ.पित करेंगे।”

बोलशेविकों ने समझा कि उनका नेता पागल हो गया है। उसे देश की परिस्थितियों का कुछ भी ज्ञान नहीं है। लेनिन की बात को किसी ने नहीं मना।

लेनिन की क्षणिक असफलता— उधर अस्थायी सरकार यूरोपियन महायुद्ध में पूरा सहयोग देने को तत्पर थी। रूसी सिपाहियों के पास न कपड़े थे, न पूरे अस्त्र शस्त्र और न खाद्यपदार्थ ही। हां, अस्थायी सरकार में युद्ध जीने का अद्भ्य उत्साह ज़रूर था। जिस बात से ज़ार का पतन हुआ था, वही बात अस्थायी सरकार को भी ले डूबी। जून १९१७ में सरकार ने जर्मनी पर आक्रमण करने का निश्चय किया। परन्तु सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह बहुत शीघ्र व्यापक हो गया। मज़दूरों ने भी हड़ताल कर दी। अस्थायी सरकार ने इस विद्रोह का

सारा उत्तरदायित्व साम्यवादी बोलशेविकों पर डाला और इस बात का प्रचार शुरू किया कि लेनिन जर्मनी का भेदिया है, वह रूस को जर्मनी के हाथ बेच देना चाहता है। स्थायी सरकार को अपने इस प्रयत्न में सफलता मिली। लोकमत लेनिन और बोलशेविकों के विरुद्ध हो गया। लेनिन और उस के साथी भाग कर कहीं छिप गए और अधिकांश बोलशेविक गिरफ्तार कर लिए गए।

बोलशेविक क्रान्ति—२२ अक्टूबर को लेनिन के हस्ता-  
क्षरों से एक घोषणा प्रचारित की गई कि १५ दिनों के भीतर रूस में बोलशेविक राज्य की स्थापना हो जायगी। और सचमुच पन्द्रहवें दिन पेट्रेग्रेड में बोलशेविक राज्य कायम हो गया। हजार डेढ़ हजार अशिक्षित क्रान्तिकारी बोलशेविक युवक जिस किसी तरह राजधानी में आ गए। रात के दो बजे से ये युवक शहर के प्रमुख स्थानों पर जाकर जमा होने लगे। प्रातः ५ बजे तक सभी नाकों पर उन का अधिकार हो गया। सरकार की किसी आज्ञा की उन्होंने कोई परवाह नहीं की। १० बजे उन्होंने घोषणा की कि सम्पूर्ण नगर पर बोलशेविकों का अधिकार हो गया है। १२ बजे लेनिन के नेतृत्व में बोलशेविक कांग्रेस की भीटिंग हुई। कुछ समय के बाद सरकारी पोलिस लेनिन और उसके साथियों को पकड़ने आई, परन्तु बोलशेविकों ने उन सिपाहियों को ही गिरफ्तार कर लिया। सायंकाल लाखों व्यक्तियों ने मन्त्रिमण्डल पर धावा कर दिया जिन में तमाशबीनों की संख्या ही अधिक थी। सभी मन्त्री जान बचा कर भाग गए और इस तरह बिना किसी घटना के अस्थायी

सरकार नष्ट हो गई। रात के १२ बजे तक पूर्णरूप से बोल्शेविक सरकार की स्थापना हो गई। यह सम्पूर्ण क्रान्ति इनती चुपचाप हुई कि विदेशी सम्बन्धदाताओं को इस महान राज्य-क्रान्ति का पता तक भी नहीं चला। इस क्रान्ति में बहुत ही थोड़ा, नगण्य-सारक्षपात हुआ।

मास्को में बोल्शेविक राज्य स्थापित करते हुए कुछ रक्षपात अवश्य हुआ। लेनिन ने यह घोषणा कर दी कि बोल्शेविक राज्य में ज़मीनों पर किसानों का ही अधिकार होगा। किसानों के लिए यह लालच बहुत बड़ा था। उन्होंने बोल्शेविक राज्य स्थापित करने में बड़ी सहायता दी और ज़मीनों पर अपना अधिकार कर लिया। बाद में जब इन ज़मीनों पर बड़े पैमाने से 'गाड़ी करने की ज़रूरत अनुभव की गई, तो बोल्शेविक सरकार ने दिकतों का सामना करना पड़ा।

रूस में उन दिनों भीषण अकाल फैला हुआ था। लोग भूखों मर रहे थे। व्यापार व्यवसाय, लेन-देन सब चौपट हो गया था। उधर जर्मनी हर समय रूस पर आक्रमण करने की धमकियाँ दे रहा था। लाचार होकर लेनिन ने रूस के अनेक उपजाऊ और समृद्ध भाग जर्मनी को देकर उस से सन्धि कर ली। लेनिन के सौभाग्य से उस के थोड़े ही दिनों के बाद जर्मनी हार गया और उस सन्धि की कोई भी शर्त व्यवहार में नहीं लाई जा सकी।

श्वेत जातियों से संघर्ष—इस के बाद मित्र राष्ट्रों ने रूस को परेशान करना शुरू किया। लेनिन जर्मनी के साथ सन्धि

करने को तत्पर था, इस से मित्रराष्ट्र रूस को अपना शत्रु समझने लगे। रूस में जो बोलशेविक सरकार स्थापित हुई थी, उसे मित्रराष्ट्रों की पूंजीप्रधान सरकारें अपने लिए खतरे का कारण समझती थीं, इस कारण भी रूस के शत्रुओं की संख्या बहुत बढ़ गई। रूस में अंग्रेजों और फ्रेंच लोगों ने जो रूपया व्यवसाय में लगाया था, वह सब का सब खतरे में पड़ गया। मित्रराष्ट्रों की सेनाएँ महायुद्ध से निपट ही चुकी थीं। इन सब कारणों से मित्रराष्ट्रों की अनेक सेनाएं रूस पर आक्रमण करने के लिए भेज दी गईं। इंग्लैण्ड, फ्रान्स, रूमानिया, डैन्मार्क, जैचोस्लोवेकिया आदि की करीब दो लाख सेना ने रूस को अनेक ओर से घेर लिया। शीघ्र ही दूसरी ओर से जापान ने भी रूस पर आक्रमण कर दिया और अमेरिका तथा इंग्लैण्ड ने उस की सहायता की।

बोलशेविक सरकार की विजय—कुछ समय तक रूस की बोलशेविक सरकार का भविष्य बहुत खतरे में रहा। परन्तु उसके बाद, वर्साई की सन्धि होते ही, फ्रांसीसी और अंग्रेजी सेनाएं अपने-अपने देशों को लौट गईं। रूस को कुछ हिम्मत हुई। जून १९१६ में लेनिन ने ट्राट्स्की को रूसी सेना का प्रधान सेनापति बना दिया। ट्राट्स्की एक बहुत प्रतिभाशाली संयोजक सिद्ध हुआ। थोड़े ही समय में उसने ४,००,००० सेना एकत्र कर ली, जिनमें ३०,००० पुराने रूसी अफसर थे। ट्राट्स्की ने १६ मोर्चे बनाये। पूरे २३ वर्षों तक वह एक मोरचे से दूसरे मोरचे तक दौड़ता फिरा। अन्त में रूस की विजय हुई और यह निश्चित रूप

से कहा जा सकता है कि इस विजय का सब से बड़ा श्रेय ट्राट्स्की को था। रूस की अपेक्षाकृत अशिक्षित और दरिद्र-सी सेना में २½ बरसों तक उत्साह का मन्त्र फूंकते रहने का कार्य ट्राट्स्की ने ही किया। इस युद्ध में दो लाख से ऊपर रूसी सैनिक मारे गए।

युद्ध और क्रान्ति के प्रभाव—युद्ध तो समाप्त हो गया, परन्तु हारी हुई श्वेत फौजें जब अपने-अपने देशों को वापस पहुँची, तब उन्होंने रूसी बोलशेविक सरकारके सम्बन्ध में बड़े भयङ्कर समाचार अपने देशवासियोंको दिए। बनाया गया कि ज़ार की ओज्राना फौज की तरह बोलशेविक सरकार ने 'चेक' नामक फैज भरती की है। ये लोग बोलशेविज्म के विपत्तियों पर भयङ्करतम अत्याचार करते हैं। कैदियों को जान से मार देना, स्त्रियों पर वलात्कार करना, बच्चों का बध कर देना आदि बातें वहाँ रोज़मर्रा होती हैं। जो रूसी अपने को पक्का क्रान्तिकारी सिद्ध नहीं कर सकना, उसे गोली से उड़ा दिया जाना है। इन समाचारों में कहां तक सच्चाई थी, यह कहना कठिन है, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि युद्ध के उन दिनों में रूसी बोलशेविक सरकार ने अपने आन्तरिक शासनमें बहुत कठोरता, बलिक क्रूरता से भी, काम कर लिया। अनुमान है कि इस बीच में ७०,००० रूसियों को प्राणदण्ड दिया गया।

युद्ध का समाजवाद—इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए रूस में युद्ध का समाजवाद (War Communism) स्थापित किया गया। समाजवाद में जहां सब लोग समान हैं, वहां इस युद्ध के समाजवाद में डिक्टेटरशिप की स्थापना की गई। सम्पत्ति उत्पन्न

करने के सभी साधन सरकारने अपने अधीन कर लिए। सन १९१८ के अन्त तक यह स्थिति आगई कि रूस की प्रत्येक उपज पर सरकार का अधिकार होगया। किसानों से ज़बरदस्ती अनाज छीन लिया जाने लगा। बदले में उन्हें बहुत ही थोड़ी कीमत दी गई। कर्ज़े माफ़ कर दिये गए और देश भर की सम्पूर्ण वैयक्तिक सम्पत्ति पर सरकार का अधिकार हो गया। किसान लोग बोलशेविक सरकार से घृणा करने लगे। बोलशेविक सरकार सिर्फ़ मज़दूरों की ही सरकार रह गई। परिणाम यह हुआ कि परिस्थिति भयङ्कर से भयङ्करतम हो गई। देश भर में घोर अकाल फैल गया। सन् १९२१ में करीब १० लाख किसानों ने भूख से तड़प-तड़प कर प्राण दे दिए। तंग आकर रूसी किसानों तथा रूसी नाविकों ने अनेक बार विद्रोह करने का प्रयत्न किया। परन्तु इन विद्रोहियों को बड़ी कठोरता से दबा दिया जाता रहा।

‘नई आर्थिक नीति’—आखिरकार लाचार होकर लेनिन ने तत्कालीन समाजवाद की व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया। लेनिन की यह नई नीति ‘नई आर्थिक नीति’ (न्यू इकोनोमिक पालिसी) के नाम से प्रसिद्ध है। इस नीति के अनुसार साम्यवाद के पुराने रूप में परिवर्तन कर दिया गया। किसानों से ज़बरदस्ती अनाज लेने की प्रथा बन्द करदी गई। उसकी जगह उपज के अनुमान से उन पर टैक्स लगाया जाने लगा। व्यवसाय पर भी सरकारी नियन्त्रण ढीला पड़ गया। लोगों को इस बात की अनुमति मिल गई कि वे अपने लाभ के लिए छोटे-छोटे कारखाने खोल

सकें। यहां तक कि विदेशी कम्पनियों को भी रूसमें काम करने की अनुमति मिल गई। बड़े व्यवसायों का सङ्गठन ट्रस्टों के आधार पर किया जाने लगा। उनके मुनाफ़े का बड़ा भाग उन्हीं को मिलने लगा। सरकारी नियन्त्रण बहुत कम हो गया। नफ़े में पूंजी और आय के अनुपात नियत कर दिए गए। भोजन के टिकट मिलने बन्द हो गए, उसके बदले नई मुद्रा पद्धति शुरू की गई। सहोद्योग समितियों को सरकारीतौर से प्रोत्साहन मिलने लगा। गोश्वैक के नाम से एक नए बैंक की स्थापना भी सन् १९२१ में की गई।

यह न्यू इकोनोमिक पालिसी "एन०ई०पी०"के संक्षिप्त नाम से पुकारी जाने लगी और उसके आधार पर जिन व्यवसायों ने रूसमें व्यवसाय प्रारम्भ किया, वे नैपमैन (Nep men) कहलाने लगे। क्रमशः अव्यवसायी और परिश्रमी पुरुषों ने पुनः कुछ धन संप्रह कर लिया और मेहनती किसान भी, क्रमशः अपनी ज़मीन का क्षेत्र बढ़ा कर कुछ सम्पन्न बन गए। इन सम्पन्न लोगों को 'कुलक' कहा जाने लगा और गरीबों को 'वैडनिक'।

नई आर्थिक नीति का प्रभाव—बोल्शेविक सरकार ने इन कुलकों पर भारी कर लगा कर उनका संचित धन ले लेना चाहा, परन्तु इस कार्य में उसे सफलता न मिली। इस नई आर्थिक नीति से रूस के साम्यवादी अपने आदर्श से तो अवश्य गिर गए, परन्तु इसके द्वारा तत्कालीन विषम परिस्थितियों पर उन्होंने नियन्त्रण कर लिया। नगर और ग्राम दोनों की दशा सुधर गई। सन् १९२० में रूस का निर्यात १४ लाख रूबल मूल्य का था,

१९२१ में वह २०२ लाखका होगया, १९२२ में वह ८१६ लाख तक जा पहुँचा और चौथे ही वर्ष (१९२३ में) वह २०५८ लाख तक पहुँच गया। इस तरह अपने देश की आर्थिक दशा संभालने में लेनिन को आश्चर्यजनक सफलता मिली।

लेनिन की मृत्यु—सन १९२४ के जनवरी महीने में बोल्शेविक क्रान्ति के जन्मदाता लेनिन का देहान्त हो गया। लेनिन की गणना संसार के सर्वकालीन इतिहास के सर्वश्रेष्ठ महापुरुषों में की जाती है। १९१७ की रूसी राज्यक्रान्ति का जन्मदाता तो शायद लेनिन को नहीं कहा जा सकता, परन्तु इस क्रान्ति का सब से बड़ा नेता लेनिन ही था। फ्रांस को, उसकी राज्यक्रान्ति के बहुत समय पीछे नैपोलियन-सा महापुरुष मिला था। रूस को नैपोलियन से भी अधिक बड़ा एक नेता, लेनिन के रूप में क्रान्ति का नेतृत्व करने के लिये मिला गया। लेनिन बहुत ही अनथक काम करने वाला था। वह अकेला अनेकों दफ्तरों से अधिक काम कर रहा था। सम्पूर्ण क्रान्ति को सफलतापूर्वक चलाने का श्रेय लेनिन को ही था। अत्यधिक परिश्रम करने का परिणाम यह हुआ कि सन १९२३ में लेनिन बीमार पड़ गया।

लेनिन का व्यक्तित्व—लेनिन का देह पतला-दुबला था। उसका कद मझोला था। सिर गज्जा था और चिबुक के अग्र-भाग पर वह लाल रंग की नोकीली-सी दाड़ी रखता था। उसका स्वभाव शान्त था और प्रकृति मधुर थी। अपने सभी अनुयाइयों में मेल बनाये रखने का काम बही करता था। खान पान और



रहन सहन के सम्बन्ध में उसकी आदतें पुराने ढंग की थीं। उसकी स्मरणशक्ति बहुत तेज़ थी। परमात्मा ने उसे असाधारण आध्यत्मिक आकर्षण शक्ति भी दी थी। रूस कभी इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता था कि लेनिन के बिना रूस ज़िन्दा रह सकता है। सन् १९१८ में क्रिमी ने लेनिन को गोली मारी थी। गोली लेनिन के गले पर लगी थी और उसे निकाला नहीं जा सका था। उसके बाद भी वह दिन रात अनथक काम करता रहा। १९२२में वह बीमार पड़ा, उसके बाद उसे बीमारी के अनेक दौरें हुए। मार्च १९२३ में लेनिन की दशा बहुत बिगड़ गई, उसे अर्वांग का रोग हो गया। इस पर भी, रोग शैया पर पड़े-पड़े वह रूसी राष्ट्र के इस नए परीक्षण का अत्यन्त सफलता पूर्वक सञ्चालन करता रहा। लेनिन के देहान्त हांजाने पर रूसभरमें अत्यधिक शोक मन या गया।

लेनिन का उत्तराधिकारी—शोकपग्न रूस के सामने सब से महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन हो। इस पद के लिए ४ व्यक्ति उमीदवार थे—ज़िनोवीफ़, जो एक बहुत उत्तम राजनीतिज्ञ था; कामनेव, जो अनिश्चित स्वभाव का होते हुए भी बहुत श्रेष्ठ वक्ता था; स्टेलिन, जो समाजवादी दल का मन्त्री होते हुए भी बहुत कम ज्ञात था। स्टेलिन के सम्बन्ध में किसी ने कहा था कि वह एक अत्यन्त उपयोगी नौकर है, वह मालिक नहीं बन सकता। इन तीनों के सम्बन्ध में लोगों में धारणा थी कि वे नेता नहीं बन सकते। चौथा ट्राट्स्की, जो जन्म का एक नेता था। सारा रूस उसे जानता था। बल्कि लेनिन के

बाद ट्राट्स्की का नाम ही दुनियां भर में प्रसिद्ध था। रूस के लाखों घरों में उसका चित्र लेनिन के साथ-साथ टांगा हुआ था। वह एक बहुत श्रेष्ठ वक्ता, लेखक और प्रबन्धकर्ता था। परन्तु उसकी कमजोरी यह थी कि अपने तेज स्वभाव के कारण बहुत से लोगों को अज्ञान ही में उसने अपना शत्रु बना लिया था। लेनिन के देहान्त के बाद ट्राट्स्की के अतिरिक्त शेष तीनों व्यक्ति राष्ट्र का संचालन करते रहे।

क्रमशः नैपमेन और कुलकों भी सम्पत्ति और उनका प्रभाव बढ़ता चला जा रहा था। रूस में जिन विदेशी व्यवसायियों को काम करने की अनुमति मिल गई थी, वे भी अच्छा धन कमा रहे थे। ट्राट्स्की ने इस परिस्थिति के विरुद्ध आन्दोलन शुरू किया। उसका कहना था कि हम लोग बड़ी शीघ्रता से अपने सिद्धान्त तथा आदर्श से पनित होते चले जा रहे हैं। साम्यवाद के नए परीक्षण करने की वजाय उसे और भी शिथिल करने की बात ट्राट्स्की को पसन्द न थी।

उधर स्टेलिन इस परिणाम पर पहुंचा था कि रूस को आदर्श साम्यवादी बन कर रहने की आवश्यकता नहीं है। संसार की परिस्थितियों की उपेक्षा करने से काम न चलेगा। लेनिन के समय यह प्रयत्न शुरू किया गया था कि संसार के अन्य देशों में भी साम्यवादी क्रान्ति करने का कार्य किया जाय। स्टेलिन इस परिणाम पर पहुंचा कि अभी विश्व-क्रान्ति का समय नहीं आया। उसने वह प्रोग्राम स्थगित कर दिया।

राष्ट्रीय साम्यवाद ( State Socialism )—स्टेलिन ने रूस में राष्ट्रीय साम्यवाद को व्यावहारिक रूप दिया। इस कार्य का प्रारम्भ लेनिन ने ही किया था। व्यावसायिक उत्पत्ति के साधनों पर राष्ट्र का प्रभाव और आधिपत्य स्थापित करने का प्रबन्ध किया गया। नैपमैन के कार्य में स्टेलिन ने यह बाधा दी कि कच्चे माल के उत्पादकों को राष्ट्र की सहायता से संगठित कर नैपमैन को कच्चा माल पहुंचाना बन्द कर दिया। क्रमशः उसने राष्ट्र भर के व्यवसायकेन्द्रों और कारखानों को संगठित कर दिया। प्रत्येक कारखाने पर, उस में काम करने वाले मज़दूरों का ही आधिपत्य स्थापित कर दिया। कारखानों का प्रबन्ध करने के लिये पृथक् पृथक् ट्रस्ट और कमेटीयां बना दी गईं। उन सब पर राष्ट्र का कड़ा निरीक्षण रहने लगा।

स्टेलिन की विजय—उधर ट्राट्स्की चाहता था कि रूस कार्ल मार्क्स के सिद्धान्तों का अनुसरण करे। स्टेलिन चाहता था कि लेनिन के ढंग पर परिस्थितियां देख कर ही हम अपना कदम बढ़ाएं और आवश्यकता पड़ने पर अपने मार्ग में परिवर्तन भी करते जायें। स्टेलिन और ट्राट्स्की के ये पारस्परिक भौलिक मतभेद इतना अधिक बढ़े कि वे दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए। तब तक रूस का बहुमत स्टेलिन के साथ हो गया था, इससे ट्राट्स्की को देश छोड़ कर भाग जाना पड़ा। रूस में लेनिन और स्टेलिन के ढंग का परिवर्तित साम्यवाद ही स्थापित हो पाया।

समाजवाद का परीक्षण—सन १९२३ में बोल्शेविक रूसी सरकार का नया शासन विधान बना। इस विधान के अनुसार रूस को एक व्यापक संघ का रूप दे दिया गया। इस संघ का नाम रक्खा गया—“सम्यवादी सोविएट प्रजातन्त्रों का संघ” ( Union of Socialist Soviet Republics ) जिसे संक्षेप में ‘यू० एस० एस० आर०’ कहा जाता है। इस रूसी संघ की आवादी लगभग १० करोड़ है और इस में ग्यारह स्वायत्त शासन वाले प्रजातन्त्र राष्ट्र हैं। इन में से उजबेक एस० एस० आर० भारतवर्ष के सब से निकट है।

ज़ारशाही के ज़मने में सम्पूर्णा रूस में गहरी एकता की भावना भरने का प्रयत्न किया गया था। राष्ट्रीय भेद की सभी बातें उन दिनों प्रयत्नपूर्वक दूर की जा रही थी। परन्तु बोल्शेविक सरकार इन राष्ट्रों का विकास उन के अपने-अपने ढंग पर ही कर रही है। इन सभी राष्ट्रों की सभ्यता, भाषा, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, साहित्य आदि का पृथक्-पृथक् विकास हो रहा है। एक तरह से इन सभी राष्ट्रों को पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त है। यहां तक कि शासन विधान में ऐसी कोई धारा नहीं, जिस के आधार पर इन्हें “यू० एस० एस० आर०” का सदस्य बनने के लिये भी बाधित किया जा सके; यद्यपि व्यवहार में इस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती कि इन में से कोई राष्ट्र कभी “यू० एस० एस० आर०” से अपना सम्बन्ध तोड़ना चाहेगा। इस तरह सभी राष्ट्रों को पूर्ण आन्तरिक स्वतन्त्रता देकर रूस ने अपनी पृथक् राष्ट्रीयता की

समस्या का हल, बहुत अंश तक, कर लिया है। सभ्यता, शिक्षा, साहित्य आदि के सम्बन्ध में तो इन राष्ट्रों को पूर्ण स्वाधीनता है, परन्तु आर्थिक संगठन और आर्थिक विकास को दृष्टि से एक ही ढंग के नियम इन सातों राष्ट्रों में जारी हैं। आर्थिक संगठन की दृष्टि से सम्पूर्णा रूस एक है।

श्रम समितियां—( Soviets ) बोल्शेविक रूस की सब से अधिक महत्वपूर्ण संस्थाएं वहां की श्रम समितियां ( सोविएट्स ) हैं। इसका कारण यह है कि वर्तमान रूस की एकता का आधार जाति, देश या धर्म की एकता नहीं हैं, यह आधार तो कार्ल-मार्क्स के समाजवाद के प्रति रूस की पूर्ण आस्था है। कार्लमार्क्स का कथन है कि एक पूंजीवादी समाजको समाजवादो सनाजबवाने का कार्य हाथ से काम करने वाले मजदूरों (प्रोलेटेरिएट—Proletariat), की डिक्टेटरशिप द्वारा ही हो सकता है। वास्तवमें रूसी राज्य-क्रान्ति इसी ढंग पर हुई थी। सन १९२३ के रूसी शासन विधान का आधार भी यही उपर्युक्त सिद्धान्त है। राज्यक्रान्ति के एकदम बाद रूस में श्रम समितियों ( सोविएट्स ) का जन्म हुआ। किसानों, सैनिकों और मजदूरों ने अपनी-अपनी पृथक् श्रम समितियां बना लीं।

वर्तमान बोल्शेविक सरकार का वास्तविक आधार यही श्रम-समितियां हैं। प्रत्येक गांव, कसबे, शहर, जिले, प्रान्त और राष्ट्र में पृथक्-पृथक् श्रम समितियां हैं। इन सब के ऊपर सम्पूर्णा रूस की एक सोविएट है, जिस की बैठक वर्ष में एक बार होती है।

सिद्धान्त रूप में यही सोविएट रूस की सब से अधिक महत्वपूर्ण और प्रामाणिक संस्था है। इन सम्पूर्ण श्रमसमितियों का निर्वाचन प्रतिवर्ष होता है, यद्यपि प्रतिवर्ष नए उमीदवार नहीं होते। साथ ही इन श्रमसमितियों में किसानों की अपेक्षा मजदूरों की महत्ता अधिक रहती है।

**समाजवादी दल**—रूसी सरकार का सब से अधिक महत्वपूर्ण और जीवन संगठन वहां का समाजवादी दल है। सन् १९१७ से लेकर अभी तक रूस में इसी दल का शासन है। शासन क्या इसे डिक्टेटरशिप कइना चाहिये। इसे एक तरह का स्वयं-सेवकदल कहा जा सकता है। इस के सदस्यों की संख्या लगभग २० लाख है। प्रत्येक सदस्य से बहुत ऊंचे आदर्शपूर्ण व्यवहार तथा जीवन की आशा की जाती है। प्रायः सभी सरकारी ओइदों पर इसी पार्टी के सदस्य नियुक्त होते हैं। इन लोगों को अपना जीवन त्यागमय बनाना पड़ता है। अधिक वेतन उन्हें नहीं दिया जाता। पार्टी के सदस्यों पर काफ़ी कठोर नियन्त्रण और निरीक्षण रक्खा जाना है। अयोग्य व्यक्तियों से सदस्यता छीन ली जाती है। रूस में और किसी पार्टी की स्थापना करने की अनुमति नहीं है। रूस भर की प्रत्येक सोविएट में आप को इस समाजवादी दल के सदस्य अवश्य मिलेंगे।

परिणाम यह हुआ है कि सम्पूर्ण रूस पर इसी समाजवादी दल का शासन है। इस दल की केन्द्रीय कार्य समिति के सदस्य ही रूस का मन्त्रि-मण्डल बनाते हैं। सन् १९३८ तक स्टेलिन इसी

पार्टी के मन्त्री की हैसियत से ही सम्पूर्ण रूस का डिक्टेटर था। सन् १९३८ में रूस में जो प्रजातन्त्रात्मक शासन सुधार किए गए, उन के अनुसार स्टेलिन अब उक्त दल का प्रधान मन्त्री होने के साथ ही साथ रूस का राष्ट्रपति भी नियत हो गया है।

व्यवसाय-संघ—जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सम्पूर्ण रूस में यदि किसी बात की एकता स्थापित की जा रही है, तो वह आर्थिक संगठन की। रूस के सभी उत्पादक कारखानों का नियन्त्रण और संचालन करने के लिए वहां व्यवसाय संघ (Collectives) नाम की संस्थाएं बनी हुई हैं। कारखाने में काम वाले मजदूर तथा अन्य सभी लोग इन व्यवसाय संघों के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। कारखानों का पूरा प्रबन्ध इन्हीं संघों के हाथ में होता है। रूस का सम्पूर्ण अर्थिक जीवन इन व्यवसाय संघों के हाथ में है, इस से इन की महत्ता भी बहुत अधिक है।

“ओ० जी० पी० यू०”—पिछले अनेक वर्षों से बोल्येविक रूस की जिस संस्था के सम्बन्ध में संसार भर में सब से अधिक चर्चा रही है, वह वहां की “ओ० जी० पी० यू०” (संयुक्त राष्ट्र का राजनीतिक विभाग, (United State political Department) है। इस संस्था के कारनामों ने संसार भर में रूस की आन्तरिक परिस्थितियों के प्रति एक आतंक-सा स्थापित कर दिया है। यह संस्था एक तरह का सैनिक संगठन है, जिसमें रूस का गुप्तचर विभाग भी सम्मिलित है। इस संस्था का केन्द्र मास्को

में है। संस्था की अपनी सेना है। उसे यह अधिकार प्राप्त है कि वह सम्पूर्ण रूस के किसी भी राष्ट्र में हस्ताक्षेप कर सके। रूस भर में इस संस्था के गुप्तचरों का जाल-सा बिछा हुआ है। इस संस्था के सदस्यों को असाधारण अधिकार प्राप्त हैं। उन की रक्षा और उनके आराम का विशेष प्रबन्ध किया जाता है। सब से विचित्र बात यह है कि यह संस्था अपराधियों को स्वयं दण्डित भी कर सकती है और इस के दण्ड बहुत कड़े होते हैं।

संसार भर में प्रसिद्ध है कि “ओ०जी०पी०यू०” बहुत ही अत्याचारी संस्था है। स्वयं रूस में इस संस्था के कारनामों का आतंक और भी अधिक है। एक जानकार व्यक्ति, जो स्वयं इस संस्था का शिकार बना चुका है, ( एलन मोंकहाउस ) का कथन है कि यह संस्था जानबूझ कर, भूठी अफवाहें फैला कर, रूस में अपना अंतक स्थापित किए हुए है। ताकि लोग रूस के नए समाजवादी परीक्षण में, जिसका परिचालन बहुत ही व्यापक और कठिन है, बाधा डालने का साहस ही न करें।

## पञ्च वार्षिक कार्यक्रम

रूस की राज्यक्रान्ति के बाद वहां जो भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा, उसने वहां के साम्यवादी नेताओं के दिल पर इस बात की गहरी छाप डाल दी कि यदि रूस ने ज़िन्दा रहना है तो उसे अपने को अर्थिक और भौतिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना होगा। उन दिनों संसार के प्रायः सभी



शक्तिशाली राष्ट्र रूस के विरोधी थे, इस बात से रूसी सरकार को अत्मनिर्भरता की आवश्यकता और भी अधिक तीव्रता के साथ अनुभव हुई। वर्तमान रूस के पिता लेनिन ने रूस को व्यावसायिक देश बनाने का प्रयत्न भी किया। रूस का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है; वहां उपजाऊ भूमि की भी कमी नहीं। वहां की वन्य तथा खनिज सम्पत्ति भी बहुत अधिक है। लेनिन ने प्रयत्न किया कि सम्पूर्ण रूस में बिजली का प्रसार कर दिया जाय, ताकि वहां छोटे-छोटे गृह-उद्योग और बड़े कल-कारखानों का सूत्रपात आसानी से किया जा सके। परन्तु इस तरह रचनात्मक आर्थिक कार्य प्रारम्भ करने के कुछ समय के बाद लेनिन का देहान्त हो गया।

सन १९२५ से रूस में आर्थिक निर्माण का कार्य बड़ी गम्भीरता के साथ शुरु किया गया। देशभर के प्रत्येक कारखाने, कान और ट्रस्ट से यह पूछा गया कि वे वर्ष भर में कितना माल पैदा करते हैं और प्रयत्न करने पर अपनी पैदावार वे कहां तक बढ़ा सकते हैं। उत्तर में जो आंकड़े प्राप्त हुए, उन्हें स्थानीय अर्थ-समितियों ने देख कर शुद्ध किया। उसके बाद वे संख्याएं केन्द्रीय अर्थ-समिति को भेज दी गईं। इस अर्थ समिति ने विशेषज्ञों की एक और समिति नियत की, जिस काम गौस्प्लेन (Gosplan) था। इसके सदस्यों की संख्या ५०० थी। इस बड़े संगठन ने रूस की आवश्यकताओं के अनुसार अधिकतम पैदावार करने का प्रयत्न किया।

तीन सालों तक काम करते रहने के बाद उपयुक्त संस्था का अनुभव बहुत बढ़ गया। इन बोष में स्टेलिन ने ट्राट्स्की को रूस से भगा दिया था। देश में अन्तरिक शान्ति हो गई थी। इससे स्टेलिन को रूस के अर्थिक पुनर्निर्माण की ओर विशेष ध्यान देने का खुला अवसर मिल गया। स्टेलिन ने तीन बातों को अपना उद्देश्य बनाया।

१. रूस को पूर्णरूप से आत्मनिर्भर बनाना। तब तक रूस मुख्यतः कृषि प्रधान देश माना जाता था। स्टेलिन ने निश्चय किया कि अब उसे व्यवसाय-प्रधान भी बनाना है। अपनी किसी भी आवश्यकता के लिए रूस को विदेशों का मुंह न देखना पड़े, यह स्टेलिन का पहला ध्येय बना।

२. सम्मिलित कृषि का प्रारम्भ। ज़मीन और पशुओं पर से व्यक्तिगत स्वामित्व उठा दिया गया। उसकी बजाय बड़े-बड़े खेत बनाए गए। सभी किसान इन खेतों में काम करने लगे। अर्थिक दृष्टि से इस बात का उपयोग यह था कि बड़े खेतों में ज्ञानिक ढंग से कृषि हो सकती है। इस बात का राजनीतिक उद्देश्य यह था कि किसानों में भी, बड़े ज़मीन्दारों की समाप्ति कर, पूर्ण समाजवाद का प्रारम्भ किया जाय।

३. सम्पूर्णा रूस को शिक्षित करना। देश भर में एक भी ऐसा व्यक्ति न रहे, जो पढ़ और लिख न सकता हो। रूस को व्यावसायिक देश बनाने के लिए ऐसा कराना आवश्यक था। क्रमशः स्टेलिन की सरकार ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रूस के

सम्मुख रक्खा। इस प्रोग्राम पर बरसों तक विचार किया गया था और प्रत्येक विस्तार के सम्बन्ध में भी सभी तरह की प्रमाणिक संख्याएं मौजूद थीं, फिर भी यह प्रोग्राम, जिसे पांच वर्षों में पूरा करने की घोषणा की गई थी, इतना बड़ा और भारी प्रतीत हुआ कि लोगों को उस का पूरा हो-सकना लगभग असम्भव-सा कार्य जान पड़ा। कम्युनिस्ट पार्टी ने यह काम अपने जिम्मे लिया और प्रथम अक्टूबर १९२८ को इस पंच-वार्षिक प्रोग्राम का श्री गणेश कर दिया गया।

शुरू-शुरू में रूस के मजदूरों को भी सन्देह था कि यह कार्यक्रम पूरा हो सकेगा या नहीं। रूस की सरकार के पास धन का अभाव था। दूसरा कोई देश रूस को धन उधार देगा, इस की कोई सम्भावना तक नहीं थी और धन के बिना काम शुरू न हो सकता था। इस समस्या का हल बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से किया गया। सरकार ने एक 'राष्ट्रीय ऋण निधि' का सूत्रपात किया और रूस भर के प्रत्येक मजदूर से यह अनुरोध किया कि वह अपनी एक महीने की आय, चार किरतों में, इस निधि में दे। बहुत शीघ्र रूस में राष्ट्रीय-ऋण को पूरा करने की यह कल्पना अत्यधिक लोकप्रिय बन गई। उन दिनों अन्य देश रूस के विरुद्ध जो आन्दोलन कर रहे थे, उन के कारण रूसी जनता की अभिरुचि अपने राष्ट्रीय ऋण की ओर और भी अधिक बढ़ी। सरकार के पास पर्याप्त धन जमा हो गया।

रूस के सम्पूर्ण व्यवसायों को उन्नत करने का काम जोड़-

शोर से शुरू हो गया । मज़दूर स्वेच्छापूर्वक कई-कई घण्टे रोज़ अधिक काम करने लगे । विभिन्न कारखानों में एक दूसरे से अधिक पैदावार करने के लिए होड़-सी चल पड़ी । कुछ समय के बाद रूसी जनता का दृष्टिकोण बहुत आशापूर्णा हो गया । शीघ्र ही एक नया वाक्य रूस के एक छोर से दूसरे छोर तक गूँज गया—“पाँच वर्षों का काम चार वर्षों में !” इस सम्बन्ध में सरकारी घोषणा भी होगई । अधिक काम करने वाले मज़दूरों का आदर बहुत अधिक बढ़ गया, उन्हें अनेक तरह की सुविधाएं दी जाने लगीं ।

विदेशी राष्ट्रों को रूस की सफलता बहुत सन्दिग्ध प्रतीत होती थी । वे इस बात की मज़ाक उड़ाते थे कि रूस जैसा पिछड़ा हुआ देश समाजवादी शासन में अमेरिका के व्यवसाय का मुकाबला करने चला है । परन्तु उन्होंने अपने एंजीनियरों को रूस में जाने से नहीं रोका । इन विदेशी एन्जीनियरों ने रूस की बहुमूल्य सेवा की । सब से पहले रूस में बहुत बड़े पैमाने पर बिजली पैदा की गई । उस के बाद अनेक बड़े-बड़े व्यावसायिक नगर बसाए गए, जिन में बहुत बड़ी बड़ी मशीनें तैयार की जाने लगीं । रूस की कृषि को समुन्नत करने के लिये ट्रैक्टरों ( नए वैज्ञानिक हल ) का एक बहुत विशाल कारखाना खोला गया । इन सब के साथ ही साथ मिट्टी का तेल और पेट्रोलियम बहुत अधिक परिमाण में निकाला जाने लगा । बाकू (पेट्रोलियम की उत्पत्ति का केन्द्र) तथा उस के आसपास के तेल-क्षेत्रों को अत्यन्त आकर्षक और सुप्राप्य बँसाने का रूसी सरकार ने भरपूर प्रयत्न किया ।

परिणाम यह हुआ कि सन् १९३२ के अन्त तक रूस का कयाकल्प हो गया । राष्ट्र संघ द्वारा प्राप्त की गई प्रामाणिक संख्याओं के अनुसार निम्नलिखित वस्तुओं की उत्पत्ति इस प्रकार बढ़ी—

पैदावार	सन् १९२७-२८	कार्यक्रम की अभिलिखित मात्रा	सन् १९३२ में वास्तविक उत्पत्ति
कोयला	३,५४,००,००० टन	७,५०,००,००० टन	६,४२,००,००० टन
पैट्रोलियम	१,१६,००,००० टन	२,१७,००,००० टन	२,२२,००,००० टन
कच्चा लोहा	३३,००,००० टन	१,००,००,००० टन	६२,००,००० टन
पक्का लोहा	४०,००,००० टन	१,०४,००,००० टन	५६,००,००० टन
लोहे की चादरें	३२,००,००० टन	८०,००,००० टन	४२,००,००० टन
मशीनें	१,८२,२०,००,००० रूबल	४,६८,८०,००,००० रूबल	७,२६,१०,००,००० रूबल
रुई के कपड़े	२,६६,५०,००,००० मीटर	४,६७,००,००,००० मीटर	२,५५,००,००,००० मीटर
बूट और जूते	२,३०,००,००० जोड़े	८,००,००,००० जोड़े	८,००,००,००० जोड़े
बिजली	५,०५,००,००,००० किलोवाट	१७,१२,००,००,००० किलोवाट	१३,१०,००,००,००० किलोवाट

व्यापार—व्यापार के क्षेत्र में भी इस पंच वार्षिक कार्यक्रम ने भारी परिवर्तन कर दिया। सन् १९२८ तक रूस के कुल व्यापार का एक चौथाई भाग व्यक्तिगत रूप से लेनदेन करने वाले व्यापारियों के हाथ में था। वैसे भी राष्ट्र की तरफ से होने वाले व्यापार की दशा अच्छी नहीं थी। खरीददारों तक आवश्यकता की चीजें समुचित रूप से पहुँच नहीं पाती थीं। इन दिनों सरकार ने तीन तरह की समाजवादी व्यापारिक संस्थाओं को प्रोत्साहित किया -

१. खरीददारों के सहयोग-भण्डार। इन का प्रबन्ध भी खरीददारों के हाथ में रखा गया। सन १९३२ तक रूस का ५५ प्रतिशत व्यापार इन्हीं संस्थाओं के हाथ में चला गया।

२. सरकारी दुकानें। सन १९३२ तक रूस में ७०,००० सरकारी दुकानें खुल गईं।

३. मज़दूरों की दुकानें। इस तरह की दुकानें बड़े-बड़े कारखानों के साथ खोली गईं। इन का सम्पूर्ण लेनदेन कारखानों द्वारा वित्तीय टिकटों से होने लगा।

इन सभी तरह की दुकानों के भाव भिन्न-भिन्न तरह के थे मज़दूरों की दुकानों पर सभी कुछ बहुत सस्ता मिलता था, मगर वहां रुपये पैसे से कुछ भी नहीं खरीदा जा सकता था। वहां का लेनदेन टिकटों से होता था, और ये टिकट सब को प्राप्त नहीं हो सकते थे। खरीददारों के सहयोग भण्डारों से भी केवल सदस्य ही मात्र खरीद सकते थे। सरकारी दुकानों के भी अनेक भेद थे। कुछमें

माल बहुत मंहगा था । धनियों को इन्हीं मंहगी दूकानों मे ही माल मिल सकता था । विदेशियों के लिए पृथक् दूकाने खोली गई ।

मजदूरों को पहले टिकट दिए जाते थे, बाद में उन्हें मुद्रा में वेतन मिलने लना । सब का वेतन एक बराबर नहीं रक्खा गया । वेतन कार्य के अनुसार मिलने लगा ।

**भूमि का एकत्रीकरण**—रूस की राज्यक्रान्ति के दिनों में वहां के बड़े-बड़े ज़मीन्दारों को समाप्त करने का उपाय लेनिन ने यह क्रिया कि उसने घोषणा कर दी कि जो भूमि जिस किसान के हाथ में है, उस पर उसी का अधिकार माना जायगा । परिणाम यह हुआ कि लोगों ने ज़बरदस्ती ज़मींदारों से ज़मीनें छीन ली और जिस व्यक्ति का जितनी ज़मीन पर दाँव लगा, वह उसे अपनी बना कर बैठ गया । रूस मुख्यतः कृषिप्रधान देश है । राज्यक्रान्ति के बाद वहां के ८० प्रतिशत निवासी खेतीबाड़ी करते थे । इनमें से अधिकांश किसानों के हाथ में प्रायः बहुत थोड़ी ज़मीन आई थीं । सन १९२७ में रूस की कृषियोग्य भूमि ढाई करोड़ खेतों में, जिनके मालिक पृथक्-पृथक् थे, बंटी हुई थी । इन किसानों के खेती करने के ढंग पुराने थे, उनकी उपज बहुत कम होनी थी । परन्तु फिर भी ये किसान अपने हाल से लगभग सन्तुष्ट ही थे ।

परिणाम यह हुआ कि किसानों पर से रूसी साम्यवाद का प्रभाव बहुत शीघ्र मिटने लगा । मेहनती और समझदार किसान

क्रमशः सम्पन्न बनते चले गए और आलसी तथा भोरू प्रकृति के किसान पुनः अमीर किसानों के यहां नौकरी करने लगे। रूस की समाजवादी सरकार को यह परिस्थिति असह्य मालूम हुई। इससे जहां एक ओर खेतीबाड़ी के साधनों में सुधार करना कठिन हो गया, वहां भूमि पर इन किसानों का पूर्ण स्वामित्व स्थापित होजाने के कारण, रूसी किसानों पर से समाजवादो सिद्धान्तों का प्रभाव कम होने लगा। अतः कम्युनिस्ट पार्टी को इन परिस्थितियों में परिवर्तन करना नितान्त आवश्यक जान पड़ा।

इस समस्या को हल करने के लिए दो उपाय बरते गए। पहला यह कि कुछ भूमियों पर राष्ट्र का प्रभुत्व मान लिया। इन भूमियों को बड़े-बड़े खेतों में विभक्त कर खेतीबाड़ी के वैज्ञानिक साधन जुटाने का कार्य सरकार ने अपने ज़िम्मे लिया। किसान लोग इन खेतों में उसी ढंग पर काम करने लगे, जिस ढंग पर रूसी मज़दूर वहां के कारखानों में काम करते हैं। दूसरा यह कि विभिन्न गांवों की पूरी ज़मीन को वैज्ञानिक ढंग के खेतों में विभक्त कर, उसे गांव भर के सम्पूर्ण किसानों की भूमि मान लिया गया। ये किसान अपने औज़ार और अपने पशु बरतते थे।

पंचवार्षिक प्रोग्राम का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग रूस की कृषि की उपज बढ़ाना भी था। भूमि का एकीकरण इस बात के लिए पहला कदम माना गया। परन्तु परिणाम उल्टा ही निकला। ज्यों-ज्यों समाजवादी प्रचारक गांवों में जाकर उन्हें



भूमि के एकत्रीकरण के लाभ समझते थे, ल्यों-ल्यों किसानों का डर बढ़ता जाता था। किसानों ने अपनी पुरानी उपज, गेहूँ, चना आदि, सब गाढ़ कर छिपा दी। बहुत जगह वे अपने पशुओं को मार कर खा गए, इस भय से कि वे भी उनसे छिन जायंगे। जो किसान अमीर हो गए थे, जिन्हें वहाँ 'कुलक' कहा जाता था, था, उन्होंने इस एकत्रीकरण का घोर विरोध किया। इस बात के लिए उन्होंने भयंकर कुचक और षड़यन्त्र रचे। समाजवादी प्रचारकों की, जिन्हें गांवों में एकत्रीकरण का प्रचार करने के लिए भेजा गया था, संगठित रूप से हत्या की जाने लगी। एक तरह से रूस पर में पुनः गृहयुद्ध शुरू हो गया।

इन सब बातों का नतीजा यह निकला कि भूमि की उपज बढ़ने के स्थान पर और भी घट गई। अखिरकार मार्च १९३० में एक घोषणा प्रकाशित कर स्टेलिन ने भूमि के एकत्रीकरण की स्कीम में बहुत ढील दे दी। तब से केवल उन्हीं लोगों की भूमि का एकत्रीकरण किया जाने लगा, जो खुशी से इस परीक्षण के लिये तैयार थे। परन्तु इस समय तक अधिकांश कुलक नष्ट कर दिए जा चुके थे।

उस के बाद परिस्थितियाँ बदलीं। धीरे-धीरे किसानों को स्वयं भूमि के एकत्रीकरण के लाभ समझ आने लगे। एकत्रित भूमियों की उपज की बिक्री में सरकार बड़ी सहायता देती थी। उन्हें अन्य सहूलियतें भी प्राप्त थीं; इस से सहज रूप से, भूमियों के एकत्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। सन् १९३२ के अन्त तक

भूमियों की पैदावार बढ़ी तो, परन्तु बहुत अधिक नहीं। उन दिनों खाद्य पदार्थों का मूल्य इतना घट गया कि यह बात स्वयं एक समस्या बन गई। परन्तु कम्युनिस्ट प्रचारकों की मेहनत से क्रमशः किसानों ने अपनी आय का स्टैण्डर्ड ही नीचा कर लिया।

शिक्षा—रूस में पुनर्जीवन का संचार करना विलकुल असम्भव हो जाता, यदि वहां अशिक्षा को दूर करने का प्रयत्न न किया जाता। पंचवार्षिक कार्यक्रम का यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग था। अशिक्षा को दूर करने में सब से बड़ी बाधा रूस में भाषाओं की अधिकता का होना था। वहां कुल मिला कर ६० विभिन्न भाषाएं बोली और लिखी जाती थीं। भाषाओं की अधिकता के कारण सभी स्थानों पर अनेक भाषाओं के स्कूल खोलने का प्रबन्ध करना अनिवार्य था। उदाहरणार्थ अकेले खरकोव में प्रोक, आर्मेनियन, जर्मन, तारतार, यूक्रेनियन और रूसी भाषा के स्कूल खोले गए। इस सम्बन्ध में रूसी सरकार ने अनयक प्रयत्न किया। गांव के गांव को एक साथ शिक्षित करने का प्रयत्न किया गया। परिणाम यह हुआ कि जहाँ सन् १९१४ में रूस में पढ़े-लिखे लोगों की संख्या सिर्फ २७ प्रतिशत थी, वहां सन् १९३२ में यह संख्या बढ़ कर ६१ प्रतिशत तक जा पहुंची। सन् १९३८ से यह संख्या लगभग १०० प्रतिशत हो गई है। सन् १९१४ में जहां रूस में प्राइमरी स्कूलों के विद्यार्थियों की संख्या ७० लाख और हाई स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या ५ लाख थी, वहां १९३२ में यह

संख्या बढ़कर क्रमशः १ करोड़ ९० लाख और ४५ लाख ५० हजार तक जा पहुँची ।

शिक्षा का उद्देश्य केवल लिखना-पढ़ना भर सिखाना ही नहीं रक्खा गया । हाई स्कूलों में शिल्प, व्यवसाय, श्रम, एञ्जनीय-रिंग, व्यापार, आदि की शिक्षा भी साथ ही दी जाने लगी । स्कूलों के साथ कल-कारखाने खोल दिए गए । १५ से लेकर १८ वर्ष तक की आयु के विद्यार्थियों के लिए इन कारखानों में काम करना आवश्यक बना दिया गया ।

उच्च शिक्षा की ओर भी विशेष ध्यान दिया गया । रूस की सरकार रिसर्च के काम पर बहुत धन व्यय करने लगी । इंजीनीय-रिंग तथा चिकित्सा के विज्ञान की ओर विशेष ध्यान दिया गया । धर्म और इतिवृत्त आदि की पढ़ाई तो बन्द कर दी गई, परन्तु पुरातत्त्व, शिल्प, कला, भाषाएं तथा इतिहास के अध्ययन की ओर विशेष रुचि उत्पन्न करने का प्रयत्न किया गया ।

रूसी सरकार का पूरा ध्यान अपने सिद्धान्तों के प्रचार की ओर था । लेखकों और कलाकारों से भी यह आशा की जाती थी कि वे समाजवाद के प्रचार के उद्देश्य से ही लिखें । इस से साहित्य की प्रगति को वहां बहुत धक्का पहुंचा । सम्पूर्ण साहित्य का निरोक्षण करने के लिए रूप में एक समिति ( R. A. P.P. ) बनाई गई । सन १९३२ तक यह समिति कायम रही । इस समिति ने रूस के साहित्य और कला को जो हानि पहुँवाई, उस की कोई सीमा ही नहीं । सन १९३२ में यह समिति तोड़ दी गई ।

द्वितीय पंच वार्षिक कार्यक्रम—यह कहा जा सकता है कि परिणाम की दृष्टि से रूस के प्रथम पंच वार्षिक प्रोग्राम में आशातीत सफलता प्राप्त हुई। परन्तु उन दिनों कारखानों से जो माल तैयार हुआ, वह बहुत ही घटिया दर्जे का था। खास तौर से कपड़े और बूट दोनों ही बहुत घटिया थे। अंग्रेज लोग सत्रहवीं सदी में जिस दर्जे का माल तैयार करते थे, उस दर्जे का माल रूस ने अपने इन प्रथम पंच वार्षिक कार्यक्रम के दिनों में तैयार किया। यातायात का प्रबन्ध बहुत ही दोषपूर्ण था, यहां तक कि बड़े-बड़े लोह-क्षेत्रों तक भी रेल की इकहरी लाइन थी। मजदूरों के रहने का प्रबन्ध बहुत अपर्याप्त और असन्तोषजनक था। सन् १९२५ में मास्को की ३० प्रतिशत आबादी प्रत्येक कमरे में पांच व्यक्तियों की औसत से निवास करती थी। बोल्शेविक सरकार ने इस कमी को दूर करने का प्रयत्न तो किया, परन्तु १९३२ तक इस दिशा में उसे विशेष सफलता नहीं मिली।

उपर्युक्त दोषों को दूर करने के उद्देश्य से सन् १९३३ से १९३७ तक के लिए एक नया पंच वार्षिक कार्यक्रम बनाया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य बातें निम्नलिखित थीं :—

सन् १९३२ की अपेक्षा—

१. खरीददारों के साधारण व्यवहार की वस्तुओं की उपज को तीन गुना करना।

२. रूसी व्यापार को ढाई से तीन गुना तक बढ़ाना।

३. कीमतों को ३५ से ४० प्रतिशत तक घटाना।

४. राष्ट्र की ओर से भोजन प्राप्त करने वाले आदिमियों और किसानों की संख्या को दो से ढाई गुना तक बढ़ाना ।

५. रूस भर के वेतनों को  $2\frac{1}{2}$  गुना बढ़ाना ।

६. राष्ट्रीय और सहयोग भण्डारों की संख्या को ३७ प्रतिशत बढ़ाना ।

दो वर्षों तक इस कार्यक्रम को बहुत उत्साह के साथ निभाया गया । उस के बाद यह उत्साह कुछ शिथिल हो गया । स्टैलिन ने यह अभिमान छोड़ लिया कि समाजवादी सिद्धान्तों को रूस में पूरी तरह से प्रयुक्त करना हानिकारक है, अतः उसने बहुत से क्षेत्रों में कुछ ढील दे दी । यहां तक कि 'कुलकों' को भी नागरिकता के अधिकार दे दिए गए ।

रूसी राज्यक्रान्ति से लेकर सन् १९२८ तक अधिकांश देशों का जनमत रूस की बोल्शेविक सरकार का तीव्र विरोधी रहा । लोगों को विश्वास था कि रूसी सरकार फेल हो जायगी, अथवा उसे समाजवाद का मार्ग छोड़ देना पड़ेगा । परन्तु इन दोनों में से एक बात भी न हुई । हां, रूस से अपने सिद्धान्तों में थोड़ी ढील आवश्यक थी । इस के बाद क्रमशः संसार का जनमत बदलने लगा, रूस का भूत लोगों पर से उतर गया, और रूस को दूसरे देशों से सभी तरह के सम्बन्ध बनाने का अवसर मिलने लगा । क्रमशः फ्रांसिज्म और नाज़ीइस्म के प्रसार से विश्व भर का ध्यान इन दोनों नई आक्रांतियों, जो वास्तव में एक ही श्रेणी की हैं, की ओर आकृष्ट हो गया । उधर चीन में जापान ने जो ज्यादाती शुरू

की, उस से संसार का ध्यान उस ओर भी खिंचा ।

रूस को इन परिस्थितियों से और भी लाभ पहुँचा । उस का व्यापार बहुत बढ़ गया और बरसों के अनुभव से उपज की वृद्धि के साथ-साथ उस की किस्म में भी बहुत सुधार हो गया । दूसरे पंचवार्षिक कार्यक्रम के कुछ भाग को शिथिल कर रूसी सरकार ने अपना ध्यान अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाने की ओर लगाया । युद्ध का सामान बहुनायत से तैयार किया जाने लगा । रूसी सरकार ने अपनी वायु शक्ति बढ़ाने और हवाई ज़बरदस्त बेड़ा बनाने की ओर विशेष ध्यान दिया । सन् १९३६ में, रूस का दावा है कि उस की वायुशक्ति का मुकाबला संसार भर का कोई राष्ट्र नहीं कर सकता ।

वर्तमान महायुद्ध के प्रारम्भ ही में, परिस्थितियों से लाभ उठा कर रूस ने पोलैण्ड के काफ़ी बड़े भाग पर अपना अधिकार जमा लिया । यह भाग पिछले महायुद्ध तक रूस के ही पास था । अपनी सीमा बढ़ाकर रूस आज अपने को चारों ओर से सुरक्षित करने का गम्भीर प्रयत्न कर रहा है । लोगों को भय प्रतीत होता है कि इतनी शक्ति बढ़ा कर कहीं रूस समाजवादी सिद्धान्तों को भुला कर साम्राज्यलोलुप देश न बन जाय । हाल ही में रूस ने जिस तरह फिनलैण्ड पर आक्रमण कर दिया है, उस से यह आशंका और भी बढ़ गई है ।

यह मानना ही पड़ेगा कि रूस का समाजवाद, कार्ल मार्क्स के आदर्शों की दृष्टि से बहुत शिथिल होता जा रहा है । भविष्य में

वहां क्या होगा, यह कहना कठिन है। शुरू-शुरू में रूसी सरकार अन्य देशों में समाजवाद के प्रचार का गम्भीर प्रयत्न करती रही है, परन्तु इस कार्य में उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई। संसार के किसी भी अन्य देश में समाजवाद का प्रभुत्व नहीं हो सका। अब बहुत समय से रूस का ध्यान अपनी आन्तरिक उन्नति की ओर ही केन्द्रित हो गया है।

## तृतीय अध्याय फासिस्ट इटली

पिछले महायुद्ध में इटली मित्रराष्ट्रों के साथ था। मित्र राष्ट्र उस युद्ध में विजयी हुए, परन्तु इटली की दृष्टि से यह जीत भी हार के बराबर थी। इटली को उस युद्ध में बहुत अधिक क्षति पहुंची। अक्टूबर १९१७ में शत्रुसेना ने इटली के दंत खट्टे कर दिए थे। वह क्षणिक पराजय इटली पर एक तरह का स्थायी प्रभाव छोड़ गई और युद्ध की समाप्ति पर, विजयी मित्रराष्ट्रों की तरफ होते हुए भी इटली विशेष हर्ष नहीं मना सका। इसका एक प्रमुख कारण यह भी था कि महायुद्ध के बाद भी इटली को कोई विशेष महत्ता प्राप्त नहीं हुई।

युद्ध से पूर्व इटली की आस्ट्रिया और जर्मनी से एक सन्धि थी। परन्तु मित्रराष्ट्रों की सहायता से अपनी सीमा बढ़ाने के लालच से इटली युद्ध में सम्मिलित हो गया था। उसकी निगाह



अल्बानिया, टर्की के एडालिया तथा जर्मनी के अफ्रीकन साम्राज्य पर थी। इसी कारण सन १९१५ में अंग्रेजों से एक गुप्तसन्धि कर ~~कर~~ युद्ध में सम्मिलित हुआ था। कुल मिला कर ६० लाख इटैलियनों उस युद्ध में भाग लिया था, जिनमें से ७ लाख मारे गए थे।

इतना बलिदान देकर इटली की आशाएं बहुत बढ़ गईं, परन्तु मित्रराष्ट्रों ने इटली को दो-एक बहुत छोटे प्रदेश ही देना स्वीकार किया। उसे न अल्बानिया मिला, न फ्यूम और न जर्मनी के अफ्रीकन उपनिवेश। इस बात से इटली भर में घोर असन्तोष व्याप्त हो गया। इटली का प्रतिनिधि मो० ओरलैण्डो बहुत नाराज़ होकर सन्धि परिषद् में से उठ गया।

इस असफलता और निराशा की प्रतिक्रिया इटली भर में अव्यवस्था और अशान्ति फैल जाने के रूप में प्रकट हुई। युद्ध इटली को बहुत नहंगा पड़ा था। इटली के व्यापार को महायुद्ध ने भारी धक्का पहुंचाया था। उसके बदले में जब इटली को मिला कुछ भी नहीं, तो लोगों के दिल में तत्कालीन सरकार के प्रति तीव्र असन्तोष के भाव पैदा हो गए। भाग्य से उन दिनों की सरकार वैसे भी बहुत कमजोर और दक्षियानुशी लोगों के हाथ में थी।

इटली भर में बीसियों छोटे-बड़े राजनीतिक दल बन गए। नैशनलिस्ट, फासिस्ट, बोर्शेविस्ट आदि नामों से जो दल संगठित हुए, उनके कारनामों रोज़मर्रा के षड्यन्त्रों, हत्याओं

और राजनीतिक दंगों के रूप में प्रकट होने लगे। निर्वाचन में पुराने बैध राजनीतिक दलों को बहुमत प्राप्त हुआ, परन्तु वे दल इन नए क्रान्तिकारी और आतंकवादी दलों के सन्मुख अशक्त-से सिद्ध हुए; वे उन का दमन नहीं कर सके। सन १९१६ तथा २० में हड़तालों का जोर रहा। इटली भर में अराजकता और पूर्णअव्यवस्था छाई रही।

सन १९२१ में फासिस्ट पार्टी का प्रभाव कुछ अंश तक बढ़ा। ये फासिस्ट एक तरह के आतंकवादी थे। मई के चुनाव में २१ फासिस्ट इटैलियन पार्लियामेंट में निर्वाचित होकर पहुंच गए। इन्हीं में मुसोलिनी भी था।

उन दिनों फासिस्ट पार्टी एकदम असंगठित थी। कोई किसी की न सुनता था। उनका परस्पर एक दूसरे पर भी विश्वास नहीं था। दंगे कराना, हड़तालें कराना और हत्याएं करना उन का मुख्य कार्य था। पार्टी में नियन्त्रण का अभाव देखकर मुसोलिनी ने उसके नेतृत्व से त्यागपत्र दे दिया। परन्तु कुछ ही महीनों के बाद फासिस्टों ने उसे पुनः अपना नेता चुन लिया और उस के अनुशासन में रहने का वचन दिया।

रोम पर आक्रमण—मुसोलिनी ने अब बहुत संभाल कर कदम रखने शुरू किए। उसने घोषणा की कि वह राजतन्त्र-वादी है और यह भी कि फासिस्टों का सब से बड़ा उद्देश्य इटली से बोल्शेविज्म की जड़ें उखाड़ना है। अगस्त १९२२ में फासिस्टों और बोल्शेविकों की परस्पर खुली लड़ाई हुई। इस लड़ाई में

फासिस्टों ने बोलशेविकों को मोटे डण्डों की मार से तथा जबर-दस्ती एरंड का तेल पिला कर परास्त कर दिया । उससे पहले इस तरह के दंगों में बोलशेविक सदा जीता करते थे ।

मुसोलिनी का फासिस्ट संगठन बहुत शीघ्र एक ज़बरदस्त संस्था बन गई । हज़ारों नौजवान उसकी बढ़ती वाली स्वयंसेवक सेना में भर्ती हो गए । अवसर पाकर अपनी इस गैरसरकारी सेना के साथ मुसोलिनी ने राजधानी की ओर प्रस्थान करने की घोषणा कर दी । यह घोषित किया गया कि २७ अक्टूबर को फासिस्ट लीडर मुसोलिनी रोम में पहुँचेगा, उस दिन यदि राज्य की बागडोर उसके हाथ में न दे दी गई, तो वहाँ राज्यक्रान्ति हो जायगी । इस घोषणा से डर कर प्रधान मन्त्री ने त्यागपत्र दे दिया । इटैलियन राजा विक्टर ने चाहा कि मुसोलिनी अन्य दलों के साथ मिल कर अपना मन्त्रि-मण्डल बनाए, परन्तु मुसोलिनी अपने इस आग्रह पर स्थिर रहा कि वह अपनी इच्छा से अपना मन्त्रि-मण्डल बनाएगा । यह बात भी मान ली गई । २७ अक्टूबर को ५० हज़ार फासिस्टों के साथ, एक बड़ा शान्दार जलूस लेकर मुसोलिनी रोम में पहुँचा और उसी दिन उसने इटली में फासिस्ट मन्त्रि-मण्डल, जिस में १५ सदस्य अन्य दलों के भी थे, कायम कर दिया । फासिस्ट स्वयंसेवक क्रमशः इटली की राष्ट्रीय सेना में भर्ती हो गए ।

अन्य देशों में अब तक मुसोलिनी का नाम लगभग अज्ञात-सा था । जब संसार ने सुना कि एक लोहार का पुत्र, जिस

ने कहीं बाकायदा उच्च शिक्षा नहीं ली, जो ११ बार जेलखाने की हवा खा चुका है और जो कभी स्वयं साम्यवादी रह कर साम्यवादियों का दुश्मन बन गया है, आज इटली का एकमात्र तानाशाह ( डिक्टेटर ) बन गया है, तो सभी जगह यह समाचार एक बहुत बड़ा अचम्भा-सा जान पड़ा। किसी को आशा नहीं थी कि मुसोलिनी को सफलता प्राप्त होगी।

सब से अधिक आश्चर्य इस बात का था कि अक्टूबर १९२२ से लेकर १९२५ तक फासिस्ट पार्टी का ध्येय किसी को मालूम ही नहीं हो सका। इन तीन बरसों में फासिस्टों का एक ही काम था और वह यह कि अपने प्रतिद्वन्दी दलों को समाप्त करना। इस बीच में मुसोलिनी ने पार्लियामैण्ट के सब अधिकार फासिस्ट प्रैण्ड कौन्सिल को दे दिये। इटली भर के फासिस्ट संगठनों को इस बात की छुट्टी थी कि वे अन्य दलों के साथ चाहे जैसा बरताव करें। राज्य की बागडोर अपने हाथ में लेकर भी फासिस्ट आतङ्कवादी बने रहे। अपने दुश्मनों को उन्होंने पकड़-पकड़ कर जबरदस्ती एरण्ड का तेल पिलाया। उन्हें डण्डों से से पीटा। इस बीच में हत्याकांड भी जारी रहे। क्रमशः मुसोलिनी ने सभी दलों को पूरी तरह कुचल दिया और तब उस ने अपना ध्यान रचनात्मक कार्य की ओर दिया।

राष्ट्र-निर्माण का कार्य—इटली पर फासिस्ट पार्टी का प्रभुत्व तो स्थापित हो गया, परन्तु उसे कायम रखने का एकमात्र उपाय यह था कि जनता फासिस्ट शासन से सन्तुष्ट और समृद्ध

बने। उन दिनों तक इटली बहुत गरीब था। इटली का दो-तिहाई भाग पहाड़ी और अनुपजाऊ है, वहाँ पर अपनी आवश्यकता के बराबर भी अनाज पैदा नहीं होता। वहाँ खनिज द्रव्य भी पर्याप्त नहीं। इटली के उपनिवेश भी सब तक नहीं के बराबर थे। कोइला, लोहा, पेट्रोल और रूई जैसी अत्यन्त आवश्यक चीजें इटली को अन्य देशों से मंगानी पड़ती हैं। इटली का निर्यात फल, शराब, ओलिव, शीशा, लकड़ी और चमड़े की चीजें हैं। परन्तु यह निर्यात आयात के बराबर नहीं। युद्ध से पहले विदेशी यात्रियों की आय से इटली का कामलायक गुञ्जारा हो जाता था, परन्तु युद्ध के दिनों में यात्रा आने बन्द हो गय। इस से इटली की गरीबी बहुत अधिक बढ़ गई।

मुसोलिनी को सब से अधिक महत्वपूर्ण ये तीन काम जान पड़े:—

१. गेहूँ की उत्पत्ति बढ़ाना।
२. कोइले की कमी पूरी करने के लिये बिजली अधिक पैदा करना।
३. हड़तालों को रोकना।

इस का एकमात्र उपाय यह था कि कृषि, व्यवसाय, अर्थ और श्रम पर किसी तरह का केन्द्रीय नियन्त्रण स्थापित किया जाय। मुसोलिनी ने पुराने व्यापार-संघ (Trade unions) तो बन्द कर दिए, उन की जगह वह श्रमियों और पूँजी-पतियों के सिण्डिकेटों को प्रोत्साहित करने लगा। श्रमियों के पृथक् संग-

ठनों को स्वीकार करने से उन का असन्तोष घटने लगा । इन संगठनों में सरकार द्वारा उन्हीं को महत्ता दी जाती थी, जिन का संचालन फासिस्टों के हाथ में था । इस तरह बहुत शीघ्र व्यापार और व्यवसाय के अधिकांश संगठनों पर फासिस्टों का नियन्त्रण स्थापित हो गया । हड़तालें होनी बन्द हो गईं ।

तदनन्तर मुसोलिनी ने कृषि, व्यवसाय, व्यापार, बैंक, बीमा, सामुद्रिक यातायात आदि के १३ केन्द्रीय कौन्फिडरेशन्स बनाए । इन सब की प्रतिनिधि संस्था कौरपोरेशन्स को राष्ट्रीय सभा ( National Council of Corporations ) नाम से बनाई गई । इस तरह मुसोलिनी ने व्यापार, व्यवसाय, कृषि आदि का बहुत जबरदस्त संगठन कर दिया ।

इस के बाद मुसोलिनी ने इटली के शासन-विधान में परिवर्तन किए । प्रधानमन्त्री ( मुसोलिनी ) को असीम शक्तियां दे दी गईं । पार्लियामेंट से भी उसे पदच्युत कर सकने का अधिकार छीन लिया गया । प्रधानमन्त्री केवल इटैलियन राजा के सन्मुख ही उत्तरदायी रह गया । एक और कानून द्वारा मन्त्रिमंडल को ही नियम बनाने के पूरे अधिकार दे दिए गए । पार्लियामेंट की महत्ता बिल्कुल नष्ट हो गई, उस की जगह ' ग्रेण्ड फासिस्ट कौन्सिल ' की महत्ता स्थापित हो गई, जिस का प्रधान स्वयं मुसोलिनी था । यद्यपि शासन विधान में इस फासिस्ट कौन्सिल का जिक्र तक भी न था । सन् १९२६ में उसे शासन-विधान में भी ले आया गया । तब शासन-विधान को पूर्णरूप से बदल दिया

गया। यहां तक कि चुनाव की विधि भी नए ढंग की बनाई गई। देश भर के व्यापार-संगठनों से हाउस आफ कौमन्स (जिसका नाम अब बदल कर 'कोरपोरेट चैम्बर' कर दिया गया था) के सदस्यों के नाम पूछे जाते थे। ग्रैण्ड फासिस्ट कौन्सिल इन नामों में से अथवा बाहर से, ४०० व्यक्तियों के नामों की सूची तैयार करती थी और देश के मतदाताओं से पूछा जाता था कि वे उस पूरी की पूरी सूची को स्वीकार करते हैं या नहीं। मतदाताओं के लिए उसे स्वीकार करने के अतिरिक्त और मार्ग ही क्या था ?

और इस 'कोरपोरेट चैम्बर' के अधिकार भी नहीं के बराबर रखे गए। वास्तविक शक्तियां तो 'ग्रैण्ड फासिस्ट कौन्सिल' के ही पास रहीं। इस कौन्सिल में मुसोलिनी, उस के द्वारा नियुक्त मन्त्रिमण्डल के सदस्य और उस के अन्य सहकारी शामिल हैं। इस कौन्सिल के अधिवेशन गुप्त रूप से होते हैं। एक बार इस कौन्सिल ने मुसोलिनी का उत्तराधिकारी भी निश्चित कर दिया था।

**फासिस्ट ध्येय**—फासिज़्म की स्थिरता का सब से प्रमुख साधन उन का प्रचार है। उन में स्वतन्त्र-विचार के लिए ज़रा भी स्थान नहीं। फासिज़्म के प्रचार के सभी सम्भव साधन वहां काम में लाए जाते हैं। बच्चों को केवल फासिस्ट स्कूलों में ही पढ़ाया जा सकता है। उनकी सभी पुस्तकें फासिस्टों की लिखी हुई हैं। प्रत्येक स्कूल में मुसोलिनी के बड़े-बड़े फोटो और प्रस्तर मूर्तियां रक्खी जाती हैं। स्कूलों की दीवारों पर लिखा

रहता है—“मुसोलिनी सब ठीक है।” इसी आशय के गीत उन से गवाए जाते हैं। शिक्षा के साथ ही साथ बच्चों से सैनिक कवायद भी कराई जाती है और उन्हें सिखाया जाता है कि वे फासिस्ट सिपाही बनें।

अठारह बरस के विद्यार्थियों को फासिस्ट पार्टी में शामिल होने की आज्ञा मिल सकती है, यद्यपि पार्टी में लिया किसी-किसी को ही जाता है। इटैलियन युनर्सिटीयों के प्रोफेसरों को यह शपथ लेनी पड़ती है—“मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं राजा, उसके उत्तराधिकारियों तथा फासिस्टों के प्रति हितचिन्तक रहूँगा और शासन विधान तथा कानूनों की प्रतिष्ठा करूँगा। अध्यापक रह कर मैं अपने विद्यार्थियों को ऐसे परिश्रमी नागरिक बनाने का प्रयत्न करूँगा, जो अपनी पितृभूमि तथा फासिस्ट पार्टी के भक्त तथा उन के लिए उपयोगी होंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं किसी ऐसे दल का सदस्य न बनूँगा, जिस का कार्य-क्रम मेरी उपर्युक्त प्रतिज्ञा में बाधक बन सकता हो।”

इटली भर के समाचारपत्रों पर फासिस्ट पार्टी का पुरा नियन्त्रण है। देश भर के प्रायः सभी अखबार लगभग एक-सी बातों से भरे रहते हैं। उन के शीर्षक तथा उन की टिप्पणियाँ भी एक ही जैसी होती हैं। स्वाधीन विचार तथा स्वेच्छापूर्वक अपना मत प्रकट करने की उन्हें अनुमति नहीं है।

फासिस्ट ध्येय को संक्षेप में इन शब्दों में प्रकट किया जा सकता है—“मेरा राष्ट्र में पूर्ण विश्वास है। इस के बिना मैं पूर्ण



मनुष्यत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। मेरा विश्वास है कि इटली का पवित्र भाग्य एक दिन सम्पूर्णा विश्व पर सब से महान आध्यात्मिक प्रभाव डालेगा। मैं ड्यूस मुसोलिनी को आज्ञा का पालन करूंगा, क्योंकि आज्ञा पालन के बिना समाज स्वस्थ नहीं बन सकता।” यह उद्धरण मुसोलिनी के अपने लेखों में से लिया गया है। फासिज्म क्या नहीं है, यही बताना शायद मुसोलिनी को अधिक आसान जान पड़ा। तभी उस ने कहा —

“फासिज्म अन्तर्राष्ट्रिता नहीं है, क्यों कि अन्तर्राष्ट्रीय भाव फासिज्म के आन्तरिक अंग नहीं है। यह साम्यवाद नहीं है, क्यों कि यह मार्क्सिज्म का विरोधी है, वह विभिन्न श्रेणियों के हितों के आधारभूत भेद को स्वीकार नहीं करता। यह प्रजातन्त्र भी नहीं है क्यों कि यह इस सिद्धान्त पर विश्वास नहीं करता कि समाज के सदस्य, सदस्यत्व के नाते समाज पर शासन करने के योग्य भी हो जाते हैं। और यह शान्तिवाद ( Pacifism ) भी नहीं है, क्यों कि यह अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति को न तो सम्भव मानता है और न बांछनीय ही। फासिज्म युद्धों की उपयोगिता को स्वीकार करता है।”

धर्म और राष्ट्र—फसिस्ट पार्टी के अधिकांश सदस्यों का धर्म रोमन कैथोलिक था। मुसोलिनी स्वयं भी कैथोलिक था। उसने इटली से बोर्शेविज्म तथा फ्रीमैसनिज्म का नाश कर दिया था, इस कारण पोप उस से बहुत प्रसन्न था। एक लम्बे पत्र-

व्यवहारके बाद सन १९२६में मुसोलिनी ने पोप के धार्मिक प्रभुत्व को बाकायदा स्वीकार कर लिया और पोप ने वचन दिया कि वह राजनीतिक बातों से सरोकार न कोई रखेगा ।

परन्तु यह समझौता हो जाने पर भी अनेक समस्याएँ बहुत शीघ्र उठ खड़ी हुई । फासिस्ट जिस क्रिस्म की शिक्षा इटली के बालकों को दे रहे थे, उस से पोप को शिकायत पैदा हुई । साथ ही फासिस्टों ने कैथोलिक ब्वाय स्काउटों को फासिस्ट स्काउटों में शामिल कर लिया था । इन बालकों को भी, १४ बरस की उम्र में शपथ लेनी पड़ती थी कि—“मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि ड्यूस (मुसोलिनी) की आज्ञाओं का बिना किसी ननुनचके, अपनी पूरी शक्ति के अनुसार, पालन करूँगा । फासिस्ट क्रांति के लिए, यदि आवश्यकता हुई तो अपने जीवन का बलिदान देने को भी तैयार रहूँगा ।” पोप ने घोषणा की कि स्काउटों को उक्त प्रतिज्ञा बालकों को धर्म तथा ईसामसीह से दूर ले जाती है और उन में घृणा, हिंसा तथा उद्दण्डता के भाव भरती है, अतः यह प्रतिज्ञा अवैध है । मुसोलिनी नाराज़ हो गया । उसने कैथोलिकों की सब से महत्वपूर्ण शिक्षा संस्था ( एज़ोन कटोलीका ) को बन्द कर दिया । सन् १९३१ तक वह संस्था बन्द रही । उस के बाद मुसोलिनी ने कटोलीका को खोल तो दिया, परन्तु उस पर बहुत-सी बन्दिशें लगा दीं । पोप अब मुसोलिनी के मुकाबले में अशक्त था ।

विदेशी नीति—इटली में अपना एकमात्र प्रभुत्व

स्थापित करते ही मुसोलिनी ने विदेशी राजनीति पर प्रभाव डालना शुरू किया । सब से पहले उसने ग्रीस के एक टापू कोर्फू ( Corfu ) को धमकी दी । वहां ५ इटैलियनों की हत्या कर दी गई थी । मुसोलिनी ने लीग ऑफ नेशन्स को शिकायत किए बिना उन से एक बहुत बड़ा हर्जाना मांगा । लाचार होकर कोर्फू को वह जुर्माना भरना पड़ा । इस के बाद उसने फ्यूम को स्वतन्त्र नगर मानने से इन्कार कर दिया । वर्साई की सन्धि के अनुसार उसे स्वतन्त्रता दे दी गई थी । फ्यूम के बारे में मुसोलिनी ने यूगोस्लोविया से एक निजू समझौता कर लिया ।

तदनन्तर मुसोलिनी ने अल्बानिया से गत युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में एक बड़ी रकम मांगी । गरीब अल्बानिया के लिए वह रकम देसकना असम्भव था । इस पर मुसोलिनी ने उस पर अर्थिक और सैनिक प्रभुत्व कायम कर लिया । सन १९३८ में एक दिन चुपचाप इस सम्पूर्ण देश को मुसोलिनी ने अपने अधीन कर लिया । अल्बानिया के महाराज और महारानी को अपना देश छोड़ कर भाग जाना पड़ा ।

इटली की इन सब ज्यादातियों की ओर यूरोप ने विशेष ध्यान नहीं दिया । परन्तु शीघ्र ही एक ऐसा सवाल उठ खड़ा हुआ, जिस में फ्रान्स और इटली ने हितों का विरोध था । फ्रान्स में करीब १० लाख इटैलियन मेहनत-मजदूरी का काम करते थे, इटली ने उनके सम्बन्ध में हस्ताक्षेप करना चाहा । उधर फ्रान्स के ट्यूनिस उपनिवेश में फ्रांसीसियों की अपेक्षा इटैलियनों

की संख्या अधिक थी, इस से वहां भी भगड़ा उठ खड़ा हुआ। आसपास के छोटे राष्ट्रों से फ्रान्स की जो सन्धि हो चुकी थी, इटली को वह भी बहुत नागावार प्रतीत होती थी। उक्त सन्धि के द्वारा यूगोस्लाविया, रूमानिया, आस्ट्रिया, जैचोस्लोवाकिया आदि एक दूसरे से सहायता की आशा कर सकते थे, और इस तरह उन्हें बाह्य आक्रमणों का भय प्रतीत नहीं होता था। यह स्थिति मुसोलिनी की महत्वाकांक्षा में बाधक थी, वह उक्त राष्ट्रों पर अपना रोब कायम करना चाहता था। अन्त में वह आस्ट्रिया से पृथक् सन्धि करने में सफल हुआ। यद्यपि दक्षिण टिरोल के ढाई लाख आस्ट्रियनों की राष्ट्रीयता को वह नष्ट कर रहा था। उन्हें आस्ट्रियन की जगह इटैलियन पढ़ाई जाती थी। उक्त परिस्थितियों का प्रभाव यह हुआ कि इटली और फ्रान्स के राजनीतिक सम्बन्ध बहुत कटु बन गए।

इटली के फासिज्म का यूरोप पर सब से हानिकर प्रभाव यह पड़ा कि इटली की देखादेखी यूरोप के सभी राष्ट्र पुनः अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करने लगे। निरशस्त्रीकरण की बजाय बड़ी तीव्रता से शस्त्रीकरण का कार्य सम्पूर्णा यूरोप में शुरू हो गया, और भय तथा आशंका का वातावरण दिनोंदिन बढ़ने लगा। इटली में प्रतिवर्ष दो लाख नए सैनिक तैयार किए जाने लगे। मुसोलिनी ने १५०० लड़ाई के हवाई जहाज बनाए और जलसेना की दृष्टि से भी फ्रान्स का मुकबला करने की महत्वाकांक्षा घोषित कर दी। परियाम यह हुआ कि कुछ

ही बरसों में इटली को संसार की महान शक्तियों में गिना जाने लगा ।

आर्थिक उन्नति—इटली को आर्थिक दृष्टि को उन्नत बनाने में भी मुसोलिनी को काफ़ी सफलता प्राप्त हुई । सब से पहले इटली में अन्न खाद बहुत बड़े परिमाण में बनाने का प्रयत्न किया गया । साथ ही साथ किसानों को कृषि के नए वैज्ञानिक उपाय भी सिखाए गए । बहुत-सी अनुपजाऊ भूमियों को उपजाऊ बनाया गया । रूस की तरह विजली अधिक पैदा करने की ओर भी विशेष ध्यान दिया गया । विजली की रेल-गाड़ियां जारी की गईं । विजली की मोटरें बनाने में तो इटली को विशेष सफलता प्राप्त हुई । सन १९३५ तक इटली अपनी पूरी आवश्यकता के बराबर गोहूँ स्वयं पैदा करने लगा । फासिस्ट शासन के पहले १० सालों में १८,००,००,००,००० लीरे इटली को व्यवसाय तथा कृषि की दृष्टि से समृद्ध बनाने पर व्यय किए गए । इस धन से इटली में अधिकतम विजली पैदा की गई, ४००० मील सड़कें बनी, ११ हजार स्कूल खोले गए, ५० मकान बनाए गए । १० लाख लीरे नई नहरें बनाने पर खर्च किए गए और १,६१,७०,००,००० लीरे बन्दरगाहों के निर्माण और सुधार पर व्यय हुए ।

यह सब होने पर भी इटली के पास लोहा, कोइला, तेल और रूई की कमी बनी रही । ये अत्यन्त आवश्यक वस्तुएं उसे बाहर से लेनी पड़ती थीं । इटली की यह बहुत बड़ी शिकायत थी

कि युद्ध के बाद उसे अफ्रीका में कोई ऐसा उपजाऊ मूल्यवान उपनिवेश क्यों नहीं दे दिया गया, जिस से वह अपनी उपर्युक्त आवश्यकताएं पूरी कर सकता। जब मुसोलिनी से और कुछ न बन पड़ा, तो उस की निगाह एबीसीनिया पर गई। उसने शुरू-शुरू में इंग्लैंड और फ्रांस को इस बात का लालच दिया कि एबीसीनिया को हम लोग आपस में बांट लें। परन्तु वे नहीं माने। सन् १९२३ में एबीसीनिया राष्ट्रसंघ का स्वतन्त्र सदस्य बन गया। १९२८ में मुसोलिनी ने स्वयं एबीसीनिया के साथ एक सन्धि कर ली। कुछ समय तक इस सन्धि का पालन भी किया जाता रहा। परन्तु इटली को अपने उपनिवेशों का अभाव इतना अधिक खटकता था कि मुसोलिनी उपर्युक्त सन्धि पर कायम नहीं रह सका।

एबीसीनिया की विजय—आर्थिक दृष्टि से इटली को बहुत श्रेष्ठ कोटि का देश बनाने में मुसोलिनी सफल नहीं हो सका। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है इस कमी को दूर करने का एकमात्र उपाय यही था कि इटली किसी उपजाऊ उपनिवेश का मालिक बने। एबीसीनिया से बढ़ कर कोई और शिकार मुसोलिनी को नहीं सूझा; और चाहे जिस तरह भी सम्भव हो, उस पर अपना अधिकार जमा लेने का उसने निश्चय कर लिया। इस बीच में संसार में अनेक ऐसी घटनाएं हो गईं, जिन से राष्ट्रसंघ (League of Nations) की असमर्थता स्पष्ट प्रकट हो गई। मित्रराष्ट्र जर्मनी के पुनरुत्थान से कुछ भयभीत प्रतीत होते थे और उन का ध्यान उसी ओर था।

उधर जापान की ज्यादातियों को राष्ट्रसंघ चुपचाप सहन कर रहा था। इन परिस्थितियों में इटली का साहस और भी बढ़ गया।

३ जनवरी १९३५ को एबीसीनिया के सम्राट ने राष्ट्रसंघ को सूचित किया कि इटली उस के साम्राज्य पर आक्रमण करने की धमकी दे रहा है। सन् १९०६ में इटली और इंग्लैण्ड की एक सन्धि हुई थी, उस के अनुसार दोनों देशों की सरकारों में यह समझौता हुआ था कि वे कालान्तर में एबीसीनिया को परस्पर बांट लेंगे। परन्तु अब इटली को ज्ञात था कि यदि वह अकेला एबीसीनिया पर आक्रमण कर देगा, तब भी न तो एबीसीनिया उस का मुकाबला कर सकेगा और न कोई अन्य राष्ट्र उस की विजय के मार्ग में बाधा देने आएगा। मुसोलिनी ने सोचा कि क्यों न इटली अकेला ही सम्पूर्णा एबीसीनिया को हड़प कर जाय। उन दिनों से अधिक अनुकूल राजनीतिक परिस्थितियां शायद ही कभी मिल सकतीं। अतः ३ अक्टूबर १९३५ को इटली ने एबीसीनिया पर बाकायदा आक्रमण कर दिया।

उधर उन्हीं दिनों जीनेवा में राष्ट्रसंघ की बैठक हो रही थी। इटली के इस आक्रमण का समाचार सुन कर संसार भर के देश सन्न-से रह गए। राष्ट्रसंघ ने बड़ी चिन्ता और खेद के साथ यह समाचार सुना और निश्चय किया कि राष्ट्रसंघ से सम्बद्ध सभी राष्ट्र इटली का आर्थिक बहिष्कार कर दें। इस का अभिप्राय यह होना चाहिए था कि संसार के ५० राष्ट्र इटली का पूर्ण आर्थिक बहिष्कार कर देते। परन्तु व्यवहार में ऐसा नहीं हुआ। राष्ट्रसंघ

के सदस्य राष्ट्र भी बाकायदा इटली को लोहा, इस्पात, कोइला और सब से बढ़ कर मिट्टी का तेल देते रहे। यदि राष्ट्रसंघ के सदस्य सिर्फ इतना ही करते कि इटली के पास पेट्रोल (स्वच्छ किया हुआ मिट्टी का तेल) न पहुँचने पाये, तो इटली को अत्यन्त कमजोर कर देने के लिए यही काफी था। एंग्लो-इटली और एंग्लोईजिटिशयन कम्पनियों दिन रात काम कर इटली की, पेट्रोल की मांग पूरा करती रहीं। और इटली विजयी होकर आगे बढ़ता चला गया।

मई सन् १९३६ में इटली ने एबीसीनिया की राजधानी एडिस अबाबा को भी विजय कर लिया। एबीसिया का सम्राट हेलसिलासी इंग्लैण्ड भाग गया। एडिस अबाबा की विजय के साथ युद्ध लगभग समाप्त हो गया और एबीसीनिया पर इटली का शासन कायम हो गया। युद्ध समाप्ति के लगभग एक मास बाद कागज़ी अर्थिक बहिष्कार भी हटा दिया गया और क्रमशः सभी राष्ट्रों ने एबीसीनिया को इटली के अधीन उपनिवेश स्वीकार कर लिया। राष्ट्रसंघ ने भी यही स्थिति स्वीकार कर ली।

मुसोलिनी का प्रभुत्व—इटली पर फासिस्ट शासन स्थापित हुए आज १७ बरस बीत चुके हैं; वहां अब कोई दूसरा राजनीतिक दल मौजूद नहीं है। इस पर भी वहां भाषण और लेखन की स्वाधीनता अभी तक स्थापित नहीं हुई। फासिस्ट विरोधी लोगों को अभी तक वहां दण्ड दिया जाता है और अभी तक इस ढंग के अपराधी वहां प्राप्त होते रहते हैं।



फिर भी यह मानना पड़ेगा कि मुसोलिनी और उसके फासिस्ट दल ने इटली में नवजीवन का संचार कर दिया है। इटली जैसे कमज़ोर और पुराने देश को फिर से शक्तिशाली और युवक बनाना मुसोलिनी का ही काम था।

जर्मन डिक्टेटर हिटलर और इटली का तानाशाह मुसोलिनी सन् १९३६ से अब तक परस्पर घनिष्ठ मित्र रहे हैं। दोनों देश अपने सभी काम एक दूसरे की सलाह से करते रहे हैं। जर्मनी और इटली की सम्मिलित शक्ति का नाम 'एक्सिस पावर' प्रसिद्ध है। परन्तु वर्तमान महायुद्ध के प्रारम्भ से जर्मनी इटली का, कम से कम बाह्य दृष्टि से उनका घनिष्ठ सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता। इटली अभी तक ( दिसम्बर १९३६ तक ) वर्तमान महायुद्ध में सम्मिलित नहीं हुआ और युद्ध प्रारम्भ होने के बाद से अब तक, कम से कम तीन बार मुसोलिनी यह घोषित कर चुका है कि इस युद्ध में इटली तटस्थ ही रहेगा। पूरी तरह सम्भव है कि जर्मनी और रूस की यह नई-नई दोस्ती भी इटली की इस तटस्थता का कारण हो। जो कुछ भी हो, अभी निश्चय के साथ यह नहीं कहा जा सकता कि वर्तमान महायुद्ध में इटली की नीति क्या रहेगी।

## चतुर्थ अध्याय

# नाज़ी जर्मनी

महायुद्ध के बाद प्रजातन्त्र की स्थापना—वर्तमान महायुद्ध की तरह पिछले महायुद्ध का उत्तरदायित्व भी जर्मनी पर ही था। उस युद्ध में जर्मनी हार गया। चार बरसों तक पूरी शक्ति लगा कर जर्मनी ने अनेक शक्तिशाली राष्ट्रों का लगभग अकेले मुकबला किया था। परिणाम यह हुआ था कि जर्मनी के सभी साधन और सम्पूर्णा शक्ति युद्ध में नष्ट हो गई। उस पर युद्ध का पूरा हर्जाना जर्मनी से वसूल करने का निश्चय किया गया। जर्मनी में पूर्ण अव्यवस्था फैल गई। सरकार अशक्त बन गई। सम्राट कैसर राज्य छोड़ कर विदेश में चला गया।

अनेक दिक्कतों के बाद सन १९१६ के प्रारम्भ में जर्मनी में हीमर शासन-विधान बनाया गया। जिसके अनुसार वहां प्रति-निधि सत्तात्मक ढंग से रीशस्टैग और रीशरैट नामक दो

हाउसों को पार्लियामैण्ट स्थापित हाना थो। उधर जर्मनी की अन्तरिक दूरा बहुत ही चिन्ताजनक थो। भिन्न राष्ट्रों ने चारों ओर से जर्मनी की नाकेबन्दी कर रक्खी थो। लोगों को सिर्फ रोटी और आलू ही खाने को मिलते थे। वह भी तोत कर। समाह में प्रति बड़े व्यक्तिके हिसाब से केवल ढाई सेरा। व, मधुवन, खांड, आदि का वहां नितान्त अभाव था। उन दिनां प्रकाल और अयूर्य भोजन से जर्मनी में लावा मोतें हुई। ४ व नेकर १४ बरस के बालकों को मृत्यु संख्या विशेषरूप से अधिक थो। इन परिस्थितियों में भी अगस्त १९१९ में उक्त शासन-विधान को कानून का रूप देदिया गया। इम कानून को वावहार में लाने में काफ्री रुकावटें पेश आईं। परन्तु एक द्वाटो-मोटः कान्ति के बाद ह्योमार शासन-विधान के अनुसार जर्मनी में दोनों सभाओं के बाकायदा निर्वाचन हो गए।

इन्हीं दिनों जर्मनी से यूपन मैलमेडा (Eupen-Malmedy) का प्रान्त छीन कर बेल्जियम को देदिया गया। मैमल-लैण्ड भी जर्मनी से छिन गया और लिथुआनिया को देदिया गया। उधर सेलीशियामें इस बात पर सार्वजनिक मत (Plebiscite) लिया गया कि वह जर्मनी के साथ रहना चाहता है या पोलैण्ड के साथ। ६० प्रतिशत वोट जर्मनी को मिले और ४० प्रतिशत पोलैण्डको। यह सब वोटिंग फ्रान्स की देखभाल में होरहा था। फ्रान्स ने सेलीशिया के सब से अधिक सम्पन्न और खनिज द्रव्यों वाले भाग पोलैण्ड को देदिए और शेष भाग जर्मनी को।

भौगोलिक दृष्टि से भी यह विभाग बहुत असुविधाजनक था। चर अल्सेस लोरेन तो फ्रान्स ले ही चुका था। जर्मनी से जो अन्य बड़े-बड़े प्रदेश छीने गए थे, उनका जिक्र प्रथम अध्याय में किया जा चुका है।

**क्षतिपूर्ति**—युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में जर्मनी ने जो जुर्माना देना था, उसकी मात्रा का निश्चय वर्साई में नहीं हुआ था। यह काम एक कौन्फरेंस के ज़िम्मे किया गया था, वह भी इस राशि को निश्चित नहीं कर सकी। २१ मई १९२१ को लण्डन में यह राशि ६५,००,००,००,००० रुपया निश्चित की गई। यद्यपि सभी लोगों को मालूम था कि जर्मनी के लिए ६५ अरब रुपया देसकना नितान्त असम्भव है। कुछ जर्मन नेताओं की इच्छा थी कि जर्मनी इतनी बड़ी राशि देने से साफ़ इन्कार कर दे। परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। २१ अगस्त १९२१ को जर्मनी ने उस ऋणपत्र पर हस्ताक्षर कर दिए।

**रुहर पर फ्रैन्च आक्रमण**—जर्मनी की अन्तरिक दशा अत्यन्त शोचनीय थी। वहाँ का सम्पूर्ण आर्थिक संगठन अस्त-व्यस्त हो चुका था। लोगों के पास अपने जीवन-निर्वाह के लिए भी कुछ नहीं था, तो वे युद्ध का जुर्माना कहां से अदा करते। इन परिस्थितियों में जर्मनी ने यह प्रार्थना की कि तीन वर्षों तक उसे युद्ध के जुर्माने की कोई किरत अदा न करनी पड़े। इंग्लैण्ड इस बात के लिए तैयार हो गया, परन्तु फ्रान्स ने जर्मनी

की यह प्रार्थना नहीं मानी। जर्मनी दो वर्षों तक प्रतिज्ञान धन अदा नहीं कर सका, इस पर फ्रान्स ने जर्मनी के रूहर प्रदेश पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में कर लिया। खनिज द्रव्यों की दृष्टि से रूहर जर्मनी का सब से अधिक सम्पन्न प्रान्त था।

नई मुद्रा—जर्मनी से रूहर प्रान्त छिन जाने के बाद जर्मनी की दशा और भी चिन्ताजनक हो गई। वहां का अर्थिक संगठन बिलकुल फेल हो गया। मार्क की दर एकदम गिर गई। एक डौलर के बदले में ४५०० मार्क आने लगे। जर्मनी की मुद्रा और विनिमय पद्धति एक तरह से नष्टभ्रष्ट हो गई। लोगों ने अब तक जो धन संग्रह किया था, उस की कोई भी कीमत बाकी न बची। सब ओर हाहाकार मच गया। क्रमशः संसार का जनमत फ्रान्स की मनोवृत्ति का विरोधी बन गया। इंग्लैण्ड की भी राय थी कि मित्रराष्ट्र जर्मनी को पुनर्निर्माण का अवसर दें। उधर जर्मनी में स्ट्रेसमैन प्रधानमन्त्री बना और उसके अर्थ सचिव डा० शास्त (Dr. Schacht) ने, जो वर्तमान युग का एक बहुत बड़ा अर्थशास्त्रज्ञ माना जाता है, जर्मनी में एक नई मुद्रापद्धति शुरू की। क्रमशः यह नई मुद्रापद्धति जर्मनी में सफलतापूर्वक चल निकली और इसी से मानो जर्मनी के पुनर्निर्माण का सूत्रपात हो गया।

देवास प्लैन और यंग प्लैन—सन् १९२४ से १९२८ तक

जर्मनी ने करीब ११ अरब रुपया अन्य देशों से उधार लिया । इस के बिना जर्मनी के व्यवसाय का पुनर्निर्माण होना असम्भव था और अपने व्यवसाय का पुनर्निर्माण किए बिना जर्मनी अपना युद्ध ऋण नहीं उतार सकता था । जर्मनी अपना जुर्माना किस तरह अदा करे, इस सम्बन्ध में 'देवास प्लैन' नाम की एक स्कीम बनी, जिस के अनुसार जर्मनी ने अनगिनत बरसों तक प्रति सेकण्ड ८० मार्क और प्रति घण्टे २, ८८, ००० मार्क विदेशों को युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में देना था ! देवास प्लैन को असम्भव योजना जान कर 'यंग प्लैन' नाम से एक नई योजना बनी, जिस के अनुसार २५, ००० मार्क प्रति घण्टा देने का निश्चय हुआ ।

एक नई आर्थिक समस्या—सन् १९२६में अमेरिकामें रुभी माल बहुत अधिक मात्रा में बन जाने के कारण वहां वस्तुओं की कीमतें एकदम गिर गईं । परिणाम यह हुआ कि वहां बहुत-सी व्यवसाय-कम्पनियों को घाटा पहुंचा और उन के हिस्सों की दरें बहुत नीचे गिर गईं । जिन पूंजी पतियों ने तथा अन्य लोगों ने इन कम्पनियों के हिस्से खरीदे हुए थे, उन्हें इस बात से भारी घाटा हुआ और आर्थिक क्रान्ति के उन दिनों में अमेरिका का जनमत यह मांग करने लगा कि अब अमेरिका में बाहर से माल आना बन्द हो जाना चाहिए । उन का ख्याल था कि बाहर से सस्ता माल अमेरिका में आरहा है, इसी से वहां सभी चीजों की कीमतें गिर गई हैं । इस भारी

जनमत से प्रभावित हो कर सन् १९३० में अमेरिका ने बाइर से आने वाले सामान पर इनना भारी तट कर लगा दिया, जिनना अमेरिका के इतिहास में पहले कभी न लगा था ।

इस बात का सब से अधिक हानिकर प्रभाव जर्मनी पर पड़ा । अमेरिका संसार का सब से अधिक धनी देश है, जर्मनी ने अधिकांश ऋण अमेरिका से ही लिया था और उप ऋण को वह अपनी व्यावसायिक उपज का माल अमेरिका में भेज कर पूरा कर रहा था । अब अमेरिका में भारी तट कर लग जाने के कारण जर्मनी का माल वहाँ जाना बन्द हो गया । इधर जब अमेरिका ने जर्मनी का माल खरीदना बन्द कर दिया, तो जर्मनी में स्वभावतः सभी चीजों की कीमतें गिरनी शुरू हो गईं और बहुत शीघ्र वे पहले की अपेक्षा आधी रह गईं । इस का अभिप्राय यही हुआ कि जर्मनी का राष्ट्रीय ऋण स्वयंमेव दुगना हो गया । इस बात को उदाहरण देकर समझाना जरूरी है । कल्पना कीजिये कि एक चमार ने १०० रुपये आपसे उधार लिए । वह जो बढ़िया जूते तैयार करता है, उन की कीमत बाजार में १० रुपया है । आपने उस से कहा कि वह अपनी उधार ली हुई राशि के बदले आप को १० जोड़े जूते और १०० रुपयों का सूद दे दे । अब यदि अचानक आज उस के जूतों की कीमत १०) २० की बजाय ५) २० हो जाय तो उसे आप को अब १० की बजाय २० जोड़े बना कर देने होंगे । यानी कल के हिसाब से उसे आपको १००) की बजाय २००) रुपये देने पड़ेंगे ।

इन परिस्थितियों में जर्मनी की आन्तरिक आर्थिक दशा बहुत अधिक बिगड़ गई। जर्मनी ने अमेरिका से प्रार्थना की कि वह कुछ समय के लिए उस से युद्ध की क्षतिपूर्ति तथा ऋण के धन की कोई किरत न मांगे। अमेरिका इस बात के लिए तैयार हो गया, इंग्लैण्ड ने भी इस बात की स्वीकृति दे दी, परन्तु फ्रांस ने जर्मनी के इस प्रस्ताव को तत्काल स्वीकार नहीं किया। उधर जर्मनी की आर्थिक दशा प्रतिज्ञा बिगड़ रही थी। १३ जुलाई १९३१ को जर्मनी का सब से बड़ा बैंक फेल हो गया और देश भर के सभी बैंकों को दो दिन के लिए बन्द कर देना पड़ा।

नाज़ी पार्टी का प्रादुर्भाव—सन् १९३२ में जर्मनी की उपर्युक्त अत्यन्त शोचनीय अवस्था अपनी चरम सीमा तक पहुँच गई। चार वर्षों तक युद्ध में अपना सभी कुछ स्वाहा कर देने के बाद, उन्हें अपने बहुत से प्रदेशों से हाथ धोना पड़ा। उस पर क्षतिपूर्ति का बोझ! और अब जर्मनी की सरकार का दिवाला भी निकल गया। उन दिनों जर्मनी में २० लाख आदमी बेकार थे।

बहुत समय से जर्मन मजदूरों पर साम्यवाद का प्रभाव कायम था। साम्यवाद का दृष्टिकोण, सिद्धान्त की दृष्टि से राष्ट्रीय नहीं, सार्वभौम है। इधर पिछले १४ बरसों में जर्मनी को जो कटु अनुभव हुए थे, उन के कारण वहाँ के निवासियों में प्रति-हिंसा की भावना दिनों-दिन प्रबल होती जा रही थी। जिस पीढ़ी के हज़ारों लाखों बालक अर्ध-आहार प्राप्त होने के कारण बचपन में ही यह लोक छोड़ गए थे, उस पीढ़ी के बालक अब नौजवान



बनने लगे थे और उन की रग-रग में प्रतिहिंसा और संसार के अन्य देशों के लिए तीव्रतम घृणा की भावना भरी हुई थी। परिणाम यह हुआ कि जर्मनी से साम्यवाद का प्रभाव उठ गया। वहाँ राष्ट्रीय साम्यवादो दल ( National Socialist Party ) की जड़ें मजबूती के साथ जमने लगी। यही पार्टी 'नाज़ी पार्टी' के नाम से प्रसिद्ध है।

हिटलर—नाज़ी पार्टी का इतिहास वास्तव में एक आदमी का इतिहास है। इस आदमी का नाम एडोल्फ हिटलर है। हिटलर का जन्म सन १८८६ में आस्ट्रिया में हुआ था। जब वह १२ बरस का था, तब उस के पिता का देहान्त हो गया। अनाथ होकर वह वियाना के एक कला विद्यालय में भर्ती होने गया, परन्तु वहाँ उसे स्वीकार नहीं किया गया। तब वह मजदूर बन कर राजगिरी का काम सीखने लगा। बरसों तक वह मकानों पर रंग करना आदि सभी काम करता रहा। अपने साथ के मजदूरों से हिटलर की निभी नहीं, इस कारण वह वियाना से म्यूनिख आ गया। उन्हीं दिनों जर्मनी और फ़ित्रराष्ट्रों में युद्ध शुरू हो गया और हिटलर फौज में भर्ती हो गया। इस युद्ध में अपने कार्य के बलपर वह कारपोरल तक जा बना। उसके बाद वह गोली खाकर जख्मी हो गया और हस्पताल में दाखिल कर दिया गया। उन्हीं दिनों युद्ध समाप्त हो गया और बेकार होकर हिटलर पुनः म्यूनिख जा पहुँचा। वह पहले के समान निर्धन बन गया। सन १९२० में हिटलर एक छोटी-सी राजनीतिक पार्टी का सदस्य बना, जिस

के केवल ६ सदस्य थे। हिटलर सातवां सदस्य बना। इस दल के २५ ध्येय थे, जिन में से अनेक-यहूदियों, धनियों, विदेशियों और वर्साई की सन्धि का घोर विरोध—आज भी नाज़ी पार्टी के गुरुमन्त्र माने जाते हैं।

सन् १९२० से लेकर १९३२ तक यह दल हिटलर के नेतृत्व में अधिक-अधिक शक्तिशाली बनता गया। अनेक प्रतिभाशाली और महत्वपूर्ण जर्मन नागरिक भी इस दल के सदस्य बन गए। जब यह दल कुछ संगठित हो गया तो उन्होंने ने मुसोलिनी की देखादेखी, बर्लिन पर धावा बोलने का इरादा किया। परन्तु म्यूनिख से कुछ ही दूरी पर गोलियां चला कर इस दल को तितर-बितर कर दिया गया। कुछ नाज़ी मारे भी गये और हिटलर गिरफ्तार हो गया। उसे ५ बरस की कैदकी सज़ा मिली, परन्तु कुछ ही महीनों के कारावास के बाद उसे छोड़ दिया गया।

नाज़ी पार्टी का उत्थान—सन् १९२४ में ३२ नाज़ी रीशस्टैग में चुने गए। कुल मिला कर १६ लाख वोट नाज़ियों को मिले। हिटलर ने यह सिद्ध कर दिया कि उस में संगठन करने की असाधारण शक्ति है। देशकी आन्तरिक परिस्थितियों के प्रभाव से ज्यों-ज्यों जर्मनी के निवासियोंके हृदयोंमें प्रतिहिंसा के भाव पुष्ट होते चले गए, त्यों-त्यों हिटलर की शक्ति भी बढ़ती चली गई। सन् १९३० में ६५ लाख वोट नाज़ियों को मिले और १०७ नाज़ी रीश स्टैग में चुने गए।

हिटलर को अब अपना और अपनी पार्टी का भविष्य

बहुत उज्वल तथा आशामय प्रतीत होने लगा। म्यूनिख के एक बड़े मठान में पार्टी का प्रधान कार्यालय बनाया गया और नाज़ियों की एक फौज़ भी संगठित की जाने लगी, जिन्हें बाकायदा सैनिक शिक्षा दी जाती थी।

हिटलर ने इन बातों का प्रचार जर्मनी में शुरू किया— जर्मन लोग प्राचीन आर्यों के विशुद्ध और श्रेष्ठतम वंशधर हैं, जिन की संस्कृति की आज सारा संसार नकल कर रहा है। यदि देश की बागडोर उम के हाथ में दे दी जाय तो वह पुनः जर्मन लोगों को संसार का सब से अधिक उन्नत, शक्तिशाली और तिर्रो-सण्ण राष्ट्र बना देगा। नाज़ी पार्टी जर्मनी में किसी को बेकार नहीं रहने देगी। वे स्त्रियों का क्षेत्र घर के भीतर सीमित कर देंगे, स्त्रियां बाहर का नहीं करेगी। उन का मुख्य कार्य सन्तानोत्पत्ति करना होगा और जर्मन राष्ट्र को बलिष्ठ जर्मन सन्तान की, जो आगे चल कर सम्पूर्ण संसार पर अपना शक्तिशाली प्रभाव स्थापित कर सके, सब से अधिक आवश्यकता है। जर्मनी के भीतर ही उस के सब से बड़े शत्रु विद्यमान हैं, जो उस का सम्पूर्ण रक्त चूस कर उसे निरशक्त बना रहे हैं; ये शत्रु यहूदी लोग हैं।

नाज़ियों की सफलता—जर्मन राष्ट्रपति हिण्डनबर्ग के विचार पुराने ज़माने के थे। उसे कोई नई बात ज़ंवती नहीं थी। वह साम्यवाद और नाज़ीवाद दोनों का विरोधी था। इधर जर्मनी की दशा दिन-ब-दिन बिगड़ती जाती थी और उधर कोई

शक्तिशाली सरकार वहां स्थापित न हो सकती थी। हिण्डनबर्ग ने वान पेपन को प्रधानमन्त्री बनाया और इससे आशा की कि पेपन के शक्तिशाली व्यक्तित्व के प्रभाव से, जो राष्ट्रवादी प्रसिद्ध था, जर्मनी में से साम्यवादियों और नाज़ियों का प्रभाव घटेगा। परन्तु ऐसा नहीं हुआ। जुलाई १९३२ में रीश स्टैग का जो नया निर्वाचन हुआ, उसमें १ करोड़ ३७ लाख वोट नाज़ियों को मिले और रीश स्टैग में २३० नाज़ी चुने गए। हिटलर और नाज़ी पार्टी का यह प्रभाव देखकर पेपन ने हिटलर से प्रार्थना की कि वह भी मन्त्रिमण्डल का सदस्य बन जाय। परन्तु हिटलर ने इसे स्वीकार नहीं किया। इस पर नाज़ीवाद को समाप्त करने के लिए पेपन ने रीश स्टैग को बर्खास्त कर दिया और इसके बाद उसने जर्मनी पर राष्ट्रीय दल को डिक्टेटरशिप कायम करने का निश्चय कर लिया। जर्मनी के समाचारपत्रों और रेडियो पर प्रतिबन्ध लगा दिए गए। जनमत का रुख देख कर पेपन ने नाज़ियों का प्रोग्राम व्यवहार में लाना शुरू कर दिया। उसने यहूदियों से सरकारी नौकरियां छीन लीं और साम्यवादियों को जेल में डालना शुरू किया। इन बातों का परिणाम यह हुआ कि अगले निर्वाचन में नाज़ी पार्टी के २० लाख वोट कम हो गए।

परन्तु नाज़ियों के पास जो संगठित सेना थी, उसका इलाज किसी के पास नहीं था। जब देखा गया कि इस सेना को काबू में रखना कठिन है, तो पेपन ने त्यागपत्र दे दिया। उसकी जगह शीलर को प्रधानमन्त्री बनाया गया। शीलर को भी जब

सफलता नहीं मिली तो हिण्डनबर्ग ने ३० जनवरी १९३३ के दिन हिटलर को जर्मनी का प्रधानमन्त्री बनने के लिए निमन्त्रित किया ।

**हिटलर का कार्यक्रम—**प्रधानमन्त्री बन कर हिटलर ने दो बातों को सब से पूर्व अपना ध्येय बनाया । पहला तो यह कि जर्मनी में से सम्पूर्ण राजनीतिक दलों की समाप्ति कर वहां पूर्ण नाज़ी प्रभुत्व स्थापित करना और दूसरा यह कि जर्मनी की आर्थिक दशा को उन्नत करना । उन्हीं दिनों रीश स्टैग की इमारत जल कर खाक हो गई । नाज़ियों ने कहा कि यह आग साम्यवादियों ने लगाई है । उग्र कतिपय अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण इंग्लैण्ड का जनमत भी साम्यवादियों के विरुद्ध हो गया था । जर्मनी का लोकमत घोर रूप से साम्यवादियों का विरोधी हो गया और रीश स्टैग के अगले निर्वाचन में नाज़ियों को बहुत बड़ा बहुमत मिला । २३ मार्च १९३३ को रीश स्टैग के एक प्रस्ताव के अनुसार हिटलर को जर्मनी का डिक्टेटर घोषित कर दिया गया । निश्चय ही इस सम्बन्ध में जर्मनी इटली के उदाहरण से प्रभावित हुआ था ।

**विरोधियों का दमन—**डिक्टेटर बनते ही हिटलर ने साम्यवादियों की सभी संस्थाओंको गैरकानूनी घोषित कर दिया । जर्मनी भर के सभी श्रमीसंघ तोड़ दिए गए । साम्यवादियों को जेल में डाल दिया गया और उन पर अनेक तरह के अत्याचार किए गए । उन्हें शारीरिक यातनाएं भी दी गईं । अन्य राजनीतिक

दलों में से जिन्होंने हिटलर के मन्तव्यों को स्वीकार कर लिया था उन्हें तो सहनकर लिया गया, परन्तु अन्य सभी राजनीतिक दल गैरकानूनी बना दिए गए । हिटलर को कैथोलिक धर्म से कोई विरोध न था, परन्तु उस ने धार्मिक संस्थाओं से साफ़ शब्दों में कह दिया कि भविष्य में वे राजनीति अथवा शिक्षा के सम्बन्ध में कोई हस्ताक्षेप न कर सकेंगी । प्रोटेस्टैण्ट लोगों को भी चेतावनी दे दी गई कि वे नाज़ीइज्मके खिलाफ़ कुछ भी न कहें । जर्मनी की सभी शक्तियों और प्रान्तों को केन्द्रित करने का काम ज़ोरों से शुरू हो गया । जर्मन संघ के सभी राष्ट्रों की स्वाधीनता एकदम छीन ली गई । छापाखाना, समाचार पत्र, सिनेमा, नाटक, रेडियो, सभा-भवन आदि सार्वजनिक शिक्षा और प्रचार के सभी साधनों पर नाज़ी सरकार का बहुत व्यापक नियन्त्रण हो गया । इन सब बातों के साथ-साथ यहूदियों पर बहुत बड़े-बड़े अत्याचार होने लगे । उन से सभी काम छीन लिए गए । जर्मनी की पूर्ण आबादी में यहूदियों की संख्या केवल एक प्रतिशत थी, परन्तु वर्धा के सम्पूर्ण डाक्टर, वकील, इंजिनियर और वैज्ञानिकों में से १० प्रतिशत यहूदी थे । इस कारण यहूदियों का यह दान जर्मनी को काफ़ी मंहगा पड़ा ।

**फ्यूरर हिटलर**—जर्मनीमें जब नाज़ी पार्टीका एकमात्र और अखंड आधिपत्य कायम होगया, तो हिटलर ने अपनी 'भूरी सेना' जिसने क्रान्ति को सफल बनाने में सब से अधिक भाग लिया था और जिस की संख्या २५ लाख तक जा पहुँची थी, को इस डर से

बरखास्त कर देने का निश्चय कर लिया कि इतनी बड़ी सेना, देश में शान्ति व्याप्त हो जाने के बाद, कहीं उसी के विरुद्ध न उठ खड़ी हो। इस 'भूरी सेना', जो 'एस० एस०' के नाम से प्रसिद्ध थी, का नेता कैप्टिन रोहम था, जो हिटलर का सब से बड़ा मित्र माना जाता था। परन्तु हिटलर की उपर्युक्त आज्ञा से उस ने भी नेता के विरुद्ध विद्रोह करने का इरादा बना लिया। हिटलर ने उस समय बिजली की तेज़ी से काम किया। ३० जून १९३४ को उसने कुछ ही घण्टों में रोहम सहित, करीब २०० प्रमुख नेताओं को जान से मार डाला। वान शीलर और उस की पत्नी की भी लगे हाथ हत्या कर दी गई। उक्त घटना के दो ही महीने के भीतर राष्ट्रपति हिण्डनबर्ग की मृत्यु हो गई और तब हिटलर फ्यूरर (महाननेता) के नाम से जर्मन राष्ट्र का प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, नेता और डिक्टेटर बन गया। जर्मन प्रजा के ६० प्रतिशत वोट हिटलर के पक्ष में थे। हिटलर अब अपनी उन्नति की चरम सीमा तक पहुँच गया।

नाज़ी जर्मनी के प्रमुख नेता हिटलर, गोरिंग, गौब्ल्स और हेज़ हैं। हिटलर नाज़ी पार्टी की आत्मा है। गोरिंग जर्मनी का फ्रील्ड मार्शल है, गोरिंग प्रचार मन्त्री है और हेज़ हिटलर का व्यक्तिगत सहकारी है, वह नाज़ी दल का उपनेता भी है।

रचनात्मक कार्य—नाज़ी जर्मनी ने साफ़ शब्दों में कह दिया कि वह अब युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में एक पैसा भी किसी राष्ट्र को नहीं देगा। परन्तु जर्मनी ने जो ऋण अन्य

राष्ट्रों से, विशेषतः अमेरिका से लिया था, उसका चुहाना बाकी था। इस कार्य के लिए जर्मनी को समृद्ध करना आवश्यक था। हिटलर ने इस दिशा में सब से पहला कार्य जर्मनी की कृषि उन्नत करने के रूप में किया। शहरों से हज़ारों-लाखों जर्मन नागरिकों को गावों और खेतों में लेजाकर बसा दिया गया, ताकि वे लोग खेती-बाड़ी का काम करें। उधर स्त्रियों को उत्पादन कार्य करने से रोका जाने लगा, ताकि बेकारी की समस्या दूर हो। परन्तु एक ही बरस में हिटलर ने यह अनुभव कर लिया कि इस तरह की मामूली मामूली बातों से जर्मनी के पुनर्निर्माण और उसे समृद्ध बनाने का कार्य नहीं हो सकता। वह एक असाधारण महत्त्वकांक्षी पुरुष है। उसने निश्चय किया कि बहुत शीघ्र, बड़ी तेज़ रफ्तार से वह बहुत-सी असाधारण बातें करके दिखाएगा, जिन की बदौलत जर्मनी की आर्थिक स्थिति स्वयमेव सुधर जायगी और हिटलर ने इस तरह के कामों एक विस्तृत प्रोग्राम भी बहुत शीघ्र तैयार कर लिया।

राइनलैण्ड पर आक्रमण—इन्हीं दिनों मुसोलिनी ने एबीसीनिया को हड़प कर लिया और सम्पूर्ण सभ्य संसार इतने बड़े बलात्कार को चुनौती सहन कर गया। हिटलर ने देखा कि यही उपयुक्त अवसर है। मार्च १९३६ में हिटलर ने जर्मन सेना को राइनलैण्ड पर अधिकार करने के लिए भेज दिया। फ्रान्स में हिटलरके इस कार्य के विरुद्ध घोर असन्तोष फैल गया, परन्तु किया किसी ने कुछ भी नहीं। बिना एक भी



हत्या किए हिटलर का राइनलैंड पर अधिकार स्थापित हो गया। और राइनलैंड एक बहुत ही सम्पन्न प्रदेश है।

इसके बाद तो मानो जैसे इस तरह के आक्रमणों का इटलर को चस्का ही लग गया। पिछले ढाई बरसों में, बिना एक भी जर्मन का खून बहाए, जिस तरह हिटलर ने संसार के अनेक राष्ट्र चुपचाप हड़प कर लिए, उसका उदाहरण विश्व से इतिहास में मिला नहीं है।

जर्मनी और इटली की मित्रता—इटली पर जिन दिनों आर्थिक प्रतिबन्ध लगाए गये थे, उन दिनों जर्मनी ने साफ़ शब्दों में कह दिया था कि वह इस तरह का कोई प्रतिबन्ध इटली पर नहीं लगाएगा। जब जर्मनी ने राइनलैंड में अपनी सेनाएं भेजीं, तब इटली ने भी स्पष्टरूप से प्रकट कर दिया कि उसे जर्मनी का यह कार्य आपत्तिजनक नहीं जान पड़ा। इन दोनों घटनाओं से दोनों देशों में घनिष्ठ मित्रता का भाव पैदा हो गया। उस से पूर्व आस्ट्रिया के प्रश्न पर जर्मनी और इटली में कुछ मन-मुटाव आ चला था, अब दोनों देशों में एक गुप्त सन्धि हो गई। हिटलर और मुसोलिनी एक दूसरे से मिले और दोनों ने यह घोषणा कर दी कि सब परिस्थितियों में इटली और जर्मनी एक दूसरे का साथ देंगे। उधर रूस के साथ जर्मनी का विरोध भाव बढ़ता चला गया। रूस को कोसने के सम्बन्ध में मानों जर्मनी और इटली में परस्पर होड़ बँध गई।

एण्टी कोमिण्टरन पैक्ट—जर्मनी और जापान में एक

समझौता सन १९३५ में हुआ, जो एण्टी-कोमिण्टरन पैक्ट के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अनुसार रूस के आक्रमण के विरुद्ध जर्मनी ने जापान की सहायता करनी थी। इटली इस पैक्टमें मिल गया। अब इटली से मित्रता स्थापित हो जाने के बाद तीनों देश, जर्मनी, जापान और इटली, 'एक्सिस पावर्स' कहलाने लगे।

जर्मनी की सैनिक शक्ति इतनी तीव्रता से बढ़ रही थी कि सम्पूर्ण योरप में चिन्ता के बादल छा गए। नवम्बर १९३७ में अंग्रज़ी मन्त्रिमण्डल के महत्वपूर्ण सदस्य लार्ड हैलीफैक्स हिल्टर के उद्देश्यों का पता लगाने और सम्भव हो तो उस से मित्रता करने के उद्देश्यों से बर्लिन में गए। परन्तु वहां जाकर जब उन्हें हिटलर की महत्वाकांक्षाओं का पता चला तो वे सन्न-से रह गए। उसके बाद यूरोप में बड़ी तीव्रता के साथ जो घटनाएं वास्तव घटित हो गईं वे हिटलर की नवम्बर १९३७ की मांगों की अपेक्षा कहीं अधिक भयंकरता से रोमांचित करने वाली थीं।

आस्ट्रिया का अपहरण—पिछले महायुद्ध में आस्ट्रिया और जर्मनी एक साथ थे। परन्तु युद्ध के बाद आस्ट्रिया पर से क्रमशः जर्मन प्रभाव हटता चला गया। आस्ट्रिया और इटली में मित्रता स्थापित होती गई। डा० डाल्फस एक तरह से आस्ट्रिया का डिक्टेटर बन गया और उस के शासनकाल में आस्ट्रिया ने अच्छी उन्नति की। उधर जब जर्मनी में नाज़ी सरकार कायम हुई, आस्ट्रिया में भी नाज़ी दल संगठित होने लगा। आस्ट्रियन नाज़ी, आस्ट्रिया को भी नाज़ी जर्मनी का आन्तरिक भाग बना देना

चाहते थे, अतः डौल्फस ने उन के प्रभाव को रोकने का प्रयत्न किया। नाज़ियों ने एक षडयन्त्र रच कर डौल्फस की हत्या कर दी। इस दुर्घटना से आस्ट्रिया का जनमत जर्मनों के ओर भी अधिक विरुद्ध हो गया।

डौल्फस का उत्तराधिकारी डा० शुशानिग बना। शुशानिग एक बहुत समझदार और अवसर-दर्शी प्रधानमन्त्री था। वह जानता था कि जर्मनों के मुकाबले में आस्ट्रिया बहुत कमजोर है, अतः उस ने बहुत फूंक-फूंक कर कदम रखने की नानि अखिन-यार की।

फरवरी सन् १९३७ के अन्त में इंग्लैण्ड के परराष्ट्र सचिव मि० एन्थनी ईडन ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से यह घटना बहुत महत्वपूर्ण थी। इस का कारण यह था कि ईडन की स्पष्टरूप से यह नीति थी अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में किसी भी देश की ज्यादाती इंग्लैण्ड को सहन नहीं करना चाहिए। वह दृढ़ नीति का पक्षपाती था और इटली तथा जर्मनों के प्रत्येक कार्य पर उस को कड़ा निगाह थी। ईडन के त्यागपत्र का सीधा अर्थ यही समझा गया कि इंग्लैण्ड को अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में कठोर नीति का आश्रय स्वीकार नहीं है।

हिटलर का जन्म आस्ट्रिया में हुआ था। उसको यह पुरानी महत्वाकांक्षा थी कि वह आस्ट्रिया को जर्मनों का आन्तरिक भाग बना ले। दोनों देशों में जाति और भाषा का जो

साम्य है, वह हिटलर की महत्वाकांक्षा पूर्ण करने में बहुत अधिक सहायक बन सकता था। ईडन के अंग्रेज़ी मन्त्रि-मण्डल से त्यागपत्र दे देने के बाद हिटलर को अपनी पुरानी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने का सब से अधिक उपयुक्त अवसर प्रतीत हुआ और उसने आस्ट्रिया के अपहरण का निश्चय कर लिया।

जर्मन राजदूत वान पेपन को इस इरादे से आस्ट्रिया भेजा गया कि वह डा० शुशनिग को, जर्मनी और आस्ट्रिया में मित्रता का सम्बन्ध स्थापित करने के उद्देश्य से बर्तिज़गादन ( हिटलर का पहाड़ी निवासस्थान ) आने के लिए तैयार करे। पेपन को अपने कार्य में सफलता मिली। १२ फरवरी को शुशनिग ने बर्सेसगाडन में हिटलर से मुलाक़त की। जर्मन सीमा में प्रवेश करते ही शुशनिग ने अनुभव किया कि उसकी दशा किसी कैदी अच्छी नहीं। शुशनिग को सख्त पहरे में रक्खा गया, उसे तम्बाकू तक पीने की अनुमति नहीं दी गई और पूरे ६ घण्टों तक हिटलर ने उसे खूब धमकाया। शुशनिग शान्त रहा और किसी भी सम्बन्ध में हिटलर की इच्छाओं को स्वीकार किए बिना वह आस्ट्रिया लौट आया।

१६ फरवरी को रात को २३ बजे हिटलर का यह सन्देश शुशनिग को मिला कि वह उसके एक भक्त नाज़ी आस्ट्रियन ( एस० इनकार्ट ) को आस्ट्रिया की पोलीस का अध्यक्ष बना दे। शुशनिग ने यह बात मान ली, और उसी दिन से आस्ट्रिया में नाज़ी प्रभाव बढ़ने लगा।

६ मार्च १९३८ को शुशनिग ने अपना सब से अधिक कीमती ताश का इक्का खेल दिया । उसने घोषणा कर दी कि १३ मार्च को सम्पूर्णा आस्ट्रियन जनता से इस सम्बन्ध में मत लिए जायंगे कि आस्ट्रिया को जर्मनी के साथ मिला देना चाहिए, अथवा उसे एक स्वतन्त्र राष्ट्र बन कर रहना चाहिए । यह बात स्पष्ट थी कि इस सार्वजनिक वोटिंग ( प्लेबिसाइट ) का परिणाम क्या होगा । अधिक से अधिक आशावादी नाज़ी को भी जर्मनी के पक्ष में ४० प्रतिशत से अधिक वोट आने की कतई आशा नहीं थी ।

हिटलर ने यह सुना तो उसे मानो आग लग गई । जानकार लोगों का कहना है कि हिटलर को उस दिन का-सा गुस्सा सम्पूर्णा जीवन में और कभी नहीं आया । ११ मार्च को हिटलर ने शुशनिग के पास सिर्फ दो घण्टे का अल्टीमेटम भेजा कि या तो वह सार्वजनिक वोटिंग को स्थापित कर प्रधानमन्त्रित्व से त्यागपत्र दे दे, अन्यथा जर्मनी आस्ट्रिया पर धावा कर देगा । शुशनिग इस युद्ध के लिए तैयार नहीं था, उसने प्लेबिसाइट स्थगित कर दिया और स्वयं त्यागपत्र भी दे दिया । उसका अन्तिम सन्देश था—'परमात्मा आस्ट्रिया की रक्षा करे !'

परन्तु जिस बात के निराकरण के लिए शुशनिग ने त्यागपत्र दिया था, वह भी पूरी नहीं हुई । अगले ही दिन हिटलर ने आस्ट्रिया पर आक्रमण कर दिया और शुशनिग को गिरफ्तार कर सम्पूर्णा देश को अपने अधिकार में कर लिया ।

इस अपहरण से, एक ही रात में जर्मनी की आबादी ७३ करोड़ तक जा पहुँचो। जर्मनी को लोहे की इतनी समृद्ध कानें मिल गईं, जिनसे २५ लाख टन लोहा प्रतिवर्ष तैयार होता था। रैग्नेसाइट ( हवाई जहाज़ों के निर्माण में काम आने वाली एक कीमती वस्तु ) की भी एक बहुत बड़ी कान जर्मनी को मिल गई। करीब २५ करोड़ रुपयों की कीमत का शुद्ध सोना जर्मनी के हाथ लगा। सब से बड़ा लाभ राजनीतिक दृष्टि से था। एक महान राजनीतिक का कथन है कि “सन १९१४ में जो महायुद्ध जर्मनी हार गया था, वह उसने १२ मार्च १९३८ को पुनः जीत लिया।” जर्मनी की दृष्टि से आस्ट्रियन अपहरण सचमुच इतना ही महत्वपूर्ण था।

ज़ैकोस्लोवाकिया का अपहरण—वर्साई की सन्धि से ज़ैकोस्लोवाकिया का पुनर्निर्माण हुआ था। आबादीके लिहाज़ की उसकी कुल जनसंख्या इस प्रकार थी—

ज़ैकोस्लोवाक	१,००,००,०००
जर्मन	३२,३१,६८८
हंगेरियन	६,६१,९२३
पोल	८१,७३७

इस तरह करीब १ करोड़ ५२ लाख आबादी का यह देश बहुत शीघ्र एक अत्यन्त समृद्ध और सुखी देश बन गया। ज़ैको-स्लोवाकिया में पूर्ण प्रजातन्त्र स्थापित था और वहाँ अल्पमतों के साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता था। सभ्यता, शिक्षा

और संस्कृति की दृष्टि से भी वहां के निवासी बहुत उन्नत माने जाते थे ।

परन्तु जर्मनी में नाज़ी सरकार स्थापित हो जाने के बाद इस देश के जर्मनों में भी असन्तोष फैलने लगा । हिटलर ने एक बार घोषणा की थी कि वह केवल एक देश का डिक्टेटर नहीं, संसार के सभी देशों में रहने वाले जर्मनों का डिक्टेटर है । जैको-स्लोवाकिया की अधिकांश जर्मन आबादी वहां के सुडेनलैण्ड नामक एक प्रान्त में रहती थी । यह प्रान्त पिछले मशयुद्ध से पूर्व आस्ट्रिया और हंगरी का एक भाग था । अब इस प्रान्त के निवासी जर्मनों में यह भावना बड़ी तीव्रता से उत्पन्न होने लगी कि उन का प्रान्त जैकोस्लोवाकिया से पृथक् कर जर्मनी से मिला देना चाहिए ।

हिटलर था ही इसी बात की इन्तज़ार में । नाज़ी प्रेस ने एकदम यह प्रचार शुरू कर दिया कि जैक सरकार अपने अल्प संख्यक जर्मनों पर भीषण और पाशविक अत्याचार कर रही है । जर्मनी से सहायता मिलने की सम्भावना देख कर सुडेनलैण्ड के जर्मनों का जैक-विरोधी आन्दोलन बहुत उग्ररूप धारण करने लगा ।

मार्च १९३८ में, जब आस्ट्रिया पर जर्मनी का अधिकार हो गया, जैकोस्लोवाकिया की भौगोलिक परिस्थिति बहुत विकट बन गई । जर्मनी का साम्राज्य उस के बहुत से भाग के तीन ओर स्थापित हो गया ।

यह एक तथ्य है कि ज़ैकोस्लोवाकिया में जर्मन अल्पमत के साथ जो व्यवहार किया जाता था, वह यूरोप के अन्य देशों में अल्पमतों के साथ होने वाले व्यवहार से कहीं अधिक अच्छा था। स्वयं जर्मनी में अल्पसंख्यक यहूदियों पर भयंकर अत्याचार हो रहे थे। किसी यहूदी के कल्पित या वास्तविक अपराध का दण्ड सम्पूर्ण यहूदियों को दिशा जाता था, और यहूदियों का सर्वस्व छीन कर उन्हें देशनिकाला दे दिया जाता था। दूसरी ओर दक्षिणी टिरोल में रहने वाले ७,५०,००० जर्मनों को इटली उन की भाषा तक नहीं सिखाता था। और इटली से मित्रता बनाए रखने की इच्छा से हिटलर इस तथ्य को चुपचाप सहन कर रहा था, परन्तु सुडेटनलैण्ड के उकसाये हुए आन्दोलन को संसार की सब से बड़ी समस्या बना देना हिटलर ने अपना कर्तव्य समझा।

बहुत शीघ्र यह स्पष्ट होगया कि हिटलर सुडेटनलैण्ड पर आक्रमण कर देगा। १४ मार्च को फ्रांस ने यह घोषणा की कि यदि जर्मनी ने ज़ैकोस्लोवाकिया पर आक्रमण कर दिया तो फ्रांस ज़ैकोस्लोवाकिया की सहायता करेगा। उधर रूस ने यह घोषणा की कि ऐसी परिस्थिति में यदि फ्रांस जर्मनी से युद्ध करेगा तो रूस भी फ्रांस की सहायता के लिए इस युद्ध में शामिल होगा। सुडेटनलैण्ड ने युद्ध में शामिल होने की घोषणा तो नहीं की, परन्तु २४ मार्च को अंग्रेज़ी प्रधानमन्त्री मि० चैम्बरलेन ने यह घोषणा अवश्य की कि यदि जर्मनी ने ज़ैकोस्लोवाकिया पर आक्रमण किया



तो उस युद्ध का स्थानीय रूप नहीं रह सकेगा । वह विश्वव्यापी युद्ध बन जायगा ।

उक्त आश्वासन पाकर ज़ैकोस्लोवाकिया के हौसले बढ़ गए । ज़ैक सरकार, और उसके नेता डा० बेन्स ने दृढ़तापूर्वक शासन शुरू किया । सुडेटनलैण्ड के नाज़ी आन्दोलकों की अवैध कार्रवाइयों को ज़बर्दस्ती बन्द किया गया । परन्तु परिस्थिति सुधरी नहीं । जर्मनी का आन्दोलन उग्ररूप धारण करता गया । २३ एप्रिल को जर्मनी ने ज़ैक सरकार से ८ मांगें पेश कीं, जिनका सारांश यह था कि सुडेटनलैण्ड में रहने वाले जर्मन एक पृथक् राष्ट्र है, और उनका यह स्वरूप ज़ैक सरकार को स्वीकार करना चाहिए ।

एक राष्ट्र में दूसरे राष्ट्र को स्वीकार करना किसी भी समझदार सरकार के लिए असम्भव था । साथ ही पिछले बरसों में ज़ैक सरकार ने जर्मनी के डर से जितनी किलेबन्दी की थी, वह सब सुडेटनलैण्ड की जर्मन सीमा पर थी । अतः सुडेटनलैण्ड पर कठोर नियन्त्रण रखना देश की रक्षा की दृष्टि से भी नितान्त आवश्यक था । डा० बेन्स की सरकार ने जर्मनी की उक्त मांगों स्वीकार नहीं की ।

डा० बेन्स ने अपने देश में इस बात का अधिकतम प्रयत्न शुरू किया कि वह सुडेटनलैण्ड के जर्मनों को ज़ैक राष्ट्र का एक सन्तुष्ट सदस्य बनालें । इस उद्देश्य से उन्होंने जून में एक गोलमेज़ कान्फ्रेंस भी बुलाई । परन्तु उधर जर्मन अखबार जिस तरह प्रति

दिन ज़ैक सरकार के विरुद्ध ज़ड़ उगल रहे थे, उसके कारण आन्तरिक समझौतेके किसी प्रयत्नका सफल होना असम्भव होगया था। सुडेटन जर्मनों ने ज़ैक-सरकार से बातचीत करना भी स्वीकार नहीं किया!—परिस्थितियाँ इतना अधिक पेचीदा होगईं। नाज़ी जर्मनी ने बहुत शीघ्र अपनी मांग और भी बढ़ा दी और उन्होंने कहा कि सुडेटनलैंड अब जर्मनी की सीमा में सम्मिलित होकर रहेगा।

अंग्रेज़ राजनीतिज्ञों ने इस अवसर पर इतना मान लिया कि यदि जर्मनी शान्तिपूर्वक ज़ैक-सरकार से सुडेटनलैंडका कोई भाग मांगे, तो दोनों देशों को परस्पर, गोलमेज़ की विधि से, इस सम्बन्ध में कोई निर्णय अवश्य कर लेना चाहिए।

सितम्बर १९३८ में प्रारम्भ में नूरम्बर्ग में वार्षिक नाज़ी कांग्रेस हुई। इस कांग्रेस में ६ सितम्बर को हिटलर ने घोषणा कर दी कि यदि ज़ैक सरकार ३० सितम्बर तक स्वयमेव सुडेटनलैंड को जर्मनी के हवाले न कर देगी तो जर्मनी ज़ैकोस्लोवाकिया पर आक्रमण कर देगा। संसार का भय अब अपनी चरम सीमा तक पहुँच गया। हिटलर की शिक्षित सेना की संख्या अब १३ लाख तक जा पहुँची थी।

१५ सितम्बर १९३८ को सम्पूर्ण संसार ने आश्चर्य के साथ सुना कि इंग्लैंड के प्रधान मन्त्री मि० चैम्बरलेन एक हवाई जहाज़ द्वारा हिटलर से मिलने, उसके पहाड़ी निवासस्थान बर्तिज़गादन गये हैं। इस से के एक सप्ताह में संसार का वातावरण अत्यन्त

विद्युताविष्ट-सा रहा था। इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, इटली, ज़ैकोस्लो-वाकिया, जर्मनी आदि बहुत से देश अब युद्ध की तैयारी में दिनरात व्यस्त थे। लण्डन, पेरिस और बर्लिन के बागों में सैनिकों तथा नागरिकों के लिए खाइयां खुदने लगी थीं। इससे चैम्बरलेन की इस जर्मन यात्रा का परिणाम जानने की प्रतीक्षा जैसे सम्पूर्णा संसार सांस थाम कर रहा था।

चैम्बरलेन और हिटलर की बानचीत से जैक-सरकार को तो कोई लाभ नहीं हुआ, परन्तु विश्वव्यापी महायुद्ध कुछ देर के लिए अवश्य रुक गया। चैम्बरलेन ने हिटलर को यह वचन दिया कि १५ दिनों में सुडेटनलैंड जर्मनी को वापस दे दिया जायगा, इस शर्त पर कि भविष्य में इस तरह के झगड़ों का निपटारा धमकियों और सैन्य प्रदर्शन से नहीं किया जायगा, बल्कि गोल-मेज़ के तरीके से किया जायगा। हिटलर चैम्बरलेन की यह शर्त मान गया। उस ने यह भी घोषणा कर दी कि सम्पूर्णा यूरोप में अब उसका कोई और दावा बाकी नहीं रहा। चैम्बरलेन की सलाह जैक सरकार ने भी मान ली और बिना किसी तरह के रक्तपात के सुडेटनलैंड पर जर्मनी का अधिकार हो गया। सुडेटन-लैंड की सम्पूर्णा किलेबन्दी अब हिटलर के हाथ में आ गई।

संसार के दुःखमय आश्चर्य का ठिकाना ही न रहा, जब जब उपर्युक्त घटना के कुछ ही दिनों के बाद जर्मनी ने ज़ैकोस्लो-वाकिया के स्लोवाकिया नामक छोटे से और कम महत्वपूर्ण प्रान्त को छोड़ कर शेष सम्पूर्णा देश पर अपना अधिकार जमा लिया।

डा० बेन्स को देश से भाग जाना पड़ा। जर्मनी की आबादी साढ़े सात करोड़ से बढ़ कर साढ़े आठ करोड़ हो गई। जैक सरकार ने अरबों रुपया खर्च कर के जर्मनी से अपनी रक्षा के लिये जो शस्त्रास्त्र और हवाई जहाज आदि तैयार किए थे, वे सब जर्मनी के हाथ में चले गए। इस से बड़ा शोकान्त अभिनय और क्या हो सकता था। कुछ समय के बाद जर्मनी ने मैमल पर भी अधिकार कर लिया।

स्पेन में हस्ताक्षेप—पिछले महायुद्ध के बाद साम्यवाद की जो लहर सम्पूर्ण यूरोप में व्याप्त हो गई थी, उसे मध्य यूरोप के सभी देशों ने क्रमशः कुचल दिया था। परन्तु सुदूर स्पेन में साम्यवादी दल की शक्ति और प्रभाव अब भी कायम था। इटली और जर्मनी की देखादेखी स्पेन में भी सन् १९३१ से फासिस्ट पार्टी का, जो वहां 'रिपब्लिकन पार्टी' के नाम से प्रसिद्ध थी, आन्दोलन उग्ररूप धारण करने लगा। जैनेरल फ्रैन्को नाम का एक व्यक्ति इस दल का नेता बन गया और वह अपने दल को बाकायदा सैनिक ढंग पर संगठित करने लगा। अपने दल के हाथ में स्पेन का शासन कर लेने के उद्देश्य से उसने अर्ध शिष्टित मूर सेना पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया और जुलाई १९३६ में स्पेन की सरकार को यह नोटिस दे दिया कि या तो सरकार उस के हक में त्यागपत्र दे दे, अन्यथा वह सरकार का मुकाबला अपनी सैनिक शक्ति से करेगा। सरकार ने फ्रैन्को की यह

हास्यास्पद मांग नहीं स्वीकार की और स्पेन में गृहयुद्ध शुरू हो गया ।

यह युद्ध भी एक विचित्र युद्ध था । स्पेन के अधिकांश सैनिक जनरल फ्रांको से जा मिले थे और थोड़ी-सी सरकारी सेना तथा स्पेन के नागरिक सम्मिलित रूप से उसका मुकाबला कर रहे थे ।

संसार का जनमत स्पेनकी सरकार के साथ था, फिर भी उचित यही समझा गया कि अन्य कोई देश स्पेन के इस गृहयुद्ध में हस्ताक्षेप न करे । परन्तु मुसोलिनी और हिटलर दोनों की स्पष्ट सहानुभूति फ्रैंको के साथ थी । अतः इटली और जर्मनी धन, जन और शस्त्रास्त्रों से फ्रैंको की सहायता करते रहे । उधर रूस ने स्पेनिश सरकार को सैनिक सहायता पहुंचाई । परिणाम यह हुआ कि युद्ध बहुत लम्बा और अत्यन्त भयानक बन गया । पूरे दो वर्षों तक यह युद्ध चला और अन्त में जनरल फ्रैंको विजयी हुआ । परन्तु इस समय तक स्पेन की दशा बहुत ही जीर्ण-शीर्ण हो चुकी थी ।

अक्तूबर सन १९३८ से लेकर अक्तूबर १९३९ तक जो घटनाएं हुईं, वह संसार के इतिहास में सदा महत्वपूर्णा गिनी जायेंगी । जिन परिस्थितियों में वर्तमान महायुद्ध का प्रारम्भ हुआ, उनका वर्णन एक पृथक् अध्याय में किया गया है ।

पांचवां अध्याय  
संसार के प्रमुख प्रजातन्त्र  
( क )

इंग्लैण्ड

इंग्लैण्ड के सम्बन्ध में कहा जाता है कि वहां संसार का सब से अधिक चिरस्थायी राजतन्त्र है, सब से ज्यादा मज़बूत कुलीनतन्त्र है और सब से बढ कर स्वाधीन प्रजातन्त्र है। इंग्लैण्ड को वर्तमान प्रजातन्त्र प्रणाली का पिता भी कहा जाता है, यद्यपि उस का साम्राज्य संसार भर में सब से अधिक विस्तीर्ण है, और बहुत समय तक वह एक साम्राज्यवादी देश रहा है। वहां के सम्पत्तिशाली लोगों में से केवल २ प्रतिशत व्यक्ति देश की ६५ प्रतिशत सम्पत्ति के मालिक हैं। इंग्लैण्ड की यह धनिक श्रेणी संसार भर में सब से अधिक अद्भुत और शक्तिशाली श्रेणी है। सम्पूर्णा अंप्रेज़ी साम्राज्य इसी श्रेणी के आधार पर आश्रित है।

राष्ट्र की अधिकांश सम्पत्ति इन्हीं लोगों के पास केन्द्रित है। लण्डन के ८० लाख निवासियों में से ऐसे लोगों की संख्या केवल ४० हजार है, जिन के वहां अपने मकान हैं। उधर लण्डन के सब से अधिक कीमती हिस्सों के मालिक केवल २० आदमी हैं। दूसरी ओर इंग्लैंड की सर्वसाधारण जनता को बहुत अमीर नहीं कहा जा सकता। वहां प्रतिवर्ष जितने आदमी मरते हैं, उन में से ७५ प्रतिशत व्यक्ति सौ पाउण्ड से अधिक मूल्य की सम्पत्ति अपने पीछे नहीं छोड़ जाते।

अंग्रेज़ी साम्राज्य संसार का सब से बड़ा साम्राज्य है। इस दृष्टि से, कई सदियों से इंग्लैंड संसार का सब से अधिक महत्वपूर्ण देश बना हुआ है। अंग्रेज़ी साम्राज्य का विस्तार १,३०,००,००० वर्गमील है। और उस की आबादी ५० करोड़ है। दूसरे शब्दों में क्षेत्रफल और आबादी की दृष्टि से संसार का एक चौथाई भाग अंग्रेज़ी साम्राज्य में सम्मिलित है।

इंग्लैंड में जिस तरह क्रमशः प्रजातन्त्र शासन प्रणाली तथा स्वाधीनता विकास हुआ, उसी तरह उस के अधिकांश उपनिवेशों में भी हुआ। अंग्रेज़ी उपनिवेशों में अधिकांश आबादी उन्हीं लोगों के वंशजों की है, जो इंग्लैंड से जाकर उन देशों में आबाद हुए थे। शुरू शुरू में इंग्लैंड इन उपनिवेशों पर अपना सीधा नियन्त्रण रखना चाहता था। परन्तु जब अमेरिका इंग्लैंड की अधीनता से निकल कर स्वाधीन राष्ट्र बन गया, तो इंग्लैंड ने अपनी नीति बदली। आज अंग्रेज़ी साम्राज्य के कैनाडा, दक्षिण

अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, न्यूफाउण्डलैण्ड आदि देशों में पूर्ण स्वाधीनता स्थापित है। ये सम्पूर्ण उपनिवेश स्वेच्छापूर्वक अंग्रेज़ी साम्राज्य के अंग हैं। इस तरह अंग्रेज़ी साम्राज्य का आधार आज बलात्कार और शक्ति की अधिकता नहीं, अपितु वास्तविक सौहार्द और हितों की एकता है।

अंग्रेज़ी साम्राज्य के कतिपय देशों में आज भी पूर्ण स्वाधीनता नहीं है। भारतवर्ष, बरमा, लङ्का आदि इसी ढंग के देश हैं, परन्तु इन देशों में भी स्वतन्त्रता प्राप्ति के आन्दोलन ज़ोरों पर है और अंग्रेज़ राजनीतिज्ञों का दावा है कि वे इन देशों को भी स्वातन्त्र शासन वाले देश बनाने का प्रयत्न ईमानदारी के साथ कर रहे हैं।

यह विशाल अंग्रेज़ी साम्राज्य जिस छोटे-से टापू के आधार पर आश्रित है, उस टापू को कृषि की दृष्टि से कदापि श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। वहाँ का जलवायु भी अत्यन्त शीतल है। अधिकांश प्रदेश पहाड़ी है। वर्षा वहाँ बहुत होती है। इससे वह हराभरा तो अवश्य है, परन्तु वहाँ के ४३ करोड़ निवासी खुले और स्वच्छ दिन देखने को प्रायः तरसते रहते हैं। संसार से पृथक् इन अत्यन्त शीत परिस्थितियों में सदियों से रहते हुए अंग्रेज़ लोग कष्ट सहन करने के अभ्यस्त-से हो गए हैं, और धीरतापूर्वक आपत्तियों का सामना करना उनका राष्ट्रीय गुण बन गया है।

यह कहने में ज़रा भी अत्युक्ति न होगी कि एक टापू होते



हुए भी इंग्लैंड बाकी संसार के साथ सब से अधिक घनिष्ठता-पूर्वक सम्बद्ध है। आर्थिक दृष्टि से वह पूर्णतः बाकी संसार पर निर्भर करता है। इंग्लैंड की अपनी उपज से कहां की आधी आबादी का मुश्किल से पेट भर सकता है। इंग्लैंड के कारखानों में आज जिनकी चीजें तैयार होती हैं, उनके लिए आवश्यक कच्चे माल का केवल एक पांचवा भाग ही इंग्लैंड में पैदा होता है। शेष ८० प्रतिशत भाग बाहर से आता है। अपने ७ प्रतिशत भोजन और ८० प्रतिशत कच्चे माल के लिए इंग्लैंड को संसार के वीसियों का देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। अपनी उक्त आवश्यकताओं का आधा भाग तो वह अपने साम्राज्य से पूरा कर लेता है। शेष भाग के लिए उसे दूसरे देशों से आर्थिक सम्बन्ध बनाए रखने होते हैं।

अपनी उक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इंग्लैंड पक्का माल और खनिज द्रव्य बाहर भेजता है। इन में कपड़ा सब से प्रमुख है। उसके बाद लोहा, मशीनें, कोइला, ऊनी माल, रासायनिक द्रव्य आदि हैं। इंग्लैंड की २० प्रतिशत आबादी निर्यात का माल तैयार करने में लगी हुई है, फिर भी इंग्लैंड अपने आयात का मूल्य, केवल अपने निर्यात के आधार पर नहीं चुका सकता। उसे जहाजरानी, बैंकिंग, साहूकारा, बीमा आदि भी करने पड़ते हैं। इंग्लैंड की राष्ट्रीय आय में इन धन्यों का भी बहुत महत्वपूर्ण भाग है। अंग्रेज पूंजीपतियों ने अपना धर्यों स्थित अन्य देशों में मूलधन के रूप में लगा रक्खा है।

इन परिस्थितियों का परिणाम यह है कि इंग्लैंड पर विदेशी बाजारों के उतार-चढ़ाव का सीधा प्रभाव पड़ता है। यदि चीन या भारतवर्ष में लोहे का एक नया कारखाना खुलना है, तो इंग्लैंड के पूंजीपतियों के कान खड़े हो जाते हैं। मध्य इरान में यदि कोइले की एक नई वान खुदनी शुरू होती है, तो इंग्लैंड के वाजार में तहलका मच जाता है। संसार के प्रायः सभी देशों से इंग्लैंड का लेन-देन है, इस से सभी राष्ट्रों के आधिक उतार-चढ़ाव का सीधा प्रभाव इंग्लैंड पर पड़ता है।

महायुद्ध का नार—पिछले महायुद्ध के बाद अंग्रेजों का ख्याल था कि बहुत शीघ्र उनका देश पुनः संसार का सब से अधिक सम्पन्न देश बन जायगा। सन् १९१६ में इंग्लैंड के निवासियों ने अपना विरसञ्चित धन, इस आशा से जो खोल कर खर्च किया कि उनके बर्ते दिन फिर से लौट रहे हैं। परन्तु वर्ष के अन्त में उन्हें समझ आ गया कि कहीं कुछ गड़बड़ है। देश में बेकारी बहुत तेजी से बढ़ने लगी। सन १९२० में लोग कुछ आशङ्कित-से रहे। सन १९२१ के प्रारम्भ में वहां पाया गया कि बेकार लोगों की संख्या १० लाख तक जा पहुँची है।

संकट के कारण—जब उक्त तथ्य के कारणों की जांच की गई तो पता लगा कि संसार की दशा, पिछले महायुद्ध के दिनों में बहुत अधिक बदल गई है। इंग्लैंड का निर्यात बहुत गिर गया है। और उसके गिरने का कारण यह है कि युद्ध के दिनों में, लाचार होकर,

भारतवर्ष में कपड़े के बड़े-बड़े कारखाने बन गए हैं। आस्ट्रिया अपनी भेड़ों की ऊन से स्वयं ऊनी माल तैयार करने लगा है और हरजाने के तौर से फ्रांस को जो लाखों टन कोइला जर्मनी ने दिया है, उसे वह संसार के अन्य देशों को बहुत सस्ती कीमत पर बेच रहा है, अतः इंग्लैण्ड के कोइले की मांग अब नहीं रही। निर्यात, खास तौर से कोइले को निर्यात, कम हो जाने से इंग्लैण्ड की जहाज़रानी को भी सख्त धक्का पहुंच रहा है। उधर रूस की बोल्शेविक सरकार ने ज़ार के ज़माने के सम्पूर्ण कर्ज़ चुकाने से इन्कार कर दिया है और उस रकम में इंग्लैण्ड का काफ़ी बड़ा भाग था। किसी भी तरीके से लेनिन की सरकार वह रकम वापस करने का उत्तरदायित्व लेने को तैयार नहीं। और सब से बड़ा बात यह हुई है कि महायुद्ध के दिनों, चुपचाप, लण्डन की बैंकिंग तथा लेन-देन सम्बन्धी महत्ता स्थानान्तरित होकर न्यूयार्क को मिल गई है।

इन सब परिस्थितियों का परिणाम यह हुआ कि इंग्लैण्ड के कारखाने अपना काम बन्द करने लगे और बेकारों की संख्या, केवल सात महीनों में, १० लाख से २० लाख जा पहुंची। सन् १९२१ से इंग्लैण्ड में बेकारी का बीमा करने की प्रथा डाली गई थी। इस कार्य में सरकार भी काफ़ी सहायता देती थी। अब सरकार की ओर से बेकार लोगों को थोड़ी-सी रकम भी दी जाने लगी। परन्तु इस सब से बना कुछ भी नहीं। जनता का असन्तोष बढ़ने लगा और १९२२ में मि० लायडजार्ज की सरकार का पतन

हो गया। उसके स्थान पर अनुदार दल की सरकार कायम होगई।

लण्डन का पुनर्नैवृत्त—अनुदार दल की सरकार के सन्मुख एक नया कार्यक्रम था। उन्होंने सब से पहले इस बात की ओर ध्यान दिया कि अन्तराष्ट्रीय लेनदेन और बैंकिंग में लण्डन की महत्ता पुनः स्थापित की जाय। यदि इस दिशा में लण्डन पुनः अपने पहले स्थान पर पहुँच सके—यानी संसार भर के सिक्कों का मूल्य पुनः इंग्लैण्ड के सिक्के से निर्धारित किया जाने लगे (अब इस दृष्टि से अमेरिका के डालर की महत्ता बढ़ गई थी) तो स्वभावतः इंग्लैण्ड का मुद्रा का मूल्य बढ़ जायगा और इस तरह इंग्लैण्ड का धन दूसरे देशों में अधिक मुनाफे के साथ लगाया जा सकेगा। इस स्कीम से इंग्लैण्ड का निर्यात बढ़ने की भी सम्भावना थी। कारण यह कि इंग्लैण्ड की मुद्रा का मूल्य बढ़ जाने का अभिप्राय यह था कि यदि पहले एक शिलिंग में ५ सेर गोहूँ खरीदा जा सकता था, तो अब ७ सेर खरीदा जा सकेगा। इस दशा में इंग्लैण्ड के मजदूरों के वेतन आसानी से घटाए जा सकेंगे। इस का परिणाम यह होगा कि इंग्लैण्ड के माल पर अब खर्च कम आएगा और वह अन्य देशों में पहले की अपेक्षा सस्ता बेचा जा सकेगा। इस से स्वभावतः इंग्लैण्ड के माल की मांग बढ़ जायगी।

अनुदार दल को इस काम में दिक्कतें भी कम नहीं उठानी पड़ीं। इंग्लैण्ड ने अमेरिका से लगभग ३० अरब रुपया ऋण ले रक्खा था। यह ऋण उतारने के लिये इंग्लैण्ड के व्यवसाय-पतियों पर भारी कर लगाना आवश्यक था। और इस भारी कर

का स्वभावतः यह परिणाम होना था कि इंग्लैण्ड का माल कुञ्ज मंहगा बिके । उधर अन्य देशों से भी बहुत-सा माल इंग्लैण्ड में आकर बिकने लगा था । पहलो दिक्कत दूर करने का तो कोई उपाय नहीं था, परन्तु दूसरी दिक्कत को दूर करने के लिए इंग्लैण्ड ने अपने इतिहास में पहली बार मुक्त व्यापार (Free trade) के सिद्धान्त के विरुद्ध अपने कई प्रकार के आयात ( imports ) पर तटकर लगा दिए ।

सन् १६२५ में गोल्ड स्टैण्डर्ड जारी कर दिया गया । अर्थात् पाउण्ड को सोने के मूल्य के साथ सम्बद्ध कर दिया गया । एक पाउण्ड के बदले में सोने की अमुक मात्रा देने का निश्चित ज़िम्मा सरकार ने अपने ऊपर ले लिया । इस का परिणाम यह हुआ कि अन्तर्राष्ट्रीय लेनदेन में लण्डन की महत्ता फिर से स्थापित हो गई और वह पुनः आर्थिक दृष्टि से संसार का प्रथम नगर बन गया ।

पहली मज़दूर सरकार—परन्तु गोल्ड स्टैण्डर्ड की स्थापना से पूर्व ही अनुदार दल को हार खानी पड़ी । सन् १६२४ के अन्त में जो निर्वाचन हुए, उन में दलों की संख्या इस प्रकार थी—

अनुदार दल—२५८

उदार दल—१५७

मज़दूर दल—१६१

निर्वाचन से पूर्व अनुदार दल ने घोषणा की थी कि वह इंग्लैण्ड के आयात पर तटकर बढ़ाएगा । उदार और मज़दूर दल

इस बात के विरुद्ध थे। इस से अनुदार दल के प्रधानमन्त्री मि० बाल्डविन के मन्त्रिमण्डल को त्यागपत्र दे देना पड़ा और मज़दूर दल के नेता मि० रेम्जे मैकडानल्ड ने इंग्लैण्ड के इतिहास में पहली बार वहां मज़दूर मन्त्रिमण्डल की स्थापना की। इस मन्त्रिमण्डल को उदार दल की सहायता प्राप्त थी। परन्तु यह मज़दूर सरकार कुछ महीनों से अधिक स्थायी नहीं रह सकी। मज़दूर दल राष्ट्रीय-साम्यवाद के ढंग के जो सुधार करना चाहता था, उदार दल उनके पक्ष में न था। इससे एक बरस से भी पहले इंग्लैंड में नया निर्वाचन हुआ और उसमें अनुदार दल पुनः विजयी हो गया।

सन् १९२६ की हड़ताल—परन्तु इंग्लैण्ड की आर्थिक समस्याएं अब भी हल नहीं हो पाई थीं। वहां व्यवसाय का संगठन पुराने ढंग पर था। एक-एक नगर में एक-एक व्यवसाय की सैंकड़ों कम्पनियां थीं, जिनमें परस्पर भारी प्रतिद्वन्द्विता रहती थी। अकेले लङ्काशायर में ७०० कताई करने वाली, और १२०० बुनने वाली पृथक्-पृथक् कम्पनियां थीं। कोइले के व्यवसाय में भी यही हाल था। सरकार राष्ट्रीय ऋण चुकाने के लिए इन कम्पनियों पर कर बढ़ाना चाहती थी। इस कारण मज़दूरों का वेतन घटाना जरूरी था। सन् १९२६ में सरकार ने एक नया कानून बना कर कोइले की कानों में काम करने वाले मज़दूरों के वेतन में १३। प्रतिशत कमी करने की घोषणा कर दी। मज़दूर इस बात से बहुत असन्तुष्ट हुए और उन्होंने ४ मई को हड़ताल कर दी। उन की सहा-नुभूति में इंग्लैण्ड भर के रेलवेज तथा बन्दरगाहों पर काम करने

वाले मज़दूरों ने भी हड़ताल कर दी। बहुत शीघ्र हड़ताल इतनी व्यापक बन गई कि इंग्लैण्ड के काम करने वाली आबादी का छटा भाग काम छोड़ बैठा। २५,००,००० मज़दूर इस हड़ताल में शामिल थे। सरकार को इस बात का खतरा था कि इस हड़ताल के कारण भयंकर रक्तपात होगा। परन्तु ऐसा नहीं हुआ। हड़ताली पूर्णतः शान्त रहे, परन्तु जनता की सहानुभूति उन्हें प्राप्त न हुई। बल्कि बहुत शीघ्र जनमत हड़तालियों के विरुद्ध हो गया। उधर इंग्लैण्ड के कानूनी पण्डितों ने इस हड़ताल को गैर-कानूनी घोषित कर दिया। १२ मई को मज़दूरों ने स्वयं ही यह हड़ताल समाप्त कर दी। इस हड़ताल से इंग्लैण्ड को लगभग २,३०,००,००,००० रुपयों का नुकसान हुआ।

औपनिवेशिक स्वाधीनता—महायुद्ध में अंग्रेज़ी साम्राज्य के उपनिवेशों ने इंग्लैण्ड की जो बहुमूल्य सहायता की थी, उस के लिए इंग्लैण्ड ने अपनी कृतज्ञता घोषित करने के उद्देश्य से उपनिवेशों के सम्बन्ध में यह नीति बना ली कि सभी उपनिवेश (जिन का ऊपर वर्णन हो चुका है) पूर्णतः स्वाधीन राष्ट्र हैं और एक सम्राट के भक्त होने से वे सब एक ही परिवार के अंग हैं। सन् १९२६ में औपनिवेशिक सम्मेलन (Imperial Conference) ने घोषणा की कि “इंग्लैण्ड और उपनिवेश अंग्रेज़ी साम्राज्य के अन्तर्गत स्वाधीन राष्ट्र हैं, इन सब की स्थिति एक समान है। आन्तरिक और बाह्य सभी मामलों में वे सब पूर्णतः स्वाधीन हैं। यद्यपि वे सब एक सम्राट के भक्त होने

तथा एक ही परिवार के सदस्य होने के कारण परस्पर एक दूसरे के साथ अत्यन्त घनिष्टता के साथ सम्बद्ध हैं।” सन् १९३१ में इस परिभाषा को बाक्यदा अंग्रेजी सरकारी की ओर से, वैस्टमिनिस्टर के स्टैच्यूट द्वारा, भी स्वीकार कर लिया गया, यद्यपि यह परिभाषा अत्यन्त लचकीली और अस्पष्ट है। इस बात पर भी कुछ बहस चली कि उपनिवेशों को साम्राज्य से पृथक् होने का अधिकार है या नहीं, परन्तु इस सम्बन्ध में भी कोई निश्चित घोषणा सरकार ने नहीं की। यद्यपि उक्त परिभाषा में कहीं उपनिवेशों के साम्राज्य से, पृथक् हो सकने के अधिकार को रोका नहीं गया। ‘सम्राट की भक्ति’ एक ऐसी चीज है, जिसके अनेक अभिप्राय निकल सकते हैं। इंग्लैण्ड के सम्राट एक वैधानिक सम्राट हैं, स्वेच्छाचारी सम्राट नहीं। उन्हें अपने मन्त्रियोंकी राय के अनुसार काम करना होता है। और उपनिवेशों की उक्त परिभाषा के अनुसार जिस तरह इंग्लैण्ड के मामले में इंग्लैण्ड का मन्त्रिमण्डल महत्वपूर्ण और प्रामाणिक है, उसी तरह कैनाडा में कैनाडा का। इससे यदि सम्राट का कैनाडियन मन्त्रिमण्डल यह निश्चय करे कि कैनाडा अंग्रेजी साम्राज्य के पृथक् होता है, तो सम्राट को अपने उक्त मन्त्रिमण्डल का यह निश्चय स्वीकार करना ही होगा।

वर्तमान स्थिति—फिर भी यह कहा जा सकता है कि उपनिवेशों की इस नई परिभाषा से अंग्रेजी साम्राज्य के उपनिवेशों में अपने मातृ देश के प्रति कोई अन्तर नहीं आने पाया। इंग्लैण्ड तथा उपनिवेशों के सांस्कृतिक और आर्थिक सम्बन्ध आज भी उतने



ही घनिष्ठ हैं, जितने वे पहले कभी थे । बल्कि कैंनाडा के सम्बन्ध तो आज और भी अधिक गहरे हो गए हैं । गत महायुद्ध में कैंनाडा ने इंग्लैण्ड को पूरी सहायता तो अवश्य दी थी, परन्तु उस ने जर्मनी के साथ युद्ध की घोषणा नहीं की थी । वर्तमान महायुद्ध में कैंनाडा ने न केवल अपना सभी कुछ इंग्लैण्ड के अर्पित कर दिया है, अपितु जर्मनी के साथ युद्ध की घोषणा भी कर दी है । इसी तरह दक्षिण अफ्रीका, आस्ट्रेलिया आदि ने भी जर्मनी के साथ युद्ध की घोषणा कर दी है और वर्तमान महायुद्ध के संचालन में ये सब उपनिवेश इंग्लैण्ड को पूरा सहयोग दे रहे हैं ।

आयर की स्वाधीनता—गत महायुद्ध के बाद आयरलैण्ड में स्वाधीनता का आन्दोलन बहुत जोरों पर हो गया । वहां अराजकता-सी फैल गई और राजनीतिक हत्याओं का तार-सा बंध गया । सन् १९२१ में इंग्लैण्ड ने आयरलैण्ड को औपनिवेशिक स्वाधीनता दे दी । अ. स्टर् नामक एक प्रान्त को छोड़ कर, जिस का बहुमत इंग्लैण्ड के साथ रहना चाहता था, शेष आयरलैण्ड की पृथक् पार्शियामेंट बना दी गई । सिर्फ दो शर्तें रखीं गई, वहां के मन्त्रियों को भी सम्राट् के भक्त रहने की शपथ लेनी पड़ती थी । साथ ही यह भी निश्चय हुआ कि आयरलैण्ड प्रति वर्ष ७ करोड़ रुपया इंग्लैण्ड को दिया करेगा । आयरलैण्ड के अधिकांश राजनीतिक नेता इस नई सन्धि से बहुत प्रसन्न थे । परन्तु डीवैलेरा के दल ने इसे स्वीकार नहीं किया । फिर भी आयरलैण्ड में नई सरकार की स्थापना हो गई और इस नई आयरिश सरकार ने डीवैलेरा को जेल में डाल दिया ।

उसके बाद सन १६२७ में डीवैलेरा के दल ने भी नए शासन-विधान को स्वीकार कर लिया। सन १६३२ में डीवैलेरा आयरलैंड का प्रधानमंत्री बन गया। डीवैलेरा ने क्रमशः इंग्लैंड से अपने देश का सम्बन्ध तोड़ना शुरू किया। अंग्रेज़ी के स्थान पर उसने आयरिश भाषा पढ़ाने की व्यवस्था की। सम्राट के नाम से शपथ लेना बन्द कर दिया। इंग्लैंड को ७ करोड़ रुपया वार्षिक देनेसे भी इन्कार कर दिया। आयरलैंड का नाम 'आयर' कर दिया और अन्त में आयर के स्वतन्त्र राष्ट्रपति का निर्वाचन करने की प्रथा डाल दी। इस पर इंग्लैंड ने आयर का आर्थिक बहिष्कार शुरू किया, जिस से लाचार होकर डीवैलेरा को इंग्लैंड के साथ आर्थिक सन्धि करनी पड़ी।

सन १९२९ के निर्वाचन—सन १६२६ के अन्त में इंग्लैंड में पुनः मज़दूर दल की सरकार की स्थापना हुई। इस निर्वाचन में दलों का अनुपात इस प्रकार था :—

मज़दूर दल—२८७

अनुदार दल—२६०

उदार दल— ५६

मज़दूर दल का अब भी बहुमत नहीं था, इससे वह कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं लास का। वैसे भी, अब तक मज़दूर दल के नेताओं, विशेषतः रेम्जे मैकडानल्ड का दृष्टिकोण बहुत बदल चुका था। उनके तथा अनुसार दल के दृष्टिकोण में अब कोई विशेष अन्तर नहीं रह गया था।

### राष्ट्रीय सरकार की स्थापना—सन १९३० और

३१ में इंग्लैण्ड में राजनीतिक चरचा का अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय भारतवर्ष रहा। उन्हीं दिनों वहां भारतीय प्रतिनिधियों और अंग्रेजी राजनीतिज्ञों की एक गोलमेज़ कान्फरेंस भी हुई। दूसरी कान्फरेंस, जो सन १९३१ के अन्त में हुई, में भारतीय कांग्रेस ने भी भाग लेना स्वीकार कर लिया और महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रतिनिधि रूप से लण्डन में गए।

परन्तु इंग्लैण्ड की आन्तरिक अवस्थाएं, विशेषतः आर्थिक दृष्टि से, कुछ ऐसी जटिल होगईं कि वहां की जनता का सम्पूर्ण ध्यान भारतवर्ष की गोलमेज़ परिषद् से हट कर अपनी आन्तरिक समस्याओं की ओर आकृष्ट हो गया। मज़दूर दल के प्रधान मन्त्री श्री रैस्जे मैकडानन्द ने अनुदार दल के नेताओं और कतिपय उदार दल के सदस्यों की सहायता से इंग्लैण्ड में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर की। इस राष्ट्रीय सरकार के कार्यक्रम की दो महत्वपूर्ण बातें थीं—गोल्ड स्टैण्डर्ड को हटाना और राष्ट्र के मन्त्रियों को अपने अपने विभागों में मितव्ययता करने के विस्तृत अधिकार देना। सन् १९३१ में इंग्लैण्ड में जो आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ, उसका एकमात्र इलाज गोल्ड स्टैण्डर्ड को हटाना था। तब इंग्लैण्ड के पास ५, ५०, ००, ००० पाउण्ड का सोना था और उसे २५, ००, ००, ००० पाउण्ड का सोना अन्य देशों को देना था।

बहुत शीघ्र इंग्लैण्ड में राष्ट्रीय सरकार के नाम से नया निर्वाचन हुआ और उसमें देश के प्रायः सभी महत्वपूर्ण पत्रों की

सहायता से राष्ट्रीय सरकार बहुत बड़े बहुमन ( ९२ प्रति शत ) से विजयी हुई । राष्ट्रीय सरकार को ५५६ सीटें मिलीं और विरोधी दल को केवल ५६ ।

इस प्रकार जो अत्यन्त मजबूत सरकार इंग्लैण्ड में स्थापित हुई, उसका प्रधान मन्त्री श्री रम्जे मैकडानलड को ही बनाया गया, जिन के अनुयाई बहुत ही कम थे । परिणाम यह हुआ कि मैकडानलड को कुछ समय के बाद त्यागपत्र दे देना पड़ा और श्री बालडविन प्रधान मन्त्री नियत हुए । राष्ट्रीय सरकार ने अनेक अत्यन्त महत्पूर्ण कार्य किए, इन में से एक कार्य ३० अरब रुपयों के युद्ध-ऋण के सूद को ५ प्रति शत से ३३ प्रति शत कर देना था । अंपेज जन्ता ने इस कार्य में अपनी सरकार को पूर्ण सहयोग दिया । राष्ट्रीय सरकार ने इंग्लैंड में खाय पदार्थों की उपज बढ़ाने का भी भरपूर प्रयत्न किया । विदेशी खाय पदार्थों पर तटकर लगा दिया गया ।

परिणाम यह हुआ कि इंग्लैण्ड का आर्थिक संकट बहुत शीघ्र टल गया । इंग्लैण्ड फिर से एक समृद्ध देश बन गया और वहां प्रभूत मात्रा में सोना पहुंचने लगा । सन् १९३५ तक इंग्लैण्ड संसार का सब से समृद्ध देश बन गया । परन्तु इंग्लैण्ड की इस समृद्धि के लिये वहां के नागरिकों को काफ़ी तकलीफें उठानी पड़ीं । सरकार ने कर बढ़ा दिया । सरकारी नौकरों के वेतनों में पर्याप्त कमी कर दी गई और विदेशी खाय पदार्थों पर तटकर लग जाने से इंग्लैण्ड में खाय पदार्थों की कीमत बढ़ गई । यह सब तकलीफें सह

कर इंग्लैण्ड ने आर्थिक जगत में फिर से अपनी धाक निस्सन्देह कायम कर ली ।

दूसरी राष्ट्रीय सरकार—सन १९३५ के नवम्बर मास में इंग्लैण्ड में नया निर्वाचन हुआ । इस निर्वाचन में इंग्लैण्ड की राष्ट्रीय सरकार ने ४२८ सीटें जीतीं । विरोधी दलों ( मज़दूर तथा उदार ) को कुल १८७ सीटें मिली । आजकल, कतिपय उप-निर्वाचनों के परिणामस्वरूप पार्लियामेंट में विरोधी दल की संख्या १६० के लगभग है ।

सन १९३५ तक संसार में अशान्ति के चिन्ह बढ़ रहे थे, इस से राष्ट्रीय सरकार ने अपना सम्पूर्ण ध्यान सैनिक तैयारी की ओर लगाया ।

सम्राट अष्टम एडवर्ड का राजत्याग—सन १९३६ के प्रारम्भ में सम्राट पंचम जार्ज का देहान्त होगया । उनके बड़े पुत्र अष्टम एडवर्ड के नाम से अंग्रेज़ी साम्राज्य के सम्राट् बने । वह शुरू ही से बहुत लोकप्रिय और स्वतन्त्र प्रकृति के पुरुष थे । अपने प्रथम भाषण में उन्होंने ' हम ' की जगह 'मैं' का व्यवहार किया । देश के मज़दूरों की भलाई आदि की ओर वह असाधारण ध्यान देते थे । अपनी जनता के लिए वह बहुत सहज में प्राप्त थे । इन बातों से वह और भी लोकप्रिय होगए । परन्तु श्रीमती वालिस सिम्पसन नाम की एक अमेरिकन महिला से विवाह करने की उनकी इच्छा को अंग्रेज़ी मन्त्रि-मण्डल ने स्वीकार नहीं किया । मन्त्रिमंडल कहना था कि यदि सम्राट् को अपनी पत्नी चुनने का अधिकार है तो हमें अपनी

सम्राज्ञी को निर्वाचित करने का अधिकार है। और क्योंकि सम्राट् अंग्रेज़ी उपनिवेशों के भी सम्राट् थे, अतः इस सबन्ध में उपनिवेशोंसे भी राय माँगी गई। उपनिवेशों के मन्त्रिमंडल अंग्रेज़ी मन्त्रिमण्डल से सहमत थे। श्रीमती सिम्पसन अपने दो पनियोंको तज्ञाक देचुकी थीं। उनके वे दोनों पति आज भी जीवित हैं। ऐसी महिला को अंग्रेज़ मन्त्रिमंडल अपनी सम्राज्ञी नहीं बनाना चाहता था, इससे दिसम्बर १६३६में सम्राट् अष्टम एडवर्ड ने स्वेच्छापूर्वक राजत्याग कर दिया। उनके छोटे भाई छठे जार्ज के नाम से इंग्लैंड की राजगद्दी पर बैठे और अष्टम एडवर्ड सम्राट् से ड्यूक आफ विण्डसर बन गए। जून १६३७ में उन्होंने श्रीमती वालिस से विवाह कर लिया। इस असाधारण घटना से सम्पूर्ण साम्राज्य का वानावरण काफ़ी समय तक विस्तृत और अस्तित्व बना रहा।

युद्ध रोकने के प्रयत्न और युद्ध की तयारी—उपर्युक्त संकट के बाद श्री बाल्डविन ने राजनीति से अवसर प्राप्त कर लिया और श्री नेवाइल चैम्बरलेन उनके स्थान पर इंग्लैंड के प्रधान मन्त्री नियत हुए। श्री चैम्बरलेन एक शान्तिप्रिय व्यक्ति हैं। अपनी शान्तिप्रियता के कारण उन्हें अनेक बार प्रतिकूल आलोचनाएं सुननी पड़ी हैं। यूरोप का ज्वालामुखी जिस प्रकार दिन दिन अधिक-अधिक उत्तप्त होता जा रहा था, उसे शान्त करने का श्री चैम्बरलेन ने काफ़ी प्रयत्न किया। यहां तक कि अपने मन्त्रिमण्डल में भी इसी उद्देश्य से उन्हें अनेक बार परिवर्तन करने पड़े।

सन १६३८ में परिस्थिति बहुत भीषण हो गई। जर्मनी

ने सूडेटनलैंड को लेलेने की जो घोषणा की थी, उसी बात से यूरोप में महायुद्ध प्रारम्भ होजाने का पूरा अवसर था। श्री चैम्बर-लेन ने जिस तरह जर्मनी में जाकर हिटलर को युद्ध न करने के लिए प्रेरित किया, उसका वर्णन यथास्थान किया जा चुका है। तब युद्ध टल तो गया, परन्तु सिर्फ़ एक वर्ष के लिए। संसार के विचारकों में इस सम्बन्ध में मतभेद है कि तब युद्ध का सिर्फ़ एक वर्ष के लिए टल जाना उचित हुआ या नहीं।

शान्ति स्थापना के उक्त प्रयत्नों के साथ ही साथ इंग्लैंड में युद्ध की तैयारी भी ज़ोरों पर थी। राष्ट्र का सम्पूर्णा ध्यान इसी ओर था और अरबों रुपया आगामी युद्ध की तैयारी पर व्यय किया जा रहा था। जानकर लोगों का कहना है कि सन १९३८ में युद्ध को एक साल के लिए टाल कर इंग्लैंड के अपनी सामरिक तैयारी पूरी करने का अवसर प्राप्त कर लिया।

वर्तमान युद्ध और इंग्लैंड के सम्बन्ध में “वर्तमान महायुद्ध” शीर्षिक अध्याय में लिखा जाएगा।

( ख )

## संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका

अमेरिका का प्रभाव—गन महायुद्ध के बाद से अमेरिका संसार का सबसे अधिक महत्वपूर्ण देश बन गया है। उस युद्ध में मित्रराष्ट्रों की विजय का प्रमुख कारण उन्हें अमेरिका की क्रियात्मक सहायता प्राप्त होना था। युद्ध के बाद संसार के पुनर्निर्माण में भी अमेरिका ने बहुत महत्वपूर्ण भाग लिया। युद्ध के दिनों में अमेरिका ने जिस प्रकार अपना अधिक संगठन किया था, युद्ध के बाद यूरोप के अधिकांश देशों ने उसी का अनुकरण किया। संसार भर के सभी देशों पर अमेरिकन व्यवसाय, अमेरिकन संगठन और अमेरिकन रीतिरिवाजों का गहरा प्रभाव पड़ा। मित्रराष्ट्रों ने एक बहुत बड़ा कर्ज अमेरिका को अदा करना था। महायुद्ध के बाद यूरोप के बहुत से देशों ने अपना आर्थिक पुनर्निर्माण करने के लिए अमेरिका से और



भी बड़ी-बड़ी राशियां उधार लीं। इस तरह अमेरिका का प्रभुत्व और भी बढ़ गया। अमेरिका से धन उधार ले-जे कर संसार के प्रमुख राष्ट्र अपना व्यवसाय उन्नत करने लगे और संसार में आवश्यकता से अधिक उत्पत्ति होने लगी। उसी का परिणाम विश्वव्यापी अर्थिक संकट के रूप में दिखाई दिया।

अमेरिका एक नया महादेश है। आनादी के अनुपात से उसके उपज के स्रोत बहुत अधिक हैं। वहां की बड़ी भूमि अत्यधिक उपजाऊ है, भारतवर्ष की तरह सब तरह का जलवायु वहां उपलब्ध होता है, वहां की खनिज सम्पत्ति बहुत ही बड़ी-चढ़ी है। पिछली दो शताब्दियों में संसार से सर्वथा पृथक् रह कर अमेरिका ने शिक्षा, व्यवसाय, विज्ञान, कृषि, स्वास्थ्य आदि की दृष्टि से अपने को बहुत ही उन्नत तथा समृद्ध बना लिया है। संसार की राजनीतिक हलचलों से अमेरिका अपने को पृथक् रखने का प्रयत्न करता है, यद्यपि विश्व की राजनीतिक परिस्थितियों से लाभ उठाने का अवसर अमेरिका कभी नहीं चूकता।

संसार का सब से धनी देश—अमेरिका की भूमि इतनी सम्पन्न है कि निम्नलिखित अत्यन्त महत्वपूर्ण पदार्थों की संसार की मांगका निम्नलिखित भाग अमेरिका उत्पन्न करता रहा है

कोइला	एक तिहाई
लोहा	आधा
रुई	आधा
मक्का	तीन चौथाई
पैट्रोलियम	दो तिहाई

इसके अतिरिक्त अमेरिकन लोग स्वभाव ही से बहुत अध्य-  
बसायी है और बहुमात्रोत्पत्ति जैसी प्रभावशाली संस्था के  
अत्यन्त विकास का श्रेय अमेरिका को ही है। वहां रेलवे लाइनें,  
पुल तथा पक्की सड़कों का जाल-सा बिछा हुआ है। अकेले अमे-  
रिका में ढाई करोड़ से ऊपर मोटर कारें हैं।

गत महायुद्ध में जब संसार के शक्तिशाली राष्ट्रों का  
व्यापार-व्यवसाय बन्द था, अमेरिका ने अपने अन्तर्राष्ट्रीय व्यव-  
साय को खूब उन्नत किया। परिणाम यह हुआ कि संसार का  
बहुत-सा धन खिंचकर अमेरिका के पास चला गया।

गत महायुद्ध और अमेरिका—वर्तमान अमेरिकन  
लोगों का ४१ प्रतिशत भाग अंग्रेजों के वंशज हैं और १६ प्रति-  
शत जर्मनों के। शेष ४३ प्रतिशत अन्य बीसियों राष्ट्रों के।  
गत महायुद्ध के अन्त में, जब जर्मनी ने अमेरिका का एक बड़ा  
जहाज डबो दिया, अमेरिका ने जर्मनी के विरुद्ध लड़ने का  
निश्चय कर लिया। १५ लाख अमेरिकन सिपाही यूरोप में पहुँचे  
और जर्मनी हार गया।

महायुद्ध में इस तरह भाग लेने से अमेरिका को आर्थिक  
दृष्टि से और भी अधिक लाभ पहुँचा। अमेरिकन सेना का सम्पूर्णा  
व्यय मित्रराष्ट्रों ने देना स्वीकार किया था। गत महायुद्ध से  
पूर्व अमेरिका ने संसार के विभिन्न राष्ट्रों से ३,००,००,००,०००  
डॉलर लेने थे, महायुद्ध के बाद यह संख्या बढ़कर ३०,००,००,  
००,००० डॉलर तक जा पहुँची।

विल्सन की पराजय—महायुद्ध के बाद यूरोपियन देशों के पुनर्निर्माण कार्य में सहायता देने तथा नेतृत्व करने के लिए अमेरिकन राष्ट्रपति विल्सन यूरोप में आए । वहां उन का भारी स्वागत हुआ । अपने देश के तत्कालीन वातावरण के समान राष्ट्रपति विल्सन में भी गहरी अन्तर्राष्ट्रीयता विद्यमान थी । उन्होंने अन्तर्जातीय राष्ट्रसंघ ( League of Nations ) के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भाग लिया । इधर यूरोप में तो यह सब हुआ परन्तु उधर अमेरिका में हवा का रुख एकदम बदल गया । अमेरिका में राष्ट्रपति का जो महत्वपूर्ण स्थान है, उस के कारण अमेरिकन लोगों को अपने राष्ट्रपति की अनुपस्थिति खटकने लगी । साथ ही वहां लोगों की यह धारणा भी बन गई कि हमें अन्तर्राष्ट्रीय झमेलों में अपना समय बरबाद नहीं करना चाहिए । हमें तो अपने देश की आर्थिक उन्नति की ओर ही अपना पूरा ध्यान और शक्ति लगानी चाहिए ।

राष्ट्रपति विल्सन डेमोक्रेटिक दल के नेता के रूप में ही राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे । डेमोक्रेटिक दल का दृष्टिकोण अन्तर्राष्ट्रीय तथा उदार था । सन् १९१३ से १९१८ तक अमेरिकन लोगों में डेमोक्रेटिक दल के सिद्धान्त लोकप्रिय रहे । उस के बाद दूसरा पलड़ा भारी होना शुरू हुआ । रपब्लिकन दल, जो मनरो सिद्धान्त के अनुसार इस पक्ष में था कि अमेरिकन लोगों को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में ज़रा भी भाग नहीं लेना चाहिए, के सिद्धान्त अधिक लोकप्रिय बनने लगे ।

राष्ट्रपति विल्सन जब तक अमेरिका में वापस पहुंचे, तब तक वहाँ के लोगों का दृष्टिकोण रिपब्लिकन दल के अनुकूल बन चुका था। अतः सब से पहले अमेरिका ने ही राष्ट्रसंघ का सदस्य बनने से इन्कार कर दिया। अमेरिकन सीनेट ने तो वरसाई की सन्धि, जो राष्ट्रपति विल्सन की अपनी अध्यक्षता में हुई थी, को ही अस्वीकार कर दिया। इन बातों से विल्सन को भारी निराशा हुई, उसे मानसिक आघात पहुंचा और वह बीमार पड़ गया। अपने राष्ट्रपतित्व के अन्तिम डेढ़ वर्ष विल्सन ने बीमारी में ही काटे।

मनरो सिद्धान्त—रिपब्लिकन दल की लोकप्रियता क्रमशः बढ़ने लगी। और उस के साथ अमेरिकन लोगों का ध्यान अपने एक पुराने सिद्धान्त की ओर गया। इस का नाम 'मनरो सिद्धान्त' है। अमेरिका के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री मनरो ने सन् १८२३ में अमेरिकन कांग्रेस को अपना यह सन्देश भेजा था— 'यूरोप के राष्ट्रों के उपनिवेशों अथवा अधीन देशों के सम्बन्ध में हम ने अब तक तटस्थता की नीति बरती है। भविष्य में भी हम उन के प्रति तटस्थ ही रहेंगे। परन्तु जिन राष्ट्रों ने अपनी स्वाधीन घोषित कर दी है और वे उस की रक्षा कर रहे हैं, तथा जिन की स्वार्थीनता का अधिकार हमें युक्तियुक्त और उचित प्रतीत होता है, उन्हें यदि यूरोप का कोई राष्ट्र दबाने अथवा फिर से अपने अधीन करने का प्रयत्न करेगा, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका उस राष्ट्र के उक्त कार्य को अपने प्रति अमित्रतापूर्ण समझेगा।'

राष्ट्रापति मनरो का यह उपर्युक्त सिद्धान्त अमेरिका के

इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा है। यद्यपि यह सिद्धान्त इतना लचकीला-सा है कि इसके, चाहे जो अर्थ निकाले जा सकते हैं। अमेरिका के इतिहास में अनेक बार अनेक प्रतिकूल उद्देश्यों से इस सिद्धान्त का प्रयोग किया गया है। रिपब्लिकन दल इस सिद्धान्त को विदेशी मामलों में तटस्थता का प्रतिपादन बताता है, इस से रिपब्लिकन दल की लोकप्रियता की वृद्धि के साथ-साथ मनरो सिद्धान्त की उक्त कैफ़ियत भी लोकप्रिय होने लगी।

वर्तमान महायुद्ध के दिनों में भी उपर्युक्त मनरो सिद्धान्त के आधार पर ही अमेरिका अपने को तटस्थ बनाए हुए है।

शराबबन्दी का परीक्षण—अमेरिका में सामाजिक, व्यक्तिगत तथा आर्थिक अपराधों की संख्या दिन-प्रति-दिन बढ़ रही थी। अमेरिका के विचारकों का ख्याल बना कि इस का एक मुख्य कारण शराब का अत्यधिक प्रचार है। कई वर्षों तक शराब के विरुद्ध आन्दोलन किया जाता रहा। अन्त में सन् १९१८ में, अमेरिका की कांग्रेस ने विधान में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक दो तिहाई बोटों के बहुमत से शराबबन्दी का कानून पास कर दिया।

इस बात की एक मनोवैज्ञानिक कैफ़ियत भी दी जाती है। कहा जाता है कि अमेरिका का वातावरण सही अर्थों में अन्त-जातीय है। वहाँ के लोग विश्व-भ्रातृत्व के आदर्श का उदाहरण हैं। परन्तु युद्ध में मित्रराष्ट्रों का साथ देकर अमेरिका ने अपनी प्राचीन अमेरिकन-भावना के विरुद्ध काम किया था। बहुत शीघ्र उस के

विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई और आत्मशुद्धि तथा पञ्चात्ताप के रूप में अमेरिका ने शराब का बहिष्कार कर दिया ।

साम्यवाद का विरोध—सन् १९२० में, विश्व के आर्थिक संकट के साथ-साथ रूसी साम्यवाद का प्रभाव संसार भर के सभी देशों पर पड़ने लगा । अमेरिका जैसे सम्पन्न देश पर साम्यवाद की लहर का प्रभाव पड़ने का एक अन्य ही कारण था । रिपब्लिकन भावना ने अमेरिकन लोगों का सम्पूर्ण ध्यान अपने देश की ओर आकृष्ट कर दिया । इस का एकमात्र अभिप्राय यही समझा जाने लगा कि अमेरिका का व्यापार और व्यवसाय, सम्पूर्ण सम्भव साधनों से उन्नत किया जाय । उधर विश्व भर में जो मंहगापन व्याप्त हो गया था, उस के कारण अमेरिकन मजदूरों ने अपने वेतन बढ़ाने की मांग की । अमेरिकन व्यवसायपतियों ने कहा कि मजदूरों की यह मांग देशभक्ति के विरुद्ध है, क्योंकि मजदूरों के वेतन बढ़ाने से अमेरिकन माल मंहगा हो जायगा और विदेशों में उस की मांग कम हो जायगी । इस परिस्थिति का प्रभाव यह हुआ कि अमेरिकन मजदूरों में साम्यवाद के सिद्धान्तों की लोकप्रियता बढ़ने लगी । तब अमेरिकन सरकार जहाँ रूस की बोल्शेविक सरकार की घोर विरोधी बन गई, वहाँ उसने अमेरिकन साम्यवादियों का दमन भी शुरू कर दिया । ६ हजार साम्यवादियों को जेल में डाल दिया गया और साम्यवादी संस्थाएं गैरकानूनी करार दे दी गईं ।

इसी संकुचित राष्ट्रीयता की भावना का एक परिणाम यह

भी हुआ कि अमेरिका में 'कू क्लक्स क्लौन' ( Ku Klux Klan ) जो "के० के० के०" नाम से प्रसिद्ध थी, संस्था का प्रभाव बढ़ने लगा। यह संस्था एक आतंकवादी गुप्त संस्था थी। अमेरिका के विरोधियों को डराना और उन की हत्या करना इस संस्था का उद्देश्य था। सन् १९२१ में इस गुप्त संस्था के सदस्यों की संख्या ५ लाख तक जा पहुँची। इस संस्था के सदस्य चेहरे पर नकाब डाल कर रात के समय टॉर्च के प्रकाश में अपनी कवायद किया करते थे। हवशी, यहूदी, कैथोलिक और विदेशियों की यह संस्था शत्रु थी। यह संस्था अपने शत्रुओं को जीवित जला देती थी। दस वर्ष के बाद हिटलर ने इसी संस्था का अनुकरण कर जर्मनी में नाज़ी संगठन की नींव डाली।

रंगीन जातियों पर प्रतिबन्ध—अमेरिका में मुख्यतः यूरोप की एंग्लोसैक्सन और नौर्डिक जातियों के गोरे लोग आबाद हुए थे। इनमें अंग्रेज़, स्कॉच, डच, आयरिश, जर्मन, स्कैंडिनेवियन, इटैलियन, वाल्टिक आदि सभी राष्ट्रों के लोग थे। रंगीन जातियों के लोग वहाँ नहीं गए, यद्यपि उन पर तब कोई प्रतिबन्ध नहीं था। महायुद्ध के बाद, जब 'अमेरिका अमेरिकनों के लिए' तथा 'अमेरिका की शुद्धता' आदि नारे बोले जाने लगे, तब सभी रंगीन जातियों को अमेरिका में आबाद होने से रोका जाने लगा। सन् १९२५ तक एशियाई लोगों को अमेरिका में बसने की अनुमति मिलना बन्द हो गया। उस के बाद यूरोप के लोगों पर भी इस सम्बन्ध में प्रतिबन्ध लगाए जाने लगे। प्रति

वर्ष यूरोप के किस देश से कितने लोग आकर अमेरिका में आबाद हो सकते हैं, इस की भी संख्या निश्चित कर दी गई। इस संख्या का पूर्णयोग १,६५००० था।

अबाध सम्पन्नता—सन् १६२२ से लेकर १६२६ तक के सात वर्षों में अमेरिका अपने वैभव की दृष्टि से उन्नति के शिखर पर रहा। कुछ महत्त्वपूर्ण व्यवसायों पर तो अमेरिका का एकाधिकार-सा हो गया। इन में प्रमुख मोटरकार, रेडियो और सिनेमा फिल्में थीं। सन् १६२० में अमेरिका में ७० लाख कारें थीं। सन् १६२६ में यह संख्या २ करोड़ ३० लाख तक जा पहुँची। सन् १६२० में वहाँ रेडियो कम्पनियों की पूर्ण विक्री ६० लाख डौलर थी। सन् १६२६ में यह संख्या ८४ करोड़ २० लाख ( अर्थात् पहले से १४० गुना ! ) तक जा पहुँची। इसी तरह सिनेमा फिल्म, कपड़ा, चमड़े का सामान, टैलीफोन, पोर्सलिन, सिगरेट आदि का व्यवसाय भी बहुत अधिक उन्नति कर गया। उधर वहाँ को कानों से सोना और चांदी भी खूब निकाले गये। अमेरिका ने यूरोप के देशों से बहुत-सा धन लेना था, इस से संसार भर का सोना खिंच कर अमेरिका आने लगा। सन् १६२५ तक अमेरिकन सरकार के पास ४,५०,००,००,००० डालरों के मूल्य का सोना जमा हो गया। अमेरिका के बैंकों के पास भी प्रभूत मात्रा में सोना पहुँच गया। उधर अमेरिकन उपज और अमेरिकन व्यवसाय अपनी चरम सीमा पर जा पहुँचे थे, इधर सोने चांदी की वहाँ कमी नहीं थी। इस से लोगों के ध्येय का माप बहुत बढ़ गया।



अमेरिकन लोग पहले की अपेक्षा कई गुना अधिक खर्च करने लगे। रेडियो, टैलीफोन, सिगरेट आदि को वहां जीवन की निरान्त आवश्यक वस्तुओं में गिना जाने लगा। जब अमेरिकन लोग इतने समृद्ध बन गए, तो उन्होंने अपना अरबों रुपया चीन, दक्षिण अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका में लगाना शुरू किया।

नई समस्याएं—इतने सम्पन्न देश के एक सन्मुख भी बहुत शीघ्र रुनिपय विषम समस्याएं आखड़ी हुई। इन में से चार प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं—

१. वैज्ञानिक साधनों से अमेरिका की कृषि बहुत उन्नत हो गई। उद्यर अमेरिका के व्यवसाय भी उन्नत हो रहे थे। परन्तु कृषि और व्यवसाय पर इस समृद्धता का प्रभाव बिचकूल विभिन्न प्रकार का पड़ा। अमेरिकन व्यवसाय और अमेरिकन व्यापार का एक एक दूसरे से काफ़ी अंतर तक सम्बन्ध था। वहां जब माल अधिक पैदा होने लगा तो उस की मांग भी साथ ही साथ बढ़ने लगी। लोगों (व्यापारियों और व्यवसायियों) के पास धन भी बढ़ने लगा और वे अधिक अधिक माल खरीदने लगे; इस से माल की कीमत नहीं गिरने पाई। और व्यापारियों तथा व्यवसायजिवियों को अधिकाधिक मुनाफ़ा होने लगा। परन्तु कृषि पर, किमानों की दृष्टि से, इस बहुमात्रोत्पत्ति का प्रभाव स्पष्टतः ईबुरा पड़ा। यह इस कारण कि गेहूँ, मक्का, आलू, फल, सब्जी आदि की मांग को तो एक सीमा है, जो बहुत आसानी से प्राप्त की जा सकती है। परन्तु जब उपज उस मांग से ऊपर बढ़ गई तो गेहूँ आदि की

कीमतें एक दम गिर गईं। पांच ही बरसों में कृषिजन्य पदार्थों की कीमत पहले से सिर्फ एक तिहाई रह गई। परिणाम यह हुआ कि किसानों पर आर्थिक संकट आगया। उनकी अवस्था डावांडोल होगई। उन्हें ने लाखों मन गोहूँ और लाखों मन मक्का आदि को आग लगा कर नष्ट भी कर दिया, परन्तु कृषिजन्य पदार्थों का मूल्य एक वार उतर कर फिर बढ़ने नहीं पाया।

२. विल्सन के बाद हार्डिंग राष्ट्रपति चुना गया। वह एक कमजोर व्यक्तित्व का पुरुष था। उस के शासन काल में अमेरिकन सरकार के अनेक उच्चतम अधिकारियों में ईमानदारी की कमी आ गई। हार्डिंग के मन्त्री, फाल पर रिश्वत लेने का अभियोग चला और वह अभियोग सिद्ध भी हो गया। सरकारो अफसरों में इस तरह के अत्यन्त गम्भीर अपराधों की एक लहर-सी चल पड़ी। अमेरिका के राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक जीवन पर इस लहर का अत्यन्त घातक प्रभाव पड़ा।

३. शराब निषेध कानून ने अमेरिकन सरकार के कार्य को बहुत अधिक पेचीदा बना दिया। अमेरिका में लाखों, करोड़ों व्यक्तियों को शराब पीने का व्यसन था। इन में से लाखों व्यक्ति शराब निषेध कानून जारी हो जाने के बाद भी, अनुचित उपायों से शराब प्राप्त कर, उसे पीते रहे। उक्त कानून की रक्षा के लिए अमेरिकन सरकार ने २ करोड़ डालर वार्षिक के व्यय से एक सेना रक्खी, परन्तु फिर भी वह अमेरिका में शराब की अवैध खपत को बन्द नहीं कर सकी। सरकार को यह स्वयं स्वीकार

करना पड़ा कि अब भी अमेरिका में करोड़ों रुपयों की शराब आ रही है, और उस में से केवल ५ प्रतिशत शराब ही सरकार ज़ब्त कर पाती है। अमेरिका के जेलखाने शराबियों से भर गए, परन्तु वहां शराब का अवैध प्रवेश बन्द न हो सका।

४. अमेरिकन परिस्थितियों का एक अत्यन्त घातक प्रभाव यह पड़ा कि अपराधों की दृष्टि से अमेरिका संसार का सब से भयंकर देश बन गया। इस के तीन कारण थे—एक तो यह कि अमेरिकन सरकार के अधिकारियों के हीन चरित्र ( ईमानदारी की दृष्टि से ) का लोगों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। दूसरा यह कि अमेरिका में जीवन का माप ( स्टैण्डर्ड आफ लिविंग ) बहुत मंहगा हो जाने पर लोगों के हृदय में धन की लिप्सा बहुत बढ़ गई। वहां सच्चे अर्थों में 'शक्तिशाली डालर' का राज्य हो गया और धन प्राप्ति के लिए, हीन चरित्र के नवयुवक सभी तरह के उपाय काम में लाने लगे। तीसरा यह कि बहुत से लोग उचित अनुचित किसी भी उपाय से शराब पीना चाहते थे। जब वे अवैध उपायों से शराब प्राप्त करने में सफल हो जाते थे, तो मनो-विज्ञान की दृष्टि से स्वभावतः उन में से अनेक के जी में यह इच्छा उत्पन्न होती थी कि क्यों न हम अवैध उपायों से ही धन जैसी महत्वपूर्णा वस्तु भी प्राप्त करें। इस तरह अपराध करने की मनोवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता था। सन् १९२७ तक अमेरिका में 'रैकेट' नाम से एक नया शब्द जारी हो गया, जिसका अभिप्राय चोरी, डाके या हत्या से धन

सम्बन्ध करना था। दिन-दिहाड़े और सब लोगों के देखते-देखते डाके डालना और हत्या करना एक मामूली बात बन गई। पिस्तौल दिखा कर 'हाथ ऊंचे करो' की आज्ञा देना वहां दैनिक जीवन के व्यवहार का अंग बन गया। यहां तक कि पुरुष, स्त्री और विशेषतः बच्चों की चोरी कर उन्हें बहुत-सा धन लेकर मुक्त करने वाले सैकड़ों गिरोह अमेरिका में बन गए।

दूसरी ओर अमेरिका की अदालतें दिनों दिन नरम पड़ती जाती थीं। साफ़ अपराध करके अपराधी अदालत से छुटकारा पाजाते थे। लिफ़्त हवशियों को ही सज़ाएं मिलती थीं।

इन परिस्थितियों का प्रभाव यह हुआ कि अमेरिका का सार्वजनिक जीवन बहुत ही विषम और भयपूर्ण बन गया।

सुधार के प्रयत्न—सन् १९२३ में हाडिंज के अचानक देहान्त के बाद कूलिज अमेरिका का राष्ट्रपति नियत हुआ। कूलिज अगले निर्वाचन में भी अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया। सन् १९२७ के निर्वाचन में कूलिज ने राष्ट्रपतित्व के लिए उमीदवार बनने से इन्कार कर दिया, तब उस का व्यापार सचिव हरबर्ट हूवर रिपब्लिकन दल की ओर से ही उमीदवार खड़ा होकर निर्वाचन में विजयी हुआ। राष्ट्रपति हूवर ने दावा किया कि अपने शासनकाल में वह अमेरिका की समृद्धि को और भी बढ़ाने का प्रयत्न करेगा। अमेरिका में बढ़ती हुई अपराधों की लहर को रोकने का भी उसने वायदा किया। अदालतों को हिदायतें की गई कि वे अधिक सतर्कता और कठोरता से काम लें।

सट्टे की लोकप्रियता—बहुत शीघ्र हूवर का प्रभाव अमेरिकन जनता पर स्थापित हो गया । लोगों को अमेरिकन व्यवसाय की उन्नति पर इतना भरोसा हो गया कि अमेरिकन कम्पनियों के हिस्सों की कीमत दिन-प्रति-दिन बढ़ने लगी । इसका एक परिणाम यह हुआ कि अमेरिकन लोगों को अपने देश की व्यावसायिक और व्यापारिक कम्पनियों के हिस्से खरीदने और मुनाफ़ेपर बेचने का चाव हो गया । अमेरिकन लोगों ने अपने अरबों डॉलर स्टाक और हिस्से खरीदने तथा उन के सट्टेबाज़ी में खर्च कर दिये ।

आर्थिक सङ्कट—व्यावसायिक कम्पनियों के हिस्सों की कीमत बढ़ते-बढ़ते क्रमशः एक दिन अपनी सीमा तक जा पहुँची । उनकी कीमत सौ से हजारों तक पहुँच गई । यह नकली चढ़ाव एक दिन फेल होना ही था । सितम्बर १९२६ में अमेरिकन लोगों को मलूम हुआ कि उन्होंने व्यावसायिक कम्पनियों के हिस्से बहुत ऊँचे दामों में खरीद कर रखी की है, क्योंकि उन कम्पनियों का मुनाफ़ा अधिक नहीं है । सर्वसाधारण जनता में भय का सञ्चार हो गया और लोग अरबों रुपयों के हिस्से बेचने को उत्सुक हो गए । अब उनका खरीददार कोई नहीं था, इससे उनके हिस्सों की कीमत बहुत तेज़ी से गिरने लगी । न्यूयार्क बैंक ने अमेरिकन जनता के इस भय को दूर करने के लिये २४ करोड़ डॉलर के मूल्य के हिस्से, कुछ कम दामों पर, स्वयं भी खरीद लिए । फिर भी जनता का भय दूर न हुआ । अक्टूबर मास में अमेरिका को

एक अत्यन्त भयङ्कर आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ा। अमेरिकन जनता को कुल मिला कर ४,००,००,००,००,००० डालर का नुकसान हुआ। अर्थात् मित्रराष्ट्रों से अमेरिका को जितना धन प्राप्त होना था, उसके ५ गुना धन से, इस आर्थिक सङ्कट में अमेरिका हाथ धो बैठा। सट्टेबाज़ी का इससे बड़ा उदाहरण संसार के इतिहास में दूसरा नहीं है। इस सङ्कट में अमेरिका के हज़ारों बैंक और हज़ारों व्यावसायिक कम्पनियां अपना दिवाला निकाल बैठीं। वहाँ बेकार लोगों की संख्या ६० लाख तक जा पहुँची।

सन् १९३१ तक अमेरिका की दशा नहीं सुधरी। अर्थ शास्त्रज्ञों के लिए अमेरिका के उन दिनों की आर्थिक दशा का अध्ययन एक एक बहुत ही गुथीला और साथ ही रोचक वस्तु है। अमेरिका का ४ नील रुपया सिर्फ़ एक महीने में, कहां उड़ गया! बात सिर्फ़ इतनी ही थी कि भावी समृद्धि की आशा पर अमेरिकन जनता ने अपना अरबों, बल्कि खरबों रुपया अत्यन्त बढ़े हुए दामों पर व्यावसायिक कम्पनियों के हिस्से खरीदने में व्यय कर दिया। यह सट्टेबाज़ी थी, जिसमें जूए का सिद्धान्त काम करता है। इस जूए में अमेरिकन जनता हार गई, क्योंकि भावी समृद्धि की उन की आशा पूरी नहीं उत्तरी।

## “ न्यू डील ” ( नयी बाजी )—

राष्ट्रपति रूसवैल्ट—सन् १९३२ के निर्वाचन में रिपब्लिकन दल ने पुनः हूवर को राष्ट्रपतित्व के लिए अपना उमीदवार खड़ा किया । डेमोक्रेटिक दल ने इस बार रूसवैल्ट को अपना उमीदवार बनाया । हूवर की ईमानदारी और प्रयत्नशीलता का सम्पूर्ण अमेरिका कायल था, परन्तु उस के शासनकाल में अमेरिका अपने आर्थिक संकट से छुटकारा नहीं पासका, यह बात भी स्पष्ट थी । उधर रूसवैल्ट ने न्यूयार्क का गवर्नर रहते हुए जिस तरह न्यूयार्क को शुद्ध करने तथा वहां अपराधों की संख्या घटाने का प्रयत्न किया था, उस से रूसवैल्ट की लोकप्रियता बहुत बढ़ गई थी । वैसे भी अमेरिकन जनता अब कोई नया कार्यक्रम चाहती थी और रूसवैल्ट ने एक नया कार्यक्रम जारी करने का वायदा दिया था । इस से रिपब्लिकन दल की आशा के विरुद्ध रूसवैल्ट को २, ५५, ००, ००० वोट मिले और हूवर को केवल १, ६०, ००, ००० । इस तरह रूसवैल्ट बहुत बड़े बहुमत से राष्ट्रपति बना ।

फिर से शराब—४ मार्च १९३३ को रूसवैल्ट ने राष्ट्रपतित्व की बागडोर अपने हाथ में ली । उसी सप्ताह अमेरिका के बहुत से बड़े-बड़े बैंक फेल हो गये थे । और बाकी बैंकों को बचाने के लिए सरकार ने एक सप्ताह की छुट्टी घोषित कर दी थी ।

४ मार्च बैंकों की छुट्टी का पहला दिन था। उस दिन हज़ारों-लाखों अमेरिकन घरों में खाना खरीदने तक को पैसा नहीं था। फेल हो गए बैंकों के साथ बहुत-से अमेरिकनों का सम्पूर्ण धन भी नष्ट हो गया था। राष्ट्रपति बनते ही रूसवैल्ट ने एक महत्वपूर्ण घोषणा द्वारा अमेरिकन जनता को बताया कि वह दो नए कानून बनाएगा। एक कानून द्वारा पैन्शनो में ५० करोड़ डालरों की कटौती की जायगी और दूसरे कानून द्वारा हलकी शराब पर से प्रतिबन्ध उठा लिया जायगा। शराब पर से प्रतिबन्ध उठाने का अभिप्राय यह था कि सरकार को अरबों रुपया आय बढ़ जायगी।

एक अद्भुत दृश्य—१२ मार्च १९३३ रविवार की रात को नए राष्ट्रपति ने रेडियो द्वारा अपनी जनता से अपील की—  
“ कल सोमवार है। कल बैंक खुल जायंगे। मैं अमेरिकन जनता से अमेरिकन राष्ट्रीयता के नाम पर अपील करता हूँ कि कल कोई भी अमेरिकन बैंकों से रुपया न निकाले। सभी लोग जहाँ तक बन पड़े, बैंकों में और रुपया जमा करवाएँ। ”

रूसवैल्ट ने एक भारी खतरा लिया था। परन्तु वह जीत गया। अगले दिन बैंकों के खुलने से पहले ही उन पर हज़ारों अमेरिकनों की भीड़ पंक्ति बना कर खड़ी थी। परन्तु उन में से कोई भी अमेरिकन, बैंकों से रुपया निकालने नहीं आया था, सब लोग, जहाँ तक बन पड़ा था, बैंकों में जमा करवाने के लिए अपना संचित धन लेकर वहाँ आए थे।



बस, इतना काफ़ी था। अमेरिका में से आर्थिक संकट का भय देखते-देखते नष्ट हो गया। लोगों का रूज़वैल्ट पर अगाध विश्वास कायम हो गया।

नया कार्यक्रम—सब से पहले रूज़वैल्ट ने बेकारी की समस्या अपने हाथ में ली। उसने ५० करोड़ डॉलर बेकारों में बांटने के लिए सुरक्षित करवा दिए। इन्हीं दिनों हजारों बेकारों ने अमेरिका की राजधानी की ओर प्रस्थान कर दिया। रूज़वैल्ट ने इन बेकारों को पोलिस की मार से भगा नहीं दिया, बल्कि स्वयं उन लोगों के बीच में जाकर उन से कहा कि आप लोग अमुक प्रदेश में जंगल पैदा करने का काम काजिए। जंगलों की कमी से अमेरिका को भारी नुकसान हुआ है। आप लोगों को वहां भोजन, मकान और ३½ रुपया दैनिक मिलेगा। बहुत शीघ्र ६२,५०,००० बेकार इस काम पर लग गए और अमेरिका की बेकारी की समस्या कुछ समय के लिए बहुत आसानी से हल हो गई।

कृषकों की दशा सुधारने के लिए रूज़वैल्ट ने कृषि की उत्पत्ति की एक भात्रा नियत कर दी। उस से अधिक उपज करना कानून से रोक दिया गया। यह इस लिए कि उपज के दाम बहुत न गिरने पावें। साथ ही उस ने २ अरब डॉलर इस बात के लिए सुरक्षित कर दिए कि उन के द्वारा किसानों को बहुत कम सूद पर रुपया उधार दिया जा सके।

सब से बड़ी समस्या अब व्यवसाय के पुनः संगठन की

थी। अमेरिका की व्यावसायिक कम्पनियों में अब परस्पर इतनी तीव्र प्रतिस्पर्धा हो गई थी कि किसी को भी लाभ न होता था। बहुत सोच-विचार के बाद रूज़वैल्ट ने विभिन्न व्यवसायों की बड़ी बड़ी कम्पनियों को परस्पर मिल जाने की प्रेरणा करने का निश्चय किया। इसी उद्देश्य से अमेरिकन सरकार ने 'राष्ट्रीय व्यावसायिक पुनः निर्माण कानून' ( National Industrial Recovery Act ) जो 'एन० आई० आर० ए०' ( N. I. R. A. ) नाम से प्रसिद्ध हुआ, पास किया। इस कानून के अनुसार मजदूरों के न्यूनतम वेतन तथा कार्य के अधिकतम घण्टे नियत कर दिए गए। इस कानून का उद्देश्य बहुमात्रोत्पात्ति को रोकना भी था। ताकि व्यावसायिक उत्पत्ति के पदार्थों की कोमलें गिरने न पाएं।

**टैनेसी घाटी—**उपर्युक्त नए कार्यक्रम के अतिरिक्त रूज़वैल्ट ने रूस से पंचवार्षिक कार्यक्रम के ढंग पर अमेरिका की विस्तृत टैनेसी घाटी का व्यावसायिक संगठन करने का निश्चय किया। इस विस्तृत प्रदेश को, जो अब तक बंजर और वीरान पड़ा हुआ था, चार-पांच वर्षों में एक बहुत ही समृद्ध तथा व्यावसायिक केन्द्र बना दिया गया। रूस से बाहर, संसार में इस ढंग का अध्यवसाय और कहीं नहीं हुआ।

**राष्ट्रीय पुनर्निमाण कानून—**( National Recovery Act ) अन्त में रूज़वैल्ट ने अमेरिका भर के सभी व्यवसायों पर पुनर्निमाण का कानून लगाने का निश्चय कर लिया।

मज़दूरों के वेतन, इस नए कानून के अनुसार और भी बढ़ा दिए गए और उनके काम करने के घण्टे घटा दिए गए। इस कानून का उद्देश्य बेकारी को दूर करना और बहुमात्रोत्पत्ति को रोकना था। रूज़वैल्ट के सम्पूर्ण प्रयत्नों के बावजूद भी अमेरिका की बेकारी की समस्या बहुत शीघ्र पुनः चिन्ताजनक रूप धारण करने लगी थी।

सन १९३६ तक अमेरिका की आर्थिक दशा पुनः बिगड़ने लगी। बेकारी बढ़ गई। पुनर्निर्माण के कानून सफलतापूर्वक नहीं चल सके, व्यवसायपतियों ने उनमें पूर्ण सहयोग नहीं दिया। फिर भी रूज़वैल्ट ने इन परिस्थितियों का मुकाबला बड़ी धीरता और बुद्धिमत्ता के साथ किया।

सन १९३६ तक अमेरिका के बहुत से व्यवसायपति रूज़वैल्ट के विरुद्ध हो गए थे। उनकी सम्मति में उसकी नीति से केवल किसानों, मज़दूरों और मध्यम स्थिति के लोगों का ही भला था। वह अमेरिका के व्यापार-व्यवसाय को उन्नत नहीं कर सका। इन्हीं दिनों अमेरिका में राष्ट्रपति का नया चुनाव हुआ। पूंजीपतियों के विरोध के बावजूद भी रूज़वैल्ट को ६० प्रतिशत वोट मिले और वह पुनः अमेरिका का राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ।

सन १९३८ तक भी रूज़वैल्ट अमेरिका के पूंजीपतियों का सहयोग प्राप्त नहीं कर सका। परन्तु १९३८ के उत्तरार्ध में संसार की अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के बहुत विकट होजाने के

कारण अमेरिकन आर्थिक संकट खुद-ब-खुद टल गया, क्योंकि अमेरिका को विदेशों से बड़े-बड़े आर्डर मिलने लगे।

तटस्थता का कानून—जब यह दिखाई देने लगा कि संसारव्यापी महायुद्ध पुनः शुरू को है, तो अमेरिकाने निश्चय किया कि वह किसी भी ऐसे देश को युद्ध की सामग्री नहीं देगा, जहां युद्ध जारी हो। इस कानून का उद्देश्य अमेरिका को आगामी महायुद्ध के एकदम पृथक् रखना था। अमेरिकन जनता अपनी सभ्यता को अन्तर्राष्ट्रीय सभ्यता कइती है। वह संसार के अन्य देशों के झगड़ों में पड़ कर अपनी अन्तर्राष्ट्रीय भावना को क्षति नहीं पहुँचाना चाहती।

तटस्थता ने कानून में परिवर्तन—परन्तु सितम्बर १९३६ में जब वर्तमान महायुद्ध प्रारम्भ हो गया, तो मित्रराष्ट्रों ने अमेरिका को बहुत-से बड़े-बड़े आर्डर दिए। तटस्थता के कानून के अनुसार अमेरिका इन आर्डरों को स्वीकार नहीं कर सकता था। तथापि यह प्रलोभन इतना बड़ा था कि अमेरिका के बहुत से पूंजीपति कैनाडा में अरबों रुपया व्यय कर युद्ध की सामग्री तैयार करने का इरादा बनाने लगे। इन परिस्थियों में अक्टूबर १:३६ के अन्त में अमेरिकन सरकार ने तटस्थता के कानून में यह परिवर्तन कर दिया कि चाहे जो राष्ट्र अमेरिका से युद्ध का सामान खरीद सकता है; परन्तु इस तरह का सामान केवल नकद दामों में, अमेरिका में ही बेचा जायगा। कोई अमेरिकन

जहाज़ उस सामान को अमेरिका से बाहर नहीं ले जायगा। युद्ध का सामान लेजाने का प्रबन्ध खरीददार राष्ट्र को अपने जहाज़ों द्वारा स्वयं ही करना होगा। इस कानून के अनुसार इंग्लैण्ड और फ्रान्स ने २,००,००,००,००० रुपयों के हवाई जहाज़ों तथा अन्य शस्त्रास्त्रों का आर्डर अमेरिका को दिया है। अमेरिकन पूंजीपति पिछली सब बातों को भूल कर आज मित्रराष्ट्रों के आर्डर पूरा करने में सन्नद्ध हैं।

परिणाम यह हुआ है कि अमेरिका का आर्थिक संकट आज स्वयमेव हल हो गया है। सम्भावना है कि वर्तमान महायुद्ध से सब से अधिक लाभ अमेरिका को ही पहुँचेगा।

जहां तक महायुद्ध का सम्बन्ध है, अमेरिकन जनता अभी तक पूर्णरूप से तटस्थ रहने के पक्ष में है।

(ग)

## फ्रांस

एक अंग्रेज़ लेखक ने ठीक कहा है—“जर्मनी से व्यक्तिगत स्वाधीनता छीन लीजिए, जर्मनी एक संगठित राष्ट्र बन जायगा । फ्रांससे व्यक्तिगत स्वाधीनता छीनिए तो वहाँ क्रान्ति होजायगी ।”

स्वाधीनता की भावना फ्रांस के कण-कण में व्याप्त है । फ्रांस को एक तरह से प्रजातन्त्र शासन का जन्मदाता कहा जा सकता है । राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से फ्रांस संसार के सर्व प्रथम देशों में है । इस पर भी वहाँ स्थायी मन्त्रिमण्डलोंका शासन नहीं रहता । वहाँ के ‘चैम्बर आफ़ डिपुटीज़’ के ६१८ सदस्य बीसों दलों में विभक्त हैं । पिछले ६७ वर्षों में वहाँ पूरे १०१ मन्त्रिमंडलों का शासन रहा है । एक मन्त्रिमंडल के कार्यकाल की औसत ८ महीने से अधिक नहीं । फ्रांसके १५ भूतपूर्व प्रधानमन्त्री आज भी जीवित हैं । फिर भी फ्रैंच लोगों का दावा है कि फ्रांस का-सा

सफल प्रजातन्त्र राष्ट्र संसार में दूसरा नहीं है। अपनी सरकारों की अस्थिरता और अपने देश में राजनीतिक दलबन्दी की कमी को फ्रेंच लोग अपने स्वाधीनताप्रेम का प्रमाण मानते हैं।

फ्रांस की भूमि काफ़ी उपजाऊ है। अपने देश के लिए आवश्यक पदार्थों का अधिकांश भाग फ्रांस स्वयं उत्पन्न कर लेता है। वहां की कच्ची उपज और पके व्यवसायों में पूरा समतुलन है।

फ्रांस की आबादी ४,२०,००,००० है। और यह एक आश्चर्य का विषय है कि वहां की आबादी क्रमशः घट रही है। सन् १६३४ तक वहाँ जन्म और मृत्यु की संख्या में लगभग समतुलन-सा रहता था। परन्तु १६३५ से वहां मृत्यु संख्या की अपेक्षा जन्म संख्या कम हो गई। जब कि सन् १६३४ में विभिन्न देशों में १००० निवासियों के पीछे जन्म और मृत्यु का अनुपात इस प्रकार रहा—

	जन्म	मृत्यु
जर्मनी	१५.१	१०.६
इटली	२३.२	१३.१
रूस	४४.१	२६.१

विजयी फ्रांस—गत महायुद्ध के बाद मध्य यूरोप के पुनर्विभाग का श्रेय अथवा दोष का अधिकांश भाग फ्रांस का है। इसमें सन्देह नहीं कि वर्साई की सन्धि-परिषद् में फ्रांस के नेता क्लेमेंटो ने विल्सन की शान्ति स्थापना की स्कीम को सफल

नहीं होने दिया। इसमें भी सन्देह नहीं कि जर्मनी पर जो भारी बोझ डाला गया था, उसका बहुत-सा उत्तरदायित्व फ्रांस पर ही है। अन्य त्रिराष्ट्र सम्भवतः जर्मनी को कुछ कम सजा देने को तैयार हो जाते। परन्तु फ्रांस के उस कार्य को अयुक्तियुक्त नहीं कहा जा सकता। यह इस कारण कि फ्रांस और जर्मनी की सभ्यता में अनेक आधारभूत भेद हैं, और फ्रांस को इस बात का खतरा है कि अवसर पाते ही जर्मनी फ्रांस की स्वाधीनतापूर्ण सभ्यता को कुचलने का प्रयत्न करेगा। फ्रांस निस्सन्देह संसार का सब से अधिक सभ्य देश है। नम्रता और विनय फ्राँच लोगों का जातीय गुण है। पिछले एक हजार बरसों से फ्रांस को यूरोप का सभ्यतम देश गिना जाता है। फ्रांस के रहन-सहन और फ्रांस के रीतिरिवाजों का अनुकरण यूरोप के सभी राष्ट्र सत्रहवीं सदी से कर रहे हैं। फ्रांस के इन्हीं गुणों के कारण फ्राँच भाषा सम्पूर्ण यूरोप की अन्तर्राष्ट्रीय भाषा बन गई। फ्रांस ने ही सब से पूर्व संसार को स्वतन्त्रता, समानता और भ्रातृभाव की व्यावहारिक दीक्षा दी। फ्रांस की आन्तरिक शान्ति और व्यवस्था संसार के अन्य राष्ट्रों के लिए आदर्श स्वरूप है। आधा फ्रांस गांवों में रहता है, आधा नगरों में; आधे फरासीसी खेती-बाड़ी का काम करते हैं और आधे व्यवसाय-व्यापार का। सभ्यता, व्यक्तिगत स्वाधीनता, विचार स्वतन्त्रता, कृषि, व्यवसाय, आदि का जितना अच्छा समतुलन फ्रांस में है, उतना संसार के अन्य किसी देश में दुर्लभ है। यही फ्रांस जब पिछले महायुद्ध में विजयी हो गया तो



भविष्य के लिए अपने को निष्कंटक बनाने की दृष्टि से उस का सभी तरह के उपाय व्यवहार में लाना स्वाभाविक ही था ।

आक्रमण का भय—फ्रान्स की सम्पूर्णा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का उद्देश्य, बाह्य आक्रमणों से, विशेषतः जर्मनी के आक्रमणों से अपनी रक्षा करने का रहता है । फ्रान्स में अभी ऐसे लोग काफी संख्या में मौजूद हैं, जिन्होंने अपने देश पर जर्मनी के दो आक्रमण देखे हैं, और तीसरा महायुद्ध आजकल जारी है । पहले आक्रमण में फ्रान्स हार गया और दूसरे में जर्मनी ।

पिछले महायुद्ध के ८, १० बरसों के बाद जब जर्मनी के प्रति मित्रराष्ट्रों का रुख काफी उदार हो गया, फ्रान्स की रक्षा तथा विश्व भर में शान्ति स्थापित रखने की दृष्टि से फ्रांसीसी प्रधान मन्त्री ब्रियान्द ने राष्ट्र संघ के सन्मुख इस आशय का एक प्रस्ताव पेश किया कि संसार के राष्ट्रों में से बाह्य आक्रमणों का भय हटाने के लिए राष्ट्रसंघ को अपनी एक स्थायी सेना रखनी चाहिए, जो विश्व रक्षा की पोलिस का काम करे । राष्ट्रसंघ के सभी सदस्य उक्त सेना का खर्च पूरा करें । परन्तु राष्ट्रसंघ इस तरह की किसी स्कीम को स्वीकार नहीं कर सका । यह स्पष्ट है कि पिछले महायुद्ध के बाद बहुत समय तक, बल्कि सन् १९३४ तक, संसार के अन्य राष्ट्र, फ्रांस की बाह्य आक्रमणों से अपनी रक्षा करने की प्रबल इच्छा को बहुत सहानुभूति के साथ नहीं देख सके ।

**ब्लौक नैशनल**—जैसा कि पहले कहा जा चुका है, फ्रांस के चैम्बर आफ डिपुटीज़ में बीसों छोटे-बड़े दल हैं। उसका चुनाव प्रति चार वर्षों के बाद होता है। जब एक वार चुनाव हो जाता है, तो चार वर्षों के लिए फ्रांस की सरकार उसी चैम्बर में चुनी जाती है, प्रधान मन्त्री वहां चैम्बर का नया निर्वाचन नहीं करवा सकता। इससे प्रायः सदैव अनेक दलों के सम्मिश्रण से फ्रांस की सरकार कायम होती है और छोटी-छोटी, यहां तक कि व्यक्तिगत बातों से भी फ्रांस की सरकार डावांडोल हो जाती है।

पिछले महायुद्ध के बाद, सन् १९१९ के अन्त में, अनेक दलों के सम्मिश्रण से फ्रांस में 'ब्लौक नैशनल' नाम की सरकार कायम हुई। इस दल में मुख्यतः अनुदार दल, कथोलिक और फ्रांस के पूंजीपति शामिल थे। इस सरकार का ध्येय जर्मनी को अधिकतम जुर्माना अदा करने के लिए लाचार करना था। संसार भर में क्लीमैंशोके सम्बन्धमें यह धारणा फैल गई थी कि जर्मनी के प्रति उसका रुख बहुत ही प्रतिहिंसापूर्ण है, परन्तु ब्लौक नैशनल सरकार का कथन था कि क्लीमैंशो ने जर्मनी को बहुत सस्ते में छोड़ दिया। क्लीमैंशो को इसी बात पर त्यागपत्र दे देना पड़ा। गत महायुद्ध के बाद कुछ बरसों तक मिलरलैंड, पोइन्केर के आदि के नेतृत्व में यही ब्लौक नैशनल फ्रांस की आन्तरिक राजनीति में बहुत प्रभावशाली दल बना रहा।

**कर्टेल डे गौशे**—फ्रांस की वर्तमान राजनीति में दूसरा

प्रमुख दल कर्टेल डे गौशे (वाम-लैफ्ट-पक्ष का सङ्गठन) रहा है। वास्तव में यह दल न तो वामपक्षी था और न साम्यवादी ही। वास्तवमें यह उदार और शान्तिप्रिय लोगोंका सङ्गठन था। इस दल का प्रथम नेता हैरिफ्ट है। दूसरा नेता त्रिआंद था। ये दोनों व्यक्ति फ्रांस में बहुत लोकप्रिय रहे। अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के सम्बन्ध में इस दल की नीति थी, परस्परिक्रम समझौते और विचार-विनिमय से शान्ति स्थापना करना। इंग्लैण्ड की मजदूर सरकार के साथ ही साथ फ्रांस में कर्टेल की सरकार ने रूसी बोल्शेविक सरकार के साथ अपने व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित कर लिए। उस से बाद फ्रांसोसी प्रधानमन्त्री त्रिआंद और अंग्रेज प्रधानमन्त्री रैम्जे मैकडानल्ड ने एक साथ मिल कर राष्ट्रसंघ को शक्तिशाली बनाने के उपायों पर विचार किया। परन्तु व्यवहार में कुछ भी नहीं हो सका। इंग्लैण्ड की अनुदार दल की सरकार ने ही इन उपायों को स्वीकार नहीं किया।

घरेलू मामलों में इस दल की नीति बहुत सरल रही। दल ने प्रयत्न किया कि फ्रेंच लोगों पर और टैक्स न लगाए जाय। फ्रांसोसी लोगों के सम्बन्ध में कहा जाता है कि वे अपने देश के लिए अपना जीवन तो आसानी से दे सकते हैं, परन्तु वे देश के लिए टैक्स नहीं दे सकते। इसी कारण फ्रान्स में टैक्सों का बोझ सदैव बहुत कम रहा है। सन् १९१७ तक वहां आयकर भी नहीं था। उस के बाद भी, बहुत समय तक आयकर पूर्णरूप से बसूल नहीं किया जा सका।

उधर फ्रान्स ने युद्ध का हरजाना प्राप्त करने के लिए जर्मनी के जिन प्रान्तों पर अपना अधिकार स्थापित किया था, उन का व्यावसायिक संगठन करने के लिए फ्रान्स को बहुत अधिक धन व्यय करना पड़ा था। जर्मनी भी हरजाने की पूरी मात्रा अदा नहीं कर रहा था, इस से कर्टेल की सरकार को भी, लाचार होकर फरासीसी लोगों पर नए कर लगाने ही पड़े। इस का परिणाम यह हुआ कि कर्टेल की सरकार हार गई।

**यूनियन नैशनल**—इस परिस्थिति से ब्लौक नैशनल के नेता पोइंकेर ने लाभ उठाया। उसने कर्टेल के सिद्धान्त भी स्वीकार कर लिए और उस के सङ्गो से सन १९२६ में 'यूनियन नैशनल' नाम से एक नए दल की स्थापना की। पोइंकेर इस सरकार का प्रधानमन्त्री बना और कर्टेल का नेता त्रिआंद वैदेशिक मन्त्री। सन् १९३२ तक इसी दल की सरकार फ्रान्स में कायम रही। फ्रान्स की आर्थिक दशा को सुगारने के लिए पोइंकेर ने आयकर को सुव्यवस्थित किया और अमीरों पर यह कर बढ़ा दिया। सरकारी कर्मचारियों के वेतन घटाए और तम्बाकू पर से सरकारी एकाधिकार हटा दिया। सन् १९२८ में उस ने फ्रान्स में भी गोल्डस्टैंडर्ड जारी कर दिया।

इसी एक बात से फ्रान्स को असीम आर्थिक लाभ पहुँचा। फ्रैन्क (फरासीसी सिक्का) की कीमत अब युद्ध से पहले की अपेक्षा केवल  $\frac{1}{2}$  रक्खी गई थी और फ्रान्स का सम्पूर्ण राष्ट्रीय ऋण, जो फ्रान्स में जमा किया गया था, फ्रैन्कों में था। इस से वह

राष्ट्रीय ऋण स्वयमेव केवल १/४ ही बाकी रह गया। फ्रांस के पूंजी-पतियों को इस बात से नुकसान अवश्य हुआ, परन्तु बहुत शीघ्र फ्रान्स की आर्थिक दशा इतनी सुधर गई कि वहाँ के पूंजी-पतियों को भी अपने उपर्युक्त नुकसान का अफ़सोस नहीं रहा।

क्रमशः सन् १६२६ तक फ्रांस एक अत्यन्त समृद्ध देश बन गया। उस ने यूरोप भर के सब देशों से बड़ी सेना का संगठन कर लिया। उस के पास संसार के सब देशों से अधिक सोना जमा हो गया। फ्रान्स के व्यवसाय समृद्ध हो गए। राइनलैंड और रूहर से भी अब उसे अच्छी आय होने लगी।

संकट का प्रारम्भ—सन् १६२६ में पोइंकेर ने राजनीतिसे विभ्राम लेलिया और थोड़े ही दिनों के बाद ब्रिआंद का भी देहान्त हो गया। फिर भी सन् १६३२ तक 'यूनियन नैशनेल' की सरकार कायम रही। सन् १६३०, ३१ में संसार भर पर जो आर्थिक संकट आया, उसका प्रभाव फ्रान्स पर पड़ना स्वाभाविक था। सरकार ने अपनी आय बढ़ाने के लिए कर बढ़ाए और लोगों में असन्तोष फैलने लगा। अमेरिका और इंग्लैंड जैसे धनी फ्रान्स में नहीं हैं। उधर विदेशों के आर्थिक संकट से फ्रान्स के व्यवसाय पर विषम प्रभाव पड़ रहा था। केन्द्रीय यूरोप की राजनीतिक दशा सन्देहास्पद बनती जा रही थी, इस से फ्रान्स में सैनिक संगठन और शस्त्रीकरण आवश्यक हो गया। कर बढ़ाने पड़े और १६३२ के चुनाव में यूनियन की सरकार हार गई।

सन् १६३३ के प्रारम्भ से लेकर १६३५ तक फ्रान्स में संकट

काल रहा । उस समय देश को एक उग्र और स्थिर नीति की आवश्यकता थी । परन्तु चैम्बर आफ डिपुटीज़ में इतने दल थे कि आधे दर्जन दलों के संगठन के बिना वहां सरकार कायम न हो सकती थी । परिणाम यह हुआ कि वहां सरकार का बदलना रोज़मर्रा का काम हो गया । इन परिस्थियों से शासन और भी कमज़ोर होगया, अनेक उच्च सरकारी कर्मचारी ईमानदार नहीं रहे । सन् १६३४ में इस तरह के अनेक अत्यन्त सनसनीपूर्ण मामलों का पता चला । इन्हीं परिस्थितियों के परिणामस्वरूप पेरिस में ६ फरवरी १६३४ को एक खतरनाक दंगा भी हो गया । जिस में १३०० लोग ज़रुमी हुए ।

मोशिए ब्लम और शातां—बरसों की अव्यवस्था के बाद सन् १६३६ में नया निर्वाचन हुआ और फ्रान्स के इतिहास में पहली बार साम्यवादी दल के सदस्यों को चैम्बर आफ डिपुटीज़ में सर्वोच्च संख्या मिली । तब ब्लम ने, जो स्वयं जनता का नेता गिना जाता रहा है, कतिपय अन्य दलों की सहायता से अपनी सरकार कायम की । ब्लम की सरकार ने काफ़ी दृढ़ता के साथ फ्रान्स का शासन किया । फ्रान्स को एक मज़बूत और शक्तिशाली सरकार की आवश्यकता थी । वह उसे मिल गई । ब्लम बहुत स्पष्टवादी और तेज़ था, इस से उस की जगह साम्यवादी नेता शातां प्रधानमन्त्री बना। शातां को फ्रान्स की व्यावसायिक स्थिरता कायम करने में काफ़ी सफलता मिली, परन्तु सन् १६३८ के प्रारम्भ में फ्रान्स में अनेक प्रभावशाली पूंजीपतियों के विरुद्ध कुछ ऐसे

प्रमाण मिले, जिन से सिद्ध हुआ कि उनके गैरकानूनी कार्यों और षडयन्त्रों को फ्रान्स की सरकार, उन के व्यक्तित्व के भय से सहन करती रही है ! इस से शातां को भी त्यागपत्र दे देना पड़ा । और कुछ समय तक वहां पुनः स्थायी सरकार स्थापित नहीं हो सकी ।

मोशिए दलेदियर—फ्रान्स के वर्तमान प्रधानमन्त्री दलेदियर ८ एप्रिल १९३८ को तीसरीवार फ्रान्स के प्रधानमन्त्री नियत हुए । सन् १९३३ में जब दलेदियर पहली बार फ्रान्स का प्रधानमन्त्री बना था, लोगों को विश्वास हो गया था कि उस का भविष्य बहुत उज्वल है । खासतौर से अंग्रेजों ने उसे बहुत पसन्द किया था । परन्तु बाद की घटनाओं से लोगों की यह धारणा बदल गई थी ।

इस बार दलेदियर के प्रधानमन्त्री बनते ही इंग्लैण्ड और फ्रान्स के पारस्परिक सम्बन्ध अत्यन्त मित्रतापूर्ण हो गए हैं । सितम्बर १९३८ में फ्रान्स जैकोस्लोवाकिया का साथ देना चाहता था, परन्तु अंग्रेज प्रधानमन्त्री मि० चैम्बरलेन की सलाह को फ्रान्स ने बड़ी खुशी से स्वीकार कर लिया । वर्तमान महायुद्ध में जिस प्रकार इंग्लैण्ड और फ्रान्स पूर्ण सहयोग से कार्य कर रहे हैं, उस का वर्णन आगे चल कर किया जायगा ।

छठा अध्याय  
हमारे पूरब के पड़ोसी  
(क)  
चीन

चीन की अर्थिक पराधीनता—बर्ट्रैंड रसल के कथना-  
नुसार 'चीन की दो हजार वर्ष पुरानी सभ्यता मानवीय आल्हाद  
को उत्पन्न करने की दृष्टि से यूरोप की सभ्यता से बढ़ कर है।'  
परन्तु इस प्राचीन सभ्य देश की वर्तमान अवस्था का अन्दाज़ा  
मौन्चैस्टर गार्डियन के निम्नलिखित उद्धारण से लगाया जासकता  
है—“कोई निष्पक्ष व्यक्ति इस बात से इन्कार नहीं कर सकता  
कि शंघाई में रहने वाले विदेशियों का यह निरन्तर प्रयत्न रहा  
है कि वे चीन के अधिकारों को हड़प करते चले जायं। जिस  
समय शंघाई में विदेशियों को रहने का अधिकार मिला था,



किसी को इस बात का ख्याल भी नहीं था कि यह नई विदेशी आबादी एक दिन पूर्णतः स्वतन्त्र होकर सम्पूर्ण चीन पर अपना आर्थिक प्रभुत्व कायम कर लेगी। यदि हम चीन के सन १८४२ से लेकर १९१४ तक के इतिहास का अध्ययन करें, तो हमें ज्ञात हो जायगा कि इस युग में चीन की स्वाधीनता का क्रमशः हास होता चला गया है। चीन के तट कर पर भी विदेशियों का नियन्त्रण हो गया था और वे उसका उपयोग अपने लाभ के लिए करते थे। इस तट कर से जो आय होती थी, वह विदेशों से उधार लिए गए धन का ऋण अदा करने के रूप में पुनः विदेशियों के पास चली जाती थी। चीन का अधिकांश सामुद्रिक यातायात विदेशी जहाजों में होता था। चीन के रेलवे विदेशियों के हाथ में थे। वहाँ के सम्पूर्ण आय-व्यय पर विदेशी राजदूतों का नियन्त्रण रहता था। और इस सब से बढ़ कर बात यह कि इसपर विदेशी लोग चीनियों को घृणाकी दृष्टि से देखते थे।

चीन इन परिस्थितियों को दूर करने में असमर्थ था। बर्साई की सन्धि के दिनों में चीन के प्रतिनिधि इस आशा से वहाँ पहुँचे कि शायद राष्ट्रपति विल्सन चीन की खोई हुई आर्थिक स्वाधीनता पुनः स्थापित करवा सकें। परन्तु यह उनका भ्रम था। बर्साई की सन्धि से जहाँ जापान को भी शंटुंग और प्रशान्त महासागर का एक जर्मन द्वीप प्राप्त हो गया, वहाँ चीन को अपनी आर्थिक स्वाधीनता भी प्राप्त नहीं हुई। चीन के प्रति-निधियों ने बर्साई की सन्धि पर इस्ताफ़र नहीं किए, परन्तु

उनकी किसी ने परवाह नहीं की।

डा० सनयात सेन के तीन सिद्धान्त—चीन की वर्तमान परिस्थितियों को समझने के लिए गत महायुद्ध से पहले के चीन तथा उसकी राज्यक्रान्ति पर प्रकाश डालना आवश्यक है। सन १६४४ से १६११ तक चीन पर मंचू राजवंश का शासन रहा। ये मंचू राजा विदेशी प्रभुत्व के प्रभाव से चीन की रक्षा नहीं कर सके थे, अतः सन १६११ में नवीन चीन ने राज्यक्रान्ति कर दी और वहाँ प्रजातन्त्र की स्थापना हो गई। इस राज्यक्रान्ति का नेता डा० सनयातसेन था, जिसे 'वर्तमान चीन का पिता, कहा जाता है। चीन को एक स्वतन्त्र राष्ट्र बनाने के लिए डा० सनयातसेन ने जितना महान अध्यवसाय किया, उनका अध्यवसाय संसार के अर्वाचीन इतिहास में बहुत कम लोगों ने किया होगा।

चीन का क्षेत्रफल लगभग सम्पूर्णा यूरोप के बराबर है। उसकी आबादी यूरोप की पूर्णा आबादी से भी अधिक है। सन १६११ की राज्यक्रान्ति के बाद अन्तिम मंचू राजा का एक अफसर सम्पूर्णा चीन का शासक बन बैठा। सन १६१६ में उसका देहान्त हो गया। उसने चीन के प्रान्तों में जिन लोगों को सैनिक गवर्नर नियत किया था, वे अब स्वतन्त्र शासक बन गए। पेकिंग नाममात्र को उत्तर-चीन की राजधानी रह गया। वहाँ की सरकार एकदम शक्तिहीन थी। चीन का अधिकांश भाग अब सैनिक शासकों ( War lords ) के पास था। दक्षिण चीन के कैंटन नगर में एक और सरकार थी, जिस का संचालन डा० सेन के

राष्ट्रीय दल के हाथ में था। उत्तर और दक्षिण की इन दोनों सरकारों में परस्पर बहुत कम सहयोग था और सैनिक-शासक तो किसी की बात तक सुनने को तैयार नहीं थे।

डा० सनयातसेन के राष्ट्रीय दल का नाम 'कोमिन्तांग' था। वर्साई की सन्धि के अन्तर पर जब चीन के प्रतिनिधियों की किसी ने नहीं सुनी, तो चीन में कोमिन्तांग की लोकप्रियता बढ़ने लगी। इन्हीं दिनों जापान की सरकार ने उत्तर चीन की सरकार से ज़बरदस्ती अपनी २१ मांगों स्वीकार करवाई, जिनके प्रभाव से चीन आर्थिक दृष्टि से जापान का एक उपनिवेशसा बन जाता था। कोमिन्तांग इन २१ मांगों को स्वीकार करने को कदापि तैयार नहीं था, इससे डा० सन के इस दल की लोकप्रियता और भी बढ़ गई। मार्च १९२१ में डा० सन ने घोषणा की कि उसके निम्नलिखित तीन सिद्धान्त हैं :—

१. राष्ट्रीयता—चीन में से विदेशियों का प्रभाव नष्ट कर दिया जाय। उन्हें चीन के व्यापार, व्यवसाय, यातायात और समुद्र पर जो अधिकार प्राप्त हैं, वे छीन लिए जाय। चीन पर चिनियों का ही शासन रहे। इस शासन में चीन के चारों अल्पमतों के हितों का भी पूरा ध्यान रक्खा जायगा। ये चारों अल्पमत हैं—मंचू, मंगोलियन, तातार और तिब्बती।

२. प्रजातन्त्र—चीनी जनता अपनी प्रतिनिधि सभा का स्वयं निर्वाचन करे। जब किसी सदस्य पर से उस के मतदानाओं

का विश्वास उठ जाय तो उसे त्यागपत्र दे देना पड़े । महत्वपूर्ण बातों का निश्चय सम्पूर्ण देश से वोट लेकर किया जाय । शासन और व्यवस्था की शक्तियां प्रतिनिधि सभा के निर्वाचित मन्त्रिमण्डल में केन्द्रित रहें ।

२. सामाजिक न्याय या जीवन का अधिकार—चीनकी सम्पत्ति का विभाजन इस ढंग पर किया जाय कि उस के द्वारा सम्पूर्ण चीनी आराम का जीवन व्यतीत कर सकें । उन की आवश्यकताएं पूरी हो सकें ।

पारिवारिक संस्था—उपर्युक्त तीनों सिद्धान्तों को पूरा कर सकना लगभग असम्भव प्रतीत होता था । इस का मुख्य कारण यह है कि चीन में राष्ट्रीयता की भावना का नितान्त अभाव था । चीनी जीवन की सब से महत्वपूर्ण संस्था वहां का परिवार है । सुप्रसिद्ध चीनी महिला चैनज़ेन के शब्दों में—

“चीनी परिवार एक बहुत छोटे राज्य के समान है । पिता या माता इस राज्य के अधीश्वर होते हैं । पुत्रों, पुत्रियों और बहुओं की नौकरशाही इस राज्य के नौकरशाही अफसर हैं, जो छोटी बहुओं, पोतों, पोतियों तथा आश्रित रिश्तेदारों, जिन की संख्या प्रायः कम नहीं होती, पर कठोर शासन करते हैं । इस राष्ट्र में भी निरन्तर षड़यन्त्र, राजनीति, विद्रोह आदि होता रहता है और जो स्त्री घरेलू राजनीति में प्रवीण नहीं, वह परिवार में अपनी कोई स्थिति नहीं बना सकती । वास्तव में चीनी परिवार

एक मशीन है, एक संस्था है और परिवार के व्यक्ति उस मशीन के कील, पेच, एंजिन, पटरी आदि के समान हैं। उन की सत्ता उन के व्यक्तित्व के लिए नहीं, परिवार के लिए है।”

चीनी परिवार की महत्ता का एक कारण यह भी है कि चीनमें धार्मिक कार्यों का अनुष्ठान परिवार द्वारा ही हो सकता है। चीन में विवाह का आधार प्रेम नहीं, अपितु कर्तव्य की भावना है और इस कर्तव्य भावना का लक्ष्य परिवार ही है।

परिवार की उक्त महत्ता के रहते हुए चीन में राष्ट्रीयता की भावना का विकास सुगम नहीं था। उस पर विदेशी साम्राज्यवादी चीन में राष्ट्रीयता की भावना को पनपने नहीं देना चाहते थे।

अन्य दिक्कतें—किसी राष्ट्र में प्रजातन्त्र की स्थापना तभी सफल होसकती है, जब वहां पढ़े-लिखे लोगों की संख्या अधिक हो। और १९१६ तक चीन में पढ़े-लिखे लोगों की संख्या केवल १२ प्रति शत ही थी। इस अशिक्षा का एक कारण यह भी था कि चानी लिपि बहुत ही कठिन है। इस की वर्णमाला में ४००० अक्षर हैं, जिन्हें याद रखना आसान काम नहीं। प्रजातन्त्र का दूसरा सिद्धान्त यह है कि स्त्री और पुरुष की स्थिति समान हो। परन्तु चीन में स्त्री को पुरुष से बहुत हीन माना जाता था। वहां बाल विवाह की प्रथा थी और विवाह के सम्बन्ध में स्त्रियों से कुछ भी न पूछा जाता था। पति को चीन में यह अधिकार प्राप्त था कि वह चाहे तो अपनी पत्नी को बेच भी सकता है।

डा० सन का तीसरा सिद्धान्त पूरा करने के लिये चीन को सम्पन्न बनाने की आवश्यकता थी। चीन को आर्थिक दशा बहुत बुरी थी। वहाँ की ८० प्रति शत जनता कृषि पर अवलम्बित थी और किसानों के पास बहुत थोड़ी ज़मीन थी। उन के साधन भी पुराने ढंग के थे। परिय्याम यह होता था कि खुशहाली के बरसों में तो चीनी किसानों को रूखा-सूखा भोजन मिल भी जाता था परन्तु जब किसी भी कारण से फसल ठीक नहीं हो पाती थी, तो वहाँ भयंकर दुर्भिक्ष फैल जाते थे। इन दुर्भिक्षों में हज़ारों-लाखों चीनी मक्खियों की तरह मर जाते थे। इस पर भी चीनी जनता इन दुर्भिक्षों का पूरा उत्तरदायित्व वर्षा के अभाव या टिड्डियों के आक्रमण आदि पर ही डालती थी। “यह किस्मत का खेल है”—बस, इतना ही। डा० सन ने चीनियों को बनाया कि यह किस्मत का खेल नहीं, यह तो गन्दी प्रथाओं का दोष है। किसानों के खेत बहुत छोटे-छोटे भागों में बंटे हुए हैं, उन के साधन रद्द हैं; उन में परस्पर सहयोग नहीं, इसी से वे भूखों मरते हैं। डा० सन ने अपने देशवासियों को राजनीतिक और अर्थशास्त्र के नवीनतम सिद्धान्तों का व्यावहारिक ज्ञान देने का गम्भीरतम प्रयत्न किया। उन की कोमिन्तांग संस्था उपर्युक्त तीनों सिद्धान्तों के लिये ही निर्मित हुई थी, परन्तु चीन पर उक्त संस्था का प्रभाव बहुत शीघ्रता अथवा यथेष्ट गहराई से नहीं पड़ा।

कोमिन्तांग को रूसी सहायता—डा० सन के तीनों सिद्धान्त पाश्चात्य सिद्धान्तों पर आश्रित थे, इस से उन्हें

आशा थी कि पाश्चात्य शक्तियां उन्हें उन के कार्यक्रम में सहायता देंगी। सन १९२१ में उन्होंने इसी उद्देश्य से अमेरिका से अपील की। परन्तु अमेरिका ने सहायता देने से इन्कार कर दिया। उस के बाद डा० सन ने इंग्लैण्ड और जापान से अनुरोध किया, परन्तु इन दोनों देशों ने चीन के दो विभिन्न सैनिक शासकों को ही सहायता देने का निश्चय किया। तब डा० सन ने बोल्शेविक रूस से अपील की। रूस के अनेक नेताओं से डा० सन का व्यक्तिगत परिचय था। उनके उद्देश्यों में भी समानता थी, इस से रूस ने डा० सन के कार्यक्रम में सहायता देने का वचन दिया। कोमिन्तांग की सब से बड़ी और प्रथम कमजोरी यह थी कि उसका सैन्य-संगठन कमजोर था। इसी कारण सन् १९११ में राज्यक्रान्ति करवाने में सफल हो जाने पर भी यह दल चीन का सम्पूर्णा शासन सूत्र अपने हाथ में नहीं ले सका था। इस दल की सैनिक शक्ति अब की दोषपूर्णा थी। लेनिन ने अपने व्यक्तिगत मन्त्री को चीन में भेजा। डा० सनयात सेन ने लेनिन के मन्त्री से कहा कि चीन को बोल्शेविज्म की ज़रूरत नहीं, राष्ट्रीय एकता की ज़रूरत है। लेनिन के मन्त्री ने भी इस बात को स्वीकार किया। संसार का कोई राष्ट्र तब तक रूस का मित्र नहीं था, इस से रूस ने चीन को ही अपना प्रथम मित्र बनाना स्वीकार कर लिया।

रूसी देखरेख में कोमिन्तांग ने सन् १९२४ से अपना दृढ़ सैनिक संगठन शुरू किया। रूसी विशेषज्ञों ने डा० सन को

बनाया कि उनकी कमजोरी का एक कारण यह भी है कि उनकी सेना केवल विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों और व्यापारियों की सन्तान से बनी है। सेना में स्वस्थ किसानों को भरती करने की बात रूसी विशेषज्ञों ने ही सुझाई। रूसी देखरेख में कोमितांग का अपना नियन्त्रण भी कठोर और नियमित कर दिया गया। रूसी विशेषज्ञों का कहना था कि चीनी लोगों में नियन्त्रण की अत्यन्त कमी है।

कोमिन्तांग के संगठन को व्यापक और दृढ़ बना कर रूसी विशेषज्ञ बोडिन ने चीन में एक सैनिक कालेज खोला। इस कालेज में ४० रूसी सैनिक अफसर अध्यापक नियत किए गए। इस कालेज का प्रिन्सिपल चांग काई शेक को बनाया गया, जो वर्तमान चीन का राष्ट्रपति हैं। कोमिन्तांग का सैनिक संगठन बड़ी श्रमता से दृढ़ और कायम होने लगा।

डा० सन का देहान्त—मार्च सन् १९२५ में डा० सनयात सेन का देहान्त हो गया। सम्पूर्ण जीवन में डा० सन ने चीन की अद्भुत सेवा की थी। सन् १८९५ में उन्हें देरा निकाले की सजा मिली थी और तब जापान, होनोलूलू तथा यूरोप में उन्होंने ने चीनी क्रान्तिकारी दल का संगठन किया था। चीनी सरकार ने एक बार उनकी हत्या करने वाले के लिए इनाम की घोषणा भी कर दी थी। लण्डन में एक बार डा० सन गिरफ्तार भी हो गए थे, परन्तु वह भाग निकले। सन् १९११ में उन्हींके प्रयत्न से चीन में राज्यक्रान्ति हुई और तब से अपने देहान्त तक डा०



सन चीन के सब से महान नेता बन कर रहे। उन के देहान्त के बाद चीन उन के महत्व को और भी अच्छी तरह समझा। उन की समाधि चीन का सब से महान तीर्थ बन गई। सम्पूर्ण चीनी उन की तसवीर के सन्मुख सिर झुकाने लगे। उन की वसीयत, जिसमें उन्होंने चीन को एक संगठित, शक्तिशाली और स्वतन्त्र राष्ट्र बनाने की इच्छा प्रकट की है, चीनियों का मूलमन्त्र बन गई।

उत्तर चीन के सैनिक शासक—अपन अन्तिम दिनों में डा० सन उत्तर चीन के सैनिक शासकों में चीनी राष्ट्रियता के भाव भरने का प्रयत्न कर रहे थे। उत्तर चीन में १२ स्वतन्त्र सैनिक शासक थे। इन में से तीन तो बहुत ही लड़के और उपद्रवी थे। आए दिन इन शासकों में युद्ध ठना रहता था। इन में चैंगत्सो-लिन विशेष प्रसिद्ध है। सन् १६०४ में रूस-जापानी युद्ध में चैंगत्सो-लिन ने जापान की सहायता की थी, इस से जापान उसे आर्थिक सहायता देता था। क्रमशः उस ने अपनी शक्ति बढ़ा ली और सन् १६२१ में पेकिंग पर भी अपना अधिकार कर लिया। यह चैंग-सो-लिन जरा भी पढ़ा-लिखा नहीं था।

चैंगत्सो-लिन का सब से बड़ा प्रतिद्वन्द्वी वू-पा-फू था। वह एक पढ़ा-लिखा व्यक्ति था। पेकिंग और हैंगो के बीच के रेलवे पर वू-पी-फू का शासन था, इस से उसका महत्ता भी कम नहीं थी। सन् १६२२ में इन दोनों में युद्ध हुआ। इस युद्ध में चैंगत्सो-लिन तो हार गया, परन्तु वू के स्थान पर उसका सहकारी सैनिक शासक फैंग-हू-सिआंग पेकिंग का मालिक बन बैठा। यह

एक दैत्याकार चीनी था, जिसने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। क्रमशः उस ने रूस से अपने सम्बन्ध स्थापित कर लिए। सन् १६२६ में वू तथा चैंग ने उस पर सम्मिलित आक्रमण कर दिया, तब वह रूस की ओर ही भाग गया।

### राष्ट्रीय दल का उत्तर चीन पर आक्रमण—

जब उपर्युक्त तीनों सैनिक शासक एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे, राष्ट्रीय दल की सुशिक्षित सेना ने हैको पर आक्रमण कर दिया। यांग्सी नदी से, चीन के सब से बड़े नगर शंघाई तक का प्रदेश एक बार अपने हाथ में कर लेने के बाद सम्पूर्णा उत्तर चीन में राष्ट्रीय सेना का मार्ग रोक सकना किसी के लिए भी सम्भव नहीं था। नए कालेज की देख-रेख में राष्ट्रीय सेना ने सात सेनाओं का संगठन किया था, जिनमें से प्रत्येक सेना में १४,५०० सैनिक थे। इस सेना को रूस हथियारों की सहायता दे रहा था। इन्हीं दिनों हौंगकौंग में चीनी मजदूरों पर अंग्रेज व्यवसायपतियों के कहने से पोलीस ने गोली चलाई थी। इस घटना से चीन भर में कोमिन्तांग की लोकप्रियता और भी अधिक बढ़ गई थी और अब उसे अपनी शक्ति पर भरोसा भी होने लगा था।

हैको की विजय—राष्ट्रीय दल की इस सेना का सेनापति जनरल चांग-काई-शेक था। जून १६२६ में राष्ट्रीय सेना ने वू को हरा कर हैको पर अधिकार कर लिया। हैको नगर चीन का

एक बहुत ही महत्वपूर्ण और केन्द्र में स्थित नगर है। राष्ट्रीय सरकार अपनी राजधानी भी कैप्टन से हैको में ले आई। हैको का व्यवसाय अभी तक जापानियों के हाथ में था। राष्ट्रीयता की लहर से प्रभावित होकर जापानी कारखानों में काम करने वाले मजदूरों ने आन्दोलन शुरू किया और जापानी मित्त मालिकों को उन का वेतन ८ सप्ताहों के भीतर ५० प्रतिशत बढ़ा देना पड़ा। हैको का सबसे बड़ा कारखाना एक सिगरेट का कारखाना था। उसके मालिक अंग्रेज थे। उन्होंने मजदूरों का वेतन बढ़ाने को अपेक्षा वह कारखाना ही बन्द कर दिया। चीनी नर-नारी अब राष्ट्रीय पोषाक पहने नगर की सड़कों पर राष्ट्रीय गीत गाते फिरने थे। हैको के विदेशी पूंजीपति अब भयभीत होने लगे थे। उन्होंने अंग्रेज सरकार से अनुरोध किया कि वह चीन के राष्ट्रीय आन्दोलन में हस्ताक्षेप करे। परन्तु अंग्रेज सरकार स्थिति को समझती थी। उसने राष्ट्रीय चीन से अब समझौता कर लिया। हैको तथा कतिपय अन्य नगरों में से विदेशी प्रभाव एकदम नष्ट कर दिया गया। साथ ही, जल्दतर पड़ने पर, खतरे का सामना करने के लिए शंघाई में अंग्रेजी सेना की संख्या भी बढ़ा दी गई।

राष्ट्रीय दल में फूट—यहां तक तो सब ठीक था। राष्ट्रीय सेना ने उत्तर चीन के बड़े भाग पर अधिकार कर लिया और कोमिन्तांग की सरकार चीन की सबसे अधिक शक्तिशाली सरकार बन गई। परन्तु अब, शक्ति प्राप्त कर लेने के बाद, चीन

की राष्ट्रीय सरकार के नेताओं में परस्पर अविश्वास और फूट के भाव पैदा होने लगे। एशियाई देशों का सब से बड़ा और सब से भयंकर राजनीतिक मर्ज फूट है। डा० सनयात सेन के देहान्त के बाद चीनी राष्ट्रीय दल में नेतृत्व के लिए जो झगड़ा अन्दर ही अन्दर उठ खड़ा हुआ, उस के चिह्न डा० सेन की जीवित्तावस्था में ही दिखाई देने लगे थे। बहुत शीघ्र कोमिन्तांग वाम और दक्षिण ( Left and right ) दो दलों में विभक्त हो गया। हैकों की सरकार पर वाम दल का प्रभुत्व था, इन से दक्षिण दल के नेता चांग-फाई-शेक ने अपनी सेना की सहायता से नानकिंग में नई सरकार की स्थापना कर दी।

चांग के लिए नानकिंग में नई सरकार स्थापित करना अत्यन्त कठिन हो जाता, यदि हैकों के वामदल में भी परस्पर फूट न होती। वामदल में उग्र राष्ट्रीय और समाजवादी लोगों के दो गुट थे। समाजवादी गुट का संचालन रूसी नेतृत्व में हो रहा था। उन का सीधा सम्बन्ध रूसी सरकार के साथ था। उधर उग्र राष्ट्रीय गुट के लोगों का दृष्टिकोण विशुद्ध राष्ट्रीय था। वे चीन के किसी भाग में किसी विदेशी का प्रभुत्व सहन करने को तैयार नहीं थे। इन परिस्थितियों में चांग जैसे दक्ष सेनापति ने बड़ी आसानी से न केवल नानकिंग में नई सरकार ही स्थापित कर ली, अपितु जुलाई १९२७ तक उग्र राष्ट्रीय और समाजवादी दोनों दलों को हरा दिया। कैण्टन को भी, जो समाजवादियों का प्रसिद्ध केन्द्र था, दिसम्बर १९२७ तक, सिर्फ ३ दिनों के युद्ध के बाद चांग ने अपने अधिकार में कर लिया।

नानकिंग की सरकार—बहुत शीघ्र चांग-काई शेक ने नानकिंग की सरकार को चीन में सब से अधिक शक्तिशाली सरकार बना दिया। अधिकांश चीन पर उसका अधिकार हो गया। वह अपने को डा० सनयातसेन का अनुयाई मानता था, अब डा० सन की साली से विवाह कर वह उनका उत्तराधिकारी भी बन गया। चांग ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। डा० सन का साला, संग, एक बहुत प्रभावशाली और कठिनता से काबू में आने वाला व्यक्ति था। चांग ने उसे अपना अर्थ-मन्त्री बना कर अपने वश में कर लिया। चांग की सरकार अब भी अपने को कोमिन्तांग दल की सरकार कहती थी। उसका डा० सन के तीनों सिद्धान्तों पर विश्वास था। परन्तु व्यवहार में अभी तक चीन में राष्ट्रीयता की भावना नहीं लाई जासकी थी। मन्चूरिया पर अब भी चैंग-त्सो-लिन और उसके पुत्र का स्वतन्त्र शासन था। उत्तर पश्चिम में फेंग एक आफत बना हुआ था। इस तरह से चीन के अनेक भाग अभी तक सैनिक शासकों के हाथ में थे। फिर भी चीन की सब से बड़ी शक्ति अब नानकिंग सरकार ही बन गई।

आर्थिक उन्नति—चांग-काई-शेक ने अब अपना ध्यान चीन की आर्थिक उन्नति की ओर लगाया। सब से पहले उसने बेल्जियम, इंग्लैण्ड, अमेरिका तथा अन्य शक्तिशाली राष्ट्रों के साथ इस आशय की सन्धि करली कि वे क्रमशः चीन में प्राप्त अपने विशेषाधिकारों को छोड़ते चले जायेंगे। बदले में चांग

ने उन्हें चीन में ज़मीन खरीद सकने का अधिकार दे दिया ।

उसके बाद चांग ने चीनी व्यवसाय को उन्नत करने का प्रयत्न किया । जगह-जगह चीनी पूंजी से बड़े-बड़े कारखाने खोले जाने लगे । विदेशी व्यापारियों ने अब चीन में कपड़ा आदि पक्का माल भेजने की बजाय बड़ी-बड़ी मशीनें भेजनी शुरू कीं । सन १६२८ से १६३० तक अकेले इंग्लैण्ड से चीन में मशीनों का आयात तिगुना हो गया । कुछ ही वर्षों में चीनी कारखानों की संख्या ६७३ से १६७५ तक पहुँच गई । चांगने विदेशों से, विशेष कर अमेरिका और जापान से, भारी राष्ट्रीय ऋण भी लिया । राष्ट्रसंघ की सहायता से नानकिंग को आधुनिकतम नगर बनाने का प्रयत्न किया गया । वहाँ गगनचुम्बी इमारतें बनने लगी ।

उपर्युक्त रीति से चांग ने चीन का व्यवसाय तो अवश्य समृद्ध कर दिया, परन्तु वह चीनी मज़दूरों और चीनी किसानों की दशा नहीं सुधार सका । उनके लिए चांग में तथा सैनिक-शासकों में कोई अन्तर नहीं था । चांग ने मज़दूरों के वेतन घटा दिए और मज़दूर आन्दोलनों का, कोमिन्तांग के ज़बरदस्त संगठन की सहायता से, दमन किया । चीनी किसान अभी तक डा० सन के तीसरे सिद्धान्त को नहीं भूले थे । वे तो चीनी राष्ट्रीयता का अभिप्राय ही अपनी खुशहाली समझते थे । चांग की नीति से उन्हें बड़ी निराशा हुई ।

सोविएट चीन—क्रमशः चीन में चांग-काई-शेक के विरुद्ध लोकमत प्रबल होने लगा । कैन्टन में कोमिन्तांग का वाम-

दल पुनः अपना संगठन करने लगा और मई १९३१ तक कतिपय असन्तुष्ट सैनिक शासकों की सहायता से इस पक्ष ने नानकिंग में कोमिन्तांग-सरकार नाम से एक नई सरकार की स्थापना कर ली ।

उधर चीन में क्रमशः समाजवादी दल का प्रभाव भी बढ़ने लगा । सन् १९२७ में चांग काई शेक ने समाजवादी दल को गैर-कानूनी घोषित कर दिया, परन्तु इस पर भी दल की सरगमियां छिपे तौर से जारी रहीं । समाजवादी नवयुवक अब भी सैनिक नियन्त्रण की शिक्षा लेने के लिए गुप्त रूप से मास्को जाया करते थे । ये शिक्षित नवयुवक चीन में वापस आकर जगड़ जगड़ सोविएट संगठन कायम कर रहे थे । सन् १९३१ तक केन्द्रीय चीन के एक बड़े भाग पर सोविएट सरकार की स्थापना हो गई । इस सरकार का निर्माण लूसी बोल्शेविक सोविएट सरकार के आधार पर किया गया था । मास्को की सरकार ने सन् १९३१ में दावा किया था कि चीन की सोविएट सरकार का शासन १० करोड़ चीनियों पर स्थापित है । परन्तु शंघाई के अखबारों का कहना था कि चीन की सोविएट सरकार केवल असन्तुष्ट सैनिक शासकों के अशिक्षित और अर्धसभ्य शासन पर आश्रित है । चाहे कुछ भी हो, पूरे ६ बरसों तक हूपेह और होनन आदि के प्रान्तों पर चीनी सोविएट सरकार कायम रही । इस सरकार की सैन्य शक्ति ३,५०,००० तक जा पहुंची । सन् १९३७ में जब जापान ने चीन पर आक्रमण कर दिया, तब सोविएट चीन और राष्ट्रीय चीन मिलकर एक हो गए ।

मन्चूरिया पर जापानी आक्रमण—चीन में जब उपर्युक्त गृह कलह जारी था, तब सन् १९३१ में, जापान ने मन्चूरिया पर आक्रमण कर दिया। मन्चूरिया पर उन दिनों सैनिक शासकों का अधिकार था। उन की सेना वर्तमान युद्ध नीति में निपुण नहीं थी। इस से बहुत शीघ्र जापान ने मन्चूरिया को जीत लिया और वहां अपने साम्राज्य की स्थापना कर दी। इस सम्बन्ध में विस्तार से जापान के अध्याय में लिखा जायगा है।

चीन जापान युद्ध—अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को आशा नहीं थी कि जापान केवल मन्चूरिया पर अपना अधिकार स्थापित कर सन्तुष्ट हो जायगा। उस के बाद जापान ने क्रमशः जैहोल, चहार और पेरिंग पर भी अधिकार कर लिया। सन् १९३४ में चीन मुख्यतः तीन भागों में बंटा हुआ था। नानकिंग में चांग की सरकार; मध्य चीन में सोविएट सरकार, जिस में अनेक सैनिक शासक सम्मिलित थे और कैप्टन में कोमिन्तांग के वाम पक्ष की राष्ट्रीय सरकार। इन में चांगकाईशेक की सरकार सबसे अधिक शक्तिशाली थी। चांगकाईशेक का व्यक्तित्व भी निस्सन्देह प्रभावशाली था। परन्तु उस का ख्याल था कि चीन की राष्ट्रियता के मार्ग की सबसे बड़ी रुकावट वहां का समाजवादी दल है। जापान के बढ़ते हुए प्रभाव को चांग काई-शेक अभी तक अपने देशके लिए सबसे बड़ा खतरा नहीं समझता था। परन्तु सन् १९३७ में चांग-काई-शेक को अपनी गलती मालूम हुई।



इसी बीच में मन्चूरिया का पदच्युत शासक चांग-सुह-लिआंग नानकिंग में पहुंचा । उसे जापानने राज्यच्युत किया था, इस से जापान के प्रति उसकी नाराज़गी स्वाभाविक थी । सन १९३७ में चांग-सुह-लिआंग ने किसी तरीके से चांग-काई-शेक को गिरफ्तार कर लिया और उसे वह चुपचाप पार्लिय प्रदेशों में ले गया । नानकिंग के राष्ट्रपति के गुम हो जाने का समाचार संधार ने अत्यधिक आश्चर्य के साथ सुना । परन्तु कुछ ही दिनों में चांग-काई-शेक से यह प्रतिज्ञा लेकर कि वह अब जापानी खतरे का सामना करने के लिए सम्पूर्ण चीन को संगठित करेगा, चांग-सुह-लिआंग ने उसे छोड़ दिया ।

जापान ने जब देखा कि चीन उसके विरुद्ध संगठित होने का प्रयत्न कर रहा है और सम्पूर्ण चीन में, जापान का मुकाबला करने के लिए एकता की भावना अंत-प्रोत होगई है तो उसने और अधिक प्रतीक्षा किए बिना चीन के सन्मुख कतिपय असम्भव मांगों पेश कर दीं । जब चीन ने उन मांगों को स्वीकार नहीं किया, तो जापान ने चीन पर चढ़ाई कर दी ।

चीन के लिए जापान की संगठित शक्ति का मुकाबला करना आसान नहीं था । फिर भी चांग-काई-शेक की अध्यक्षता में चीन वीरतापूर्वक जापान का मुकाबला कर रहा है । अब इस युद्ध को ढाई बरस बीत चुके हैं । युद्ध का विस्तृत वर्णन जापान के अध्याय में किया जायगा । यहां इतना ही कहना काफी है कि संसार के अनेक देशों की सहानुभूति प्राप्त होते हुए

भी चीन अब तक अपना एक तिहाईसे अधिक भाग खो चुका है। नानकिंग, हैको और शंघाई भी अब तक जापान के अधिकार में आ चुके हैं। फिर भी चीनी सेना का साहस भंग नहीं हुआ। मार्शल चांग-काई-शेक और उनके अनुयाइयों का विश्वास है कि इस युद्ध में संगठित चीन की ही विजय होगी।

## (ख) जापान

जापान का उत्थान—उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्ध तक जापान एक बहुत ही पिछड़ा हुआ देश था। बाहर के संसार से जापान का कोई सम्बन्ध न था। जापानी जनता का ध्येय तब तक व्यर्थ के धार्मिक रीति-रिवाजों का पालन करना ही था। सन १८६७ में जापानियों की नई पीढ़ी ने एक क्रान्ति-सी उत्पन्न कर दी। जापान ने अपने बन्दरगाह विदेशी व्यापारियों के लिए खोल दिए। कुछ ही वर्षों में पुराना कुलीनतन्त्र नष्ट हो गया और भूमि पर किसानों का ही अधिकार हो गया। पश्चिम के देशों की नकल पर जापान में एक पार्लियामेंट और मन्त्रिमण्डल की स्थापना की गई। इस पार्लियामेंट की भावना विशुद्धरूप से जापानी ही थी। जापानी सम्राट अपना शासन मन्त्रिमण्डल द्वारा करने लगा, परन्तु जापान की सेना पर उस का सीधा नियन्त्रण रहा। सेना पर पार्लियामेंट का कोई भी अनुशासन या अधिकार नहीं रक्खा गया।

जापान में अपने सम्राट के लिए अगाध श्रद्धा के भाव हैं। जापानी लोग अपने सम्राट को सूर्य देवता का वंशज मानते हैं और एक देवता के समान ही उसकी प्रतिष्ठा करते हैं। जापानी राष्ट्रियता का आधार उनका सम्राट ही है। इसी कारण देशभक्ति की भावना जापानियों के लिए एक धार्मिक भावना के समान है। सन १८६७ के महान राजनीतिक परिवर्तनों से भी जापानी सम्राट की स्थिति में कोई अन्तर नहीं आने पाया।

सन १८६७ से जापान का विकास पाश्चात्य आदर्शों पर, बड़ी तेज़ी के साथ किया जाने लगा। १० वर्षों के अन्दर ही अन्दर जापान का कायाकल्प हो गया। राष्ट्र ने अपनी ओर से लाखों रुपया जापान के व्यवसाय को उन्नत करने के लिये जापानी नागरिकों को दिया। जापान की कृषि, रेशम का व्यवसाय, चावल की खेती आदि, सभी को उन्नत करने का भरपूर प्रयत्न किया गया। परिणाम यह हुआ कि १९वीं सदी के अन्त तक पूर्वीय राजनीति में जापान की काफ़ी महत्ता स्थापित हो गई।

कोरिया का अपहरण—उन्हीं दिनों चीन में पश्चिम के राष्ट्र अपना आर्थिक प्रभुत्व स्थापित कर रहे थे। चीन के अनेक प्रान्तों पर उन्होंने अपने उपनिवेश-से भी बना लिए थे। जापानी सरकार को भय प्रतीत हुआ कि कहीं उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार न हो। खास तौर से उसे रूसका भय था। जापान के बहुत निकट कोरिया नाम का जो द्वीप है, उस पर रूस का अधिकार हो हो जाना एक मामूली बात थी। और जापान की दृष्टि से कोरिया की

भौगोलिक स्थिति बहुत मौके की है। तब तक कोरिया पर चीन का नाममात्र का प्रभुत्व था। सन १८६४ में जापान ने कोरिया पर आक्रमण कर उसे एक स्वतन्त्र द्वीप बना दिया। सन १९०५ में उसने कोरिया पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया और सन १९१० में कोरियाका बाकायदा जापानी साम्राज्य का एक अंग बना लिया।

**रूस से युद्ध**—लगे हाथ जापान ने मन्चूरिया के निकट समुद्रतट का एक ज़रा-सा परन्तु महत्वपूर्ण भाग भी हथिया लिया। रूस ने जापान की इस बात का विरोध किया। जापान ने वह भाग छोड़ दिया। इस के बाद रूस ने चीनी समुद्रतट के एक भाग पर अधिकार कर, वहाँ अपने दो बन्दरगाह बना लिए और अपना धन लगा कर, इन बन्दरगाहों तक जाने के लिए, चीन में एक रेलवे लाइन भी बना दी। वास्तव में रूस प्रशान्त महासागर में एक ऐसा बन्दरगाह बनाना चाहता था, जो सरदियों में भी जमने नहीं पाए। जापान रूस की इस ज्यादती को सहन नहीं कर सका। सन् १९०४ में अंग्रेज़ी सहायता का आश्वासन पाकर जापान ने रूस के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। संसार को यह जान कर भारी अचम्भा हुआ कि उस युद्ध में जापान विजयी हो गया। उन दोनों बन्दरगाहों तथा रेलवे लाइन पर अब जापान का अधिकार हो गया।

**गत महायुद्ध के बाद का जापान**—सन् १९०४ में रूस को हरा कर जापान पूर्व की सब से बड़ी शक्ति बन गया।

इधर सन् १६१४ के विश्वव्यापी महायुद्ध में कोई भाग न लेकर भी जापान संसार की सब से महान शक्तियों में गिना जाने लगा। कारण यह कि युद्ध के दिनोंमें जापानी व्यापार-व्यवसाय ने आशा-तीत उन्नति की थी। इंग्लैण्डके साथ जापानके सम्बन्ध मित्रतापूर्णा होने से जापानने सम्पूर्णा एशिया, विशेष कर भारतवर्ष को, युद्धके दिनोंके में इतना अधिक पक्का माल पहुंचाया कि उन्हीं दिनों के व्यापार-व्यवसाय से जापान को २०,००,००,००,००,००० डौलर का लाभ हुआ। महायुद्ध के बाद शान्ति परिषद् में भी जापान को शान्दुंग तथा कतिपय अन्य-प्रदेश मिले। राष्ट्रसंघ ने जापान की गणना संसार की सर्वश्रेष्ठ ६ शक्तियों में की।

आबादी की वृद्धि—जापान की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। सन १८४६में जापान की आबादी २,६०,००,००० थी और सन् १९२०में वह आबादी बढ़कर ५,६०,००,०००होगई। प्रति वर्ष जापान की आबादी में ८ लाख व्यक्तियों की वृद्धि हो जाती है। इस में सन्देह नहीं कि जापान की भूमि बहुत उपजाऊ है, परन्तु इस भूमि का विस्तार इतना कम है कि जापान की बढ़ती हुई जन संख्या का पालन-पोषण उस से नहीं हो सकता। देश की सम्पूर्णा प्राप्तव्य भूमि पर वहां खेतीरबाड़ी की जा रही है, इस से कृषियोग्य नई भूमि प्राप्त कर सकना सम्भव नहीं है। इस में सन्देह नहीं कि गत महायुद्ध से जापान को भारी आर्थिक लाभ पहुंचा था, परन्तु युद्ध की परिस्थितियां युद्ध के बाद नहीं रहीं। युद्ध के बाद जापानी माल की मांग, अन्य देशों का माल बाज़ार

में आ जाने से, कम होजाना स्वाभाविक ही था ।

जापानियों के पास अपने विस्तार के लिए भी कोई जगह नहीं थी । कोरिया की आबादी पहले ही बहुत घनी है । नए महा-द्वीपों, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैण्ड आदि, में जापानियों के प्रवेश पर काफ़ी प्रतिबन्ध लगा दिए गए थे । वैसे भी जापानी लोग अपने फल फूलों से भरे देश को छोड़ कर बाहर जाकर बसना पसन्द नहीं करते ।

इन परिस्थितियों में, जापान की बढ़ती हुई जन संख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने का एक उपाय यह था कि उसे 'पूर्व का कारखाना' बना दिया जाय । जापानियों ने इस बात के लिए प्रयत्न भी किया, परन्तु जापान में कोइले और लोहे की जो कमी है, उस के कारण जापान का पूर्ण व्यवसायीकरण अत्यन्त कष्ट-साध्य है । रेशम को छोड़ कर शेष सभी कच्चा माल उसे विदेशों से लेना पड़ता है । अमेरिका और भारतवर्ष से वह रूई खरीदता है, आस्ट्रेलिया से ऊन और डच साम्राज्य से तेल । इस का अभिप्राय यही था कि यदि अमेरिका या अंग्रेज़ी साम्राज्य जापान का बहिष्कार कर दें, तो वह तबाह हो जाय । जापानियों को यह स्थिति असह्य जान पड़ी ।

राजनीतिक दल—जापान के सभी राजनीतिक दल इस बातसे सहमत थे कि जापान को बहुत बड़े पैमाने पर व्यवसाय-प्रधान देश बनाने की आवश्यकता है । परन्तु साधनों के सम्बन्ध में उन में मतभेद था । सैयुकाई दल, जिसे कुछ अंश तक अनुदार

दल कहा जा सकता है, चाहता था कि पहले आन्तरिक व्यापार को उन्नत किया जाय और इस के लिए सरकार कृषि और व्यवसाय को अर्थिक सहायता दे। मिन्सीतो दल, इंग्लैण्ड के पुराने उदार दल के समान, अपने विदेशी व्यापार को उन्नत करना चाहता था; आन्तरिक व्यापार के सम्बन्ध में वह अधिकतम मितव्ययता का पक्षपाती था। सेना के नेता, जो अत्यन्त प्रभावशाली होने पर भी किसी राजनीतिक दल में संगठित नहीं थे और जिन्हें “कैम्प” के नाम से पुकारा जाता था, उपर्युक्त दोनों बातों के विरुद्ध थे। उन की राय थी कि व्यापार-व्यवसाय ये सब झमेले की बातें हैं। हमें अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा कर दिग्विजय करनी चाहिये और इस तरह अपने देश का पालन करना चाहिए। यह पहले ही कहा जा चुका है कि ‘कैम्प’ पर राजनीतिक दलों का कोई अधिकार नहीं था।

चाहिये तो यह था कि जापान के दोनों राजनीतिक दल मिलकर कैम्प का विरोध करते। परन्तु ऐसा नहीं हुआ। बात यह थी कि जापान के राजनीतिक दल वास्तव में कुछ विभिन्न कुलीन और धनी परिवारों के हाथ में थे और वे लोग सम्पूर्णा राजनीति को अपने व्यक्तिगत हितों की दृष्टि से देखते थे। सन १८६७ की राज्यक्रांति के बाद जापानके कुछ प्रभावशाली कुलीन युवक सैनिक अफसर बन गये थे। कुछ व्यापार-व्यवसाय करने लगे थे। क्रमशः जापान के आर्थिक जीवन पर इन्हीं कुलीनों का नियन्त्रण हो गया था। मिन्सई परिवार इनमें सब से अधिक प्रमुख था। सैमुकाई दल पर इसी परिवार का प्रभाव था। मित्सुबीशी परिवार की भी अत्यधिक



महता थी, मिन्सीतो दल पर उसका नियन्त्रण था। मित्सुबोशी परिवार के व्यवसाय जहाज बनाना, एंजीनियरिंग, जहाजी बीमा, हवाई जहाज बनाना आदि थे। इस तरह युद्ध की दशा में इस परिवार के लोगों को अधिक लाभ होने की सम्भावना थी, इस से मिन्सीतो दल 'कैम्प' की राय का विरोध नहीं कर सकता था।

सन १९१८ की परिस्थितियों ने कैम्प के उद्देश्यों को बहुत बड़ी सहायता दी। उन दिनों फ्रांस और इंग्लैण्ड ने बोल्शेविक रूस के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया था। इंग्लैण्ड ने इस कार्य के लिये जापान को भी निमन्त्रण दिया। जापान को और चाहिये ही क्या था; उसके ज़िम्मे जितनी सेना लगाई गई थी, उस से भी अधिक सेना जापान ने रूस से लड़ने के लिये भेज थी। पूर्वीय चीनी रेलवे रूस की सम्पत्ति था। जापान ने बहुत शीघ्र उस पर अपना अधिकार कर लिया। साइबेरिया के थोड़े-से पूर्वीय भाग को भी जापान ने जीत लिया। इन विजयों से जापान की महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ गई। वह सम्पूर्ण रूस को हराने और चीन के व्यापार-व्यवसाय पर अथवा पूर्ण अधिकार स्थापित करने के स्वप्न लेने लगा।

वाशिंगटन कान्फरेंस—परन्तु बहुत शीघ्र अमेरिका ने जापान के ये सुखस्वप्न भंग कर दिए। जापान उन दिनों अपने जहाजों की संख्या बढ़ा रहा था, परन्तु वह इस दृष्टि से अमेरिका का मुकाबला कर ही न सकता था, क्योंकि अमेरिका के स्रोत अनन्त हैं। जापान को प्रशान्त महासागर में जो जर्मन उपनिवेश मिले, उन से अमेरिका असन्तुष्ट हो गया। अब

अमेरिकन सरकार ने स्पष्ट शब्दों में घोषित कर दिया कि उसे चीन में जापान का प्रभुत्व बढ़ाना पसन्द नहीं है । चीन के सम्बन्ध में अमेरिका की नीति मुक्तद्वार व्यापार की थी, परन्तु जापान की २१ मांगों चीन पर जापान का भारी प्रभुत्व स्थापित करना चाहती थीं ।

सन १९२१ में परिस्थिति बहुत पेचीदा हो गई और यह सम्भावना होने लगी कि जापान और अमेरिका में बहुत शीघ्र युद्ध छिड़ जायगा । तब अमेरिकन राष्ट्रपति ने नौ राष्ट्रों की एक कान्फरेंस वाशिंगटन में बुलाई । काफ़ी सोच-विचार के बाद जापान ने इस कान्फरेंस में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया ।

वाशिंगटन कौन्फरेंस के परिणामस्वरूप जापान, इंग्लैंड और अमेरिका के सम्पूर्ण जहाज़ों का अनुपात इस प्रकार रखने का निश्चय हुआ—३:५:५ । जापान ने चीन के सम्बन्ध में मुक्तद्वार व्यापार की नीति स्वीकार कर ली । इसी वाशिंगटन की सन्धि के परिणामस्वरूप जापान ने चीन को शान्तुंग का प्रदेश वापस कर दिया, साइबेरिया से अपनी फौज़ वापस बुला ली और अपनी सेना की संख्या ६० हजार तक सीमित करने का वचन दे दिया । जापान के इस व्यवहार से सम्पूर्ण संसार का लोकमत बहुत अधिक प्रभावित हुआ । श्री एच० जी० वैल्स ने तो वहां तक लिखा कि—“वाशिंगटन कान्फरेंस की सफलता का अधिकांश श्रेय जापान को है । यूरोप के लोगों को जापान के सम्बन्ध में अब तक अत्यन्त भ्रान्त धारणा थी । वास्तव में जापानी

बहुत ममभदार, अवसरदर्शी और युक्तियुक्त लोग हैं । पश्चिम के राष्ट्र जापान के साथ पूर्ण सहयोग से कार्य कर सकते हैं । ”

**भूकम्प**—सन् १६२३ में जापान के सब से अधिक घनी आबादी वाले भाग में जो भयंकर भूकम्प आया, उस की गणना संसार के सब से अधिक विनाशकारी भूकम्पों में की जाती है । इस भूकम्प में १, ६०, ००० जापानी मारे गए । लगभग ७ अरब रुपयों की सम्पत्ति नष्ट हो गई । जापान का राजधानी टोकियो एक तरह से नष्ट-भ्रष्ट-सा हो गया । नगर के अनेक भाग ईंटों और पत्थरों के दुर्निवार और भयानक ढेरों में परिणत हो गए । सारा जापान और उस के साथ ही साथ सम्पूर्ण संसार इस दैवीय विपत्ति से सन्न-सा रह गया ।

परन्तु जापान अपनी इस क्षतिपूर्ति में जी-जान से जुट गया । सात ही सालों में जापानियों ने अपनी राजधानी का पहले से भी अधिक सुन्दर रूप में पुनर्निर्माण कर दिया ।

“भयानक विचार”—जापान ने अपनी भौतिक क्षति को तो बहुत शीघ्र पूरा कर लिया, परन्तु भूकम्प ने उन के मनो-विज्ञान पर जो प्रभाव डाला था, वह दूर न हो सका । भूकम्प के धक्के ने जापानियों के स्वभाव को क्षणिक उत्तेजनाओं से पूर्ण बना दिया । उन की राजधानी की भूमि के समान के उन के सामाजिक जीवन में भी बड़े बड़े फटाव पड़ गए । जापान के राष्ट्रीय जीवन में गहरी अशान्ति व्याप्त हो गई ।

जापान का व्यवसाय तो निस्सन्देह समृद्ध हो गया था, परन्तु वहां मज़दूरों की दशा पहले से भी बिगड़ गई थी। बहुत से मज़दूरों के पास रहने तक को कोई जगह न थी और वे कारखानों में ही सोते थे, बाकी मज़दूर अत्यन्त सड़े-गले मोहल्लों में रहते थे और व्यावसायिक नगर इस तरह के गन्दे मोहल्लों से भरे पड़े थे। कगावा नाम के एक प्रचारक ने मज़दूरों को संगठित करना शुरू किया। वे हड़तालें करने लगे। बहुत शीघ्र जापानी मज़दूरों और जापानी नययुवकों में साम्यवाद का प्रभाव बढ़ने लगा। बहुत से जापानी विद्यार्थी कार्लमार्क्स के भक्त बन गए। सैयुकाई सरकार ने समाजवाद के प्रचार को रोकने का अधिकतम प्रयत्न किया। उनका कहना था कि समाजवाद के विचार अत्यन्त ‘भयानक विचार’ हैं।

परन्तु सन १९२४ में इंग्लैण्ड में मज़दूरदल की विजय से जापान के मज़दूर आन्दोलन को बहुत प्रोत्साहन मिला। उसी वर्ष जापान में भी नए निर्वाचन होने थे। मज़दूरदल के आन्दोलन से इस निर्वाचन में सैयुकाई दल हार गया और कातो के नेतृत्व में मित्सुबीशी दल विजयी हो गया। कातो ने सम्पूर्ण जापानी पुरुषों को मताधिकार देदिए। मज़दूरों को तब तक मत देने का अधिकार नहीं था। इसके साथ ही साथ कातो ने घोषणा की कि वह मज़दूरों की दशा सुधारने के लिए नए कानून बनाएगा। परन्तु व्यवहार में जापानी पार्लियामेंट ने एक ‘शान्ति रक्षा’ नामक नया कानून पास किया, जिसके अनुसार शासन विधान और व्यक्ति-

गत जायदाद की प्रथा को नष्ट करने का प्रयत्न करने पर प्रायः-दण्ड देने की सज़ा घोषित कर दी गई। इस कानून का उद्देश्य भी 'भयानक विचारों' को रोकना था।

**व्यावसायिक उन्नति**—इस तरह के दमन के साथ ही साथ मित्सुबीशी सरकारने जापानी मज़दूरों की दशा सुधारने का गम्भीर प्रयत्न किया। कातो के प्रधान-मन्त्रित्व में जापान का कपड़े का व्यवसाय इतना उन्नत हो गया कि संसार में लंकाशायर के कपड़े की मांग बहुत कम हो गई। जापान का कपड़ा इतना सस्ता था कि लंकाशायर के सैकड़ों कारखाने, जापानी प्रतिस्पर्धा के कारण, बन्द कर देने पड़े।

**शान्ति की नीति**—सन १६२२ से लेकर १६३० तक जापान में शान्ति की नीति की प्रधानता रही। यद्यपि इन १० बरसों में भी जापान का सैनिक बजट उसके पूर्ण बजट का १८ से लेकर ४८ प्रतिशत तक रहा, तथापि जापान ने दस बरसों में कोई लड़ाई नहीं लड़ी। इस अरसे में अनेक बार जापान को लड़ाई के लिए उग्ररूप से उत्तेजित भी किया गया। परन्तु जापान लड़ने को तैयार नहीं हुआ। अमेरिका ने इन्हीं दिनों जापानी बहिष्कार का प्रस्ताव पास किया, शंघाई में इन्हीं दिनों जापानी राजदूत भवन के निवासियों को हत्या हुई, परन्तु फिर भी जापान ने लड़ाई नहीं लड़ी।

सैयुकाई दल और कैम्प के फौज़ी नेता मित्सुबीशी सरकार की इस नीति से बहुत खिन्न हो उठे। उन्होंने अनेक तरह से इस

बात के लिए आन्दोलन किया कि जापान को रूस के विरुद्ध संगठित होने की आवश्यकता है। रूसने अब साइबेरिया के पूर्वीय किनारे तक रेलकी दोहरी लाइन बना दी थी। सन् १९३० में लण्डन में अंग्रेजी प्रधानमन्त्री श्री रैम्जे मैकडानलड के द्वारा बुलाई गई कान्फरेंस ने प्रत्येक देश के सैनिक जहाजों की जो संख्या निश्चित की थी, उसे जापानी प्रतिनिधियों ने तो स्वीकार नहीं किया, परन्तु जापान के प्रधानमन्त्री ने, अपने मन्त्रिमण्डल की सलाह से, स्वीकार कर लिया। फ्रौजी नेता इस बात से अत्यन्त क्रुद्ध हो गए। और उपर्युक्त घटना के केवल दो सप्ताह बाद नवम्बर १९३४ में, जापानी प्रधानमन्त्री की हत्या कर दी गई।

आर्थिक क्रान्ति—सन् १९३० में संसार की आर्थिक क्रान्ति का अत्यन्त व्यापक प्रभाव जापान पर पड़ा। जापान का विदेशी व्यापार घट कर पहले से केवल  $\frac{1}{3}$  रह गया। संसार के और किसी देश पर आर्थिक क्रान्ति का प्रभाव इतना घातक न पड़ा होगा। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जापान की आधादी अपने क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत अधिक है। वहां के ५० प्रतिशत निवासियों का निर्वाह कृषि पर होता है। अधिकांश किसानों के पास बहुत छोटे-छोटे खेत हैं। ये खेत उपजाऊ तो अवश्य हैं, परन्तु उन का आकार इतना छोटा है कि एक खेत से एक किसान परिवार का निर्वाह नहीं हो सकता। अपनी आय की इस कमी को जापानी किसान अपने खेतों के एक भाग में रेशम के कीड़े पाल कर पूरा करते थे। सन् १९३० में एक दिन सहसा उन किसानों को

बताया गया कि उन के रेशम के कीड़ों का अब कोई खरीददार नहीं रहा। जब उन्होंने ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्हें बताया गया कि अमेरिकन लोगों को सट्टेबाज़ी में इतना नुकसान हुआ है कि उन के पास विदेशों से कुछ भी खरीदने के लिए धन बाकी नहीं रहा। उधर किसानों की अन्य उपज, विशेषतः चावल, के दाम भी एकदम गिर गये थे।

नगर निवासियों की दशा भी कुछ अच्छी नहीं थी। उन का आर्थिक जीवन मुख्यतः ३ व्यवसायों पर निर्भर था—जहाज़रानी, रेशम, और सूती माल। इस आर्थिक क्रान्ति के दिनों में माल का सामुद्रिक यातायत बहुत कम हो गया और रेशम तथा रूई के माल की कीमतें बहुत गिर गईं। इन्हीं दिनों चीन ने जापानी माल का बहिष्कार कर दिया और भारतवर्ष आदि में जापानी माल पर तटकर बढ़ा दिया गया।

प्रतिक्रिया—दस बरसों तक जापान ने अत्यन्त शान्तिमय और ईमानदारी के उपायों से अपना आर्थिक निर्माण करने का जो प्रयत्न किया था, वह इस आर्थिक क्रान्ति पर आकर फ़ेल हो गया। जापानी जनता का अब यह विश्वास हो गया कि शायद उनके सैनिक नेता ही ठीक कहते थे। परिणाम यह हुआ कि जापान ने अपनी नीति में आमूलचूल परिवर्तन करने का निश्चय कर लिया। शान्ति की प्रतिक्रिया युद्धों के रूप में प्रारम्भ हुई।

मन्चूरिया पर आक्रमण—१८ सितम्बर १९३१ को दक्षिण मन्चूरियन रेलवे पर एक शक्तिशाली बम फटा और इस

बम ने घोषित कर दिया कि जापान ने मन्चूरिया पर चढ़ाई कर दी है। बिना किसी तरह का नोटिस दिए, बिना युद्ध की घोषणा किए, जापान ने मन्चूरिया पर आक्रमण कर दिया और चांग-सुह-लिआंग को मन्चूरिया की राजधानी से भगा दिया।

जापान के इस आक्रमण के समाचार को संसार ने आश्चर्य के साथ रूना। यद्यपि इस तरह अन्य राष्ट्रों को, बिना किसी कारण और बिना किसी उत्तेजना के हड़प कर जाने का सिलसिला सम्पूर्ण उन्नीसवीं सदी में जारी रहा था। उन्नीसवीं सदी में एशिया अफ्रीका, मध्य अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका आदि के बहुत से प्रदेशों पर संसार के शक्तिशाली राष्ट्रों ने अधिकार कर लिया था। परन्तु अब १९३१ में यह परिवर्तन आ गया था कि अब तक एक राष्ट्रसंघ का भी निर्माण हो चुका था।

जापान ने जब मन्चूरिया पर आक्रमण किया, तब जैनेवा में राष्ट्रसंघ का अधिवेशन हो रहा था और इस अधिवेशन में चीन तथा जापान दोनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। राष्ट्रसंघ ने जापान को इस बात की आज्ञा दी कि १६ नवम्बर तक वह अपनी सेनाएं मन्चूरिया से हटा ले। परन्तु जापान ने राष्ट्रसंघ की इस आज्ञा पर कोई ध्यान नहीं दिया। १६ नवम्बर को उन्होंने मन्चूरिया का एक और महत्वपूर्ण नगर जीत लिया। और उसके बाद एक वर्ष के भीतर ही जापान ने सम्पूर्ण मन्चूरिया पर अपना अधिकार जमा लिया। जापानो सरकार ने अब मन्चूरिया का नाम बदल कर 'मन्चुकुओ' कर दिया।



शंघाई का युद्ध—चीन और जापान के पारस्परिक सम्बन्ध अब बहुत कटु होगए थे । चीनी लोगों ने जापान का आर्थिक बहिष्कार कर दिया था । इस आर्थिक बहिष्कार को दूर करने के लिए जापानी सरकार ने शंघाई के अन्तर्राष्ट्रीय उपनिवेश में रहने वाले चीनियों को दण्डित करने का निश्चय किया । शंघाई की गणना संसार के सर्वश्रेष्ठ ५ बन्दरगाहों में की जाती है । इस नगर में १० लाख चीनी रहते हैं । चीन में व्यापार-व्यवसाय करने वाले १६ राष्ट्रों के विदेशी लोग मुख्यतः शंघाई में ही रहते हैं और उन्हीं के द्वारा संगठित एक सरकार के अधीन शंघाई का शासन है । जापान ने एक जहाजी वेड़ा चीनियों को डराने के लिए भेजा, परन्तु चीनी डरे नहीं । तब जापानियों ने चीनियों पर बम फेंके, परन्तु चीनियों ने बड़ी वीरता दिखाई और सम्मुख युद्ध में जापानी फौजों को हरा दिया । लाचार होकर जापान को चीन से सन्धि कर लेनी पड़ी । मई १९३२ में जापानी फौजों ने शंघाई से प्रस्थान कर दिया । अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार जापान को यह अधिकार प्राप्त नहीं था कि वह युद्ध के उद्देश्य से शंघाई में अपनी फौजें लाकर रक्खे; और जापान २५००० सेना, ४० जंगी जहाज़ और २०० जंगी हवाई जहाज़ वहां ले आया था । इसका परिणाम यह हुआ कि संसार का लोकमत जापान के और भी अधिक विरुद्ध हो गया ।

जापान और रूस—संसार के जनमत की उपेक्षा कर जापान आक्रमण और दिग्विजय के मार्ग पर अप्रसर होता चला

गया। वहां अब सैनिक नेताओं का ही शासन स्थापित हो गया। मन्चूरिया की विजय के बाद जापान को रूसी आक्रमण का भय प्रतीत हुआ। जापानी नेताओं का विश्वास था कि जापान की सुरक्षा के लिए उन्हें अपने को रूसी भय से मुक्त कर लेना चाहिए। सन् १९३५ में जापान ने राष्ट्रसंघ से त्यागपत्र दे दिया। जापान की राष्ट्रीय आय का आधे से अधिक भाग अब सैनिक कामों पर व्यय हो रहा था, इस से संसार को आशा थी कि सन् १९३६ में जापान अवश्य ही रूस पर आक्रमण कर देगा।

चीन पर आक्रमण—परन्तु जापानी फौजी नेता एक और ही बात की ताक में थे। मन्चूरिया के चीन से छिन जाने के बाद चीन में जापानियों के विरुद्ध तीव्र घृणा की भावना उत्पन्न हो गई थी और सम्पूर्ण चीन जापान से बदला लेने के लिए उतावला हो रहा था। सन् १९३७ में जब चीन अपने सम्पूर्ण आन्तरिक भेदभाव भूल कर जापान से लोहा लेने को तैयार होगया, तो जापान ने स्वयं चीन पर आक्रमण कर दिया।

शुरू-शुरू में जापान का उद्देश्य सम्पूर्ण चीन पर आक्रमण करने का नहीं था। जापानी सरकार मन्चूरिया तथा चीनी समुद्र के निकट के कुछ महत्वपूर्ण भाग ही लेना चाहती थी। परन्तु चांग-काई-शोक की अध्यक्षता में जब चीन ने जापान की किसी मांग को स्वीकार नहीं किया, तब जापान ने चीन सरकार के विरुद्ध ही युद्ध की घोषणा कर दी। जैसा कि चीन के अध्याय में कहा जा चुका है, संसार के बहुत से प्रमुख राष्ट्रों की सहानुभूति प्राप्त होने पर भी

चीन जापान की उन्नत सैन्य शक्ति का मुकाबला आसानी से नहीं कर सका और चीन के अनेक महत्वपूर्ण नगर, पेकिंग, कैंटन, हैको, टिन्स्टन आदि, और बड़े-बड़े महत्वपूर्ण प्रान्त अब तक जापान के हाथ में आ चुके हैं । चीनी सरकार अब पश्चिमीय चीन के एक छोटे-से नगर में स्थापित है । फिर भी चीनी लोग अभी तक हताश नहीं हुए और चांग-काई-शेक के नेतृत्व में वे वीरतापूर्वक जापानी आक्रमण का सामना कर रहे हैं ।

रूस से विग्रह और सन्धि—सन् १९३८ में, जापान ने यह अनुभव किया कि मन्चूरिया के सीमाप्रान्त पर, रूसी उक-साहट से विद्रोह की भावना उत्पन्न हो रही है । जापान ने अपनी ३ ००, ००० सेना रूसी आक्रमण को रोकने के लिए भेज दी । यद्यपि रूस और जापान में कभी खुल कर लड़ाई नहीं हुई, तथापि दोनों ओर से छोटे-मोटे आक्रमण होते ही रहे । विकट लड़ाई न होने पर भी दोनों राष्ट्रों की सेना बहुत अधिक संख्या में ट्रैन्स-साइबेरियन तथा मन्चुकूओ के सीमाप्रान्त पर पड़ी थी । रूस के इस कार्य के द्वारा चीन को बड़ा सहायता पहुंच रही थी । क्योंकि चीनी युद्ध में जापान अपनी पूरी शक्ति नहीं लगा सकता था । सितम्बर १९३६ में रूस और जापान में एक अस्थायी सन्धि हो गई, जिसके अनुसार दोनों देशों ने एक दूसरे पर धावे करना बन्द कर दिया है । अभी तक दोनों देशों में बातचीत जारी है ।

वर्तमान महायुद्ध के दिनों में संसार के सभी राष्ट्रों का ध्यान अपनी-अपनी समस्याओं और सुरक्षा की ओर केन्द्रित हो

१८८

रूस से विग्रह और सन्धि

गया है, इस से चीन और जापान का युद्ध अब बहुत अंशों तक स्थानीय दिलचस्पी की चीज़ रह गया है, यद्यपि उस का महत्त्व कम नहीं है।

## सातवां अध्याय

# वर्तमान महायुद्ध

रूस और जर्मनी में सन्धि—सन् १९३६ के प्रारम्भ से अंग्रेज राजनीतिज्ञ इस बात का प्रयत्न कर रहे थे कि इंग्लैण्ड और रूस में एक सन्धि स्थापित कर ली जाय। इंग्लैण्ड के कुछ प्रतिनिधि इस काम के लिए रूस में गए भी हुए थे। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, रूस के विरुद्ध जर्मनी, इटली और जापान ने एण्टी-कॉमिन्टरन पैक्ट के नाम से एक समझौता किया हुआ था। जर्मनी और इटली में रूसी सरकार को खुले आम और सरकारी तौर पर गालियां दी जाती थी। इस परिस्थिति में अंग्रेज राजनीतिज्ञों को इस बात का पूर्ण विश्वास था कि जर्मनी के बढ़ते हुए खतरों से अपनी रक्षा करने के लिए रूस अवश्य ही इंग्लैण्ड का सहयोग चाहेगा।

परन्तु २५ अगस्त १९३६ को बर्लिन के ब्रौडकास्टिंग स्टेशन से सरकारी तौर पर यह घोषणा की गई कि जर्मनी और रूस के बीच बीस वर्षों के लिए एक घनिष्ठ आर्थिक तथा तटस्थता की सन्धि हो गई है । संसार इस समाचार की सत्यता पर विश्वास करने को तैयार नहीं था कि अगले ही दिन मास्को से भी उपर्युक्त समाचार को पुष्टि हो गई और संसार को इस आर्थिक सन्धि की शर्तों भी मालूम हो गई । इस सन्धि की मुख्य शर्तें यह थीं—रूस और जर्मनी एक दूसरे से मित्रतापूर्ण व्यवहार रखेंगे । दोनों देश एक दूसरे को ८० अरब रूबल तक का क्रेडिट देंगे । दोनों देश एक दूसरे को परिवर्तन में विभिन्न आवश्यकताओं का माल दिया करेंगे । अगर कोई देश जर्मनी या रूस पर आक्रमण करेगा, तो उस देश को किसी तरह की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता नहीं दी जायगी ।

उक्त सन्धि सम्पूर्णा संसार को एक बहुत बड़े अचम्भे के समान प्रतीत हुई । उक्त सन्धि के साथ ही साथ दोनों देशों में कतिपय अन्य समझौते भी हुए थे, जिन का परिचय बाद में जाकर मिला । रूस और जर्मनी की उक्त सन्धि से संसार का राजनीतिक वातावरण बहुत ही विशुद्ध हो गया । सभी राष्ट्र समझ गए कि युद्ध अब सिर पर है ।

डैन्ज़िग और कौरीडोर की समस्या—जैसा कि प्रथम अध्याय में कहा जा चुका है, युद्ध महायुद्ध के बाद डैन्ज़िग को एक स्वतन्त्र नगर बना दिया गया था, परन्तु उसके बन्दरगाह

पर पोलैण्ड का अधिकार रक्खा गया। पोलैण्ड के पास और कोई बन्दरगाह न होने से डैन्ज़िग के बन्दरगाह पर उसका अधिकार रखना जरूरी समझा गया था। डैन्ज़िग को पोलैण्ड से मिलाने के लिए २६० मील लम्बा और लगभग ८० मील चौड़ा एक भाग, जो गत महायुद्ध तक जर्मनी के पास था, पोलैण्ड को दे दिया गया था। यह भाग कौरीडोर (बराभदा) के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रदेश के छिन जाने से जर्मनी और पूर्वीय प्रशिया एक दूसरे से पृथक् होगए। जर्मनी को यह बात बहुत प्यटकी कि पूर्वीय प्रशिया और जर्मनी के बीच का प्रदेश पोलैण्ड को क्यों दिया गया है। परन्तु मित्रराष्ट्रों ने यह कार्य याँ ही नहीं किया था। बात यह थी कि इस कौरीडोर में आधे से अधिक आबादी पोल लोगों की है। कम से कम गत महायुद्ध के बाद कौरीडोर में जो निर्वाचन हुए थे, उन में पोल प्रतिनिधियों को ही अधिक वोट मिले थे। डैन्ज़िग में जर्मन लोगों की बहुत बड़ी संख्या थी। वहाँ को ६० प्रतिशत आबादी जर्मन थी। इस से डैन्ज़िग नगर पोलैण्ड को नहीं दिया गया था, केवल बन्दरगाह और तटकर आदि जमा करने के अधिकार पोलैण्ड को दिए गए थे। जर्मनी से पूर्व-प्रशिया को मिलाने के लिए जर्मनी को यह अधिकार दे दिया गया कि वह कौरीडोर पर कुछ रेलवे लाइनें बना सकता है।

सितम्बर १९३८ में हिटलर ने घोषणा की थी कि अब यूरोप में वह कोई और दावा पेश नहीं करेगा। सन १९३४ में

हिटलर ने पोलैण्ड के साथ १० वर्षों के लिए एक सन्धि की थी । इस सन्धि के अनुसार जर्मनी को कौरीडोर पर २० सड़कें बनाने का अधिकार मिल गया । इस सन्धि से कम से कम १० वर्षों तक दोनों देशों में मित्रता के सम्बन्ध रहने की आशा थी । यद्यपि डैन्ज़िग में जर्मनों का बहुमत देख कर पोलैण्ड ने कौरिडोर के डीनिया नामक स्थान पर २ करोड़ पाइण्ड के व्यय से एक बहुत अच्छा नया बन्दरगाह तैयार कर लिया था, तथापि पोल लोगों को कभी इस बात की आशा नहीं थी कि हिटलर उनके साथ की हुई सन्धि को तोड़ने का प्रयत्न करेगा ।

सन १९३६ के प्रारम्भमें हिटलरने पोलैण्ड से यह मांग की कि वह डैन्ज़िग और कौरीडोर जर्मनी को वापस करदे । मध्य यूरोप के अन्य देशों में रहने वाले जर्मनों की देखादेखी डैन्ज़िग में एक ज़बरदस्त नाज़ी संगठन स्थापित हो गया था और कौरीडोरके जर्मन भी अपने पर होने वाले कथित अत्याचारों की पुकार मचाने लगे थे ।

इंग्लैण्ड और फ्रान्स का आश्वासन— अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थियों को विषम होता हुआ देख कर फ्रान्स और इंग्लैण्ड की सरकारों ने विदेशी मामलों में एक ही नीति स्वीकार करने का निश्चय कर लिया । अब दोनों देशों ने घोषणा की कि पोलैण्ड को राष्ट्रसंघ से कौरीडोर दिलवाने का उत्तरदायित्व उन्हीं पर है । यदि कोई राष्ट्र डैन्ज़िग की स्वाधीनता अथवा कौरीडोर



पर आक्रमण करेगा तो फ्रान्स और इंग्लैण्ड उस राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देंगे। इंग्लैण्ड और फ्रान्स जैसे शक्ति-शाली राष्ट्रों से आशवासन पाकर पोलैण्ड का साहस खूब बढ़ गया।

अगस्त १९३६ के प्रारम्भ में हिटलर ने पोलैण्ड को नोटिस दिया कि वह बहुत शीघ्र डैन्ज़िग और कौरीडोर का प्रान्त जर्मनी के अधीन कर दे, अन्यथा जर्मनी पोलैण्ड पर आक्रमण कर देगा। अगस्त, मास के अन्त में नूरम्बर्ग में नाज़ी दल का वार्षिक उत्सव होना था। संसार को आशा थी कि उस दिन हिटलर पोलैण्ड के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देगा और उक्त घोषणा का अभिप्राय यह होगा कि फ्रान्स और इंग्लैण्ड भां जर्मनी से युद्ध प्रारम्भ कर दें। उधर डैन्ज़िग में जर्मन जाति के नाज़ी स्वयंसेवक इतना उग्ररूप धारण करते जा रहे थे कि नगर के आसपास तथा कौरीडोर के प्रान्त में जर्मन और पोल लोगोँ में प्रतिदिन लड़ाई-दंगा होने लगा था। परिस्थिति दिन-प्रति-दिन गम्भीर होती चली जा रही थी।

चैम्बरलेन और हिटलर का पत्र-व्यवहार—

२० अगस्त १९३६ को इंग्लैण्ड के प्रधानमन्त्री मि० चैम्बरलेन ने हिटलर के पास इस अशय का एक पत्र भेजा कि इंग्लैण्ड ने पोलैण्ड को जो वचन दे रक्खा है, उसे दृष्टि में रख कर हिटलर को चाहिए कि वह डैन्ज़िग और कौरीडोर की समस्या का समाधान अपनी सैनिक शक्ति के आधार पर न कर, पारस्परिक

समझौते से करने का प्रयत्न करे। इसके साथ ही चैम्बरलेन ने यह भी प्रस्ताव किया कि जब तक उक्त समस्याओं का निर्याय न हो जाय, जर्मन सैनिकों को धैर्य और शान्ति से काम लेना चाहिए। अन्यथा कलह की ये विंगारियां भयंकर अग्निफाण्ड का रूप धारण कर सकती हैं।

२३ अगस्त को हिटलर ने चैम्बरलेन के उपर्युक्त पत्र का यह जवाब दिया कि :—

१. जर्मनी को इंग्लैण्ड से कोई कलह नहीं है, वह तो इंग्लैण्ड के साथ मित्रता बना कर रखना चाहता है।

२. डैन्ज़िग एक जर्मन नगर है और कौरीडोर जर्मन प्रान्त है। प्रत्येक दृष्टि से ये प्रदेश जर्मनी को वापस मिलने ही चाहिए।

३. उपर्युक्त उद्देश्य से जर्मनी पोलैण्ड के साथ बातचीत करने को भी तैयार था, परन्तु इंग्लैण्ड के आश्वासन से पोलैण्ड की मनोवृत्ति बदल गई है।

४. इंग्लैण्ड ने पोलैण्ड को बिना किसी शर्त के जो सहायता देने का वचन दिया है, उस से प्रोत्साहित होकर पोल लोग ही डैन्ज़िग तथा कौरीडोर में अशान्ति का बीजारोपण कर रहे हैं।

५. इंग्लैण्ड की सरकार का चाहे जो भी निश्चय हो, जर्मनी डैन्ज़िग तथा कौरीडोर के सम्बन्ध में अवश्य ही अपना कर्तव्यपालन करेगा। पोलैण्ड की सरकार जिस प्रकार डैन्ज़िग

की नाकेबन्दी कर वहां के जर्मन नागरिकों को तंग कर रही है, उसे जर्मन राष्ट्र कदापि सहन नहीं करेगा।

६. यदि इंग्लैण्ड और फ्रान्स इस सम्बन्ध में अपना वही रुख रक्खेंगे, जिस को उन्होंने ने घोषणा की है, तो जर्मनी भी अपनी सैन्य शक्ति को काम में लाने से नहीं चूकेगा।

७. मैं इंग्लैण्ड तथा जर्मनी की मैत्री के लिए उत्सुक हूँ, परन्तु मैं वर्साई की अन्यायपूर्ण सन्धि को किसी बात को सझन नहीं कर सकता।

२५ अगस्त १९३६ को हिटलर ने अंग्रेज़ी राजदूत मि० हिएडरसन के पास इस आशय का नोट भेजा कि जर्मनी संसार में अपना साम्राज्य स्थापित नहीं करना चाहता। अभी तक तो स्थिति यह है कि—

अंग्रेज़ी साम्राज्य	४ करोड़ वर्ग किलोमीटर भूमि पर व्याप्त है,
रूस के पास	१ करोड़ ६० लाख वर्ग किलोमीटर भूमि है,
अमेरिका के पास	६५ " " "
जर्मनी के पास	केवल ६ " " "

हिटलर ने यह भी कहा कि पोलैण्ड के निवासी डैन्ज़िग और कौरीडोर के जर्मनों पर अत्याचार कर रहे हैं। २४ अगस्त की रात को इस तरह के २१ आक्रमण जर्मनों पर किए जा चुके हैं और जर्मनी अब इस स्थिति को और अधिक सहन नहीं करेगा। मि० चैम्बरलेन अभी तक जो रुख ले रहे हैं, उस से

इंग्लैण्ड और जर्मनी में १९१४ के महायुद्ध से भी बहुत अधिक भयंकर एक और युद्ध होने की सम्भावना है ।

इसी नोट में हिटलर ने यह भी कहा कि जर्मनी अब भी इंग्लैण्ड से मित्रता के भाव रखना चाहता है । डैन्ज़िग और कौरीडोर प्राप्त कर लेने बाद, जर्मनी इंग्लैण्ड से मैत्री बनाए रख कर, उस की सहमति से, अपने उपनिवेश प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा । अंग्रेज़ी साम्राज्य के विरुद्ध वह कुछ भी नहीं करेगा । परन्तु इटली और रूस से भी वह मित्रता के सम्बन्ध बनाए रखेगा ।

हिटलर के इस नोट के उत्तर में २८ अगस्त को इंग्लैण्ड की सरकार ने निम्न आशय का नोट जर्मनी में भेजा—

इंग्लैण्ड भी जर्मनी के साथ मित्रतापूर्णा सम्बन्ध रखना चाहता है । परन्तु यह आवश्यक है कि जर्मनी इंग्लैण्ड के पोलैण्ड के प्रांत दिए गए वचन को दृष्टि में रख कर पोल सरकार के साथ इन समस्याओं के सम्बन्ध में कोई फैसला कर ले । इंग्लैण्ड इस तरह का निर्याय करवाने में सब तरह की सहायता देने को तैयार है ।

उसके बाद के दो दिनों में लगभग ५, ६ बार उपर्युक्त आशय का पत्र-व्यवहार इंग्लैण्ड और जर्मनी में होता रहा और उधर डैन्ज़िग तथा कौरीडोर में परिस्थिति अधिक-अधिक विषम होती चली गई ।

उक्त पत्र-व्यवहार के परिणामस्वरूप ३१ अगस्त की दोपहर को हिटलर इस बात के लिए तैयार होगया कि यदि

डैन्ज़िग जर्मनी को वापस दे दिया जाय, तो कौरीडोर के सम्बन्ध में जर्मनी प्लेबीसाइट करवाने को तैयार है। परन्तु पोलैंड के राजदूत को हिटलर के उपर्युक्त निर्णय का अभी पता भी नहीं चला था कि कुछ ही घण्टों के बाद हिटलर ने यह घोषणा कर दी कि क्योंकि पोलैण्ड के प्रतिनिधि इस बोच में उस से मिलने नहीं आए, अतः वह अब उन से बातचीत करने को तैयार नहीं है।

**पोलैण्ड पर आक्रमण—**और १ सितम्बर की प्रातःकाल डैन्ज़िग के नाज़ी नेता फोस्टर ने यह घोषणा कर दी कि आज से डैन्ज़िग जर्मनी का भाग बन गया है। और उक्त घोषणा के साथ ही साथ जर्मनी ने पोलैण्ड पर आक्रमण कर दिया।

पोलैण्ड को इस आक्रमण की सम्भावना काफ़ी समय से होगई थी। पोल लोग तैयार भी थे, अतः दोनों देशों में घोर युद्ध प्रारम्भ हो गया। पहले ही दिन जर्मनी ने पोलैण्ड पर हवाई जाहज़ाओं से ६४ आक्रमण किए।

**इंग्लैण्ड की चेतावनी—**जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया है, यह जान कर अंग्रेज़ों सरकार ने जर्मनी को चेतावनी दी कि वह बहुत शीघ्र पोलैण्ड से अपनी सेनाएं वापस बुला लें और आक्रमण करना बन्द कर दें, अन्यथा इंग्लैंड पोलैंड के प्रति अपना कर्तव्य पूर्ण करने को बाधित हो जायगा।

उसी दिन फ़रासीसी प्रधान मन्त्री दलेदियर ने भी हिटलर के पास यह सन्देश भेजा कि यदि जर्मनी आक्रमण बन्द कर दे तो फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड में परस्पर कोई निर्णय करवाने में

सहायता देगा। और यदि जर्मनी यह आक्रमण बन्द न करेगा तो फ्रान्स को भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित करना पड़ेगा।

परन्तु हिटलर ने पूरे इरादे के साथ पोलैण्ड पर आक्रमण किया था। बड़े नाटकीय ढंग से उस ने डैन्ज़िग में प्रवेश किया। युद्ध प्रारम्भ करते ही उस ने घोषणा कर दी कि यदि मैं मारा जाऊं तो मेरा स्थान फील्डमार्शल गोरिग लेगा और वह भी मारा जाय तो हेज़ जर्मनी का डिक्टेटर बनेगा।

इंग्लैण्ड और फ्रान्स की युद्ध घोषणा—जब देखा गया कि जर्मनी पर फ्रान्स और इंग्लैण्ड की चेतावनी का कोई प्रभाव नहीं हुआ तो २ अगस्त को इंग्लैण्ड के प्रधानमन्त्री मि० चैम्बरलेन ने हिटलर के पास यह अन्तिम चेतावनी भेजी कि यदि ३ सितम्बर के प्रातःकाल ११ बजे तक जर्मनी ने पोलैण्ड पर आक्रमण करना बन्द न कर दिया, तो इंग्लैण्ड जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देगा। फ्रान्स ने भी ठीक यही चेतावनी जर्मनी को दी। परन्तु हिटलर ने इन चेतावनियों की कोई परवाह नहीं की और ३ सितम्बर के मध्याह्नपूर्व ११ बज कर १५ मिनट पर चैम्बरलेन ने एलान कर दिया कि “जर्मनी ने हमारी चेतावनी पर भी पोलैण्ड से अपनी सेनाएं वापस बुलाने की घोषणा नहीं की, इस लिये इंग्लैण्ड और जर्मनी में युद्ध घोषित किया जाता है।” फ्रैन्च प्रधानमन्त्री ने भी यही घोषणा की।

इंग्लैण्ड में युद्ध की तैयारियां पूर्णरूप से हो चुकी थीं। सम्पूर्ण नागरिकों को गैस मास्क दिए जा चुके थे, रात को वहां

अन्धकार रक्खा जाता था। बमों के प्रहार से बचने के लिए बम-प्रूफ स्थान बना दिए गए थे, युद्ध की घोषणा होते ही लण्डन के बालकों को लण्डन से बाहर भेज दिया गया।

४ सितम्बर को जर्मनी ने इंग्लैण्ड का एक बड़ा जहाज़ डुबो दिया। उधर फ्रान्स ने भी जर्मनी पर आक्रमण कर दिया। परन्तु जर्मनी का पूरा ध्यान अभी पोलैंड को जीतने की ओर था। पोलैंड के नगरों पर जर्मनी लगातार बम, विषैलो गैसों तथा आग लगाने वाले अस्त्रों का प्रहार कर रहा था। इंग्लैण्ड और फ्रान्स के लिए पोलैंड को किसी तरह की सहायता पहुँचा सकना सम्भव ही नहीं था; क्योंकि डैन्ज़िग पर तो जर्मनी का अधिकार हो ही चुका था। और बाल्टिक समुद्र के मार्ग को जर्मनी ने बन्द कर दिया था। उधर रूस एक ओर ही धुन में था।

माजीनो और सीगफ्रीड लाइनें—इंग्लैण्ड की सेनाएं फ्रांस पहुँच गईं और फ्रांस तथा अंग्रजी सेनाओं ने इत्र उद्देश्य से जर्मनी पर आक्रमण करने का प्रयत्न किया कि इस कार्य द्वारा वे शायद पोलैंड की यत्किंचित सहायता कर सकें। क्योंकि इस आक्रमण का मुकाबला करने के लिये जर्मनी को अपनी काफ़ी सेना अपने पश्चिमी सीमाप्रान्त पर भी भेजनी पड़ेगी। परन्तु जहां फ्रांस की पूर्वीय और जर्मनी की पश्चिमी सीमा आपस में मिलती है, वहां दोनों देशों ने ज़बरदस्त किलेबन्दी कर रक्खी है। जर्मन किलेबन्दी का नाम सीगफ्रीड लाइन अथवा “वैस्टर्न फ्रन्ट” है और फ्रेंच किलेबन्दी का नाम माजीनो लाइन। यह

दोनों किलेबन्दियां अत्यन्त दृढ़ हैं। परन्तु पोल लोगों की सहायता करने के लिये, फ्रेंच सेना भारी खतरा उठा कर अपनी माजिनो लाइन से भी आगे बढ़ गई।

रूस का पोलैण्ड पर आक्रमण—१७ सितम्बर को संसार ने अत्यन्त आश्चर्य के साथ सुना कि रूस ने अपनी ४० लाख सेना को एकत्रित होने की आज्ञा दी है और अपनी सेना का काफ़ी बड़ा भाग पोलैण्ड के सीमाप्रान्त की ओर रवाना कर दिया है। १८ सितम्बर को रूसी सेना आंधी के समान पोलैण्ड में प्रवेश कर गई। पोलैण्ड इस बात के लिए कदापि तैयार नहीं था। पोल सेना अब तक अत्यन्त वीरतापूर्वक वार्सा की रक्षा कर रही थी। पश्चिमी पोलैण्ड के अधिकांश भाग पर जर्मनी का अधिकार हो गया था। अब, जब पूर्व की ओर से रूसी सेना ने पोलैण्ड पर आक्रमण कर दिया तो ३ ही दिनों के भीतर, वार्सा के अतिरिक्त, शेष सम्पूर्णा पोलैण्ड पर जर्मनी और रूस ने अधिकार कर लिया। पोल सरकार भाग गई। २८ सितम्बर तक वार्सा का भी पतन हो गया।

पोलैण्ड का विभाजन—मालूम होता है कि पोलैण्ड पर आक्रमण करने के सम्बन्ध में रूस और जर्मनी में पहले ही से कोई गुप्त समझौता हो चुका था। उस समझौते के अनुसार डैन्ज़िग सैलीशिया, कौरिडोर और वार्सा तक के पोलैण्ड पर जर्मनी ने अपना अधिकार कर लिया और पश्चिमी यूक्रेन तथा अन्य प्रान्तों पर, जो प्रदेश गत महायुद्ध के बाद रूस से छीने गए थे, रूस ने अपना



शासन स्थापित कर लिया। इस विजित प्रदेश में भी रूस ने बोल्शेविज्म और सोविएट शासन प्रणाली जारी कर दी।

पोलैंड की विजय के बाद लिटविया और अस्तोनिया के बाल्टिक राष्ट्रों में रहने वाले जर्मन स्वयमेव पोलैंड के जर्मनी द्वारा विजित प्रदेशों में आ बसे। मालूम होता है कि यह कार्य भी रूस ने अपनी रक्षा के लिए करवाया। और यह भी दोनों देशों की गुप्त सन्धि का एक भाग था। इस से बाल्टिक राष्ट्रों पर रूस का प्रभुत्व स्थापित होगया।

‘वैस्टर्न फ्रण्ट’—पोलैंड की उक्त विजय जर्मनी को बहुत सस्ती नहीं पड़ी थी। पोल लोगों ने जिस वीरता से जर्मनी का मुकाबला किया था, उस से जर्मन सेना और जर्मन हवाई जहाजों को काफ़ी क्षति पहुंची थी। अतः पोलैंड की विजय के बाद कुछ समय तक तो जर्मन सेना अपनी क्षतिपूर्ति में लगी रही। उन्हीं दिनों इटली आदि की ओर से इंग्लैंड और जर्मनी में सन्धि करवाने के अर्ध-प्रयत्न भी हुए, परन्तु उनका कोई फल नहीं निकला। उसके बाद हिटलर ने जर्मनी की अधिकांश सेना अपने ‘वैस्टर्न फ्रण्ट’ पर भेज दी : फ्रान्स और जर्मनी का वह सीमाप्रान्त, जहां दोनों देशों की सीमाएं मिलती हैं, और जहां पिछला महायुद्ध सब से अधिक भयंकरता के साथ लड़ा गया था। इस जगह दोनों की किलेबन्दी अत्यन्त मज़बूत होने के कारण युद्ध कोई विकराल रूप धारण नहीं करने पाया।

रूस का फिनलैंड पर आक्रमण—रूस ने बाल्टिक राष्ट्रों में अपनी स्थिति बहुत सुरक्षित बना ली थी। परन्तु उसे फिनलैंड की ओर से अब भी भय प्रतीत होता था। फिनलैंड के कुछ भाग लेनिनग्रेड के अत्यन्त निकट हैं, मुख्यतः इन्हीं भागों तथा बाल्टिक समुद्र के कुछ महत्वपूर्ण फीनिश उपद्वीपों पर रूस अपना अधिकार करना चाहता था, परन्तु फीनिश सरकार इस सीमा-परिवर्तन के लिए तैयार नहीं थी। एक लम्बे वाद-विवाद के बाद रूस ने १ दिसम्बर १९३९ को फिनलैंड पर आक्रमण कर दिया। फिनलैंड में इन दिनों जो भयंकर सरदी पड़ रही है, उसके कारण रूस फिनलैंड पर अपना अधिकार अभी तक (१२ दिसम्बर १९३९) तक तो नहीं स्थापित कर सका; परन्तु ३८ लाख आबादी का छोटा-सा फिनलैंड रूस जैसे शक्तिशाली देश का मुकाबला कर सकेगा, ऐसी सम्भावना किसी को भी नहीं है।

इंग्लैंड, फ्रांस और टर्की में सन्धि—१९ अक्टूबर १९३९ को इंग्लैंड, फ्रांस और टर्की में एक सन्धि स्थापित हुई, जिसे अंग्रेजी राजनीति की एक महान विजय गिना जाता है। इस से पूर्व रूस टर्की से सन्धि स्थापित करने के लिए बहुत अधिक प्रयत्न कर रहा था। बल्कान राष्ट्रों में अपनी महत्ता स्थापित करने तथा कृष्ण समुद्र की ओर से अपने को सुरक्षित करने के लिए रूस टर्की के साथ समझौता करना चाहता था। परन्तु रूस की बजाय टर्की ने मित्रराष्ट्रों की मित्रता को अधिक

महत्व दिया। उक्त सन्धि की शर्तें ये थीं—यदि कोई राष्ट्र टर्की पर हमला करेगा तो फ्रांस और इंग्लैंड टर्की की सहायता करेंगे। यदि तीनों राष्ट्रों के मैडिटरेनियन समुद्र के किसी हित पर किसी राष्ट्र ने हमला किया, तो तीनों राष्ट्र एक दूसरे की सहायता करेंगे। बल्कान राष्ट्रों के प्रति इंग्लैंड और फ्रांस के जो आश्वासन हैं, उन्हें निभाने में टर्की भी सहायता देगा। इस सन्धि का काल १५ वर्ष रक्खा गया।

इस तरह मैडिटरेनियन समुद्र की ओर मित्रराष्ट्रों ने अपनी स्थिति सुरक्षित बना ली।

**म्यूनिख दुर्घटना**—६ नवम्बर १९३६ को हिटलर ने म्यूनिख में एक भाषण दिया। यह भाषण म्यूनिख के एन सुप्रसिद्ध शराबघर में दिया गया था, जो बहुत समय से नाज़ी आन्दोलन का केन्द्र रहा है। हिटलर के भाषण समाप्त करके वहां से जाने के बाद ही उक्त इमारत में भयंकर विस्फोट हुआ, जिस से सम्पूर्णा इमारत गिर पड़ी। इस दुर्घटना में ६ नाज़ी मारे गए, और ६० ज़ख्मी हुए। यह स्पष्ट है कि यह शक्तिशाली बम हिटलर की हत्या के लिए छोड़ा गया था। उक्त घटना से यह सिद्ध हो गया कि जर्मनी में नाज़ी सरकार के विरुद्ध कोई ज़बरदस्त गुप्त संगठन विद्यमान है। जर्मन सरकार अब वहां बहुत कठोरता की नीति बरत रहा है, नाज़ी विरोधियों का घोर दमन किया जा रहा है।

‘मैग्नेटिक माइन्ज़’—जैसा कि पहले कहा जा चुका है, ‘पश्चिमी मैदान’ में अभी तक कोई भयंकर युद्ध शुरू नहीं हुआ। युद्ध की घोषणा होते ही यह आशा की गई थी कि शत्रु के हवाई जहाज़ पेरिस और लण्डन पर बमों की वर्षा करेंगे। इसी कारण इन दोनों नगरों में रक्षा के अधिकतम साधन बर्तें गए थे। परन्तु वैसा नहीं हुआ। कभी-कभी जर्मन हवाई जहाज़ों ने इंग्लैण्ड पर हवाई आक्रमण करने का प्रयत्न तो किया, परन्तु इस कार्य में उन्हें सफलता नहीं मिली।

इस समय तक इंग्लैण्ड और जर्मनी में जो युद्ध हुआ है, वह सामुद्रिक ही है। युद्ध से पहले जर्मनी ने पनडुब्बियां बनाने की ओर ही विशेष ध्यान दिया था। जंगी जहाज़ों की दृष्टि से जर्मनी इंग्लैण्ड का मुकाबला कदापि नहीं कर सकता, परन्तु उसकी पनडुब्बियों ने मित्रराष्ट्रों के जहाज़ों, विशेषकर इंग्लैण्ड के जहाज़ों, को डुबोने में आंशिक सफलता प्राप्त की। इंग्लैण्ड की जलसेना ने जर्मन पनडुब्बियों को खोज-खोज कर नष्ट करना शुरू किया और बहुत शीघ्र जर्मन पनडुब्बियों की मुसोबत से छुटकारा पा लिया। परन्तु नवम्बर १९३६ के अन्त में जर्मनी ने ‘मैग्नेटिक माइन्ज़’ नाम की नई माइन्ज़ का प्रयोग शुरू किया, जो हवाई जहाज़ों से समुद्र में डाली जाती हैं, और स्वयं ही आसपास से आने-जाने वाले जहाज़ों से जा टकराती हैं। इन माइन्ज़ के कारण जहां बहुत-से अंग्रेज़ी जहाज़ डूबे, वहां तटस्थ देशों के जहाज़ों को भी बहुत क्षति पहुँची। जर्मनी के इस प्रकार अन्धा-धुन्ध युद्ध की सभी तटस्थ देशों ने निन्दा की है।

नये महायुद्ध की विशेष परिस्थितियां—सन् १९१४ के महायुद्ध के अन्तिम दिनों में लड़ने वाले राष्ट्रों ने अपनी वायुशक्ति बहुत बढ़ा ली थी। तथापि यह कहा जा सकता है कि पिछला महायुद्ध खाइयों और जंगी जहाजों का युद्ध था। परन्तु वर्तमान महायुद्ध अभी तक उपर्युक्त दोनों रूप धारण नहीं करने पाया। इस महायुद्ध में सब से अधिक महत्ता वायुशक्ति की होगी। इसी कारण सभी राष्ट्रों ने अब अपनी वायुशक्ति बढ़ाने की ओर विशेष ध्यान दिया है। इस का यह अभिप्राय नहीं कि खाइयों और जंगी-जहाजों की अब महत्ता ही नहीं रही, महायुद्ध में विजित प्रदेश पर अधिकार तो खड्डियों की लड़ाई से ही स्थापित होगा, परन्तु शत्रुदेश को नष्टभ्रष्ट करने के लिए हवाई जहाजों के आक्रमण से बढ़ कर प्रभावकर साधन आज दूसरा नहीं है। वायु युद्ध की महत्ता बढ़ जाने के निम्नलिखित प्रभाव हुए—

१. ‘समुद्र में बहुत थोड़े द्वीप बाकी हैं’—कुछ ही समय पूर्व हिटलर ने बड़े सन्तोप के साथ घोषणा की थी कि अब समुद्र में बहुत कम द्वीप बाकी हैं। उस का अभिप्राय यही था कि वायुयुद्ध में अब द्वीपों को भी उतना ही खतरा है, जितना यूरोपियन महाद्वीप के विभिन्न राष्ट्रों को। पिछले महायुद्ध तक इंग्लैण्ड की परिस्थिति चारों ओर के समुद्र के कारण बहुत सुरक्षित थी। विशेषतः इस कारण कि इंग्लैण्ड की सामुद्रिक शक्ति बहुत उन्नत है। परन्तु अब वह बात नहीं रही। अब हवाई जहाजों के द्वारा इंग्लैण्ड

से जर्मनी और जर्मनी से इंग्लैण्ड बहुत आसानी से तथा शीघ्र पहुंचा जा सकता है ।

२. “संख्या की महत्ता कम होगई है”— उपर्युक्त परिस्थिति का एक सीधा प्रभाव यह हुआ है कि सैनिक शक्ति की संख्या की महत्ता पहले की अपेक्षा कम होगई है । अब नवीन शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और आधुनिक युद्ध विद्या में प्रवीण थोड़े से सैनिक बड़ी-बड़ी सेनाओं के दांत खट्टे कर सकते हैं । फिर भी यह कहा जा सकता है कि दोनों ओर के सैनिकों की योग्यता तथा शस्त्रास्त्रों की समानता होने पर अधिक संख्या वाले राष्ट्र के विजयी होने की ही सम्भावना है । यही कारण है कि यह युद्ध बहुत मंहगा सिद्ध हो रहा है । इंग्लैण्ड वर्तमान महायुद्ध पर प्रति दिन ८ करोड़ रुपया व्यय कर रहा है ।

३. प्रचार का महत्व— मुख्यतः रेडियो के कारण इस महायुद्ध में नवीनतम घटनाओं के समाचार सम्पूर्ण संसार को कुछ ही घण्टों में ज्ञात हो जाते हैं, इस से प्रचार ( प्रोपेगण्डा ) की महत्ता अब बहुत अधिक हो गई है । जर्मनी ने डा० गौबल्स जैसे महत्वपूर्ण और उपजाऊ दिमाग के नाज़ी नेता को ‘प्रचार’ का अध्यक्ष बनाया हुआ है और इंग्लैण्ड का प्रचार विभाग भी पूर्णरूप से संगठित किया जा चुका है ।

आर्थिक युद्ध— उपर्युक्त परिस्थितियों में मित्रराष्ट्रों का पूरा ध्यान जर्मनी को आर्थिक नाकेबन्दी करने की ओर है । और इस बात में मित्रराष्ट्रों को पर्याप्त सफलता भी मिल रही है ।

---

भारतवर्ष स्वराज्य की ओर

---

( १ )

## भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना

भारतवर्ष ब्रिटिश साम्राज्य का एक अङ्ग हैं, अतः भारतीय शासन पद्धति के समझने के लिये भारत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना कैसे हुई, यह जानना आवश्यक हो जाना है। उस पर आनन्द की शासनपद्धति एक राजनातिक विकास के फलस्वरूप में हमें मिली है। यद्यपि १६३५ विधान के "घडने" के लिये लगभग ५ वर्ष लगे थे तो भी यह विधान केवल कोई पांच वर्ष के परिश्रम का फल नहीं। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए हमने इस विषय का ऐतिहासिक दृष्टि द्वाारा से अध्ययन करना है।

भारतवर्ष केवल एक देश मात्र नहीं, बल्कि वह एक उप-महा-द्वीप है। यूरोप में यदि रूस को निकाल दिया जाये तो भारत यूरोप के बराबर में बैठता है। कई भारतीय प्रान्त यूरोप के अनेक देशों से क्षेत्रफल तथा जनसंख्या में बड़े हैं। उदाहरण के लिये—पंजाब को लीजिये। इसका क्षेत्रफल इटली से; तथा इसकी आबादी की घनता फ्रांस से अधिक है। भाषाओं की संख्या की दृष्टि से वह यूरोप से कम नहीं। पिछली १६३१ की गणना के



अनुसार भारत-साम्राज्य में २२५ भाषायें थी—जिन में मुख्य हिंदी, बंगाली, तेलगु, मराठी, तामिल, पंजाबी, राजस्थानी, कन्नडा, उड़िया, गुजराती, मलयालम, लैहड़ा, आदि भाषाओं को कम से कम ८५ लाख तथा अधिक से अधिक ७ करोड़ से अधिक बोलने वाले लोग हैं। ब्रिटिश साम्राज्य की पचास करोड़ जनता में से ३५.२ ८.३७, ७७८ भारत वर्ष में बसते हैं। अतः अंग्रेजों का दृष्टि में भारत का मूल्य क्या है, यह कहने की आवश्यकता नहीं। केवल इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि यदि ब्रिटिश साम्राज्य में से भारत वर्ष को निकाल दिया जाय तो ब्रिटिश साम्राज्य रहता ही नहीं। विशेषतया जब कि ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य भागों—कैनडा, दक्षिण अफ़्रीका तथा आस्ट्रेलिया का आपनिवेशिक स्वराज्य मिल चुका है। इसी लिये तो 'भारत' को ब्रिटिश राज्य-मुकुट का उज्ज्वलतम हीरा माना जाता है। यह उज्ज्वलतम रत्न इन अंग्रेजों के हाथ में कैसे आया ?

सीले ( Seeley ) आदि ब्रिटिशकालीन इतिहास के प्राचीन ऐतिहासिकों के बचन के अनुसार तो यह रत्न दैवशास्त्र, बिना जाने बूझे अंग्रेजों के हाथों पड़ा। यह बात कुछ अंश में ठीक अवश्य है—क्योंकि जब सर्वप्रथम "ईस्ट इण्डिया कम्पनी" के जहाज़ भारतीय तट पर आकर लगे—तो उन जहाज़ों में बैठे हुए तथा ग्रेट ब्रिटेन से उन जहाज़ों को भेजने वालों के मन में भारत में साम्राज्य स्थापित करने का विचार नहीं था। वह तो केवल व्यापार करके लाभप्राप्ति के लिये ही यहाँ आये थे।

लेकिन बाद में ऐसा नहीं रहा। डच लोगों की देखादेखी—इन्होंने ने मोचा कि यदि कुछ प्रान्त भी अपने अधिकार में कर लिये जायें तो उममे दोलाभ होंगे। एकओर तो व्यापार मे सहायता मिलेगी, दूसरे उस प्रान्त का लगान हाथ मे लगेगा। सन १६८७ के इस निश्चय के परिणामस्वरूप उन्होंने औरंगज़ेब के साथ टकरा ली। पर उस समय ऐसा करना बचपन था, क्योंकि कम्पनी वालों ने औरंगज़ेब की शक्ति का अनुमान न लगायाथा। उनके बाद लगभग १७ वष तक तो साम्राज्य स्थापना के स्वप्नों को छोड़ना पडा, लेकिन उस नीति का त्याग नहीं किया गया। सन १७०२ के 'चार्टर' ने कम्पनी को फौज भरती करने की आज्ञा दी।

“ज्ञानबुल” का स्वभाव हे कि वह कार्य प्रारम्भ करने में कुछ सुप्त रहता है। लेकिन जम दूरों को कार्य में लगा देखकर एक बार कार्य को हाथ मे ले ले तो सब को पीछे ही छोड़कर रहता है। भारत म साम्राज्य स्थापना करने का फिर से पाठ इसे डुप्ले महाशय ने पढाया। पहले तो क्लाइव ने डुप्ले को हरा कर भगादिया, बाद मे उसी के कदमों पर चल कर पलामी के युद्ध के उपरान्त बंगाल पर अपना आधिपत्य स्थापित करलिया। डुप्ले से अंगरेज़ों ने सीखा कि कैसे देशो राजाओं को भारतीय सिपाहियों की सहायता से, सगलता से पराजित किया जा सकता है। डुप्ले की असफलता से उन्होंने सीखा कि साम्राज्य स्थापना के लिये किन किन गलतियों से अपने को बचाना हे। सबसे अधिक ध्यान रखने वाली बात यह थी किसी अन्य यूरोपियन राष्ट्र को भारत

में न रहने दिया जाय, क्योंकि यदि अंग्रेज़ न होते तो फ्रांसीसियों को भारत छोड़कर जाने की आवश्यकता न पड़ती। इसी लिये तो पहला काम अंग्रेज़ों के सामने अपने राजनीतिक गुरु—फ्रैंच लोगों को देश से निकालने का था और यह काम उन्होंने करके ही छोड़ा। क्लाइव के बाद साम्राज्य वृद्धि का सिलसिला चलता रहा। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद की अंधाधुंधी में ऐसा होना ही था। पहले ऐसा होता भी आया था। यदि बाबर का अकेला जवान कुछ हजार योद्धाओं से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाल सकता था, तो अंग्रेज़ों जैसी शक्तिशाली जाति का—चाहे वह हजारों मील की दूरी से आई हो—भारत को अधीन करना सम्भव में आसकता है।

क्लाइव के बाद वारनहेस्टिंग्स को, कुछ क्लाइव की गलतियों के कारण, कुछ तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों के वजह से, और कुछ अपनी गलतियों के कारण दक्षिणी भारत में हैदरअली, मराठों तथा निज़ाम का सामना करना पड़ा। इस काल में ब्रिटिश साम्राज्य की सत्ता तक मिट जाने का अंदेशा था। इसी काल में अंग्रेज़ों के हाथों से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका निकल कर स्वतंत्र होगया था। इस महान आपत्तिकाल में वारनहेस्टिंग्स ने ही ब्रिटिश साम्राज्य के जहाज़ को चकनाचूर होजाने से बचाया। चाहे ऐसा करने के लिये उसे कुछ ऐसे कार्य करने पड़े जो कि उसके नाम को उज्ज्वल नहीं करते। पर जब

एक बार ब्रिटिश साम्राज्य का जहाज़ चट्टान से बच निकला तो उसके बाद वह आगे ही बढ़ता गया। मार्ग में तूफान आये, उन से जहाज़ डोला अवश्य, लेकिन डूबा नहीं। पर वारेनहेस्टिंगज़ काल के बाद अंग्रेजी सरकार ने कम्पनी की महत्वाकांक्षाओं को काबू करने में बुद्धिमत्ता समझी। सन् १७८४ में ब्रिटिश सरकार ने घोषणा\* की कि भारतवर्ष में साम्राज्य वृद्धि, तथा युद्ध विजय, इस राष्ट्र (अंग्रेजों) की नीति, इच्छा तथा मान की दृष्टि से घृणित कार्य हैं। पर यह तो कहने की बात थी। और वास्तव में राजनीतिक दृष्टि से ऐसा करना एक ओर अत्यन्त हानिकारक था, और दूसरी ओर असम्भव। यहां तक कि कार्नवालेस जैसे शान्ति-प्रिय व्यक्ति को भी, इस नीति को छोड़ कर टीपू से जान बूझ कर टक्कर लेनी पड़ी। कार्नवालिस के बाद सर जॉन शोर के इस नीति के अनुसरण करने का परिणाम—भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिये हानिकारक सिद्ध हुआ। जब अंग्रेजों ने निज़ाम को मराठों के विरुद्ध सहायता देने से इन्कार करदिया, तो मराठों तथा टीपू के हौसले बढ़ गए। उनके मन में यह विचार बैठ गया कि अंग्रेजी राज्य का अन्तिम काल निकट ही है। इस विचार

---

\* (to pursue schemes of conquest and extension of dominion in India are measures repugnant to the wish, the honour, and policy of this nation).

को, वैलज़ली ने आकर पूरी तरह से दूर किया। उसने इस नीति को एक ओर रख कर घोषणा की कि भारत में अंग्रेज भी एक प्रभुत्व शक्ति हैं। और युद्ध विजय से, सब सिडिअरी सिस्टम (Subsidiary system) से, तथा राजा महाराजाओं को कुछ पेंशन और उपाधियां देकर उनके राज्य कार्य को अपने हाथ में लेकर—वैलज़ली ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को जितनी वृद्धि की, उतनी कदाचित् अन्य किसी गवर्नर जेनरल के काल में नहीं हुई। वैलज़ली की इस सरपट दौड़ से थक कर, कुछ काल के लिये, नाम मात्र को, लार्ड मिण्टो तथा विलियम बैंटिक के काल में पुनः अहस्तक्षेप की नीति का अनुसरण किया गया। परन्तु परिणाम यह निकला कि इनके बाद जब हेस्टिंग्स गवर्नर जेनरल बन कर आया तो उसे वैलज़ली की नीति का ही अनुसरण कर, वैलज़ली के शेष कार्य को समाप्त करना पड़ा। मज़ा इस बात में है कि हेस्टिंग्स, वैलज़ली के शासन काल में उसकी नीति का नितान्त विरोधी था। बाद में लार्ड डलहौज़ी ने कुछ आवश्यकता से अधिक इस नीति का पालन किया। उसकी “डाक्टरिन आफ लैप्स” (Doctrine of lapse) १८५७ के विद्रोह का एक मुख्य कारण बनी। सन् १८५७ तक भारत को अधीन करने का लगभग सारा कार्य समाप्त हो चुका था। बाद में केवल १८७६ में कोइटे को, तथा १८८६ में शेष बर्मा को अधीन करना बाकी रह गया था। १८७४ में, जब कि “पिट्स-इण्डिया एक्ट” में इस अहस्तक्षेप की नीति की

घोषणा हुई थी—तब तो वास्तव में इंग्लैंड में बैठे हुए डाइरेक्टर इस नीति के पक्ष में थे। परन्तु बाद में वह अपने नियुक्त किये हुए गवर्नर-जनरलों के कार्यों का “आंख मूंद” कर ही निरीक्षण करते रहे। और हर्ज भी क्या था, जब कि वह सफलता पर सफलता प्राप्त करते चले जाते थे। परन्तु जब कभी कोई असफलता हुई, अथवा अधिक धन व्यय हुआ—तभी वह अपने महत्वाकांक्षी अनुचरों को डांटने की आश्यकता समझते थे।

अब ब्रिटिश सरकार की साम्राज्य वृद्धि की नीति प्रतिपादन करने के उपरान्त साम्राज्यवृद्धि का संक्षिप्त विवरण देना आवश्यक है। सन १६०० से १७६२ तक तो “ईस्ट इण्डिया कम्पनी” एक व्यापारिक संघ ही रहा। इसे कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे और प्रायः समुद्र तट के निकट इसकी बस्तियां तथा कारखाने थे। सब से प्रथम सूरत में इनके पाम कुछ फैक्ट्रियां थीं। सन १६४० में चन्द्रगिरि के राजा से कुछ भूमि खराद कर, मद्रास नामक स्थान पर किलाबन्दी कर मद्रास प्रान्त की नींव रखी गई। सन १६६६ में चार्ल्स द्वितीय को पुरतगाल देश की राजकुमारी से विवाह के अवसर पर बम्बई दहेज़ में मिला, जिसे उसने नाममात्र किराये पर “ईस्ट इण्डिया कम्पनी के हवाले कर दिया। १६६० में जॉब चार्नरु ने भारत की भावी राजधानी कलकत्ता की नींव रखी। इस काल में कम्पनी अपने व्यापारिक स्थानों की किलाबन्दी तो करती रही। परन्तु मुख्यतः वह व्यापारकार्य में लगी हुई थी।

अठारहवीं शताब्दी में, दक्षिण की “अन्धाधुन्धी” में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के विरोध में स्थानीय राजाओं की सहायता करना प्रारम्भ किया। १७४६ में कर्नाटक के महायुद्धों का सूत्रपात हुआ, जिन में अन्त में कंपनी विजयी हुई। और मसलिपटम तथा उसके साथ का ८० मील लम्बा, तथा ४० मील चौड़ा प्रान्त उनके हाथ लगा। पर यह तो केवल आरम्भ ही था।

सन् १७५६ ई० में अलीवर्दी खाँ की मृत्यु से ही बंगाल में भारतीय राज्य का अन्त समझना चाहिए। क्योंकि यद्यपि सिराजु-हौला, बंगाल की गद्दी पर बैठा, तथापि न तो इस में अलीवर्दी खाँ की समझ थी, और न वह व्यक्तित्व। यही कारण है कि पलासी के युग-प्रवर्तक युद्ध को युद्ध कहना भी उचित नहीं। नवाब के ४४००० योद्धाओं में से केवल ५०० या ६०० सैनिक मारे गये और अंग्रेजों की ओर केवल ७०। यह युद्ध केवल सेनाओं से ही नहीं बल्कि कौटिल्य से जीता गया था—यद्यपि इससे क्लाइव का राजनीतिक दृष्टि से महत्व कम नहीं होता। परन्तु इसका प्रभाव क्या पड़ा, इसे समझने के लिये हमें १७५६ की परिस्थितियों से तुलना करनी चाहिये। १७५६ में यद्यपि बंगाल में अंग्रेज अन्य यूरोपियन जातियों की अपेक्षा अधिक सम्पन्नशाली थे। परन्तु इनके अधिकार में केवल एक ही स्थान था। इसके अतिरिक्त इनकी फ्रैक्टरियाँ कासिम बजार, ढाका, बालासोर, जगदेआ तथा पटना में थी। पर अभी तक अंग्रेजों में इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वे अलीवर्दी खाँ के कटु शासन के

विरुद्ध सिर उठा सकें। पर पलासी के युद्ध के उपरान्त, अंग्रेजों को यद्यपि नाम को तो केवल २४ परगने मिले, परन्तु वास्तव में भारतवर्ष के सब से अधिक सम्पन्नशाली प्रान्त—बंगाल, बिहार, उड़ीसा—पर इनका राजनीतिक प्रभाव छा गया। कारण, केवल एक अंग्रेजी सेना ही शेष रह गई थी, जिस पर इन प्रान्तों की रक्षा का उत्तरदायित्व था। और इन प्रान्तों का नवाब उनकी मुट्ठी में था, इन्हीं का बनाया हुआ था। सन् १७५६ तक क्लाइव ने बंगाल में फ्रांसीसियों ( १७५७ ) तथा डचों को भी पूरी तरह से दबा दिया था, ताकि भविष्य में इनसे कोई आशंका न रहे। १७६६ में बक्सर के युद्ध के उपरान्त अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी तथा निजामत के अधिकार प्राप्त कर लिये, जिससे वास्तव में यह प्रान्त भी इनके हाथमें आगए। इन सम्पन्न प्रान्तों के हस्तगत आजाने से एक और कम्पनी की सम्पन्नता इतना अधिक बढ़ गई कि अंगरेज़ सरलता से फ्रांसीसियों को भारत से बाहर निकाल सकते थे, और दूसरी ओर साम्राज्य वृद्धि करने के लिये इन्हें साधन मिल गये। इसके बाद के इतिहास में तो केवल भारत के शेष प्रांतों का क्रम से अंगरेजों के अधीन होने की सूची देने का कार्य ही शेष रह जाता है। १७७५ में बनारस अवध के नवाब से ले लिया गया। १७८२ में कर्नवालिस ने निजाम से गन्तूर छीन लिया।

इसके बाद अंगरेजों को मुख्यतः पांच काम और करने थे



अर्थात् उन्हें मैसूर, मराठों, सिक्खों, बर्मा निवासिया को जीतना था तथा सीमाप्रान्त की समस्या का हल करना था । मैसूर के काम को कार्नवालिस तथा वेल्ज़ो ने, मरहाठों को वे ज़ली तथा हेस्टिंग्स ने, सिक्खों को हार्डिङ्ग तथा डलहौज़ी ने, बर्मा को एमहर्स्ट डलहौज़ी तथा डफ़रिन, ने सम्हाला । सीमाप्रान्त की समस्या के प्रबन्ध के लिये लार्ड एलनबरो के काल में सरचालम नेपियर ने सिन्ध को हस्तगत किया, उससे पूर्व आकलैण्ड ने अफ़गानों के प्रथम महायुद्ध में मुंड की खाई थी । वडी मूर्खना दोबारा लार्ड लिटन ने पठानों के साथ दृमरे युद्ध करने में की । इसी बीच में लिटन ने १८७६ में कोइटे के आम पास के प्रान्त को अधीन किया । लेकिन सीमाप्रान्त की समस्या तो सदा बनो रहती है । इसी लिये सभी गवर्नर-जनरलों को इस पर विचार करना पड़ता है ।

वर्षक्रम के अनुसार कार्नवालिस ने मैसूर युद्ध की विजय के उपरान्त मलाबार, बारामहल, सलेम तथा दिन्दिगुल हथिया लिए । लार्ड वेल्ज़ो ने, जैसा कि हमने ऊपर भी कहा है, जिस तरह हो सका साम्राज्यवृद्धि की । अन्तिम मैसूर युद्ध की विजय में कनारा कोयमटोर को; वुन्देलखण्ड, देहली, आगरा, दोआब को सीन्धिया से; कटक तथा बालासोर भोंसला से; तथा सबसिडियरी सिस्टम ( Subsidiary System) के अन्तर्गत कोटा, अलाहाबाद तथा रुहेलखण्ड अवध से; बिलारी और कड़प्पा के जिले निज़ाम से, तथा कुछ प्रांत बसीन की सन्धि के अवसर पर पेशवा

में लिये गए। बसीन की सन्धि का विशेष महत्व है। क्योंकि इस से अंग्रेजों का भारत में राज्य 'अंग्रेजी भारतीय राज्य बन' गया। कारण यह कि मैसूर के दमन के उपरान्त भारत में पञ्जाब को छोड़ कर केवल दो प्रबल शक्तियाँ थीं—अंग्रेज तथा मराठे। पेशवा मराठों का मुखिया था, चाहे नाम को ही केवल। परन्तु जब पेशवा ने अंग्रेजों का प्रभुत्व मान लिया तो अपने आप ही उस के सभी सरदार भी अंग्रेजों के अधीन हो गये। यद्यपि इन सरदारों को वास्तव में अपने अधीन करने के लिये वैजली तथा हेस्टिंग्स को महा संग्राम करने पड़े। इसी संग्राम में ही, जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, वैजली ने सिंधिया तथा भोंसला से कुछ प्रान्त अपने हाथ में लिये। इसके अतिरिक्त कर्नाटक, सूरत तथा तंजौर को इन प्रदेशों के नवाबों तथा राजा की मृत्यु पर, अपने आधिपत्य में कर लिया। लार्ड वेजली की इस वृद्धि से मद्रास प्रान्त पूरा बन गया, आगरे का नया प्रान्त बना तथा बम्बई प्रांत की वृद्धि हुई।

लाड मिंटो के शासनकाल में जमुना तथा सतलुज के मध्य का प्रान्त, अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया। बाद में लार्ड हेस्टिंग्स ने १८१६ में गढ़वाल, देहरादून तथा शिमले को; १८१८ में पेशवे का प्रदेश, खानदेश, सम्भल तथा नर्मदा प्रदेश को ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत कर लिया। एमहर्स्ट ने बर्मा के प्रथम युद्ध के उपरान्त (१८२६) में आसाम, कच्छार, तथा १८३४ में कुर्ग को; ऐलन बौरों ने १८४३ में सिन्ध को, और हार्डिङ्ग ने प्रथम सिख युद्ध

के बाद सतलुज-व्यास नदी के मध्य प्रान्त को अधीन किया। साम्राज्य को लगभग सम्पूर्ण बनाने का कार्य लार्ड डलहौजी ने किया। उसने बाकायदा सिलसिलेवार 'हस्ताक्षेप तथा मिलाने की नीति' का प्रयोग किया। लैप्स के सिद्धान्तके उपयोग से मितारा, नागपुर, झाँसी, जौनपुर, उदयपुर ( मध्यप्रान्तोद्य ) तथा सम्भनपुर को हस्तगत किया। अवध को, नबाव पर कुशासन का अभियोग लगाकर लेलिया, तथा बेरारको निजाम के ऋण व मेना को रखने के व्यय के लिये ब्रिटिश राज्य के अन्तर्गत किया। पञ्जाब के द्वितीय युद्ध के बाद सपस्त पञ्जाब तथा उत्तरपश्चिम सीमा प्रान्त के कुछ जिले तथा बर्मा युद्ध की विजय के अनन्तर पीगू को भी ले लिया। डलहौजी के बाद लार्ड लारेंस ने भूतान के कुछ प्रदेश, १८७६ में लार्ड लिटन ने कोइटा तथा १८८६ में लार्ड डफरिन ने सम्पूर्ण बर्मा को ब्रिटिश आधिपत्य में ले लिया।

यह तो हुआ ब्रिटिश साम्राज्य की वृद्धि का एक संचिप्त विवरण। परन्तु दो-एक विशेष बातें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। प्रथम यह कि अंग्रेजों ने, जैसा कि भारत के वर्तमान नक्शे के पीले रंग से पता चलता है—सम्पूर्ण देश को पूर्णतः अपने अधीन नहीं किया। भारत के १८०८-६७६ वर्गमील क्षेत्रफल में से ७,१२,५०८ वर्गमील तथा ३,५२,३७,७७८ जनसंख्या में से—८,१३,१०,८४५ व्यक्ति देशी राजाओं तथा नबाबों के अधीन हैं।

दूसरी विशेष बात सीलेके के शब्दों में इस प्रकार है—“यह एक विदेशी विजय नहीं बल्कि एक आन्तरिक क्रान्ति थी।” अभिप्राय यह है कि भारत के उपर विजय प्राप्त करने के लिये केवल दो शासनों का मुकाबला न था क्योंकि भारत में कोई एक शासन नहीं था। वास्तव में भारतीय समाज की आन्तरिक क्रान्ति तथा शिथिलता के समय, देसी सेनाओं की सहायता से अंग्रेज़ों ने यह विजय प्राप्त की थी। यहां पर अंग्रेज़ों की नीतिज्ञता का परिचय देने के लिये एक और बात कहनी है। अंग्रेज़ देसी सेनाओं को रखने का व्यय देशी राजाओं से लेते थे। विशेषतया लार्ड वेल्जली के “सब-सिडिशरी सिस्टम (Subsidiary system) के प्रयोग से। इस नीति के अनुसार प्रत्येक रियासत को, जो कि इस प्रणाली के अन्तर्गत थी—अपने प्रदेश की रक्षा के लिय अंग्रेज़ों को सेना रखने का खर्च देना पड़ता था। इस तरह ब्रिटिश सरकार बिना कुछ खर्च किये एक खासी सेना रख सकती थी, जिसका आवश्यकतानुसार प्रयोग किया जा सकता था।

अन्त में एक बात कह कर इस अध्याय को समाप्त करना है। यद्यपि मुगलसाम्राज्य के पतन ने अंग्रेज़ों को ब्रिटिश राज्य स्थापित करने का अवसर दिया—तो भी अंग्रेज़ों ने सम्पूर्ण भारत पर एकाधिपत्य जमाकर, भारतवर्ष को सुशासन देकर और इस विशाल देश में एकता और राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न कर इस अवसर का उपयोग किया।

---

It was not a foreign conquest but rather an internal revolution

( २ )

## शासन विधान का विकास

हमने कहा था कि आजकल की भारतीय शासनपद्धति एक विकास का परिणाम है। इस विकास के दो मुख्य पहलू हैं, ब्रिटिश सरकार तथा भारत की राजनीतिक परिस्थिति।—अब भी एक तरह से भारतीय शासन का अन्तिम उत्तरदायित्व ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथों में है, क्योंकि भारतीय शासन विधान का परिवर्तन उसी के हाथों में है। सन १६०० ईसवी से लेकर आज तक के काल को, इस दृष्टि से चार भागों में विभक्त किया जाता है। प्रथम काल १७६५ में, द्वितीय १८५७ में, तृतीय १९१७ में समाप्त हुआ और चतुर्थ अभी चल रहा है। प्रत्येक काल का यहां हमने विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं करना, केवल प्रधान सिद्धान्तों का विश्लेषण करना है। प्रथम काल इस दृष्टि से हमारे लिये कोई विशेष महत्त्व नहीं रखता। १६००—१७६५ तक तो प्राचीन तथा उत्तरकालीन कम्पनियों के परस्पर झगड़े चलते रहे। इसी काल में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों पर विजय पाई। इसके बाद भार-

तीय इतिहास के ब्रिटिश काल में फ्रांसीसी आतङ्क का भूत कभी कभी रंगमंच पर आया सही। लेकिन वास्तव में फ्रांसीसियों के भारत में साम्राज्य स्थापित करने के स्वप्न स्वप्न ही रहे।

वास्तव में तो आज की शासनपद्धति का सूत्रपात्र १७६५ के बाद से ही होता है। क्योंकि १७६५ में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, में दीवानी तथा निजामत की शक्तियाँ प्राप्त करने के बाद ही से अंग्रेजों ने भारत के ऊपर शासन करना प्रारम्भ किया। इस काल में (१७६५-१८५७) शासन की बागडोर कम्पनी के नाम पर ही रही—यद्यपि शनैः शनैः पार्लियामेंट का कम्पनी के ऊपर नियमन बढ़ता गया। इसी काल में ईस्ट इण्डिया कम्पनी एक व्यापारिक संघ से एक शासक संस्था बन गई। तथा इस समय जिस शासन का विकास हुआ—उसका कुछ अंश मुगल शासन पद्धति से तथा कुछ अंश समुद्र के पार से लाया गया।

अंग्रेजों का स्वभाव है कि वह सिद्धान्त का प्रथा पहले निकाल लेते हैं और उसका नाम कारण बाद में करते हैं। उनके अपने देश के शासन विधान को लीजिये। वह एक लिखित वस्तु नहीं है। और तो और, १६०५ तक इन्होंने ब्रिटिश प्रधान सचिव के—जो कि संसार भर के सब से अधिक महत्वशाली व्यक्तियों में से है—पद की, अन्य सचिवों के मुकाबले में, उच्चता को शासन-विधान में स्वीकार नहीं किया था। यद्यपि व्यवहार में प्रधान मन्त्री अन्य मन्त्रियों का नेता माना जाता रहा है। भारत में भी ऐसा रहा है। नाम को तो ब्रिटिश सरकार ने १८५७ में महा-

विद्रोह के बाद ही भारत के शासन की बागडोर को अपने हाथों में लिया। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। और यह कहना कि १८५७ के विद्रोह के फलस्वरूप कम्पनी से भारत पर शासन करने के अधिकार छीन लिये गये—एक भ्रम है। कारण, कम्पनी को महा विद्रोह के लिये उत्तरदायी ठहरा कर उससे अधिकार नहीं छीने गये क्योंकि राजनीतिक कार्य सम्पूर्ण रूप से पहले भी ब्रिटिश सरकार के नियन्त्रण में थे।

वास्तव में यदि हमें कम्पनी के हाथों से अधिकार लेने के कारणों पर विचार करना हो, तो हमें १७६७ सन्—जब कि पार्लियामेंट ने सर्व प्रथम भारतीय मामलों में हस्तक्षेप किया—की परिस्थिति को समझना चाहिये। १७६५ में दीवानी मिल जाने से ब्रिटिश सरकार को मालामाल होने की आशा थी। लेकिन हुआ उसका उल्टा। एक ओर तो भारतवर्ष से इकट्ठा करके लाये हुए धन से बने नये अंग्रेज नवाब विलायत पहुँचे। उधर कम्पनी के हिस्सेदारों को बहुत लाभ हुआ दूसरी ओर कम्पनी की सरकार पर ६० लाख पौंड का ऋण चढ़ गया। कम्पनी को ब्रिटिश सरकार के आगे ऋण के लिये हाथ पसारने पड़े। इस गड़बड़का प्रबन्ध करने के लिये पार्लियामेंट को कम्पनी के मामलों पर निगरानी तथा नियन्त्रण रखने की आवश्यकता पड़ी। १७७३ में रेगुलेटिंग एक्ट (Regulating Act) के अंतगत उन्होंने डायरेक्टरों का एक बोर्ड बनाया जिसके नियन्त्रण में भारत में कम्पनी की कार्यवाही को रखा गया। १७७३ से पार्लिया-

मेण्ट का प्रायः प्रत्येक बीस वर्ष के बाद कानूनों का सिलसिला चला जिसने एक ओर तो कम्पनी के ऊपर पार्लियामेंट का नयन्त्रण अधिक से अधिक होता चला गया और दूसरी ओर कंपनी को एक व्यापारिक संघ से शासन संघ बना दिया गया ।

११ वर्ष के बाद सन् १७८४ में पिट्स इण्डिया ( Pit's India Act ) के अन्तर्गत एक बोर्ड आफ कण्ट्रोल ( Board of Control ) बनाया गया, जिसके ६ मेंबरों में इंग्लैंड का अर्थ सचिव, सैक्रेटरी आफ स्टेट्स तथा चार प्रीवी कौंसिल के सदस्य रखे गये । इनका काम पूर्वी प्रदेश के जीते हुये देशों पर निगरानी तथा नियन्त्रण करना था । इसके अनुसार उस द्वैधशासन की नींव डाली गई, जो कि १८५७ तक कायम रही—क्योंकि कानून से एक ओर कम्पनी तथा दूसरी ओर पार्लियामेंट का एक बोर्ड मिलकर शासन करते थे । इसलिये यह कहा जाता है कि कार्नवालिस के समय से लेकर सभी राजनीतिक कार्यों में ब्रिटिश सरकार का उत्तरदायित्व था ।

१७६३ में आजकल के सैक्रेटरी आफ स्टेट के पद की नींव रखी गई, इस कानून ( १७६३ ) के अनुसार, बोर्ड आफ कण्ट्रोल के प्रथम सदस्य को बोर्ड का सभापति बना दिया गया । इस काल से इस बोर्ड के सामूहिक अधिकार नाममात्र के ही रह गये क्योंकि सभापति के हाथ में समस्त अधिकार चले गये थे । और साथ ही में इस सभापति को ब्रिटिश सचिव समिति में स्थान मिल जाने से इस का गौरव और भी बढ़ गया ।



१८१३ के एक्ट ने भारत के साम्राज्य तथा लगान को और बीस साल के लिये कम्पनी के सपुर्द कर दिया। ऐसा करने से ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रदेशों पर अपने प्रभुत्व की घोषणा की। १८३३ के कानून ने कम्पनी को अपना व्यापारिक कार्य बंद करने का आदेश किया तथा और बीस वर्ष के लिये कम्पनी को भारत पर शासन करने की अनुज्ञा दी। ऐसा करने से कम्पनी एक व्यापारिक संघ से शासन संस्था बन गई। अब से यह भारत में ब्रिटिश सरकार की शासन-व्यवस्था के विषय में प्रतिनिधि के रूप में भारत में रहने लग पड़ी। अभी तक कम्पनी के हाथों में भारत में नौकरियां आदि देने का अधिकार था लेकिन १८५३ के एक्ट ने वह भी इन से ले लिया। इस एक्ट से पता चलता है कि ब्रिटिश सरकार अपने कन्धों पर भारत का शासन उठाने का विचार कर रही थी क्योंकि पहले की तरह इस कानून ने कम्पनी को कोई विशेष वर्षों के लिये अधिकार नहीं दिये थे। यह सब होने पर भी डायरेक्टरों के हाथों में काफी अधिकार थे क्योंकि उनसे बहुत अधिकार ले लेने पर भी शासन का कार्य तो इन्हीं के हाथ में था। महाविद्रोह के बाद १८५८ के एक्ट ने केवल एक ही नई बात की। डायरेक्टरों के हाथ से जो शेष शासनाधिकार थे उनको लेकर द्वैध-शासन का अन्त कर दिया। बोर्ड आफ् कंट्रोल के सभापति का स्थान भारत मन्त्री (Secretary of State) ने तथा बोर्ड आफ् डायरेक्टर का स्थान इण्डिया काउंसिल ने लिया इसका कार्य केवल सम्मति प्रकट करना था। भारतमन्त्री तथा इण्डिया काउंसिल,

ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत पर राज्य करते थे। यह हमारी भारतीय शासनपद्धति का एक अङ्ग है।

तृतीयकाल १८५७ से लेकर १९१७ तक चलता है। इस काल में जैसा कि ऊपर भी कहा जा चुका है—ब्रिटिश सम्राट् ने भारत का शासन अपने हाथों में लिया। इसी काल में प्रतिनिधि सत्तात्मक संस्थाओं की स्थापना हुई तथा स्थानीय शासन पद्धति बनाई गई। इस काल में भारतशासन में पार्लियामेंट का हस्तक्षेप कम हो गया—यद्यपि सम्राट् के शासन को बागडोर को अपने हाथ में लेने से पार्लियामेंट से अधिक हस्तक्षेप की आशा थी। पर ऐसा हुआ नहीं, कारण पार्लियामेंट ने भारत का उत्तरदायित्व एक मन्त्री के जिम्मे डालकर और अधिक कष्ट उठाने की आवश्यकता न समझी। एक और बात भी हुई। भारतीय मामलों को पार्लियामेंट के दल-संघर्ष से ~~प्रभावित रखने~~ <sup>की</sup> प्रथा ~~की~~ चल पड़ी। यह काल तीन मुख्य कानूनों के <sup>का अन्तर्गत</sup> लिये प्रसिद्ध है। हमारा अभिप्राय १८६१, १८६१, तथा १९०६ के ईंग्लैंड काउंसिल एक्टों से है। १८६१ के एक्टसे व्यवस्थापिका सभा में गैर सरकारी सदस्योंको भी स्थान मिला। इसी एक्ट से बंगाल, बम्बई, मद्रास उत्तरपश्चिमीय प्रान्त तथा पंजाब के लिए एक २ स्थानीय काँसल बनाई गई। अतः इस एक्ट ने भारत में आधुनिक व्यवस्थापिका सभा की नींव डाली। परन्तु इन सभाओं में केवल विषयों पर विचार विनियम करनेकी अनुज्ञा थी। इनके सदस्योंकी संख्या केन्द्रीय सरकार की शासनकारिणी समिति के अतिरिक्त कम से कम ६ तथा

अधिक से अधिक १२ थी। प्रान्तीय सभाओं में ४ से ८ तक मेम्बर हो सकते थे। परन्तु यह सब असन्तोष जनक था क्योंकि गैर सरकारी सदस्यों की संख्या कम थी और सभायें भी छोटी छोटी थी। उनको व्यवस्थापक प्रस्तावों पर केवल विचार प्रकट करने का अधिकार था। अतः सदस्यों की संख्या को बढ़ाने के लिये और सभाओं में बजट पर विचार करने के, प्रश्नों को पूछने तथा प्रस्तावों को पेश करने के अधिकार के लिये भारतीय कांग्रेस ने मांग की। इस मांग का इंग्लैण्ड के उदार दल ने तथा भारत वाले गैर सरकारी यूरोपियनों ने भी समर्थन किया। इसका परिणाम यह निकला कि १८६२ के एक्ट से एक ओर तो सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और दूसरी ओर उनको वार्षिक बजट पर विवाद करने का, तथा प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। एक और बात भी हुई। १८६२ के एक्ट से एक प्रकार से परोक्ष निर्वाचन पद्धति प्रारम्भ हुई। अब से कुछ विशेष संस्थाएँ सदस्यों को निर्वाचित कर लेती थी। और सरकार उनको सदस्य नामज़द कर देती थी। इस एक्ट के अनुसार प्रान्तीय सभाओं में ३ सदस्य गैर सरकारी होने लगे। परन्तु इससे उद्बुद्ध जनता को सन्तोष न मिला। एक ओर तो पाश्चात्य विद्याध्ययन से उनके विचार तथा उनकी महत्वाकांक्षाएँ बढ़ने लगी और दूसरी ओर रूस, जापान युद्ध में जापान के रूस को पराजित करने से पाश्चात्य की अजेयता का भ्रम दूर होने लगा। उस पर बंगाल प्रान्त को दोभागों में बांटने से एक और आंदोलन उठ खड़ा हुआ। इन

सब बातों ने भारत की शिक्षित जनता में शासन पर अधिक अधिकार प्राप्त करने की भावना जागृत हुई। अतः जब १९०६ में उदार दल ने इंग्लैण्ड में ब्रिटिश सरकार की बागडोर अपने हाथ में ली, तब मिस्टर मार्ले भारत मन्त्री बने। आप इंग्लैण्ड के सुप्रसिद्ध उदारदल के नेता ग्लैडस्टोन के अनुयायी थे। इसीलिये इनके पद प्राप्त करने पर भारतीयों को अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति होने की आशा बनी। १९०६ के मिन्टो मार्ले सुधार ने सदस्यों की संख्या और उनके कुछ अधिकार भी बढ़ा दिये। प्रान्तीय सभाओं में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या सरकारी सदस्यों से अधिक कर दी गई। परन्तु केन्द्रीय सभा में सरकारी सदस्यों की ही संख्या अधिक रही। परोक्ष निर्वाचन की पद्धति को जारी रखा गया। मुसलमानों का निर्वाचन हिन्दू सदस्यों के निर्वाचन से पृथक् कर दिया गया। पहले पहल तो मिन्टो मार्ले सुधार—का स्वागत किया गया। परन्तु बाद में सभाओं में सरकारी सदस्यों की उपस्थिति और प्रभाव ने तथा मिस्टर मौरले के वक्तव्य ने—कि इस एक्ट से भारत में पार्लियामेन्टरी संस्था स्थापन करने का विचार बिल्कुल नहीं—भारत की शिक्षित जनता में फिर से असन्तोष जगा दिया। उस पर भारतीयों को उच्च सरकारी नौकरियों में भी स्थान बहुत कम मिलता था। अतः भारतीय शिक्षित जनता ने, विशेषतया राष्ट्रीय कांग्रेस ने और सुधारों के लिये मांग की। पहले तो इन मांगों की ओर ब्रिटिश सरकार ने कोई

ध्यान न दिया। परन्तु १९१४ के महायुद्ध में भारतीयों के महत्वपूर्ण भाग को स्मरण कर, ब्रिटिश सरकार को, भारतीयों की उत्तरदायित्व पूर्ण शासन की मांग के सम्बन्ध में विचार करना पड़ा। १९१७ सन् की १० अगस्त को श्री मोंटेग् ने, जो कि उस समय में भारत मंत्री थे—यह घोषणा की—

“The policy of His Majesty's Government,.....is that of the increasing association of Indians in every branch of the administration and the gradual development of self-governing institutions with a view to the progressive realisation of responsible government in India as an integral part of the British Empire.”

—कि ब्रिटिश सरकार की, भारत में, यह नीति होगी - कि भारतीयों को शासन के सभी विभागों में क्रमशः अधिक से अधिक स्थान दिया जायेगा। तथा भारत में क्रमशः उत्तरदायित्व पूर्ण शासन को स्थापित करने के लिए शनैः शनैः स्वराज्य संसथत्रों का विकास किया जायेगा। इस तरह जो उत्तरदायित्वपूर्ण शासन स्थापित होगा वह ब्रिटिश साम्राज्य का एक आन्तरिक भाग होगा। परन्तु किस गति से यह विकास होगा यह पार्लियामेंट के निर्णय पर छोड़ा जायेगा।

इस घोषणा से भारत-शासन विधान के विकास का आधुनिक युग प्रारम्भ होता है। यह युग अभी तक चल रहा है। इस

उपर लिखित नीति को अनुसरण करते हुए ब्रिटिश सरकार ने अभी तक सुधार की दो किश्तें दी हैं । एक १९१६ में; दूसरी १९३५ में ।

१९१६ का एक्ट—जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है—पूरा उत्तरदायित्वपूर्ण शासन प्राप्ति के लिये केवल एक प्रथम किश्त मात्र था । इसमें चार मुख्य सिद्धान्तों को कार्यरूप में परिणत किया गया है । उनमें से प्रथम सिद्धान्त यह है कि जहां तक हो सके स्थानीय संस्थाओं पर सार्वजनिक नियन्त्रण रहे । दूसरा—क्रमशः उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की स्थापना के लिये प्रांतों को उपयुक्त क्षेत्र मान कर कुछ अंशों में उत्तर दायित्व देना । इसका अभिप्राय यह है कि प्रांतीय शासन को, कानून बनाने में, शासन व्यवस्था में, तथा माली मामलों में,—केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण से छुटकारा मिलना चाहिये, और कुछ शासन-विभाग भारतीय निर्वाचित मन्त्रियों के हाथों में दिये जाने चाहिये । इसका अनुसरण करते हुए इस एक्ट के अनुसार प्रांतों में द्वैध शासन का सूत्रपात किया गया । प्रांतों के शासन विभागों को दो भागों में विभक्त कर दिया गया, एक भाग को—जिसे ट्रांसफ़र्ड विषय कहते हैं—भारतीय मन्त्रियों के आधीन कर दिया गया । यह मन्त्री प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के निर्वाचित सदस्यों में से गवर्नर द्वारा चुने जाते थे । [ यहां यह भी कह दिया जाय कि इस एक्ट के अनुसार कौंसलों के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, तथा कम से कम ७० % सदस्य जनता द्वारा चुने जाने लगे ]

दूसरे भाग को—जिसे रिज़र्व्ड विषय कहते हैं—गवर्नर की काय-कारिणी समिति के सरकारी सदस्यों के अधीन कर दिया गया ।

तीसरा सिद्धांत यह था—कि भारत के शासन के लिये पार्लियामेंट सर्वथा जिम्मेदार है । लेकिन फिर भी केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा की वृद्धि कर दी जानी चाहिये, तथा इसके सदस्य निर्वाचित होने चाहिये—ताकि ऐसा करने से शासन विभाग को लोकमत से परिचित तथा प्रभावित होने का अवसर मिल सके । इस भाव को क्रियात्मक रूप में लाने के लिये केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के दो हाउस कर दिये गये । एक का नाम था कांसिल आफ् स्टेट और दूसरे का व्यवस्थापिका सभा । कांसिल आफ् स्टेट के अधिक से अधिक ६० सदस्यों में से ३२ निर्वाचित तथा अधिक से अधिक २० सरकारी हो सकते थे । यह कांसिल भारत की धनिकश्रेणी की प्रतिनिधि थी । और व्यवस्थापिका सभा, जनता की । व्यवस्थापिका सभा के अधिक से अधिक १४० सदस्य हो सकते थे, जिनमें से १०० निर्वाचित तथा २६ सरकारी होते थे ।

चौथा सिद्धांत यह था कि उपर्युक्त परिवर्तनों के लिये पार्लियामेंट के नियमन को जितना कम करने की आवश्यकता हो उतना कम कर दिया जाय । इस सिद्धान्त के अनुसार इंग्लैण्ड में "इण्डिया हाऊस" की निगरानी करने की शक्ति में परिवर्तन

क्रिया गया तथा, भारत मन्त्री को पार्लियामेण्ट की ओर से अपना वेतन मिलने लगा ।

यहाँ हमने इस शासन-विधान पर टीका टिप्पणी नहीं करनी, बल्कि संक्षेप से १९१६ से लेकर १९३५ तक का इतिहास देना है । यहां केवल इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि १९१६ के विधान ने देश की महत्वाकाँक्षाओं को सन्तुष्ट नहीं किया । भारत भर में इसके विरुद्ध मत प्रकट किया गया । उस पर कुछ निराशा और असन्तोष को बढ़ाने वाली घटनाओं ने जले पर नमक का काम किया । इन्हीं दिनों रौलट बिल कानून बना था । इसके विरुद्ध भारत में इतनी हलचल मची कि पञ्जाब में “मार्शल ला” की घोषणा करनी पड़ी और जलियाँवाला बाग में गोली चलाई गई, जिससे सारा देश तड़प उठा । इसी काल में मुसलमान भी खिलाफत के प्रश्न पर लुब्ध हुए बैठे थे । उन्होंने मित्र राष्ट्रों द्वारा तुर्किस्तान के टुकड़े करने की नीति का विरोध करने के लिये देश भर में एक आन्दोलन खड़ा कर दिया । इस सारी हलचल ने १९२१ में गान्धी जो के नेतृत्व में सत्याग्रह आन्दोलन का रूप धारण किया । तथा राष्ट्रीय काँग्रेस ने नये कानून के अन्तर्गत स्थापित की गई सभाओं को बायकाट किया ।

तो भी, सब से प्रथम केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा ने—जिसमें गरम दल के कोई प्रतिनिधि नहीं थे—१९२१ के सितम्बर मास में इस एक्ट को बदलने के लिये एक प्रस्ताव पास किया । तीन वर्ष बाद, काँग्रेस के बहुत से सुप्रसिद्ध नेताओं ने लेजिस्लेटिव



सभाओं में प्रवेश किया और वहाँ स्वराज्य दल की स्थापना की। इस असेम्बली ने, पं० मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में, बहुमत से भारत में उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की स्थापना करने के लिये एक गोलमेज कान्फ्रेंस बुलाने का प्रस्ताव पास किया। सरकार ने इस प्रस्ताव का विरोध किया परन्तु, सर अल-कजैएडर मुडीमैन के सभापतित्व में, १९१६ के एकट की जाँच करने के लिये एक कमेटी नियुक्त कर दी। इस कमेटी के अधिक सदस्यों ने, जिनमें सरकारी अफसर भी थे, यह मत प्रकट किया कि १९१६ का शासन विधान अच्छी तरह से चल रहा है। लेकिन अल्पसंख्यक सदस्यों का मत इसके विरुद्ध था। उनके मत के अनुसार द्वैध शासनप्रणाली चल नहीं सकती। अतः उन्होंने बताया कि इस विधान का प्रयोग असफल रहा है। सरकार बहुमत से सहमत थी, अतः सरकार ने उस कमेटी के प्रस्तावों का समर्थन करने के लिये एक प्रस्ताव पेश किया। लेकिन स्वराज्य पार्टी के नेता ने उस पर एक संशोधन पेश कर एक गोल मेज़ कान्फ्रेंस बुलाने की आवश्यकता पर पुनः जोर दिया। १९१६ के शासन-विधान एकट के अनुसार अंग्रेज़ सरकार ने दस वर्ष बाद भारत में शिक्षावृद्धि और उत्तरदायित्व पूर्ण संस्थाओं के विकास की जाँच करने के लिये एक सरकारी कमेटी नियुक्त करनी थी। इस कमेटी का काम जाँच करने के उपरान्त नये परिवर्तनों के विषय में प्रस्ताव पेश करना भी था। साधारण तौर पर तो इसे १९३० में भारत में आना चाहिये

था, लेकिन भारतीय आन्दोलन के कारण यह कमेटी १९२७ में नियुक्त की गई (इसका सभापति था सर जौन साइमन)। लेकिन इस कमेटी ने भारतीय मान को और भी ठोस पहुंचाई, क्योंकि इस कमेटी का एक सदस्य भी भारतीय नहीं था। परिणाम यह निकला कि भारतीय उदारदल ने भी इसका बायकाट कर दिया। कांग्रेस ने तो ऐसा करना ही था। इसके उपरान्त १९३० में जब इस कमीशन की रिपोर्ट निकली—तो इसकी सभी ओर से निन्दा की गई।

इसी बीच में मज़दूर दल इंग्लैण्ड में—शासनाधिरूढ़ हुआ। मज़दूर दल की भारत के प्रति सहानुभूति होने से भारतीयों में अब तक कुछ आशा बंधो हुई थी। मज़दूर सरकार ने लण्डन में गोल-मेज़ कान्फ्रेंस बुलाने की घोषणा की तथा भारतीय नेताओं को भावी शासन विधान पर विचार-विनिमय तथा परामर्श के लिये बुलाया।

परन्तु, दुर्भाग्य से, ब्रिटिश सरकार के इस निश्चय में यह बात स्पष्ट नहीं की गई थी कि इस शासन विधान का, उद्देश्य औपनिवेशिक स्वराज्य होगा। अतः राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका भी बायकाट किया, और दोबारा सत्याग्रह आन्दोलन चलाया, जिसमें हजारों तथा लाखों की संख्या में पुरुष तथा स्त्रियों ने जान बूझकर कानून को तोड़ कर जेलयात्रा की।

नवम्बर के द्वितीय सप्ताह में प्रथम गोल मेज़ कान्फ्रेंस सम्राट जार्ज पंचम द्वारा उद्घाटित की गई। प्रधान सचिव

श्री रैम्जे मैकडानल्ड इसके सभापति चुने गये। कुछ भाषणों के अनन्तर कान्फ्रेंस को उपसमितियों में बाँट दिया गया, ताकि वह विधान के विभिन्न पहलुओं पर रिपोर्ट कर सकें। दस सप्ताह के विचार विनिमय के बाद प्रधान सचिव ने नये विधान के निम्नलिखित सिद्धान्तों की घोषणा की।

१.—अखिल भारतीय संघ की योजना।

२.—केन्द्र में उतर दायित्व

३.—प्रान्तों में पूर्ण-स्वराज्य

४.—भारत के हित के लिये सेफगार्ड्स

कान्फ्रेंस के समाप्त होने पर भारत सरकार तथा राष्ट्रीय कांग्रेस में समझौता कराने का प्रयत्न किया गया। इसके उपयुक्त वातावरण पैदा करने के लिये बन्दी नेताओं को मुक्त कर दिया गया। वायसराय लार्ड इरविन तथा महात्मा गांधी जी लम्बी बातचीत के बाद एक समझौते पर पहुँचे। कांग्रेस ने सत्याग्रह के आंदोलन को बन्द कर दिया, सत्याग्रहान्दोलन के बन्दी छोड़ दिये गये, तथा लार्ड इरविन ने ब्रिटिश सरकार की अनुमति सं घोषणा की—कि द्वितीय गोल मेज़ कान्फ्रेंस में मंच-शासन को एक स्वीकृत सिद्धान्त माना जायगा और वहाँ केन्द्रीय सरकार में उत्तरदायित्व पूर्ण शासन दिया जायगा तथा रक्षा, बाह्य मामले, अल्प संख्यक जातियों की स्थिति आदि विषयों पर भारत के हित की दृष्टि से सेफगार्ड्स भी होंगे। १९३१ के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने गोलमेज़ कान्फ्रेंस

को बायकाट करने का विचार छोड़ दिया । महात्मा गांधी को कांग्रेस का एक मात्र प्रतिनिधि बना कर भेजा गया । इन्हीं दिनों, इंग्लैण्ड में मजदूर सरकार ने त्यागपत्र दे दिया तथा इसका स्थान 'नैशनल गवर्नमेण्ट' ने लिया । इसमें अनुदार दल का बहुमत था । अब सैमुअल होर नया भारत मंत्री बना ।

द्वितीय गोलमेज़ कांफ्रेंस में कोई निश्चय नहीं किये जासके । रियासतों के राजाओं ने अपने अधिकारों की रक्षा की मांग की-तथा इन बात पर जोर दिया कि रियासत निवासियों के प्रतिनिधि न चुने जायें अल्प-संख्यकजाति-समस्या का भी हल न होसका । इस पर रेम्जे मैकडानल्ड ने धोपणा की "ब्रिटिश सरकार जितनी बुद्धिमत्ता तथा न्याय शीलता से हो सकेगा इस समस्या को हल करेगी । राष्ट्रीय मत को रक्षा, विदेशी नीति आदि विषयों के सेफगाइर्स पसन्द न आये । कांफ्रेंस के समाप्त हो जाने पर इस कार्य को जारी रखने के लिये भारत में वायसराय के सभापतित्व में एक विमर्श समिति बनाई गई । अन्य उपसमितियां भी सुवार-संबंधी अन्य समस्याओं की जांच करने के लिये, नियुक्त की गई । इनका काम भारत में दौरा करके मताधिकार, तथा निर्वाचन क्षेत्र बनाने तथा संघ की आर्थिक स्थिति आदि विषयों पर छान बीन कर अपनी रिपोर्ट देना था ।

महात्मा जी के भारत लौटने पर १९३२ के प्रारम्भ में ही स्वैधाआह्वाभंग आदोलन फिर से प्रारम्भ हुआ । महात्मा गान्धी

तथा अन्य प्रमुख नेता फिर से जेलों में डाल दिये गये। (१९३२ - में जैसा कि श्री. रैम्से मैकडानल्ड ने घोषणा की थी—ब्रिटिश सरकार की ओर से “कम्यूनल अवार्ड” दिया गया।) इससे भारतवर्ष में व्यवस्थापिक सभाओं में अल्पसंख्यक जातियों के लिये पृथक् निर्वाचन निश्चित करके, मुसलमानों, सिखों तथा हरिजनों के लिये प्रथक २ हक्के बना दिये गये। इस प्रकार पृथक् निर्वाचन पद्धति जारी की गई। घोषणा के कुछ दिन बाद महात्मा गांधी ने ‘कम्यूनल अवार्ड’ को हरिजन सम्बन्धी धारणों के विरोध में आमरण उपवास प्रारम्भ करने की घोषणा की महात्मा जी के इस उपवास ने सारे देश भर में एक लहर सी उत्पन्न कर दी। इस के परिणाम स्वरूप पूना-वैकट हुआ जिसके अनुसार “कम्यूनल अवार्ड” के मुकाबले में हरिजनों को व्यवस्थापक सभाओं में दुगने स्थान मिले। लेकिन इनका चुनाव पृथक् निर्वाचन पद्धति के अनुसार न कर सम्मिलित रूप में करने का निश्चय किया गया। प्रत्येक हल्के के लिये हरिजन मिलकर चार उम्मीदवार चुन लेंगे। उन चारों में से सामान्य निर्वाचन में एक हरिजन ले लिया जायगा। इस तरह एक ओर तो हरिजनों के स्थान सुरक्षित रहेंगे दूसरी ओर वह हिन्दु जाति से पृथक् न होंगे।

१९३२ के अन्त में तृतीय गोल मेज कांफ्रेंस का अधिवेशन हुआ, जिस में भिन्न भिन्न उपसमितियों की रिपोर्टों की जांच कर कांफ्रेंस ने अपने निर्णयों को ब्रिटिश सरकार के आगे पेश कर दिया।

किया। उन पर विचार कर के मार्च १९३३ में 'व्हाइट पेपर' प्रकाशित किया गया। इस में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय शासन विधान में सुधार करने के लिये अपने प्रस्ताव उपस्थित किये। कुछ दिनोंके बाद पार्लियामेंट के दोनों भवनों से कुछ सदस्य लेकर एक संयुक्त कमेटी बनाई गई। इसका काम "व्हाइट पेपर" पर भारतीय प्रधिनधियों की सहायता से विचार करना था। लार्ड लिनलिथगो इस कमेटी के सभापति थे। इस कमेटी ने एक बड़ी-सी रिपोर्ट पेश की।

इस के बाद ब्रिटिश सरकार ने इनके लम्बे चौड़े विचार विनिमय के परिणाम को क्रियात्मक रूप देने के लिये पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया, जो कि १९३५ के सितम्बर में कानून बन गया।

इस नवीन विधान के मुख्य सिद्धान्त थे—

प्रथम—रियासती भारत तथा ब्रिटिश भारत का एक अखिल भारतीय संघ

द्वितीय—संघ के केन्द्र में किसी सीमा तक उत्तरदायित्व सिद्धान्त का स्थान। ( इसके साथ ही पर्याप्त सेफगार्ड्स भी रक्खे गए। गवर्नर जनरल के हाथों में भारी संख्या में शक्तियां तथा विशेष उत्तरदायित्व दिये गये हैं। )

तृतीय—प्रान्तों में पूर्ण स्वराज्य।

( यहां भी गवर्नर को भारी संख्या में शक्तियां तथा विशेष उत्तरदायित्व दिये गए हैं। )

( ३ )

## शासन विधान के कुछ सिद्धान्त

ऊपर के विवरण से यह बात पता चल गई होगी कि भारतीय शासन विधान के अध्ययन में हमने मुख्यतया इसके तीन अंगों को समझना है। प्रथम अङ्ग—इंग्लैण्ड में भारतीय शासन-सूत्र, दूसरा केन्द्र तथा तीसरा प्रान्तीय सरकारें। लेकिन इसके पूर्व कि हम तीनों विषयों पर कुछ विस्तार से कहें, यहाँ व्यवस्थापिका सभा तथा संघ शासन के सिद्धान्तों पर कुछ कहना आवश्यक है, ताकि पाठक इसके बाद लिखे जाने वाले पृष्ठों को समझ सकें और उन पर अपने विचार बना सकें।

### व्यवस्थापिका सभा—

इस शीर्षक के अन्तर्गत हमने चार मुख्य बातों पर विचार करना है, प्रथम, यह देखना है कि आधुनिक शासनविधानों में व्यवस्थापिका सभाओं का क्या महत्व है; दूसरे इनके कार्य क्या हैं। उसके बाद मताधिकार तथा निर्वाचकमण्डल के विषय पर और

अन्त में व्यवस्थापिका सभा की दो भवनों पद्धति पर विचार करना है ।

लोकतन्त्र तथा प्रजातन्त्र के नाम से सभी परिचित हैं । शब्दार्थ इसका है—लोगों का राज्य । लेकिन लोगों का राज्य कैसे होता है—यह सभी लोग नहीं जानते । लोकतन्त्र के आदर्श को क्रियात्मक रूप देने का श्रेय अंग्रेजों को है । यह कार्य कोई एक बार बैठकर कुछ दिनों या मासों या वर्षों में नहीं हुआ, बल्कि इसके विकास होने में शताब्दियाँ लगीं । हमने यहां इस विकास का इतिहास नहीं देना । केवल लोकतन्त्र को क्रियात्मक रूप में लाने के ढंग का वर्णन करना है । यह तो सभी समझ सकते हैं कि शासन के कार्य में सारी की सारी जनता भाग नहीं ले सकती । इस समस्या को हल करने के लिये प्रतिनिधि प्रणाली की आवश्यकता पड़ी । अर्थात् सारे देश को कुछ भागों में विभक्त कर दिया जाता है । प्रत्येक हल्के से प्रतिनिधि भेजे जाते हैं । उनकी एक या दो काउंसिलें बनती हैं—उपरला हाऊस तथा निचला हाऊस । निचले हाऊस के बहुमत दल में से इस दल का नेता मन्त्रियों को चुनता है । यही मन्त्रिमण्डल कहलाता है । यह मन्त्रिमण्डल सारे देश के शासन के लिये व्यवस्थापिका सभा की अनुमति से सामान्य नीति को स्थिर करता है । इस नीति को शासक विभाग (executive) कार्यरूप में लाता है । इस प्रकार देश के शासन पर मन्त्रिमण्डल का, मन्त्रिमण्डल पर व्यवस्थापक सभा का, तथा व्यवस्थापक सभा पर लोगों का प्रभुत्व होता है । इस



पद्धति को प्रतिनिधि सत्तात्मक या पार्लियामेन्ट्री शासन-विधान कहते हैं।

इस संचिप्त विवरण देने का अभिप्राय प्रजातन्त्र में व्यवस्थापिक सभा के महत्व का निर्देश कराना है। पहले व्यवस्थापक सभा का काम देश के लिये कानून बनाना ही होता था। परन्तु अब उससगल स्थिति से बढ़कर इसका कार्य शासन पर सामान्य नियन्त्रण करना भी है।

उत्तरदायी शासन की घुण्डी है—शासकवर्ग पर व्यवस्थापिका सभा का पूर्ण नियन्त्रण। अतः लोकतन्त्र शासन में उत्तरदायी शासन को जाँचने की कसौटी है—व्यवस्थापिका सभा की शक्तियाँ तथा कार्य। आधुनिक व्यवस्थापिक सभाओं का कार्य केवल कानून बनाना ही नहीं, बल्कि आवश्यक धन को व्यय करने का अनुज्ञा देना, मन्त्रियों को एक प्रकार से चुनना, मन्त्रिमण्डल की नीति पर नियन्त्रण, उनके कार्य पर निगरानी रखना तथा उसमें आवश्यक परिवर्तन करना। यदि मन्त्रिमण्डल की नीति प्रतिनिधियों को ठीक न जंचे और मन्त्रिमण्डल अपनी बात पर अड़ा रहे तो उसे हटाया तक जा सकता है। एवं, यद्यपि व्यवस्थापिका सभा शासन कार्य की दैनिक कार्यवाही का निरीक्षण नहीं करती तो भी शासन के तथा राष्ट्र नीति के सामान्य सिद्धान्तों का निर्णय उसी के हाथों में रहता है। ऐसे शासन को उत्तरदायी शासन कहते हैं। ऐसे शासन के लिये ही भारतीय मांग कर रहे हैं। अतः किसी भी शासनविधान में प्रजातन्त्रत्व तथा उत्तरदायित्व को मापने के

लिये यह देखना होगा कि उस विधान में व्यवस्थापिका सभा का शासक-वर्ग पर कितना प्रभाव है ।

व्यवस्थापिका सभा के कार्यों को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है—कानून बनाना, शासन की देख-भाल करना तथा आयव्यय पर नियन्त्रण रखना । अर्थात् देश में जो भी कानून लागू हों, जिनका पालन जनता ने करना होता हो तथा जो कानून कचहरियों में चलते हैं, वे सब इस सभा में पास होने चाहिएं ।

शासन की देख-भाल कई उपायों से की जाती है । सार्वजनिक महत्वशाली विषयों पर अपने स्पष्ट मत को प्रकट करने के लिये सभा प्रस्ताव को पास करा देती है । इससे कानून बनाते समय की पेचीदगी से मुक्ति होसकती है । यद्यपि ऐसे प्रस्तावों का कानून की दृष्टि में महत्व नहीं होता, तो भी यह शासकवर्ग को पथनिर्देश करने का कार्य अवश्य करते हैं । यदि शासकवर्ग अधिक अड़ियल हो और वह सदस्यों के मत का तिरस्कार करे तो सरकार पर अविश्वास का प्रस्ताव पास कर उनको होश में लाया जा सकता है । अविश्वास के प्रस्ताव के पास हो जाने पर उत्तरदायी शासकवर्ग को शासन कार्य से हटा दिया जाता है और नया मन्त्रिमण्डल बनाया जाता है । और यदि कोई विशेष घटना हो जाय, जिसका सार्वजनिक हित से सम्बन्ध हो तो सरकार का ध्यान उस पर खींचने के लिये स्थगित-प्रस्ताव पेश किया जा सकता है । तथा शासन के किसी विभाग के रूटीन कार्य के विषय में

जानकारी प्राप्त करने के लिये प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इससे शासन कार्य की गड़बड़ी को लोगों के सम्मुख लाया जा सकता है।

व्यवस्थापिका सभा का तीसरा मुख्य कार्य है, आय-व्यय का नियन्त्रण तथा निरीक्षण। वास्तव में यह लोकतन्त्र का एक सार है, क्योंकि जैसे शरीर के लिये श्वासप्रश्वास की आवश्यकता है, वैसे ही एक राष्ट्र को धन की आवश्यकता है। इस अधिकार को प्राप्त करने के लिये, इंग्लैंड चिरकाल तक, विशेषतया ब्रिटिश इतिहास के स्टू-अर्ट-काल में लोगों तथा इंग्लैंड के राजाओं में भारी संघर्ष रहा। अब तो इंग्लैंड में पार्लियामेंट का ही आर्थिक मामलों में अखण्ड प्रभुत्व है। शासक-वर्ग केवल उतना ही व्यय कर सकते हैं, जितना पार्लियामेंट पास करे। वास्तव में उत्तरदायी शासन की परीक्षा के लिये व्यवस्थापिका सभा का आय-व्यय पर नियन्त्रण एक कसौटी है।

### मताधिकार तथा निर्वाचक-मण्डल

प्रजातन्त्र शासन का अन्तिम आधार है, निर्वाचन पद्धति। अतः आदर्शस्थिति में तो प्रजातन्त्र में सभी पुरुषों तथा स्त्रियों को वोट देने का अधिकार होना चाहिये और जहां तक हो सके, कम से कम व्यक्तियों को वोट के अयोग्य समझा जाना चाहिये। किन्तु व्यक्तियों को वोट नहीं मिलना चाहिये। इस प्रश्न के उत्तर पर प्रजातन्त्र का प्रजातन्त्रत्व निर्भर है। इस कार्य के लिये कुछ अयोग्य व्यक्ति तो स्पष्ट हो हैं—जैसे बच्चे, लड़के, पागल, अपराधी,

दिवालिये। पहले तो प्रतिनिधि-सत्तात्मक शासन में स्त्रियों, निर्धनों, भ्रमजीवियों, तथा मज़दूरों को भी वोट का अधिकार नहीं दिया जाता था। लेकिन आधुनिक काल में ऐसा करना ठीक नहीं माना जाता। अब तो मताधिकार के लिये जायदाद, टैक्स तथा शिक्षासम्बन्धी शर्तें होती हैं। कुछ पाश्चात्य देशों ने जायदाद की शर्त भी हटा दी है। नेहरू रिपोर्ट ने भारत में सभी वालिगों को मताधिकार देने के प्रस्ताव का समर्थन किया था।

भारत में मताधिकार प्रायः जायदाद, जाति तथा विशेष हितों की शर्तों पर दिया जाता है। भारत में इसके अतिरिक्त निर्वाचक-मण्डल भी इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर बनाये जाते हैं। सामान्य निर्वाचक-मण्डल में किसी प्रकार के जातीय भेद का विचार नहीं किया जाना। भारत में ऐसे मण्डल नहीं हैं। कुछ थोड़ा-बहुत सामान्य-मण्डल से मिलते-जुलते निर्वाचक-मण्डल ग़ैर-मुसलमानी हैं। इनमें हिन्दु, पारसी, ईसाई आदि सभी वोट देते हैं। इन मतदाताओं को केवल जायदाद की शर्त पूरी करनी होती है, और किसी विशेष हलके में निवास करना होता है। साम्प्रदायिक निर्वाचनमण्डलों में किसी विशेष सम्प्रदाय के व्यक्ति को ही प्रतिनिधि चुने जाने का तथा प्रतिनिधि चुनने का अधिकार प्राप्त होता है। भारत में पृथक् निर्वाचन पद्धति के अनुसार मुसलमानों, सिक्खों तथा कई नगरों में यूरोपिअनों का चुनाव होता है। इन दोनों पद्धतियों को मिलाया भी जा सकता है—जिसमें संयुक्त निर्वाचन पद्धति के साथ विशेष जातियों के लिये

विशेष स्थानों की संख्या सुरक्षित रखी जाती है। उदाहरण के तौर पर एक हलके को लीजिये, जिस में से तीन प्रतिनिधियों में से एक स्थान मुसलमान को मिलता है। इस अवस्था में यदि सब से अधिक वोट प्राप्त करने वाले प्रथम तीन व्यक्ति हिन्दु हों तो दो स्थान तो हिन्दुओं को दिये जायेंगे और तीसरा स्थान उस मुसलमान व्यक्ति को दिया जायेगा जो मुसलमान उमीदवारों में से सब से अधिक वोट प्राप्त करें। और यदि सब से अधिक वोट प्राप्त करने वाले प्रथम तीन मुसलमान हों तो तीनों स्थान मुसलमानों को मिलेंगे। भेद इतना ही होता है कि पृथक् निर्वाचन-पद्धति में उमीदवार को केवल अपनी जाति के की दृष्टि में अपने को योग्य सिद्ध करना होता है, परन्तु संयुक्त निर्वाचन में उसे सभी लोगों में सर्वप्रिय होना होता है।

इसके अतिरिक्त विशेष निर्वाचक-मण्डल भी होते हैं। इन द्वारा देश के ज़मींदार, व्यापार-व्यवसाय तथा विश्व-विद्यालय आदि अपने प्रतिनिधि भेजते हैं। इस विशेष निर्वाचन से देश के उन विशेष हितों को—जो कि राष्ट्र के लिये उपयोगी हों—प्रतिनिधि भेजने का अवसर मिलता है। भारत में कुछ विश्व-विद्यालयों को, तथा यूरोपियन व्यापार संघ, भारतीय व्यापार-संघ आदि संस्थाओं को अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया है। यहां एक बात और भी। १९१६ के एक्ट के अनुसार—६० लाख व्यक्तियों को मताधिकार मिला था। लेकिन १९३५ के एक्ट ने ३ करोड़ व्यक्तियों को वोट दे दिये हैं।

## पृथक् निर्वाचन पद्धति क्यों ?

भारत में यह पद्धति, सर्वप्रथम १९०६ में मिएटोमोलें सुधार के अन्तर्गत प्रारम्भ की गई थी। इसका उद्देश्य भारत में अल्पसंख्यक जातियों के हितों की रक्षा करना था। प्रजातन्त्र में सब से बड़ी त्रुटि है—बहुमत से अल्पसंख्यक जातियों को भय। क्यों कि बहुमत वाली जातियां प्रायः अपनी संकुचित भावनाओं के कारण अल्पमत वाले लोगों की पर्वाह नहीं करतीं, और शासन कार्य में पक्षपात से काम लेती हैं। ब्रिटिश सरकार की दृष्टि में भारत जैसे देश में इस भय के लिये विशेष स्थान है। क्योंकि यहां विभाग केवल राजनीतिक तथा सामाजिक विचारों से ही नहीं, बल्कि धर्म, जातीय, तथा ऐतिहासिक कारणों से भी हैं। मौलें साहब को इसका सब से अच्छा उपाय १९०६ में पृथक्-निर्वाचन पद्धति ही सूझा।

परन्तु इस से राष्ट्र की राष्ट्रीयता को हानि होती है, क्योंकि पृथक् निर्वाचन में पृथक् पृथक् दलों की विभिन्नता पर अधिक जोर दिया जाता है, जिससे उस देश के बसने वाले संगठित होने के स्थान पर एक दूसरे से शंकित रहते हैं। एक दूसरे के पड़ोसी बनने के स्थान पर प्रतिद्वन्दी तथा शत्रु बन जाते हैं। इस पद्धति में कट्टर व्यक्तियों के चुने जाने की अधिक सम्भावना होती है। पृथक् निर्वाचन से चुने जाने के कारण, इन जातियों के प्रतिनिधि केवल साम्प्रदायिक हितों का ही ध्यान रख कर अपने निर्वाचक मण्डल की दृष्टि में सर्वप्रियता प्राप्त करना चाहते हैं।

ऐसी अवस्था में वह राष्ट्रीय हितों की परवाह नहीं करते। लेकिन अब तो साम्प्रदायिक निर्वाचन पद्धति भारतीय शासन विधान का स्थिर अङ्ग बन गई है।

### व्यवस्थापिका सभा के दो भवनों की पद्धति

इस पद्धति के अनुसार व्यवस्थापिका सभा के दो भवन होते हैं। इन दोनों भवनों के पृथक् पृथक् निर्वाचक मण्डल होते हैं। इनकी शक्तियाँ, तथा राजनीतिक पद एक जैसे नहीं होते। उपरले हाउस में देश के धनिक वर्ग तथा ज़मींदारों आदि के प्रतिनिधि रहते हैं। नीचला हाउस जनता द्वारा निर्वाचित होता है। इस लिये इसके अधिकार भी अधिक होते हैं। क्योंकि उपरले हाऊस के सदस्य सम्भ्रान्त व्यक्ति होते हैं, अतः वह राष्ट्र के सभी अङ्गों की आवश्यकताओं को नहीं समझ सकते, इसीलिये उनके हाथों में अर्थनीति और आयव्यय सम्बन्धी क्षेत्र में अधिकार नहीं दिया जाता। इन प्रश्नों पर प्रायः सर्वत्र निचले हाऊस का निर्णय अन्तिम होता है।

इस विषय पर—कि व्यवस्थापिका सभा के दो भवन होने चाहियें या नहीं—राजनीतिक विचारकों में मतभेद है। कई राजनीति शास्त्रज्ञ उपरले हाऊस को निरर्थक समझते हैं, क्योंकि इससे शासन कार्य में पेचीदगी बढ़ती है, अतः इससे राष्ट्र के बहुमूल्य समय, धनादि की हानि होती है। भारत में १९१६ के एक्ट से केन्द्र में दो भवनों की व्यवस्थापिका सभा बनाई गई। अब नये एक्ट के अन्तर्गत कुछ प्रान्तों में भी ऊपरला हाऊस बना दिया गया है, ताकि वह

निचले हाऊस के प्रस्तावों में परिवर्तन तथा संशोधन कर सके । लेकिन भारतीय राष्ट्रीय विचार वाले इसे भारतीय प्रगति में एक बाधा मानते हैं ।

### संघ शासन

जैसा कि प्रायः विदित ही है, लोकतन्त्र का सिद्धान्त ईसा से पहले भी इतिहास में प्राचीन ग्रीस की कतिपय जातियों में तथा भारत में लिच्छवि आदि जातियों में मिलता है । लेकिन संघ शासन एक नवीन संस्था है । इसका नामकरण मंस्कार एक प्रकार से १७८७ में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के स्वतन्त्रता प्राप्त करने के अवसर पर हुआ था । संघ शासन की आवश्यकता परिस्थितियों ने पैदा की । आवश्यकता का कारण था स्वतन्त्र छोटे छोटे राज्यों का पड़ोस । ये छोटे छोटे राज्य एक ओर अपनी स्वतन्त्रता को छोड़ना नहीं चाहते थे और दूसरी ओर वे विदेशी आक्रमणों से अकेले अपनी रक्षा नहीं कर सकते थे । उस पर आधुनिक युग में आर्थिक हितों के लिये बड़े राष्ट्र तथा एक नीति का होना लाभदायक होता है । ऐसी परिस्थितियाँ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कैंनेडा तथा आस्ट्रेलिया में पैदा हुईं—अतः वहाँ संघशासन स्थापित करने की आवश्यकता पड़ी ।

सुप्रसिद्ध विधान शास्त्रज्ञ डाइसे ने संघशासन स्थापित करने के लिये दो अवस्थाओं का होना आवश्यक माना है । एक तो यह कि जो राष्ट्र या प्रान्त अपने आपको संघशासन के अधीन करना चाहें वे जानीय, ऐतिहासिक आदि किसी भाव के



कारण सम्पर्ग संघ को एक राष्ट्र के रूप में जान सकें। ताकि उन पर एकराष्ट्रीयता की मुद्रा लग सके। दूसरे वे संघ (union) के इच्छुक हों, एकता (unity) के नहीं। अर्थात् एक ओर तो वे अपनी स्वतन्त्रता सुरक्षित रख सकें, और दूसरी ओर राष्ट्रीय कार्यों के लिये वे एक साथ जुट सकें।

इस विधान के बनाने के लिये, स्वतन्त्र राष्ट्र अपने प्रभुत्व के कुछ विभाग को संघ के हाथों में सौंपना स्वीकार करते हैं। बस, उसी सीमा तक आन्तरिक मामलों में वे संघ के सीधा अधीन रहेंगे। ऐसी अवस्था में भविष्य के झगड़ों को रोकने के लिये इस विधान को विस्तारपूर्वक लिखा जाता है। विशेषतया इसमें प्रभुत्व के जिस भाग को छोटे राष्ट्र संघ को सौंपा जाता है, उसको स्पष्टतया लिखा जाता है। तो भी ऐसे विधान में, विधान की व्याख्या पर झगड़ा होने की काफ़ी गुञ्जा-इश रहती है। इन झगड़ों को निबटाने के लिये फ़िडरल कोर्ट की आवश्यकता पड़ जाती है। इस कोर्ट का काम संघ के सदस्य प्रांतों से; तथा एक सदस्य प्रान्त का दूसरे सदस्य प्रान्त के बीच झगड़ा निपटाना होता है।

ऊपर के विवरण से यह पता चल गया होगा कि संघ शासन की मुख्य विशेषतायें क्या क्या हैं। पहली बात तो विधान की प्रमुखता है, क्योंकि संघशासन का अस्तित्व ही इससे है। कि इस प्रसंग में कतिपय बातों को नोट करना चाहिये। एक तो यह विधान लिखित, तथा अपरिवर्तनीय होता है। दूसरे, संघ के

सदस्य प्रान्तों में जितनी व्यावस्थापिका सभाएं होती हैं वे संघ की व्यवस्थापिका सभा के अधीन होती हैं। तीसरी बात शक्तियों का संघ के सदस्य विभागों में बांटना फ़िडरल कोर्ट का नियमों की व्याख्या करने का सर्वमाननीय अधिकार। शक्तियों को बांटते समय, जो शक्तियां सम्पूर्णा राष्ट्र के हितके लिये आवश्यक होती हैं उन्हें संघ अधीन कर दिया जाता है। तथा स्थानीय आन्तरिक आवश्यकताओं के लिये जिन शक्तियों को ज़रूरत होती है, वे प्रान्तों के पास ही रहने दी जाती हैं।

अगले अध्याय में भारतीय शासन विधान का विवरण देना है। इसको हम तीन भागों में विभक्त करेंगे—इंग्लैण्ड में, केन्द्र में तथा प्रान्तों में। परन्तु इस क्रम को कुछ बदल दिया जायेगा। सब से प्रथम केन्द्र के सम्बन्ध में अर्थात् भारतीय संघ शासन पर लिखा जायेगा। उसके बाद प्रान्तों पर और सबसे अन्त में इंग्लैण्ड से संचालित होने वाले भारतीय शासन पर। यहां यह भी बता दिया जाय कि १९३५ के एक्ट में भारत मन्त्री के अधिकार ११वें अध्यायों में दिया गये हैं। ऐसा क्यों किया गया यह अपने आप बाढ़ में पता चल जायेगा।

( ४ )

## अखिल भारतीय संघ

यहां हमने नवीन विद्या के प्रथम सिद्धांत—अर्थात् रियासती तथा ब्रिटिश भारत के अखिल भारतीय संघ के विषय को लेना है ।

अंग्रेजों ने सारे भारत को अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया था, इसी लिये नक्शे में आज भारत के दो भाग नजर आते हैं, एक पीला तथा दूसरा लाल, अर्थात् रियामनी तथा ब्रिटिश । लेकिन यह तो एक ऐतिहासिक घटनामात्र है । इन देशी राजाओं के पूर्वज या तो स्वतन्त्र राजे थे या शक्तिशाली सचिव, शासक वा सेनापति । १८वीं तथा १९वीं शताब्दी के राजनीतिक बवण्डर के सन्मुख बहुत से ऐसे महत्वाकांक्षियों का नाश होगया । केवल वही जो कि उस बवण्डर के आगे झुकने की बुद्धिमत्ता रखते थे—अपने गौरव तथा राजनीतिक अधिकारों का मूल्य देकर अपने आपको बचाये रख सके ।

परन्तु रियासती तथा ब्रिटिश भारत के इस द्वैध के डोते हुए भी भारत, वास्तव में, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से; बहुत हद तक एक ही देश है। भूगोल की दृष्टि से तो वह एक है ही। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, चन्द्रगुप्त, अशोक, अकबर आदि सम्राटों के काल में वह एक रह चुका है। रियासती तथा ब्रिटिश भारत की जनता जाति तथा धर्म की दृष्टि से एक जैसी हैं। सम्पूर्ण भारत की आर्थिक समस्याएं भी भिन्न नहीं। तथा राजनीतिक दृष्टि से सम्पूर्ण भारत अंग्रेजों के अधीन है। उस पर राष्ट्रीय भावना भी जनता में जागृत हो चुकी है। ऐसी अवस्था में संघशासन की वाञ्छनीयता स्पष्ट हो जाती है। ऐमा विचार श्री मौण्टेगु के मन में भी था। बट्लर कमेटी ने तथा साइमन कमीशन के सामने भी ऐमा विचार था। लेकिन यह कभी उनके मन में न था कि यह बात इतना शीघ्र वैधानिक रूप धारण कर लेगी, क्योंकि, तब यह सम्भव प्रतीत नहीं होता था कि रियासती नरेश भी इसमें प्रवेश करना चाहेंगे। वे प्रवेश क्यों नहीं करना चाहते थे ?

इस विषय को समझने के लिये हमें रियासतों की तथा प्रान्तों की वैधानिक स्थिति की जांच करनी होगी। रियासतों की वैधानिक स्थिति बड़ी अजीब-सी है। उनकी राजनीतिक स्वतन्त्रता अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में स्वीकार नहीं की जाती। उनके राजा तथा बाह्य मामले तो ब्रिटिश सरकार के हाथों में हैं, लेकिन आन्तरिक मामलों में कई रियासती राजाओं को सम्पूर्ण शासनके अधिकार प्राप्त हैं। आन्तरिक क्षेत्र में भी, कुशासन के समय,

ब्रिटिश सरकार हस्ताक्षेप कर सकती है। लेकिन ऐसा प्रायः नहीं किया जाता। यद्यपि जब कभी हस्ताक्षेप किया जाता है तो वह प्रभावरहित नहीं होता। सम्राट् की ओर से यह नियन्त्रण सम्राट् का प्रतिनिधि वायसराय तथा भारतसरकार किया करती थी।

इधर में रेगुलेटिंग एक्ट और विशेषतया १८३३ तथा १८५८ के कानूनों ने, ब्रिटिश भारत में एक अति केन्द्रित शासन-प्रणाली स्थापित कर दी थी। सम्पूर्ण फौजी तथा सिविल अधिकार इसके हाथ में थे। शासन की सुगमता के लिये प्रान्तों को बनाने की आवश्यकता पड़ी और वहां प्रान्तीय शासन की स्थापना भी की गई, लेकिन उनको यह सारे अधिकार केन्द्रीय सरकार से मिले थे। प्रान्तीय सरकार वही कार्य कर सकती थी जिन के लिये उन्हें केन्द्रीय सरकार से आदेश मिलते थे। लार्ड मेयोने सन् १८७० में अधिकार विभाजन (decentralisation) प्रारम्भ किया। यह विभाजन मोण्टफोर्ट सुधार के समय काफी हद तक पहुंच गया था, लेकिन ऐसा होने पर भी प्रान्तों को कोई नई वैधानिक पदवी नहीं मिली। केन्द्रीय सरकार ही भारत के शासन के लिये उत्तरदायी थी। प्रान्तीय सरकार तो केवल केन्द्रीय सरकार की एजेण्ट-मात्र थी।

इस प्रकार आज भारत में दो अङ्ग हैं, जो राजनीतिक भारत को बनाते हैं। एक अङ्ग तो इनमें से आन्तरिक मामलों में स्वतन्त्र है। अतः इस अङ्ग को अखिल भारतीय संघ में प्रवेश करने के

लिये अपने अधिकारों के कुछ भाग का त्याग करना पड़ेगा। दूसरा अङ्ग ब्रिटिश प्रान्तीय सरकारें हैं, जिनको केन्द्रीय सरकार से अधिकार मिले हैं और जो केन्द्रीय सरकार की इच्छानुसार घटाये अथवा बढ़ाये जा सकते हैं। उन्होंने तो संघ में प्रवेश होने के लिये कुछ भी नहीं छोड़ना। उनके पास अपने अधिकार हैं ही कौन से, जिनको उन्होंने छोड़ना हो। बल्कि संवशासन में प्रवेश करने से उन्हें तो एक नई वैधानिक पदवी प्राप्त हो जायगी।

इस अवस्था में रियासतें संघ में प्रवेश करने से भिन्नकृती थीं। उनको प्रवेश करने के लिये कोई बाधित भी नहीं कर सकता। एक और बात भी थी। रियासतों के सम्बन्ध में सम्राट के स्थान पर वायसराय तथा भारत सरकार सम्राट की पैरामउंट (Paramount) शक्ति का प्रयोग करते थे। अब तक भारतसरकार का रूप तो नौकरशाही था। लेकिन ब्रिटिश भारत में राजनीतिक प्रगति के साथ-साथ भारतसरकार के स्वरूप में भी परिवर्तन आना था, इसे अपना नौकर शाहीरूप छोड़कर उत्तरदायी रूप धारण करना था। उत्तरदायी रूप की प्राप्ति पर भारतीय रियासतों पर (चाहे परोक्ष रूप में) भारतीय जनता का नियन्त्रण हो जाना था। यह रियासती नरेश भला कैसे पसन्द कर सकते थे। इसलिये उनके कहने पर बटलर कमेटी बैठ गई, जिसने यह निश्चय किया कि रियासतों का सम्बन्ध सीधा सम्राट से है, भारतीय सरकार से नहीं। दूसरी बात इस कमेटी ने यह कही कि रियासतों को, बिना उनकी अपनी मर्जी के

ब्रिटिश भारत में नई उत्तरदायी सरकार के साथ किसी प्रकार से सम्बद्ध न किया जाये। यह १९२७ की बात है।

गोलमेज़ काँफ्रेंस पर किसी को यह आशा न थी कि रियासतें संघ में प्रवेश करना स्वीकार करेंगी। अतः सभी को, रियासती नरेशों के संघ में प्रवेश करने के निश्चय को सुन कर अचम्भा हुआ था। इसका विशेष कारण था। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय जनना को सन्तुष्ट करने के लिये कुछ अंशों में केन्द्र में उत्तरदायित्व देना था। लेकिन इस बात से वह घबराती भी थी। यदि किसी प्रकार से केन्द्र में अनुदार दल का बहुमत कायम हो जाता, तो उनको घबराने का कोई कारण न रहता। मारकेस आफ रीडिङ्ग के शब्दों में “यदि संघशासन में भारतीय नरेश प्रवेश करें तो मैं भारत को कुछ सेफ़गार्डज़ के साथ उत्तरदायी शासन देने को तैयार हूँ।” इसलिए बटलर कमेटी की रिपोर्ट में तीसरी बात यह है कि इस विधान में परिवर्तन करने का ब्रिटिश पार्लियामेंट को ही अधिकार है।

चौथी बात फ़िडरल व्यवस्थापिका सभा के दोनों भवन निर्माण करने के सम्बन्ध में हैं। आम तौर पर निचले हाउस में संघ के सभी सदस्यों को आबादी के अनुपात से स्थान दिये जाते हैं तथा ऊपरले हाउस में राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से सभी को समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है। लेकिन यहां इस सिद्धान्त का प्रयोग नहीं किया गया। यहां तो व्यवस्थापिका सभा के ऊपरले हाउस के लिये सीधा चुनाव होता है तथा निचले

हाऊस के लिये परोक्ष ढंग से—तथा साम्प्रदायिक पद्धति का अनुसरण करते हुए। इसके फल स्वरूप, संघ-शासन स्थापित करने के उद्देश्य—अर्थात् भारत की सहज एकता तथा राष्ट्रीय भावना की दृष्टि से—को एक प्रकार से हानि पहुंचती है।

पांचवीं बात यह है कि यह नाममात्र को ही संघ-शासन है। वास्तव में यह अति केन्द्रित सरकार है। और तो और, प्रान्तीय विषयों पर भी गवर्नर जनरल का नियन्त्रण रहता है। अतः एक तरह से प्रान्तीय सरकारें भी पूर्णतया उत्तरदायी नहीं।

उस पर अतिरिक्त शक्तियों ( residuary powers ) के विषय में निर्याय करना गवर्नर जनरल की विवेचनात्मक शक्तियों के अन्तर्गत कर दिया गया है।

एक अजीब बात यह है कि रियासत के प्रतिनिधि तो ब्रिटिश भारतीय कानून बनाने के समय वोट दे सकते हैं। लेकिन रियासती मामलों पर विचार करते समय ब्रिटिश भारतीय प्रतिनिधियों को वोट देने का अधिकार नहीं।

इन्हीं युक्तियों को ध्यान में रखते हुए भारत के सभी राजनीतिक दलों ने इस संघ शासन की निन्दा की है। क्योंकि प्रान्तीयता तथा साम्प्रदायिकता आदि के भावों के बढ़ने से राष्ट्रीयता के भावों में, और नरेशों के प्रतिनिधियों के व्यवस्थापिका सभा में होने से भारतीय प्रगति में बाधा पड़ेगी।

भारतीय राजाओं के निश्चय को मान कर ब्रिटिश सरकार ने यह स्वीकार कर लिया कि भारतीय रियासतों का राजनीतिक सम्बन्ध



ब्रिटिश सम्राट् से अथवा उसके प्रतिनिधि वायसराय से है, न कि भारत सरकार से। रियासती नरेशों को संघ में प्रवेश कराने के लिये उन्हें उनके अनुपात से कहीं अधिक फिडरल व्यवस्थापिक सभा में सीटें दी गईं। नरेशों ने इसलिये अपना रुख बदला, क्योंकि संघ में प्रवेश करने से वे ब्रिटिश भारत में राजनीतिक प्रगति के प्रभाव को रियासतों में फैलने से रोक सकेंगे। उस पर उनको “पैरामाऊंट पावर” से कुछ सीमा तक मुक्ति मिलेगी, तथा पोलिटिकल डिपार्टमेंट के वर्ताव से छुटकारा मिलेगा। संघ में प्रवेश करने से ब्रिटिश भारत तथा रियासतों के परस्पर विरोधी हितों का समीकरण हो सकेगा और भारतीय सरकार में उनकी आवाज़ सुनी जायगी।

अब रियासतों के संघ में प्रवेश करने से उनकी वैधानिक स्थिति तीन तरह की हो जायगी। आन्तारिक मामलों में वे लगभग स्वतन्त्र होंगी, दूसरे उस सीमा तक वे संघ शासन के अन्नर्गत होंगी, जिन सीमा तक उन्होंने अपनी शक्तियां संघ शासन को सौंप दी हैं। तीसरे वे सम्राट की पौरामाऊंट पावर के अधीन होंगी।

दूसरी ओर प्रान्तों को, कुछ सेफ़गार्डों के साथ, आंतरिक स्वराज्य मिला। इस विषय पर हम अगले अध्याय में विस्तार से लिखेंगे।

## भारतीय संघशासन की विशेषतायें

पिछले अध्याय में हमने सामान्य संघ शासन

विशेषतायें संक्षेप से बताई थीं। उनमें से कुछ विशेषतायें इसमें भी हैं। यह भी लिखित है। इसमें भी केन्द्र तथा प्रान्तीय अधिकारों की बांट की गई है। यहाँ भी एक फिडरल कोर्ट की स्थापना की गई है। लेकिन अन्य बहुत बातों में भेद भी है। सबसे पहले तो संघ में शासन राष्ट्र की एकता को तोड़ रहा है। संघ शासन तो वहाँ स्थापित किया जाता है जहाँ भिन्न-भिन्न राष्ट्रों को, आक्रमण आदि भयों तथा अन्य कारणों से अपनी रक्षा करनी हो। यहाँ तो पहले ही सारा देश केन्द्रीय सरकार के अधीन था। यहाँ वह स्थितियाँ—जिनमें प्रायः संघ शासन का निर्माण किया जाता है—थी ही नहीं। यह बात संयुक्त पार्लियामेण्ट्री कमेटी ने भी मानी है।

दूसरी बात यह है कि रियासतों तथा प्रान्तीय सरकारों की वैधानिक स्थिति में भेद है। रियासतें तो राजाओं के व्यक्तिगत शासन के अन्तर्गत हैं। लेकिन प्रान्तीय सरकारें लगभग उत्तरदायित्व को पा चुकी हैं। उस पर रियासतों के प्रतिनिधियों को देशी नरेश नामज़द करेंगे, लेकिन प्रान्तीय प्रतिनिधि, निर्वाचन से ही फिडरल व्यवस्थापिका सभा में स्थान प्राप्त करेंगे। प्रायः संघ शासन का संघ के सदस्य प्रान्तों में एक जैसा प्रभुत्व होता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं। ब्रिटिश भारतीय प्रान्तों में तो संघ शासन का प्रभुत्व सामान्य होगा। लेकिन रियासतों में केवल उन्हीं क्षेत्रों में प्रभुत्व होगा, जिनमें देशी रियासतों के नरेश उसका प्रभुत्व मानना स्वीकार करें।

इसके अतिरिक्त रियासतों का संघ में प्रवेश करना उनकी मर्जी पर निर्भर है। लेकिन ब्रिटिश भारत के प्रान्तों को तो संघ शासन में प्रवेश करना ही होगा।

संघ शासन स्वायत्त प्रान्तों, चीफ़ कमिश्नरियों तथा रियासतों के प्रवेश करने से स्थापित होगा। संयुक्त पार्लियामेण्ट्री कमेटी के शब्दों में “यह बात स्पष्ट है कि यदि नये विधान में सम्राट् के अधीन स्वायत्त प्रान्त, संघ योजना में मिलाये जायेंगे—तो न केवल प्रान्तीय सरकार अपनी शक्तियाँ तथा अधिकार केन्द्रीय सरकार से नहीं पायेगी, बल्कि केन्द्रीय सरकार भी इंग्लैण्ड में स्थित भारतमन्त्री की एजेण्ट नहीं रहेगी। बल्कि दोनों ही सम्राट से अपने अधिकार प्राप्त करेंगी। इसीलिये सन १९३५ के विधान में भारत मन्त्री को ११ वें अध्याय में स्थान दिया गया है। क्योंकि प्रान्तों में जब उत्तरदायी शासन स्थापित गया, तो भारत मन्त्री का प्रान्तीय शासन के लिये उत्तरदायित्व कैसे रह सकता है।

इसी बात को ध्यान में रख कर संघशासन की स्थापना होने से पहले, सम्राट्, ब्रिटिश भारत प्रदेश के सभी स्वत्वों, तथा अधिकारों को अपने हाथ में लेगा, चाहे यह अधिकार भारतमन्त्री के ज़िम्मे हों, चाहे गवर्नर जनरल या प्रान्तीय गवर्नरों के। इसके बाद उन अधिकारों को एक ओर केन्द्रीय सरकार तथा दूसरी ओर प्रान्तीय सरकार में बाँट दिया जायेगा। यह बंटवारा कैसे होगा, यह विधान में दिया गया है। एवं केन्द्रीय तथा प्रान्तीय

दोनों सरकारें एक ही स्रोत से अपने-अपने अधिकारों को प्राप्त करेंगी ।

रियासती नरेशों का संघ में प्रवेश करना उनकी मर्जी पर निर्भर होगा । उनको संघ में प्रवेश करने से पहले एक "ईस्ट मेण्ट अफ एक्सेशन" भरना पड़ेगा, जो सम्राट द्वारा स्वीकरणीय होना चाहिये । इस में यह लिखा जायगा कि किस सीमा तक नरेश अपने अधिकारों को फिडरेशन के सुपुर्द करेंगे । संघशासन तब तक स्थापित नहीं हो सकेगा, जब तक फिडरल काँऊंसिल आफ स्टेट में उनसे नरेश प्रवेश न कर लें, जिनके प्रतिनिधियों की संख्या ५२ हो । इन प्रवेश करने वाली रियासतों की जनता की संख्या, सम्पूर्ण रियासती जनता की संख्या का आधा होनी चाहिए । यहां यह भी बता दिया जाय कि बीस वर्ष के बाद जो रियासत संघ में प्रवेश करना चाहेगी, उसके प्रवेश होने का प्रस्ताव पहले फिडरल हाऊसों द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक होगा । जब ऊपर की दोनों शर्तें पूरी हो जायेंगी, तब पार्लियामेंट के दोनों भवनों के द्वारा प्रार्थना किये जाने के अनन्तर सम्राट् अखिल भारतीय संघ की स्थापना की घोषणा करेंगे ।

### अधिकार-विभाजन--

संघ शासन के स्थापित करने पर फिडरल तथा उसके सदस्य प्रान्तों के अधिकारों का विभाजन करके उनकी सूची तैयार की जाती है । यहां भी वैसा किया गया है । धारा ६६ से ११० तक में फिडरल तथा प्रान्तों के व्यवस्थापन अधिकारों की

परिभाषा दी गई है। इसके अतिरिक्त उन अधिकार क्षेत्रों की सूची तैयार की गई है, जिन पर फिडरल सरकार तथा प्रांतों को समानाधिकार होंगे। संघव्यवस्थापिका सभा उसी सीमा तक रियासतों के लिये कानून बना सकती है, जहां तक कि “इंस्ट्रुमेंट ऑफ मेन्सेशन” में निश्चिन किया गया है। इसके इलावा “अतिरिक्त अधिकारों” (residuary powers) को गवर्नर जनरल के अन्तर्गत कर दिया गया है। वास्तव में यह अधिकार फिडरल या प्रान्तीय सभाओं को दिये जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से इस विषय को साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से जांचा गया। हिन्दु चाहते थे कि यह अतिरिक्त अधिकार केन्द्र के जिम्मे कर दिये जायें। मुसलमान इन्हें प्रान्तोंके अधीन कराना चाहते थे। ब्रिटिश सरकार ने इस झगड़े को निपटाने के लिये न इनको प्रान्तों के अधीन किया, न केन्द्र के। धारा १०४ के अनुसार गवर्नर जनरल केन्द्र व प्रान्तों को इन क्षेत्रों में कानून बनाने का अधिकार दे सकता है।

एकट की सातवीं तालिका में इन विभाजित अधिकारों की सूची दी हुई है। केन्द्रीय सरकार के अधीन जो विभाग हैं उनमें से कुछ यह हैं—रक्षा, बाह्य मामले, देशी रियासतों से सम्बन्ध, रेल, जहाज़रानी, डाक-तार, कस्टम्स; रुई या एकसाइज़ कर, नमक-पर कर; मुद्रा तथा करैसी; भारत का सार्वजनिक ऋण; अफीम; कापीराइट; पब्लिक सर्विस कमीशन।

प्रान्तीय सरकार के अधीन मुख्य विभाग हैं—शिक्षा; स्थानीय स्वराज्य; चिकित्सा; सार्वजनिक स्वास्थ्य; लगान;

अकाल-निरोध; कृषि; आबपाशी; उद्योग-व्यवसाय, पोलिस तथा न्याय ।

इस विभाजन के समय यह ध्यान रक्खा गया है कि जिन विषयों का सम्पूर्ण भारत से सम्बन्ध है, उनको केन्द्र के अन्तर्गत रखा जाय—जैसे डाक-तार; रक्षा आदि । तथा शिक्षा, कृषि, स्थानीय स्वराज्य आदि क्षेत्र जिनका स्थानीय स्थितियों से गहरा सम्बन्ध है—प्रांतीय सरकार के अधीन छोड़ दिए गए हैं ।

इस १९३५ के शासन विधान का दूसरा सिद्धान्त पर्याप्त सेफ़गार्ड्ज़ के साथ संघ—केन्द्र में किसी सीमा तक उत्तरदायित्व देना था । हम ऊपर बता चुके हैं कि उत्तरदायित्व देने के लिये केन्द्र पर एक प्रकार की द्वैध शासन प्रणालि का निर्माण किया जायेगा । फिडरल सूची के विषयों को दो भागों में विभक्त किया गया है । इनमें से एक विभाग को सुरक्षित विभाग कहा जा सकता है । रक्षा, बाह्य तथा चर्च-सम्बन्धी कार्य आदि विषय इसके अन्तर्गत होंगे । इस विभाग पर गवर्नर-जनरल सलाहकारों की सम्मति से शासन करेंगे । ये सलाहकार फिडरल व्यवस्थापिका सभा के सन्मुख उत्तरदायी नहीं होंगे । इन सलाहकारों की संख्या तीन होगी और यह गवर्नर-जनरल द्वारा नियुक्त किये जायेंगे ।

दूसरा विभाग—जिसको हस्तान्तरित विभाग कहा जा सकता है—पर गवर्नर-जनरल मन्त्रिमण्डल के परामर्श से शासन

करेगा। इस मन्त्रिमण्डल के सदस्य व्यवस्थापिका सभा के सदस्य होंगे। इनका नियुक्त करना तथा हटाना गवर्नर जनरल के हाथों में होगा।

इसके अतिरिक्त, गवर्नर जनरल को एकट के १५ वीं धारा के अन्तर्गत एक आर्थिक-सलाहकार को नियुक्त करने का अधिकार है। यहां यह बता दिया जाय कि यह व्यक्ति अर्थ-सचिव से भिन्न है। इसका अर्थ विभाग से सम्बन्ध नहीं होगा। सलाहकारों तथा मन्त्रियों के क्षेत्रों की स्पष्टतया पृथक-पृथक कर दिया गया है। लेकिन तो भी ऐसी द्वैध प्रणालि में त्रुटियां रह ही जाती हैं, जैसा कि प्रान्तीय क्षेत्र की द्वैध प्रणालि के अनुभव से विदित ही है।

इनके अतिरिक्त लोकमत के प्रतिनिधियों को जो उत्तर-दायित्व दिया भी गया है, वह सेफ़गाड्ज़ तथा गवर्नर के विवेचनात्मक अधिकारों तथा उनके विशेष उत्तरदायित्वों के होने से बहुत कम हो जाता है। जैसा संयुक्त पार्लियामैन्ट कमेटी की रिपोर्ट से पता चलता है, अंग्रेजों के मन में, उत्तर-दायित्व देते समय यह भाव निरन्तर रहा कि कहीं भारतीय इन अधिकारों का दुरुपयोग न करें। फलस्वरूप एक ओर तो वह अधिकार देने की इच्छा प्रकट करते हैं और दूसरी ओर उनको अपने हाथ में रखने की।

वैधानिक दृष्टि से वास्तव में सारा शासन कार्य तो गवर्नर जनरल तथा गवर्नर के विशेष उत्तरदायित्व के अन्तर्गत

आ जाता है। यह विशेष उत्तरदायित्व (special responsibilities) पहले नहीं थे। इन विशेष उत्तरदायित्वों के अन्तर्गत केवल कुछ विशेष बातों पर ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण प्रान्तीय तथा केन्द्रीय शासन-कार्य पर एक प्रकार से नियन्त्रण हो जाता है।

एक्ट की १२वीं धारा में गवर्नर जनरल के तथा ५२वीं में गवर्नर के विशेष उत्तरदायित्वों की जो परिसंख्या की गई है, वह नीचे दी जाती है:—

१—भारत में शान्ति और व्यवस्था को भारी खतरे से बचाना।

२,३,४—संघशासन की आर्थिक स्थिरता और साख की; अल्पसंख्यक जातियों तथा सिविल सर्विस के अधिकारों की रक्षा करना।

५.६—गेट ब्रिटेन के विरुद्ध किसी प्रकार के अनुचित विरोध को रोकना।

७. रियासतों के अधिकारों की रक्षा करना।

८. जो कार्य विशेष उत्तरदायित्व को निभाने के लिये तथा विवेचनात्मक अधिकारों के अथवा अपने व्यक्तिगत निर्णय अनुसार किये जाने हों, उनको ठीक तौर से करवाना।

इस परिसंख्या पर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि शासन के सभी विभाग—शान्ति तथा व्यवस्था, अर्थ, सरकारी नौकरियाँ, आर्थिक स्वातन्त्र्य, अल्पसंख्यक समस्या, ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध अनुचित विरोध—इस परिसंख्या के अन्तर्गत आजाते हैं इस प्रकार संघ शासन एक व्यक्ति के हाथ में अति केन्द्रित बन



गया है ।

इसके अतिरिक्त, गवर्नर जनरल जिस कानून को चाहे रद कर सकता है, नये आर्डिनैन्स जारी कर सकता है । और तो और, एक्ट की ४५वीं धारा के अन्तर्गत तो वह गवर्नर जनरल के कानून भी बना सकता है । इसके लिये उसे केवल व्यवस्थापिका सभा को, उस कानून की आवश्यकता बताने के लिये एक संदेश भेजना ही आवश्यक है ।

### व्यवस्थापिक सभा

व्यवस्थापिका सभा में सम्राट् का प्रतिनिधि गवर्नर जनरल तथा दो हाऊस होंगे । गवर्नरजनरल के हाथ में सभी शासनाधिकार होंगे । उपरले हाऊस का नाम होगा, काउंसिल आफ स्टेट तथा निचले का “हाऊस आफ एसेम्बली ।” इनकी बनावट का इन तालिकाओं से पता चल जायेगा:—

नाम	ब्रिटिश भारतीय प्रतिनिधि			रियासती न- रेशी द्वारा नमजद रि-	कुल जोड़
	निर्वाचित	गवर्नरजनरल द्वारानामजद	कुल जोड़		
कार्जसिल आफ़ स्टेट	१५०	६	१५६	१०४	२६०
फिडरल एसेम्बली	२५०	...	२५०	१२५	३७५

काङ्ग्रेसल आफ्र स्टेट में ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि

प्रान्त व जाति	कुल स्थान	सामान्य स्थान	हरिजनों के लिये	सिखों के लिये	मुसलमानों के लिये	स्त्रियों के लिये
मद्रास	२०	१४	१	—	४	१
बम्बई	१६	१०	१	—	४	१
बंगाल	२०	८	१	—	१०	१
संयुक्त-प्रान्त	२०	११	१	—	७	१
पञ्जाब	१६	३	—	४	८	१
बिहार	१६	१०	१	::	४	१
मध्य प्रान्त तथा बरार	८	६	१	—	१	—
आसाम	५	३	::	::	२	::
सीमाप्रान्त	५	१	::	::	४	—
उड़ीसा	५	४	—	—	१	—
सिन्ध	५	२	—	—	३	—
ब्रिटिश बिलोचिस्तान	१	—	—	—	१	—
दिल्ली	१	१	—	—	—	—
अजमेर मारवाड़	१	१	—	—	—	—
कुर्ग	१	१	—	—	—	—
पंग्लो-इण्डियन	१	—	—	—	—	—
यूरोपियन	७	—	—	—	—	—
भारतीय ईसाई	२	—	—	—	—	—
<b>कुल जोड़</b>	<b>१५०</b>	<b>७५</b>	<b>६</b>	<b>४</b>	<b>४६</b>	



अब इस अध्याय को समाप्त करने से पहले इन भवनों की निर्वाचन पद्धति पर कुछ कहना है। “काऊंसिल आफ स्टेट” के सदस्य तो सीधे ही चुने जायेंगे, लेकिन “फिडरल असैम्बली” में परोक्ष चुनाव होगा। कांऊन्सिल आफ स्टेट्स के सदस्यों को चुनने का मताधिकार बड़ी-बड़ी जायदाद वालों या बड़े व्यापारियों तथा सम्भ्रान्त श्रेणी को ही दिया गया है। फिडरल असैम्बली के लिये प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाएं निर्वाचित करेंगी। प्रत्येक प्रान्तीय असैम्बली के, मुसलमान तथा सिख मेम्बर मुसलमान तथा सिख प्रतिनिधियों को चुनेगे। स्त्रियों के प्रतिनिधियों को सारे भारत की प्रान्तीय सभाओं की सदस्य महिलायें चुनेंगी। इसी तरह एंग्लो इण्डियन, यूरोपियन तथा भारतीय ईसाई भी अपनी-अपनी जातियों के प्रान्तीय सदस्यों द्वारा चुने जायेंगे।

१९३३ के व्हाइट पेपर में फिडरल असैम्बली के चुनाव के लिये सीधे निर्वाचन का ही प्रस्ताव था। किन्तु बाद में संयुक्त कमेटी ने इसे परोक्ष कर दिया। कारण यह दिया गया था कि भारत जैसे विस्तृत तथा घनी आबादी वाले देश में ऐसा करने के लिये या तो निर्वाचक-मण्डल बहुत बड़े बनाने की, और या फिडरल असैम्बली के सदस्यों की संख्या को अधिक बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी। और ये दोनों बातें करना कमेटी ने ठीक नहीं समझा। लेकिन कमेटी की आपत्तियों के उत्तर में यह बताया जा सकता है कि यदि अमेरिका, कॅनेडा तथा आस्ट्रेलिया में सीधा निर्वाचन किया जा सकता है, तो भारत

में भी हो सकता है। विशेषतया जब अमेरिका में मताधिकार प्राप्त लोगों की संख्या भारत में मताधिकार प्राप्त लोगों से कम नहीं।

### फ़िडरल कोर्ट—

संघशासन के विषय पर लिखते हुए फ़ीडल कोर्ट पर लिखना क्यों आवश्यक हो जाता है यह तो स्पष्ट ही है। इसकी आवश्यकता इसलिये पड़ती है कि फ़िडरल कोर्ट संघविधान का संरक्षक तथा व्याख्याकार होता है। इसके अतिरिक्त संघ के सदस्य प्रान्तों के परस्पर झगड़ों को निवटाने के लिये ट्रिब्युनल भी यही होता है। फ़िडरल तथा प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं के कानून बनाने पर जो झगड़े उठें—इन सब के लिये एक निष्पक्ष, स्वतन्त्र, न्यायाधिकारी की आवश्यकता होती है। परन्तु इस पर न्यायाधिकारी पर किसी प्रकार का राजनीतिक प्रभाव नहीं पड़ सकना चाहिये। इसलिये यह कोर्ट किसी भी भारतीय अधिकारी—चाहे वह गवर्नर-जनरल भी क्यों न हो—द्वारा नहीं हटाया जा सकता। इसका कार्य, संघ सम्बन्धी मामलों में निर्णय देना है। इस कोर्ट के आगे, जहां कानून की व्याख्या का प्रश्न हो—प्रान्तीय हाईकोर्टों के निर्णय पर अपील भी की जा सकती है। इसका तीसरा कार्य गवर्नर जनरल को कानूनो मामलों के तथा विधान को व्याख्या के विषय में परामर्श देना होता है। इस कोर्ट के आगे फौजदारी मामले नहीं लाये जा सकते। केवल इस

बात का निश्चय करने के लिये कि विशेष कानून वहाँ पर लागू हो सकता है या नहीं—इस कोर्ट के आगे अपील की जा सकती है। यह कोर्ट संघ की सदस्य रियासतों के हाई कोर्टों पर भी अधिकार रखता है। इस कोर्ट का एक प्रधान न्यायाधीश है। तथा उसके अतिरिक्त ६ और न्यायाधीश हो सकते हैं। इस कोर्ट का प्रथम सेशन ६ दसम्बर, १९३७ में हुआ। इसके प्रधान न्यायाधीश सर मौरिस म्वायर हैं तथा दो अन्य न्यायाधीश सर सुलेमान तथा श्री वारदाचारिअर हैं।

( ५ )

## प्रान्तीय स्वराज्य (Provincial autonomy)

कदाचित् सन् १९३५ के शासनविधान पर लिखते समय प्रान्तीय स्वराज्य पर सब से पहले लिखना चाहिये । कारण, अखिल भारतीय संघ शासन की स्थापना के लिये प्रान्तीय स्वराज्य केवल आवश्यक ही नहीं, बल्कि पहली सीढ़ी है । यह तो सर्व-विदित ही है कि प्रान्तीय स्वराज्य प्रान्तों को मिल चुका है । लेकिन अखिल भारतीय संघ अभी बनना है । वह बनेगा भी या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता । और यदि बनेगा, तो उसका क्या स्वरूप होगा, यह भी निश्चय से नहीं कहा जा सकता । क्योंकि युद्ध के प्रारम्भ होने पर वायसराय ने घोषणा की थी कि इम विधान के अंतर्गत जिस संघ शासन की स्थापना होनी थी-उसको अब युद्ध काल के लिये स्थागित कर दिया गया है । युद्ध के बाद एक कांग्रेस बुलाई जायेगी । उस में क्या होगा, यह तो भविष्य के गर्भ में है । लेकिन प्रान्तीय स्वराज्य तो प्रान्तों को मिल चुका है । यद्यपि इस समय कांग्रेस मन्त्रिमण्डलों के त्यागपत्र दे देने

पर पंजाब, बंगाल, सिंध तथा आसाम को छोड़ कर अन्य सभी प्रान्तों में शासन विधान को बन्द करना पड़ा है। यहां इस विषय को नहीं लेना। यहां हमें प्रान्तीय सरकारों का ब्रिटिश सरकार के अन्तर्गत विकास दिखाना है। तथा प्रान्तीय स्वराज्य की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करना है।

नये विधान के पूर्व, भारत में अति केन्द्रित शासन था। देश को प्रान्तों में बाटा गया था, लेकिन शासन को सरल बनाने की दृष्टि से। उनके अधिकार उन्हें केन्द्रीय सरकार से मिलते थे। सब से पहले १७७४ में रेगुलेटिंग कानून ने भारत के सभी ब्रिटिश प्रान्तों को गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया था। प्रान्तीय सरकारों का विकास अध्ययन करते समय हमें इस विषय को तीन भागों में बाटना होगा—कानून बनाना, शासन करना तथा आय-व्यय का नियन्त्रण रखना। हम इस विषय को शासन-कार्य से प्रारम्भ करेंगे।

**शासन-कार्य**—सन् १७७४ के “रेगुलेटिंग एक्ट” से पहले तीनों प्रान्त, बंगाल, मद्रास तथा बम्बई स्वतन्त्र थे और अपने कार्य के लिये इंग्लैंड में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के आगे उत्तरदायी होते थे। वारेन हेस्टिंग के काल में, रेगुलेटिंग एक्ट के बावजूद भी, गवर्नर जनरल का शेष दो प्रान्तों पर प्रभुत्व नाम को ही था। लेकिन वेल्लली के आने पर अन्य छोटे प्रान्तों के गवर्नरों को उसका प्रभुत्व स्वीकार करना ही पड़ा। एक कारण और भी था। साम्राज्य वृद्धि के लिये भी शासन कार्य को केन्द्रित करना आवश्यक था। वेल्लली ने, गवर्नर जनरल बन कर,



पर घोषणा की कि भारत में सभी सिविल, फौजी तथा राजनीतिक कार्यों में केन्द्रीय शासन का ही प्रभुत्व मानना पड़ेगा। इस काल के बाद जो भी अधिकार प्रान्तीय गवर्नरों अथवा चीफ कमिश्नरों के हाथ में होते थे, वह गवर्नर जनरल द्वारा ही उनको सौंपे जाते थे। साम्राज्य की वृद्धि होने पर, गवर्नर जनरल को सारे देश पर शासन की अच्छी तरह से निगरानी रखने की आवश्यकता पड़ी। इस लिये १८५४ में गवर्नर जनरल को बंगाल की गवर्नरी के भार से छुटकारा दिलवा दिया गया। अब से गवर्नर जनरल का काम प्रान्तों पर निगरानी करना, आदेश देना तथा पथ निर्देश करना ही रह गया था। इसके अतिरिक्त रक्षा, सीमा-प्रान्त, राजनीतिक सम्बन्ध, रियासतें, तट-कर, मुद्रा, विनिमय, डाक, तार आदि विषय गवर्नर जनरल के अधीन कर दिये गये। ऐसा करना ठीक भी था। क्योंकि व्यापार, व्यवसाय, रक्षा आदि की दृष्टि से सारे भारत के लिये एक जैसी नीति होनी चाहिये थी। उस पर केन्द्रीय सरकार प्रान्तीय सरकारों के कार्यक्रम पर निष्पत्त होकर त्रुटियाँ निकाल सकती थी, तथा उन्हें दूर करवा सकती थी।

### कानून बनाने का कार्य

१८०७ के चार्टर ने प्रैजिडेंसी सरकारों को अपने-अपने प्रदेशों के लिये कानून बनाने की आज्ञा दी थी। लेकिन धीरे-धीरे यह अधिकार छीन लिये गये। १८३३ में यह अधिकार केन्द्रीय सरकार के सपुर्दे कर दिये गये। तब से

सारे भारत के लिये कानून बनाने का कार्य गवर्नर जनरल के हाथों में होगया । लेकिन १८६१ में कानून बनाने के अधिकार फिर से प्रान्तों को मिले । तब से दोनों—केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारें—ही कानून बना सकती थी । यह बात सन् १६१६ के विधान तक रही । इस काल में व्यवस्थापिका सभाएं केवल शासकवर्ग ( executive ) में कुछ सदस्य और डालकर बनादी गई थी । प्रजानन्त्र की दृष्टि से उन्हें व्यवस्थापिका सभायें कहना उचित नहीं, क्योंकि न तो जनता के प्रतिनिधि इन के मेम्बर थे और न वह उत्तरदायी हो सकती थीं । उस पर कानून बनाने में कई प्रतिबन्ध थे । कानून बनाने से पहले गवर्नर जनरल की आज्ञा लेनी पड़ती थी । पार्लियामेण्ट के किसी भी कानून को रद्द नहीं किया जा सकता था । किसी प्रकार के धार्मिक अथवा रियासत सम्बन्धी कानून बनाने की उसे आज्ञा न थी । उस पर सन् १८३३ तक बहुत सारे कानून पहले ही बन चुके थे । प्रान्तीय सरकारों के पास कानून बनाने के विषय ही बहुत कम रह गये थे । साथ ही गवर्नर जनरल जिस कानून को बनवाना चाहे, उसे प्रान्तीय सरकार को आदेश देकर बनवा सकता था । इस तरह से प्रान्तीय सरकारों के कानून बनाने के अधिकार बहुत नियमित थे ।

### आय-व्यय पर नियन्त्रण

ईस्ट इण्डिया कम्पनी एक व्यापारिक संघ था । उनका हिसाब-किताब व्यापारिक सिद्धान्तों के अनुसार ही रखा जाता

था। इसी से केन्द्रीय नीति की भारत में स्थापना हुई। प्रान्तीय सरकारों की हैसियत केवल केन्द्रीय सरकार की प्रबन्धकारी एजेण्ट की ही थी। करों को, किन से, कहां से तथा कैसे इकट्ठा किया जाये—ये सभी अधिकार केन्द्र के हाथों में थे। आय का व्यय करने के लिये भी केन्द्र से ही आदेश लेने पड़ते थे।

कर इकट्ठा हो जाने के बाद, उसे प्रान्तों में आवश्यकता-नुसार बाँटा जाता था। लेकिन आय के अनुपात के अनुसार नहीं, बल्कि शासन की आवश्यकताओं की दृष्टि से। ऐसा करने के लिये केन्द्रीय सरकार को आर्थिक-मामलों के शासन कार्य का बड़ा भार सहना पड़ता था। उस पर प्रान्तों को मितव्ययता करने के लिये कोई प्रेरणा न थी।

इस त्रुटि को दूर करने के विचार से सन् १८७० में लार्ड मेयो ने अधिकार-विभाजन करना ही उपयुक्त समझा। एक और कारण भी था। भारत में साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी, अतः सारे शासन का फ़ौजी आधार अब लोप होता जा रहा था। मेयो साहब ने पुलिस, जेल, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य आदि कुछ विभागों को प्रान्तीय सरकारों के अधीन कर दिया। इन विभागों से जो आय होती थी, वह प्रान्तों को मिलती थी। इसके अतिरिक्त प्रान्तों को कुछ निश्चित रकम सहायता के लिये दी जाती थी। प्रान्तों को, कर आदि लगा कर अपनी आय बढ़ाने का थोड़ा-सा अधिकार भी दे दिया गया।

यह अधिकार-विभाजन संघ के सिद्धान्त की दृष्टि से नहीं किया गया था। बल्कि ऐसा करने का उद्देश्य तो शासन कार्य में सुगमता स्थापित करना ही था। इससे कार्य-भार में बँटवारा हो जाता था। इस विभाजन से केन्द्रीय सरकार ने अधिकारों को छोड़ा नहीं, केवल प्रान्तीय सरकारों के सपुर्द कर दिया। अर्थात् ऐसा करने के उपरान्त भी उस पर केन्द्र का अधिकार वैसा ही रहा। हाँ, ऐसा करने से केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों में अधिक अनुकूलता हो गई और पहले की तरह आय को बाँटने के समय होने वाले झगड़े बन्द हो गये। तथा प्रान्तीय सरकारों को प्रान्त के हितों के लिये कार्य करने की प्रेरणा मिली।

सन् १८७७ में ब्रिटिश साहिब ने कुछ और विभाग प्रान्तों के अधीन कर दिये और यह निश्चय किया कि जितनी अधिक आय हो, उसका आधा भाग केन्द्रीय सरकार को और आधा प्रान्तीय सरकारों को मिले। और हानि के समय उसी सीमा तक केन्द्रीय सरकार को हानि पूरी करनी पड़ती थी। आसाम तथा बर्मा जैसे पिछड़े हुए प्रान्तों में से भी कुछ भाग उन प्रान्तीय सरकारों को दिया गया। इसके अतिरिक्त बर्मा को चावल तथा नमक पर निर्यात कर का भी कुछ भाग मिला। इससे केन्द्रीय सरकार की आय में से प्रान्तों को भाग मिलने का एक नया सिद्धान्त चल पड़ा।

सन् १८८२ में लार्ड रिपन ने कुछ और विभाग प्रान्तीय सरकारों के अधीन कर दिये। अब से सरकारी विभागों को तीन मुख्य

भागों—केन्द्रीय, प्रान्तीय तथा विभक्त—में बाँट दिया गया। यह विभाजन पांच वर्ष के लिये किया जाता था। इससे प्रान्तीय शासन की निरन्तरता टूट जाती थी, क्योंकि यह निश्चित नहीं होता था कि अब आगे कितना रूपया मिलेगा। इस त्रुटि को दूर करने के लिये १९०४ में कर्जन ने लगभग स्थायी विभाजन कर दिया। इसके बाद १९१२ में लार्ड हार्डिङ्ग ने इस विभाजन को स्थायी मान लिया। इससे प्रत्येक पांच वर्ष बाद होने वाले भगड़ों का भी अन्त होगया।

सन् १९१६ के सुधार के पूर्व, सम्पूर्ण भारत से सम्बन्ध रखने वाले—रक्षा, विदेशी नीति, डाक, तार, रेलवे, कस्टम, आबपाशी, आदि विषयों को केन्द्रीय; पोलिस, जेल, शिक्षा, सिविलविभाग की आय आदि को प्रान्तीय विषय; तथा लगान, आय कर, जंगल, स्टैम्प, रजिस्ट्रेशन आदि को विभक्त विभाग के अन्तर्गत किया हुआ था। टैक्स लगाने का अधिकार भारत सरकार के हाथों में था। प्रान्तीय सरकारों को ऋण लेने का अनुज्ञा नहीं थी। प्रान्तीय बजटों को डॉफ्ट रूप में केन्द्रीय सरकार के पास भेजना आवश्यक होता था। इस दशा में प्रान्तों के हाथों में बहुत थोड़ी-सी स्वतन्त्रता रह जानी थी।

लेकिन सुधार के बाद प्रान्तों को वैधानिक परीक्षण का उपयुक्त क्षेत्र समझा गया। श्री० मौंटैगू ने तभी प्रान्तीय स्वराज्य का स्वप्न देखा था। उस स्वप्न के अनुसार स्वायत्त प्रान्त एक संघशासन के अङ्ग होंगे। पता नहीं, मौंटैगू को प्रान्तीय

स्वराज्य की सन् १९३७ तक मिलने की आशा थी या नहीं, लेकिन उसके वह स्वप्न कुछ अंशों में तो पूरे हो गये हैं। अस्तु।

सन् १९१६ में न तो संघ शासन स्थापित करने का और न प्रान्तीय स्वराज्य देने का ही विचार था। प्रान्तों में द्वैध प्रणालि स्थापित कर, शासन कार्य मे किसी सीमा तक केन्द्र के नियन्त्रण को ढीला कर दिया गया था। वैसे ही आय-व्यय के नियन्त्रण में भी प्राँतों को कुछ अधिक स्वतन्त्रता मिली। प्रान्तों के बजटों को पृथक कर दिया गया। प्राँतों से वसूल किये गये आय कर की वृद्धि में से प्रान्तों को कुछ भाग मिलने लगा। प्राँतीय सरकारें अब से सार्वजनिक लाभ—नहरें आदि बनवाने—के लिये ऋण भी ले सकती थीं। तथा प्राँतों को, बिना केन्द्र की अनुज्ञा के, कर लगाने का अधिकार प्राप्त हो गया था। कानून बनाने से पूर्व अब गवर्नर जनरल की आज्ञा लेने की आवश्यकता न रही।

यहाँ हमने १९१६ के कानून पर विस्तार से नहीं कहना। केवल इस बात पर जोर देना है कि १९१६ के एक्ट ने यह सिद्धान्त मान लिया कि भारत जैसे विस्तृत देश की सब प्रकार की चन्नति के लिये प्रान्तों को स्वतन्त्र करना ही ठीक है।

१९३५ का विधान, १९१६ के विधान के बाद, प्रान्तीय स्वराज्य प्राप्ति की ओर दूसरी सीढ़ी है। केवल सीढ़ी ही नहीं, वास्तव में प्राँतों को बहुत हद तक स्वराज्य मिल गया है। कैसा ? किस सीमा तक ? इन प्रश्नों का उत्तर अब आगे देना है।

१९३५ के विधान की ४६वीं धारा में गवर्नर द्वारा शासित ११ प्रान्तों का नाम है। इन में दो नये प्रान्त सिन्ध तथा उड़ीसा हैं। यहां यह भी बना दिया जाय कि बर्मा प्रान्त को भारत से पृथक् कर दिया गया है।

संघशासन के स्थापित हो जाने पर प्रान्तीय सरकारें अब केन्द्रीय सरकार की एजेण्ट मात्र नहीं रहेंगी। बल्कि उनके अस्तित्व तथा अधिकार उस ही स्रोत से उनको प्राप्त होंगे, जिससे संघ (केन्द्र) को। सबसे पहले, सम्रट् भारत सम्बन्धी सभी अधिकारों को अपने हाथ में लेंगे। उसके बाद केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकार के अधिकार क्षेत्रों को बिल्कुल पृथक्-पृथक् कर उन दोनों को सौंप दिया जायगा। इन अधिकारों की पृथक्-पृथक् सूचियां तैयार की गई हैं, जो कि एकट की सातवीं तालिका में दी गई हैं। प्रान्तीय सूची में, प्रान्तीय शासन तथा फिडरल सूची में संघ के अधिकार दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त प्रान्तों तथा संघ के अधिकार, कुछ क्षेत्रों में समान भी होंगे।

प्रान्तों को इस नई पदवी देने के विरुद्ध एक मुख्य बात यह है कि इन प्रान्तों को बनाने में व्यर्थ रुपये की हानि करने पड़ेगी। सिन्ध तथा उड़ीसा जैसे प्रान्तों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिये लगभग डेढ़ करोड़ रुपया प्रत्येक वर्ष संघ को देना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त संयुक्त प्रान्त को पहले पांच वर्षों के लिये २५ लाख, आसाम को ३० लाख, सीमाप्रान्त को एक करोड़ रुपया प्रति वर्ष देना पड़ेगा। नये विधान को कार्यरूप में लाने के लिये डेढ़

करोड़ रुपया और खर्च होगा। लेकिन यहां यह भी कह दिया जाय कि प्रान्तों को स्वराज्य देने के विषय पर मतभेद है।

**प्रान्तीय शासन विभाग (The Provincial Executive)**

**तथा द्वैधशासन प्रणाली का अन्त**

सन् १९१६ के एक्ट के अन्तर्गत प्रान्तों में द्वैधशासन प्रणाली स्थापित की गई थी। जिस में शासन के कुछ विभाग सुरक्षित (reserved) रखे गये थे। उनका शासन अनुत्तरदायी गवर्नर की शासन-समिति के सदस्य करते थे। तथा कुछ विभागों को हस्तान्तरित (transferred) कर दिया गया था। लेकिन अब नये शासन विधान से इस द्वैध प्रणाली का अन्त कर दिया गया। अब कोई सुरक्षित विभाग नहीं है। तथा अब से प्रान्तीय मन्त्रिमण्डल, निर्वाचित सदस्यों के बहुमत के दल से, उस दल के नेता द्वारा चुने जाते हैं। मन्त्रिमण्डल का काम गवर्नर को परामर्श तथा सहायता देना है। कानूनन गवर्नर ही प्रत्येक प्रान्त में एकमात्र शासक है।

गवर्नर को सम्राट् नियुक्त करता है। गवर्नर को सिवाय उन क्षेत्रों के, जिनमें उसने अपने विवेचनात्मक अधिकारों का प्रयोग करना होता है, अथवा व्यक्तिगत निश्चयों के अनुसार कार्य करना होता है, अथवा अपने विशेष उत्तरदायित्वों का विचार रखना होता है—शेष सभी क्षेत्रों में अपने मन्त्रिमण्डल के परामर्श



तथा सहायता से शासनकार्य चलाना होगा। उन विषयों के लिये, जिन पर उसने अपने विवेचनात्मक अधिकारों से काम लेना होता है—गवर्नर को मन्त्रियों से सलाह लेना तक आवश्यक नहीं। तथा जहां उसके अपने विशेष उत्तरदायित्वों का प्रश्न है, वहां वह मन्त्रियों के विचारों को सुन कर, इनके परामर्श के अनुसार कार्य करने पर बाधित नहीं। इसके अतिरिक्त गवर्नर किसी भी विषय में अपने व्यक्तिगत निर्णय से काम ले सकता है। उन क्षेत्रों में, जहां उसने अपने निर्णय से काम लेना होता है, उसके निर्णय को सिवाय गवर्नर जनरल के कोई काट नहीं सकता, एवं किस सीमा तक गवर्नर ने अपने हाथ अधिकार रखने हैं, इसका निश्चय गवर्नर अपने आप ही करता है। यदि वह चाहे तो मन्त्रिमण्डल की बैठकों का सभापति भी बन सकता है।

गवर्नर जिसको चाहे मन्त्रिमण्डल बनाने के लिये निमन्त्रण दे सकता है। यद्यपि “इंस्ट्रुमेण्ट आफ़ इंस्ट्रक्शन” (instrument of instructions) के अनुसार उसे उस ही व्यक्ति को बुलाना होगा जो कि असैम्बली में बहुमत को अपने साथ रख सके। उसके बाद शेष मन्त्रियों को, गवर्नर, उस नेता की सलाह पर ही रखेगा। ऐसा करने का उद्देश्य मन्त्रिमण्डल को संयुक्तरूप से उत्तरदायी बनाना है, यद्यपि यह बात विधान में नहीं लिखी गई। इन मन्त्रियों के वेतनों को असैम्बली निश्चित करेगी। मन्त्रिमण्डल को बनाते समय गवर्नर को अल्पसंख्यक जातियों

के हितों का भी विचार रखना पड़ता है ।

इसके अतिरिक्त गवर्नर एडवोकेट-जनरल को भी नियुक्त करता है । जो कि प्रान्तीय शासन को कानूनी मामलों पर परामर्श देता है । उसे अन्य कुछ कानूनी कार्य भी करने होते हैं ।

शक्ति तथा व्यवस्था को कायम रखने के लिये गवर्नर को विशेष शक्तियां दी गई हैं । पोलीस के नियमों को परिवर्तन करना गवर्नर के व्यक्तिगत निर्णय पर होता है । पोलीस विभाग के कर्मचारी बिना इन्स्पैक्टर-जनरल की आज्ञा के किसी व्यक्ति को भी, चाहे वह मन्त्रो भी क्यों न हो—किसी प्रकार की सूचना का स्रोत नहीं बना सकते । जिन क्षेत्रों में गवर्नर का विशेष उत्तरदायित्व हो, उन क्षेत्रों के विषय में सभी प्रकार की सूचना गवर्नर को पहुँचाना—मन्त्रियों तथा विभागाध्यक्षों (Secretaries) का कार्य है ।

गवर्नर के विशेष उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैं—

१. शान्ति तथा व्यवस्था के खतरे को दूर करना ।
२. अल्पसंख्यक जातियों के समुचित हितों की रक्षा करना ।
३. नौकरशाही सेवकों के अधिकारों को सुरक्षित रखना ।
४. शासन क्षेत्र में प्रेट्रिटिन के विरुद्ध अनुचित विरोध से रक्षा करना ।

५. आंशिक बाह्य प्रदेश (Partially excluded areas) की शान्ति तथा सुशासन को कायम रखना ।

६. भारतीय रियासतों के गौरव तथा अधिकारों की रक्षा करना ।

७. गवर्नर जनरल, की अपनी विवेचनात्मक शक्तियों ( discriminatory powers ) के अन्तर्गत दी गई आज्ञाओं का पालन करना ।

उपर लिखित गवर्नर के अधिकारों के रहते हुए हम प्रांतीय स्वराज्य को केवल बनावट के लिहाज से ही उत्तरदायी शासन कह सकते हैं । वास्तव में गवर्नर की इतनी असाधारण शक्तियों के रहते हुए ऐसा कहना अनुचित ही प्रतीत होता है । पर इन सब शक्तियों का प्रांतीय स्वराज्य के मिल जाने पर प्रयोग नहीं किया गया । लेकिन जब कभी बहुमत वाला दल नीति विरोध होने से शासन-कार्य को हाथ में न लें, तब गवर्नर बिना मन्त्रिमण्डल व व्यवस्थापिका सभाओं के छः मास तक शासन कर सकता है । मद्रास, बम्बई, युक्तप्रान्त, मध्यप्रान्त, बिहार, उड़ीसा, तथा सीम.प्रान्त में आजकल ऐसी ही स्थिति है ।

**इन्फ्रूमेण्ट आफ़ इंस्ट्रूक्शन—**

उत्तरदायी शासन में, सिद्धांत से, राष्ट्र के राजाओं के हाथों में ही सभी शासनाधिकार होते हैं । लेकिन वैधानिक प्रथा तथा अभ्यास से इन सभी अधिकारों का प्रयोग “राजा” सदैव अपने उत्तरदायी मन्त्रिमण्डल के परामर्श के अनुसार ही करता है । यह बान इंग्लैण्ड के शासन विधान में विशेषरूप से है । वास्तव में तो गवर्नर का प्रांतीय शासन में वही स्थान होना

चाहिए, जैसा कि ग्रेटब्रिटेन के नरेश का ग्रेटब्रिटेन के शासन में है। लेकिन क्योंकि एक-दम से ही ग्रेटब्रिटेन के सभी वैधानिक सिद्धान्तों को किसी अन्य देश में प्रयोग करना ठीक नहीं, इसलिये औपनिवेशिक विधानका निर्माण करते समय एक उपाय निकाला गया था, 'जिसे इंस्ट्रूमेण्ट आफ इंस्ट्रूशन्' कहा जाता है। इसमें उपनिवेशों (dominions) के गवर्नर जनरल को हिदायतें दी जाती हैं कि कहाँ तक उन्होंने अंग्रेजी सिद्धान्तों का प्रयोग करना है। अथवा किन-किन परिस्थितियों में उन्हें कैसे कार्य करना होगा। इस रीति से जिस प्रदेश को अंग्रेजी सिद्धान्तों के प्रयोग की जितनी आवश्यकता होती है, उतना ही उनका प्रयोग किया जा सकता है। अथवा जो सिद्धान्त देश के अनुकूल बैठें, उनको अपनाया जा सकता है। इससे लाभ यह होता है कि विधान के ढांचे में परिवर्तन किये बिना ही परिस्थितियों के अनुसार विधान में, वास्तव में, परिवर्तन किया जा सकता है। इसी साधन की सहायता से उपनिवेशों ने अपने विधान का ढांचा बदले बिना उत्तरदायी शासन प्राप्त कर लिया है।

यह इण्ट्रूमेण्ट, सम्राट द्वारा, गवर्नर की नियुक्ति के अवसर पर गवर्नर को दिये जाते हैं। यह इंस्ट्रूमेण्ट भी पार्लियामेण्ट की अनुमति से ही दिये बनाए हैं। इनमें जो हिदायतें होती हैं, उनमें बताया जाता है कि गवर्नर को अपनी विवेचनात्मक शक्तियों का प्रयोग कैसे करना है तथा अपने विशेष उत्तरदायित्वों को कैसे निभाना है। अतएव इंस्ट्रूमेण्ट तथा विधान का परस्पर श्वास तथा जीवन्-मम सम्बन्ध है।

### प्रान्तीय व्यवस्थापिका-सभायें

शासन को व्यवस्थापिका सभा के आगे उत्तरदायी बनाने के लिये सब शासनाधिकार नाममात्र के एक वैधानिक नरेश या गवर्नर के सुपुर्द कर दिये जाते हैं। वह गवर्नर उन अधिकारों का प्रयोग अपने मन्त्रिमण्डल के परामर्श से—जो कि व्यवस्थापिका सभा के बहुमत वाले दल में से चुना जाता है—करता है। उत्तरदायी शासन होने के लिये व्यवस्थापिका सभा को देश का पूर्णरूप से, जहां तक हो, प्रतिनिधि होना चाहिये। अतः उत्तरदायी शासन देने के लिये यथामुम्भव अधिक जनसंख्या को मताधिकार मिलना चाहिये। इसी बात को ध्यान में रख कर १९१६ के मुकाबले में १९३५ के कानून के अन्तर्गत मताधिकार प्राप्त लोगों की संख्या बहुत अधिक कर दी गई है। १९१६ के एक्ट के समय केवल जनसंख्या के ३ प्रतिशत भाग को ही वोट देने के अधिकार प्राप्त थे। साइमन कमीशन ने १० प्रतिशत के लिये सिफारिश की। प्रथम गोलमेज कान्फ्रेंस के अवसर पर १५ प्रतिशत जनता को वोट देने का विचार था। लेकिन मताधिकार पर विचार करने के लिये जो उपासमिति बैठाई गई, उसने १४ प्रतिशत जनता को मताधिकार देने के लिये कहा। उसी के अनुसार ही भारत की १४ प्रतिशत जनसंख्या को मताधिकार मिला है। हरिजनों में १० प्रतिशत को मताधिकार मिला है। मताधिकार प्राप्त करने के लिये ज्ञायदाद की मुख्य शर्त है, जिसको लगान, आय का तथा किराये आदि की रकम से पाया जाता है। यह सम्पूर्णा निर्वाचन पृथक निर्वाचन

पद्धति से होता है।

प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा के दो या तीन विभाग हैं। प्रथम, सम्राट् का प्रतिनिधि गवर्नर, द्वितीय—उपरला हाऊस (legislative council) तथा तृतीय निचला हाऊस (legislative assembly) मद्रास, बम्बई, बंगाल, संयुक्त प्रान्त, आसाम तथा बिहार में दो हाऊस हैं। पञ्जाब, मध्यप्रान्त, उड़ीसा, मिन्ध तथा सीमाप्रान्त में एक-एक।

मोंटेगु तथा चेम्ज़फ़ोर्ड के सामने भी दो भवनों के बनाने का प्रश्न उठा था। लेकिन उन्होंने दो हाऊसों को अनावश्यक समझ कर इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया था। अब इस विधान में दो हाऊसों को स्थापित कर दिया गया है। पहले पहल केवल तीन ज़मींदार-प्रधान प्रान्तों में ही ऐसा करने का विचार था, लेकिन बाद में तीन अन्य प्रान्तों में भी दूसरा हाऊस स्थापित कर दिया गया। पञ्जाब में भी उपरला हाऊस स्थापित करने का विचार था, लेकिन मुसलमानों के विरोध के कारण इस विचार को छोड़ दिया गया। इस दूसरे हाऊस के निर्माण करने का अभिप्राय यह था कि निचले हाऊस द्वारा पास किये कानूनों का पुनरवलोकन किया जा सके तथा निचले हाऊस को बिलों पर दोबारा विचार करने का अवसर दिया जाये, जिससे निचले हाऊस वाले जल्दबाज़ी तथा नासमझी न कर बैठें। लेकिन गवर्नर के विशेषाधिकारों के रहते हुए इनकी ऐसी कौनसी आवश्यकता थी, यह समझ में नहीं आता। देश के राष्ट्रीय विचारों वाले नेता तो

इसे अनुदारत्व का गढ़ तथा प्रगति के पथ की बाधा मानते हैं।

उपरला हाऊस एक स्थायी सभा है। इसको विसर्जित नहीं किया जायेगा। प्रति तीन वर्षों के बाद इस भवन के  $\frac{1}{3}$  सदस्य अवसर प्राप्त कर जाया करेंगे। अतः ऐसे अनुदार तथा स्थायी भवन का, उत्तरदायी शासन में प्रतिबन्ध होना बहुत सम्भव है। जैसा कि "टैनेसी-कानून" के अवसर पर संयुक्तप्रान्त तथा बङ्गाल में हुआ भी है।

ऊपर जो मताधिकार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या बताई गई थी, वह निचले हाऊस के लिये थी। निचला हाऊस पांच वर्षों के बाद विसर्जित कर दिया जायेगा। इसके लिये मुसलमान, सिक्ख, यूरोपियन, पेंगलो इण्डियन तथा भारतीय ईमाई अपनी जाति के निर्वाचक-मण्डल से ही अपने-अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे।

दोनों हाऊस अपने-अपने सभापति आप चुनेंगे। निचले हाऊस के सभापति को वक्ता (Speaker) कहा जायेगा। इन दोनों भवनों के अधिकार एक जैसे नहीं होंगे। बजट पर यह उपरला हाऊस वोट नहीं देगा। किसी बिल के पास होने में देर करवाने का, तथा उसके पुनरवलोकन करने का ही ऊपरले हाऊस को प्रधान अधिकार होगा। लेकिन यदि निचला हाऊस एक बिल पास कर दे और उपरला हाऊस उसे पास करने से इनकार कर दे, तो उस अवस्था में गवर्नर बारह मास के बाद एक संयुक्त अधिवेशन बुलायेगा, जिनमें दोनों भवनों के सदस्य इकट्ठे बैठेंगे। तब उस प्रस्ताव पर वोट लिये जायेंगे और

यदि बहुमत से वह प्रस्ताव पास हो जाये, तो वह कानून बन जायेगा। लेकिन यदि उपरला हाऊस कोई प्रस्ताव पास करे और निचला हाऊस उसे रद्द करदे—तो उस अवस्था में प्रस्ताव रद्द ही हो जाता है। उसके लिये संयुक्त अधिवेशन नहीं किया जायेगा।

प्रान्तीय बजट में भी कुछ रकमें ऐसी होंगी, जिन पर लैजिस्लेटिव असैम्बली को वोट देने का अधिकार नहीं होगा। उन रकमों की, जिन पर वोट नहीं दिया जा सकता—सात श्रेणियाँ हैं। उन पर असैम्बली केवल बहस कर सकती है। गवर्नर के वेतन तथा गवर्नर के स्टाफ के व्यय पर बहस तक भी नहीं की जा सकती।

प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं की शक्तियाँ एक्ट में एक स्थान पर एकत्र करके नहीं लिखी गईं। बल्कि इन के अधिकार ६६वें और १०० वें मैकशन में तथा सातवीं तालिका में दिये में दिये गये हैं। इन में दिये गये विषयों पर प्रान्तीय सभायें, अपने सारे प्रान्त के लिये, अथवा प्रान्त के किसी विभाग के लिये जो कानून चाहें, बना सकती हैं। उन विषयों पर, जहाँ प्रान्तीय तथा संघ सरकार दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार हो, संघ-कानून को ही देश तथा प्रान्त का कानून माना जायेगा। ऐसे भगड़ों के अवसर पर ही फिडरल कोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। इसके अतिरिक्त कुछ नये कानून बनाने से पहले गवर्नर जनरल की अनु-



मति लेनी आवश्यक होनी है। किसी बिल के व्यवस्थापिका सभा द्वारा पास हो जाने पर गवर्नर की स्वीकृति का मिलना कानून बनने के लिये अनिवार्य होता है। गवर्नर अपनी स्वीकृति को रोक भी सकता है। यदि गवर्नर ठीक समझे तो किसी कानून को गवर्नर जनरल द्वारा विचार किया जाने के लिये भी भेज सकता है। गवर्नर जनरल भी यदि किसी प्रस्ताव में परिवर्तन करवाना ठीक समझता हो, तो वह उस बिल को गवर्नर के पास वापस भेज सकता है। तब व्यवस्थापिका सभा को उस संशोधित प्रस्ताव पर विचार करना ही पड़ता है।

इसके अतिरिक्त जब गवर्नर आवश्यकता मासूम करे, तब वह सैक्रशन ६० के अन्तर्गत गवर्नर ऐक्ट (Governors Act) जारी कर सकता है। गवर्नर को ऐसा करने के लिए व्यवस्थापिका सभा को एक सन्देश भेजना होता है, जिसमें उस ऐक्ट को बनाने के कारणों का प्रतिपादन तथा ऐक्ट का ड्राफ्ट होता है। यदि व्यवस्थापिका चाहे तो उस पर अपनी राय प्रकट कर सकती है। पर इस ऐक्ट के बनने के लिए व्यवस्थापिका सभा की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होती।

क्योंकि नए विधान में प्रान्तों को स्वराज्य प्राप्त हो गया है, अतः गवर्नर को भी गवर्नर जनरल की तरह अर्डिनेंस (Ordinance) जारी करने का अधिकार मिल गया है।

# प्रान्तीय लेजिस्लेटिव काउंसिल

( उपरला भवन )

प्रान्त	कुल स्थान	संसाधन स्थान	संसाधन स्थान	संसाधन स्थान	संसाधन स्थान	संसाधन स्थान	संसाधन स्थान	वह स्थान जिन्हें गवर्नर ने भरना है
मद्रास	कम से कम ५४ } अधिक से अधिक ५६	३५	७	१	३	३	३	{ कम से कम अधिक से अधिक १०
बम्बई	कम से कम २६ अधिक से अधिक ३०	२०	५	१	—	—	—	{ कम से कम अधिक से अधिक ४
वङ्गाल	कम से कम ६३ अधिक से अधिक ६५	१०	१७	३	—	—	२७	{ कम से कम अधिक से अधिक ८
संयुक्त प्रान्त	कम से कम ५८ अधिक से अधिक ६०	३४	१७	१	—	—	—	{ कम से कम अधिक से अधिक ८
बिहार	कम से कम २६ अधिक से अधिक ३०	६	४	१	—	—	१२	{ कम से कम अधिक से अधिक ४
आसाम	कम से कम २१ अधिक से अधिक २२	१०	६	२	—	—	—	{ कम से कम अधिक से अधिक ४

## प्रान्तीय लैजिस्लेटिव असेम्बलियां (निचले-

प्रान्त	कुल स्थान	सामान्य स्थान	सामान्य स्थान किंतु हरिजनों के लिये सुरक्षित	पिछड़े हुए प्रदेशों तथा वर्गों के लिये	सिक्खों के लिये	मुसलमानों के लिये	एंग्लो इण्डियनों के लिये	यूरोपियनों के लिये
मद्रास	२१५	१४६	३०	१	—	२८	२	३
बम्बई	१७५	११४	१५	१	—	२६	२	३
बंगाल	२५०	७८	३०	—	—	११७	३	११
संयुक्त प्रान्त	२२८	१४०	२०	—	—	६४	१	२
जाब	१७५	४२	८	—	३१	८४	१	१
बिहार	१५२	८६	१५	७	—	३६	१	२
मध्यप्रान्त तथा बरार,	११२	८४	२०	१	—	१४	१	१
आसाम	१०	४७	७	६	—	३४	—	१
सीमाप्रान्त	५०	६	—	—	३	३६	—	—
उड़ीसा	६०	४४	६	५	—	४	—	—
सिन्ध	६०	११८	—	—	—	३३	—	२



( ६ )

## “सिविल-सर्विसिज़” Civil Services

पार्लियामेण्ट्री लोकतंत्र में शासन कार्य का, नाममात्र को अधिष्ठाता तो “वैधानिक राजा” होता है। उसके बाद मन्त्रिमण्डल का स्थान आता है, जो देश का शासन करने के लिये व्यवस्थापिका सभा की अनुमति से शासन सिद्धान्त निश्चित करता है तथा इस बात का निरीक्षण भी करता है कि शासन कार्य उन्हीं सिद्धान्तों तथा नीति के अनुसार हो रहा है या नहीं। लेकिन शासन कार्य तो वास्तव में सिविल सर्विसिज़ को ही करना होता है। अतः किसी भी शासन विधान के अध्ययन करने के लिये सिविल सर्विसिज़ को समझना आवश्यक होता है।

भारत में शासन कार्य सार्वजनिक सर्विसिज़ को सौंपा जाता है। उन सर्विसिज़ को सुगमता के लिये—भारतीय, केन्द्रीय (प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी), रेलवे के लिये (प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी) तथा प्रान्तीय—इन ६ भागों में विभक्त किया जाता है। इन में कुछ को भारत सचिव, कुछ को गवर्नर जनरल,

कुछ को रेलवे शासन, तथा कुछ को गवर्नर अथवा प्रान्तीय सरकार नियुक्त करती है। संघ शासन के लिये विशेष शासक-वर्ग को संघ की सर्विमिज़ का नाम दिया गया है। फिडरल कोर्ट के स्टाफ़ को प्रधान न्यायाधीश नियुक्त करेगा।

इनको नियुक्त करने के लिये, केन्द्र में “फिडरल पब्लिक सर्विसिज़ कमीशन” तथा प्रान्तों में “प्रान्तीय पब्लिक सर्विसिज़ कमीशन” का निर्माण किया गया है। ये कमीशन नौकरियों पर नियुक्त करने के लिये मुकाबले की परीक्षा लेते हैं। कुछ लोग तो इन मुकाबले की परीक्षाओं के परिणाम पर लिये जाते हैं, और कुछ लोग सीधे नामज़द किये जाते हैं।

उत्तरदायी शासन में इन पर व्यवस्थापिका सभा का पूरा-पूरा नियन्त्रण होना चाहिए। लेकिन ऐसा करना अंग्रेजी जनता को भला न लगा। क्योंकि भारतीय नौकरियों में से अंग्रेजों को निकाल देना, अथवा भारतीय शासन में उनकी स्थिति को किसी प्रकार की हानि पहुंचाना, उन्हें बहुत खतरनाक जान पड़ा। उत्तरदायी शासन मिलने से पहले सिविल सर्विस के हाथ में ही शासन के पूर्ण अधिकार थे। नौकरशाही सरकार में उन पर जनता का किसी प्रकार से भी कोई नियन्त्रण न था। अतः तब से शक्तियों का, प्रयोग करना इन कर्मचारियों का स्वभाव बन गया है। लेकिन उत्तरदायी शासन में उन्हें “अफसर” नहीं, बल्कि वास्तविक ‘सेवक’ बनना पड़ता है। इस बात से स्थिति में फरक पड़ना ही था।

इसके विरुद्ध एक ओर तो सरकारी अफसरों ने आवाज उठाई। अंग्रेज़ी जनता ने उनका समर्थन किया, क्योंकि यदि सिविल सर्विसिज़ की स्थिति में कुछ अन्तर पड़ गया, तो अंग्रेज़ों का भारत सरकार पर नियन्त्रण कम हो जायेगा। अतः सिविल सर्विसिज़ को गवर्नर, गवर्नर जनरल तथा भारत मन्त्री के अधीन कर दिया गया। मज़ा इस बात का है कि वहने को तो शासक मन्त्र-मण्डल को बनाया जा रहा है परन्तु राज्य कर्मचारी उनके अधीन नहीं होंगे। उनकी भर्ती, उनके वेतन, उनके छुट्टी मिलने के नियम आदि सभी बातों का निश्चय करने का व्यवस्थापिका सभा को अधिकार नहीं। इन नौकरियों के ऊपर जितना व्यय होगा, इस पर व्यवस्थापिका सभा वोट भी नहीं दे सकती। नये विधान में सर्विस वालों की पेन्शन, चिकित्सा, विदेशों से आकर नौकरी करने के लिये विशेष उपवेतन आदि विशेषाधिकारों को सुरक्षित रखा गया है। यहां यह नोट कर लेना चाहिये कि इन उच्च नौकरियों के वेतन के लिये प्रति वर्ष १०० करोड़ रुपया खर्च होता है। यह व्यय सम्पूर्ण व्यय का ३० प्रतिशत है।

### भारतीय करण (Indianisation)

वास्तविक स्वराज्य में एक ओर तो कर्मचारी-वर्ग व्यवस्थापिका सभा के नियन्त्रण में होना चाहिये। दूसरे सभी कर्मचारी भी भारतीय ही होने चाहिये। ताकि भारतीयों को अपना शासन आप करने का अवसर मिले। विशेषतः जब भारतीयों में शासन कार्य करने की आवश्यक क्षमता विद्यमान है। उस पर भारतीय

करण से व्यय भी बहुत हो जायेगा। स्मरण रहे कि प्रान्तीय आय में से, संयुक्त पार्लियामेण्ट्री कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार ४० प्रतिशत व्यय सर्विसिज़ पर होता है। भारतीयों की यह मांग किसी सीमा तक पूरी भी की गई है। “ली” कमिशन ने १९२४ में इण्डियन सिविल सर्विस में १९३६ तक ५० प्रतिशत पोलीस में १९४६ तक ५० प्रतिशत; जंगलात विभाग में ७५ प्रतिशत तथा आबपाशी विभाग में ५० प्रतिशत भारतीयों को नियुक्त करने का वचन दिया था। इसके अनिश्चित केन्द्र के राजनीतिक विभाग में २५ प्रतिशत; कस्टम्ज़ में कम से कम ५० प्रतिशत तार तथा वायरलेस विभाग में ७५ प्रतिशत, रेलवे में ७५ प्रतिशत स्थान भारतीयों को देने का निर्णय हुआ था।

संयुक्त पार्लियामेण्ट्री कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार १९३३ में भारतीय तथा प्रान्तीय सरकारों में यूरोपियन भारतीय उच्च कर्मचारी निम्नलिखित संख्या में थे:—

	यूरोपियन	भारतीय	कुल
सिविल सर्विस	८१६	४७८	१२९७
पोलीस	५१३	१५२	६६५
जंगल	२०३	६६	२६९
इञ्जीनियरिंग विभाग	३०४	२६२	५६६
चिकित्सा विभाग (सिविल)	२००	६८	२६८
शिक्षा विभाग	६६	७६	१७५
कृषि विभाग	४६	३०	७६
पशु-चिकित्सा विभाग	२०	२	२२
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	२१६३	१२२७	३६२८



( ७ )

## संघशासन

(प्रान्तों और रियासतों में शासन सम्बन्ध)

१९३५ के विधान से एक प्रकार से भारतवर्ष तीन भागों में विभक्त किया गया है । एक भाग ब्रिटिश प्रान्त तथा चीफ़ कमिश्नर के प्रदेश हैं, दूसरा भाग रियासतें हैं तथा इन दोनों को एक करने वाला तीसरा भाग —संघ—केन्द्र है । हम ने यहां संघ शासन तथा प्रान्तीय और रियासती सरकारों के पारस्परिक शासन सम्बन्ध को समझना है ।

ब्रिटिश भारत केन्द्रित शासन से संघ शासन बनेगा, इसलिये संघ तथा प्रान्तों के अधिकार क्षेत्रों को पृथक्-पृथक् भी कर दिया गया है । तो भी सम्पूर्णा भारत में शान्ति तथा व्यवस्था का अतिरिक्त उत्तरदायित्व गवर्नर जनरल पर है । इस लिये चाहे प्रान्तों को स्वराज्य मिल गया है, तथापि गवर्नर जनरल का प्रान्तीय शासनों पर पर्याप्त निरीक्षण रहता है ।

नये विधान के अनुसार प्रान्तों के शासनाधिकारों का इस प्रकार प्रयोग किया जाना चाहिये, जिससे संघ के प्रान्तों तथा रियासतों में लागू कानून की अवज्ञा न हो। उन क्षेत्रों में, जिन में संघ तथा प्रान्तों का समानाधिकार (Concurrent issues) है—संघ की सरकार प्रान्तों को आदेश दे सकती है। प्रान्तों को संघ की फौजी आवश्यकताओं के लिये मार्ग आदि ठीक रखने की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, इस बात का प्रबन्ध कानून न कर दिया गया है। संघ के कानून को लागू करवाने के लिये गवर्नर जनरल प्रान्त के गवर्नर को अपने एजेण्ट के रूप में अपनी विवेचनात्मक शक्तियों का प्रयोग करने का आदेश दे सकता है। गवर्नर को जिन अधिकारों में अपनी विवेचनात्मक शक्तियों का प्रयोग करना होता है, अथवा जहां उसके विशेष उत्तरदायित्वों का प्रश्न होता है—उस सीमा तक वह गवर्नर जनरल के अधीन रहता है।

शासन कार्य में तीन सीढ़ियां होती हैं। सबसे पहले तो संघ के कानूनों को कार्य रूप में लाने के लिये नियमों का बनाना; दूसरे, उन नियमों का अफसरों द्वारा कार्य रूप में लाना; तीसरे, यह देखना कि वह ठीक तरह से कार्य रूप में लाये जा रहे हैं या नहीं। ऐसा करने के लिये जहां तक ब्रिटिश प्रान्तों तथा चीफ़ कमिश्नरियों का सम्बन्ध है—सीधा तरीका है। संघ के कुछ कानून तो स्वयं संघ के कर्मचारियों द्वारा लागू करवाये जायेंगे, तथा कुछ कानूनों को लगवाने का कार्य

प्रान्तीय शासन की अनुमति से प्रान्तीय सरकारों के ज़िम्मे सौंप दिया जायेगा । संघ शासन, कोई विशेष कानून बना कर प्रान्तीय सरकार तथा उसके कर्मचारियों को विशेष अधिकार भी दे सकता है ।

रियासतों में यह तरीका कुछ भिन्न होगा । संघ शासन के कानूनों को लागू करने का काम नरेशों के सपुर्द कर दिया जायेगा । उसके बाद यह नरेशों का काम होगा कि विभिन्न कर्मचारियों द्वारा उनको कार्यरूप में लाया जाय, फ़िडरल शासन केवल यही आदेश दे सकता है कि किस प्रकार उनको लागू करवाना है । यदि संघसरकार चाहे तो रियासत के नरेशों द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को सीधा अपने अधीन भी कर सकती है । पर उस अवस्था में रियासत को, संघ-शासन से इन कर्मचारियों का वेतन मिलेगा । कुछ रियासतों को यह कार्य सीधा ही सौंप दिया जायगा । लेकिन यदि यह कार्य रियासतें संतोषपूर्वक न करेंगी, तो गवर्नर-जनरल विवेचनात्मक शक्तियों का प्रयोग कर रियासती नरेशों को अपनी जिम्मेवारी को ठीक तौर से निभाने के लिये आज्ञा दे सकता है । इस ढंग से केवल वह रियासतें संघ कानूनों को कार्यरूप दे सकेंगी, जिनका अपना शासन-ढंग उच्च कोटि का हो । कुछ रियासतों में तो फ़िडरल कर्मचारी सीधा भी कानून लागू करवा सकेंगे, लेकिन ऐसा केवल उन्हीं रियासतों में हो सकेगा, जिन्होंने ऐसा करवाना “इस्ट्रुमेण्ट आफ् एक्सेशन (Instrument of accession)

में मान लिया हो ।

### ब्रौडकास्टिंग

आधुनिक-युग में ब्रौडकास्टिंग सार्वजनिक के मत को बनाने, प्रभावित करने तथा जनता को पथ निर्देश करने का एक अति प्रभावयुक्त साधन है। इसी लिये एकट में इस विषय का विशेष ध्यान रखा गया है। ब्रौडकास्टिंग को संघ-विषय नहीं रखा गया, यद्यपि कुछ स्थितियों में इस पर केन्द्र का नियन्त्रण रहना है। प्रान्तों तथा रियासतों को भी ब्रौडकास्टिंग स्टेशन बनाने की अनुमति दी गई है। इसका एक कारण यह था कि भारत जैसे विस्तृत तथा बहुभाषायुक्त देश में इस विषय को केन्द्रित करके केन्द्र से भारत की सब भाषाओं से ब्रौडकास्ट करना सम्भव हो जाता है। और यदि केवल एक ही भाषा में ब्रौडकास्ट किया जाये, तो ब्रौडकास्ट करने का लाभ बहुत कम हो जाता है, क्योंकि ब्रौडकास्टिंग का प्रभाव तो तभी हो सकता है जब कि लोग उसे समझें। उसके लिये लोगोंका अपनी-अपनी भाषाओं में ब्रौडकास्ट किया जाना चाहिये।

### कृषि के लिये पानी

१९१६ के विधान में “कृषि के लिये जल” एक प्रान्तीय विषय था। लेकिन जब इसका सम्बन्ध एक से अधिक प्रान्त से होता था, तब वह केन्द्रीय विषय माना जाता था। लेकिन नये विधान के अन्तर्गत जब कभी दो या दो से अधिक प्रान्तों में पानी

के प्रश्न पर भगड़ा हो जाये, तो गवर्नर जनरल, आवपाशी इन्जी निअरिंग, अर्थ, तथा कानून के विशेषज्ञों का एक कमीशन नियुक्त करेगा। यह कमीशन अपनी रिपोर्ट देगा। उस रिपोर्ट पर विचार कर गवर्नर जनरल जो निर्णय देना ठीक समझेगा, वह दे देगा। लेकिन यदि इस निर्णय से प्रान्तों तथा रियासतों को सन्तोष न हो, तो वह सम्राट् (King in Council) से भी निर्णय प्राप्त कर सकते हैं।

### अन्तर्प्रान्तीय सहयोग

भारत जैसे महादेश में कई ऐसी समस्याएं उठेंगी, जिनका सम्पूर्ण भारत से सम्बन्ध होगा तथा जिनको हल करने के लिये अखिल भारतीय आचार पर प्रयत्न करना आवश्यक होगा, १९१६ के विधान में तो ऐसी अवस्था में यदि सभी प्रान्त इकट्ठे होकर कामन कर सकें, तो इस बात का निर्णय गवर्नर जनरल कर सकता था। लेकिन १९३५ के विधान में इस बात का कानूनन कोई प्रबन्ध नहीं किया गया। सम्राट् को, ऐसी परिस्थितियों के उपस्थित होने पर अन्तर्प्रान्तीय काऊंसिल बनाने का अधिकार दिया गया है। इस काऊंसिल का कर्तव्य, किसी अन्तर्प्रान्तीय विषय के सम्बन्ध में जिस पर भगड़ा उठ खड़ा हो, जांच करना तथा परामश देना होगा।

उपयुक्त विवरण में यह पता चल गया होगा कि यद्यपि नया विधान प्रान्तीय स्वराज्य को मानता है, तो भी इस में संघ तथा

इसके सदस्य प्रान्तों अथवा रियासतों के बीच एक ऐसा शासनात्मक तथा व्यवस्थात्मक सम्बन्ध स्थापित कर दिया गया है, जिस से एक ओर तो रियासतों के स्वत्वों की रक्षा की जा सकती है और दूसरी ओर सामान्य हितों वाले विषयों पर सम्पूर्ण भारतवर्ष के सहयोग का प्रबन्ध भी किया जा सकता है, और यदि किन्हीं दो प्रान्तों अथवा रियासतों में भगड़ा उठ खड़ा हो, जिमका होना बहुत सम्भव है, तो उसका भी इन्तज़ाम किया जा सकता है।

१९३५ के विधान से पहले भारतवर्ष में केन्द्रित शासन था, और उस शासन की छाप अब भी नये शासन-विधान पर प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होती है।

[ ८ ]

## संघ की आर्थिक व्यवस्था

हम इस विषय को दो भागों में विभक्त करेंगे। प्रथम इस मये विधान को क्रियात्मक रूप देने में कितना अधिक व्यय होगा। दूसरे संघ तथा इसके सदस्य प्रान्तों और रियासतों में आय के स्रोतों को किस प्रकार बाटा जायगा।

इस विधान को क्रियात्मक रूप देने के लिये, व्यवस्थापिका सभाओं के आकार को बढ़ाने के लिये तथा रिडरल कोर्ट की स्थापना आदि के लिये ७५ लाख रुपया केन्द्र में तथा ७५ लाख रुपया प्रान्तों में व्यय होगा। इसके अतिरिक्त बर्मा के भ.र.१-वर्ष से पृथक् हो जाने से केन्द्र की आय में प्रति वर्ष ३ करोड़ रुपये का अन्तर पड़ा है। उस पर सिन्ध को १०५ लाख, उड़ीसा को ४० लाख तथा सीमा प्रान्त को १०० लाख रुपया देना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त रियासतों से आर्थिक निबटारे में एक करोड़ रुपया प्रति वर्ष हानि होगी। यह सारा व्यय तथा हानि, संयुक्त पार्लियामेण्ट्री कमेटी के मतानुसार इतना अधिक नहीं कि संघ शासन के विचार को छोड़ दिया जाय।

दूसरा प्रश्न—अर्थात् संघ, इसके सदस्य प्रान्तों तथा

रियासतों में आय के स्रोतों का बँटवारा, बड़ा महत्वपूर्ण है। १९१६ के विधान में भी आय के स्रोतों को बाँट दिया गया था। कानून की दृष्टि में तो यह बँटवारा केन्द्र द्वारा शासन की सुगमता के लिये किया गया था, संघ के आदर्श को ले कर नहीं, लेकिन आर्थिक दृष्टि से वह संघ पद्धति के आदर्श पर ही था। उसमें भी आय के स्रोतों को स्पष्टता के साथ पृथक्-पृथक् किया गया था।

यहां यह बना देना कदाचित् ठीक होगा कि किसी भी संघ शासन में आय के स्रोतों का बँटवारा करना एक कठिन कार्य होता है, क्योंकि एक ही देश में, एक ही जनता से, दो भिन्न तथा स्वतन्त्र अंशों ने अपनी आय प्राप्त करनी होती है। इस अवस्था में, दोनों स्वतन्त्र अंशों के लिये आय क्षेत्रों का पृथक् कर देना सम्भव भी है, क्योंकि वैधानिक स्थिति तो अवश्य सरल हो जाती है, परन्तु इस बँटवार से जो आय होती है, वह दोनों अंशों की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती।

भारत में यह बँटवारा करते समय इस बात का विचार रखना था कि केन्द्र का व्यय, सिवाय युद्ध की अवस्था के, प्रायः एक तरह का रहता है। लेकिन प्रान्तों के राष्ट्रीय निर्माण सम्बन्धी कार्यों के लिये खर्च की वृद्धि की कोई सीमा नहीं। उस पर एक बात यह है कि केन्द्र की आय के स्रोतों से आय की वृद्धि होनी बहुत सम्भव है और प्रान्तों के आय-स्रोतों से ऐसी कोई आशा नहीं। अतः समस्या यह थी—कि यह बँटवारा



इस प्रकार से होना चाहिये जिस से एक ओर तो केन्द्र में आर्थिक स्थिरता रहे तथा दूसरी ओर प्रान्तीय सरकारों की आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त आय का प्रबन्ध हो सके ।

इस समस्या में कठिनाइयां यह हैं कि एक ओर तो प्रान्तों तथा केन्द्र के लिये आय को एक ही जनता से प्राप्त करना होता है । उस पर बम्बई तथा बंगाल को प्रान्तीय सरकारें केन्द्रीय सरकार से तट कर की आय का एक विशेष भाग मांगती हैं, क्योंकि औद्योगीकरण से उन प्रान्तों में आय अधिक होती है । आय अधिक होने से केन्द्रीय सरकार को आय-कर भी, अन्य प्रान्तों की अपेक्षा इन प्रान्तों से अधिक मिलता है । उस पर कस्टम्ज से जो आय केन्द्रीय सरकार को होती है— उस में से रियासतें भी अपना भाग लेना चाहती हैं । बात यह है कि जो पदार्थ अन्य देशों से भारत में आते हैं, उन पर तट-कर लगाया जाता है । इस तट-कर से जो आय होती है, वह केन्द्रीय कोष में जाती है । लेकिन जो पदार्थ अन्य देशों से यहां भारत में आ कर विक्रते हैं, उनका केवल ब्रिटिश-भारत वाले ही उपयोग नहीं करते । रियासत निवासी भी उसको खरीदते हैं । अतः रियासती नरेश इस तट-कर की आय के कुछ अंश पर अपना अधिकार समझते हैं । और वह अंश उन्हें दिया भी जायगा । इस दशा में केन्द्र की आय में कुछ और कमी होगी । संघ शासन को जो अन्य व्यय करने होंगे, वह तो हम प्रारम्भ ही में बता चुके हैं ।

इसके अनिश्चित एक और पेचीदगी पैदा हो जाती है। रियासतों के संघशासन में प्रवेश करने पर, सिद्धान्त तो यह है कि संघ शासन के सभी अङ्गों से एक ही रीति से संघ कोष में आय पहुंचे। अब केन्द्रीय सरकार की आय का  $\frac{4}{5}$  वां भाग तो परोक्ष-कर (indirect taxes) से आता है। शेष  $\frac{1}{5}$  वां भाग ब्रिटिश भारत से आय-कर द्वारा। परोक्ष-कर के विषय में तो कोई झगड़ा नहीं। लेकिन रियासती नरेश किसी भी प्रकार का सीधा-कर अपनी रियासतों में से इकट्ठा किये जाने के विरुद्ध है। उनकी युक्ति यह है कि हम रियासत वाले, घटे वाले प्रान्तों (सिंध, उड़ीसा तथा सीमाप्रान्त) के लिये पैसा क्यों दें। और नहीं वह यह चाहते हैं कि संघ शासन स्थापित होने से पहले भारत सरकार जो ऋण ले चुकी है—उनका उत्तरदायित्व उन पर हो। लेकिन मज़े की बात यह है कि वे संघ शासन में प्रवेश करना चाहते हैं, तथापि उनकी सीमा में ब्रिटिश भारत से जाने वाले पदार्थों पर जो कर लगा हुआ है, उसे वह नहीं हटाना चाहते। यहां यह सब बताने का उद्देश्य केवल इतना ही है कि रियासतों के संघ शासन में प्रवेश करने से संघ शासन की आर्थिक स्थिति में हानि ही होगी, लाभ कोई नहीं।

इस जटिल समस्या को सुलभाने के लिये सर ओटो नीमेयर के प्रधानत्व में एक कमीशन नियुक्त किया गया था। १९३५ के विधान में तो संघ शासन की आर्थिक व्यवस्था का ढांचा मात्र ही दिया था। उसको पूरा करने का काम इस कमीशन ने

करना था। इस कमीशन के सपुर्दे एक और भी काम था। इस ने भारत तथा प्रान्तीय सरकारों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन कर के यह बताना था कि भारतीय आर्थिक स्थिति संघ शासन की आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगी या नहीं। संघ शासन के स्थापित करने से पहले जिन आर्थिक शर्तों का पूरा होना आवश्यक था, वे हैं—आर्थिक स्थिरता, रिज़र्व बैंक की स्थापना, बजटों का समतुलन; पर्याप्त सुरक्षित धन का प्रबन्ध तथा आयात—निर्यात का भारत के हक में समतुलन। सर औटो नीमेअर ने केन्द्र तथा प्रान्तों की आर्थिक स्थिति को सन्तोषजनक बताया, तथा केन्द्र और प्रान्तों से आय के स्रोतों का बंटवारा निर्दिष्ट किया। ऐसा करने पर ३ जुलाई १९३६ को, जो ढांचामात्र १९३५ के विधान में दिया गया था, सम्राट् के आदेश से उसे पूरा कर दिया गया।

### केन्द्र की आय के मुख्य स्रोत

केन्द्र की आय के मुख्य स्रोतों को पांच भागों में विभक्त किया जा सकता है।

१—उत्तराधिकार कर, स्टैम्पकर, रेल तथा वायुयानों द्वारा लाई गई वस्तुओं पर टर्मिनल-टैक्स (Terminal tax) तथा रेलवे के किरायों आदि पर कर।

इन करों से जो आय होगी, उसे कानून के अनुसार प्रान्तों तथा रियासतों में बांट दिया जायगा।

२. आयकर।

इसका ५० प्रतिशत भाग उसी प्रान्त तथा रियासत ( जिन रियासतों में यह कर लगाया जायेगा ) को दिया जायगा, जहां से वह प्राप्त होगा। लेकिन, पहले पांच वर्षों के लिये प्रान्तों को इस आय में से कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद भी उसी अवस्था में उन्हें भाग मिलेगा, जब कि संघ शासन की आर्थिक व्यवस्था स्थिर हो जाय।

इसके अतिरिक्त संघ की आवश्यकताओं के लिये बहुत बड़ी आयों पर अतिरिक्त आय-कर (surcharge) भी लगाया जा सकता है। इसमें रियासतों को भी अपना भाग देना पड़ेगा।

### ३. कारपोरेशन कर;

यह कम्पनियों की आय पर लगाया जायेगा। इस कर को रियासतों ने भी लगाना स्वीकार किया है। रियासतों से या तो यह कर सीधा वसूल किया जायगा, अथवा रियासतें इकट्ठा करके संघ को देंगी। इस अवस्था में कुल कर नियत कर दिया जायगा। यदि रियासतों को यह कर अधिक प्रतीत हो, तो वे फ़िडरल कोर्ट में अपील भी कर सकती हैं। लेकिन रियासतों में यह कर दस वर्षों के बाद से ही वसूल किया जायेगा।

### ४. नमक कर

संघ का आन्तरिक (एक्साइज़-excise) कर;

निर्गत-कर

इस आय में सारा या उसका कुछ अंश उस प्रान्त तथा रियासत को दे दिया जायेगा, जहां से यह वसूल किया गया होगा।

जैसे जूट पर के निर्यात कर की आय में से ६२ प्रतिशत भाग बंगाल, बिहार, आसाम तथा उड़ीसा को दिया जायेगा ।

५—अन्य स्रोत.....

इस आय में से संयुक्त प्रान्त को ५ वर्ष के लिये २५ लाख; आसाम को ३० लाख; सीमा प्रान्त को १०० लाख; उड़ीसा को ४० लाख तथा सिन्ध को दस वर्षों के लिये १०५ लाख रुपया प्रति वर्ष दिया जायगा ।

प्रान्तीय आय के स्रोत

१. आय-कर में से भाग ।
  २. भूमि कर और मकानों आदि पर कर ।
  ३. कृषि की आय पर लगान; तथा कृषि-भूमि पर उत्तरा-धिहार प्राप्त करने पर कर ।
  ४. अपने प्रान्त तथा भारत में बनाई गई शराब, अफीम आदि वस्तुओं पर एक्साइज कर ।
  ५. खनिज द्रव्यों के अधिकारों पर कर । इस कर को लगाने समय संघ व्यवस्थापिका सभा द्वारा खनिज द्रव्यों के निकालने के लिये जो पाषण्डियां लगाई गई होंगी, उनका ध्यान रखना होगा ।
  ६. नौकरियों, पेशों आदि पर कर ।
- इत्यादि १६ विभाग १६३५ के विधान में दिये गये हैं ।

संघ तथा रियासतें

रियासतें संघ-कोष में अपना भाग परोक्ष कर के रूप में देनी

हैं। सिवाय, कारपोरेशन कर के ( जो कि १० वर्ष बाद से ही लगाया जा सकता है ) तथा संघ की आवश्यकताओं के लिये एक अतिरिक्त-आय कर ( Surcharge ) के—रियासतों से और किसी प्रकार का सीधा कर नहीं वसूल किया जा सकता।

इनके अतिरिक्त रियासतों के संघ शासन में प्रवेश करने पर कुछ आर्थिक परिवर्तन करने होंगे। आजकल बहुत-सी रियासतें फौज़ी तथा अन्य खर्चों के लिये जो रुपया केन्द्रीय सरकार को देनी हैं, वह २० वर्ष में क्रमशः बन्द कर दिया जायगा। इससे रियासतों की आय में प्रति वर्ष ७५ लाख रुपयों की वृद्धि या बचत हो जायगी। रियासतों को संघ शासन में लाने के लिये यह प्रलोभन दिया गया था।

### रिज़र्व बैंक (Reserve Bank)

रिज़र्व बैंक का महत्त्व इसी बात से स्पष्ट है कि रिज़र्व बैंक की स्थापना संघशासन प्रारम्भ करने के लिये एक आवश्यक शर्त थी। यह संस्था किसी भी केन्द्रीय शासन की अर्थ-व्यवस्था में एक प्रधान अङ्ग होती है। रिज़र्व बैंक की बहुत-सी परिभाषायें हैं। आसान भाषा में रिज़र्व बैंक वह बैंक है जो जनता के आर्थिक लेनदेन, मदद तथा ऋण की मांग को पूरा करता है और राजनीति के प्रभाव या लोभ से पृथक् रहता है।

भारत में रिज़र्व बैंक खोलने का उद्देश्य भारत की आर्थिक स्थिरता को कायम रखना था। यह बात स्वीकार की गई थी कि मुद्रा ( Currency ) तथा साख (Credit) का नियन्त्रण एक

स्वतन्त्र संस्था, रिज़र्व बैङ्क, के हाथों देना चाहिये। बैंक नोट चलाने का तथा स्थायी कोष (reserve) रखने का जिम्मा भी रिज़र्व बैंक को दिया गया। १९३४ में रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया कानून पास हुआ और १९३५ में यह बैंक प्रारम्भ किया गया।

रिज़र्व बैंक का मूलधन ५ करोड़ रुपया है, जो सौ-सौ रुपयों के हिस्सों में बँटा हुआ है, इसका मूलधन सरकार ने नहीं दिया है। यह एक हिस्सेदारों का बैंक है। रिज़र्व बैंक का मूलधन सरकार दे या आम जनता—इस प्रश्न पर काफ़ी बहस हुई थी, और अन्त में जनता से ही मूलधन जमा करने का निश्चय हुआ था। संसार के जिन देशों में केन्द्रीय बैंक हैं, उनमें से अधिकांश बैंक हिस्सेदारों के ही हैं, सरकार के नहीं। बैंक को राजनीतिक प्रभाव से बचाने के लिये ऐसा करना आवश्यक है।

रिज़र्व बैंक का प्रबन्ध एक बोर्ड द्वारा होता है। इस बोर्ड के १६ मेम्बर हैं। उनसे एक गवर्नर और एक सहायक गवर्नर को गवर्नर जनरल चुनता है। इनके सिवा ४ अन्य सदस्यों को भी गवर्नर जनरल ही नियुक्त करता है। एक सरकारी अफसर भी बोर्ड का सदस्य होता है। शेष ८ सदस्यों को हिस्सेदार चुनते हैं। इस प्रकार बोर्ड के सदस्यों में ८ सरकारी सदस्य और ८ गैर सरकारी सदस्य हैं। इतने अधिक सरकारी सदस्यों का होना किसी दशा में भी उपयुक्त नहीं है। ऐसी अवस्था में बैंक का राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रहना सम्भव नहीं मालूम पड़ता।

व्यवस्थापिका सभा का भी इस बैंक पर किसी प्रकार का

नियन्त्रण नहीं। व्यवस्थापिका सभा में मुद्रा तथा रिज़र्व बैंक की बनावट तथा कार्यों के विषय में किसी प्रकार का बिल या संशोधन नहीं पेश किया जा सकता।

अब अन्त में संघ की आर्थिक व्यवस्था की कुछ आलोचना करनी है। इस आर्थिक व्यवस्था तथा १९१६ के विधानके अन्तर्गत आर्थिक व्यवस्था के आधार में कोई भेद नहीं। केवल यहां सूचियों को अधिक विस्तार से बनाया गया है—अन्यथा बँटवाग प्रायः एक जैसा ही हैं।

संघ के सन्मुख वास्तव में समस्या यह थी कि किस प्रकार प्रान्तों को अधिक रूपया मिल सके। चाहे ऐसा करने के लिये केन्द्राय आय में से कुछ भाग देना पड़े, चाहे प्रान्तों को आय के उन स्रोतों को दिया जाय, जिनके भविष्य में बढ़ने की आशा हो। यह तो संयुक्त पार्लियामेण्ट्री कमेटी ने भी माना है कि केन्द्र को जो आय के स्रोत दिये गये हैं, उन से भविष्य में आयवृद्धि होने की आशा है। मगर प्रान्तीय स्रोतों से आयवृद्धि होने की कोई सम्भावना नहीं। प्रान्तों, जिनको बहुत पैसे की आवश्यकता है, को केन्द्रसे भी कोई आशा नहीं। केन्द्रीय आय बढ़ेगी सही, लेकिन उससे प्रान्तोंको क्या लाभ ?

उस पर रियासतों के संघ में आने से और हानि होगी। प्रति वर्ष ७५ लाख रुपये अधिक का बोझ भारतीय जनता के सिर पड़ेगा। भविष्य में भी रियासतों पर किसी प्रकार का कर लगाकर आयवृद्धि की आशा नहीं रखी जा सकती। ऐसा काम रिया-



सतें भला क्यों स्वीकार करनें लगीं ! वे तो परोक्ष-कर पर ही जोर देंगी । जिससे खरीदारों पर बोझ पड़ेगा । ऐसा भी हो सकता है कि भविष्य में रियासतों को जितने अधिक रुपये की संघ-शासन के लिये आवश्यकता पड़े, उसे प्राप्त करने के लिये वे ब्रिटिश भारत पर और सीधे कर लगवा दें, क्योंकि परोक्ष कर एक सीमा से आगे बढ़ाये नहीं जा सकते ।

( ६ )

## अंग्रेजी सरकार का भारतीय विभाग

१८५८ के विधान ने भारत शासन को कम्पनी के हाथों से ले कर अपने हाथों में ले लिया था । उस समय से “बोर्ड आफ कन्ट्रोल” के सभापति का स्थान भारत मन्त्री ने ले लिया, तथा “कोर्ट आफ डाइरेक्टर” और “बोर्ड आफ कन्ट्रोल” का स्थान एक “परामर्श दायिनी समिति” ने । भारत मन्त्री (Secretary of State for India) एक मुख्य मन्त्री होता है । अंग्रेजी सरकार के मन्त्रिमण्डल में इसका प्रमुख स्थान होता है । यह व्यक्ति इंग्लैंड की पार्लियामेन्ट के दोनो में से किसी एक भवन का सदस्य होता है । यह आवश्यक नहीं कि उस व्यक्ति को भारत से व्यक्तिगत परिचय हो । यह सम्पूर्ण रूप से पार्लियामेन्ट के आगे उत्तरदायी होता है । पार्लियामेन्ट साधारण प्रस्तावों से, अविश्वास तथा स्थगित प्रस्ताव से, प्रश्नों तथा पूरक प्रश्नों द्वारा इसके कार्य पर नियन्त्रण रखती है । पार्लियामेन्ट के अतिरिक्त यह मन्त्रिमण्डल के सन्मुख भी उत्तरदायी होता है, तथा उनके सामने भारत सम्बन्धी सभी स्कीमें रखता है । यदि इसका अपने

मन्त्र-मण्डल के साथियों से गम्भीर मत भेद हो जाय तो इसे त्यागपत्र देना पड़ता है।

इसके दो सहायक होते हैं। स्थायी उप-मन्त्री तथा पार्लियामेण्ट्री उप-मन्त्री। स्थायी उप-मन्त्री एक सरकारी अफसर है तथा वह इंग्लैंड में भारत कार्यालय का अधिष्ठाता होता है। इसका काम एक ओर तो शासन-कार्य करना होता है तथा दूसरी ओर भारत मन्त्री को सूचनाएं एकत्र करके देना। पार्लियामेण्ट्री उप-मन्त्री का पद एक राजनीतिक पद है।

### भारत मन्त्री तथा भारत समिति

नये विधान से पहले भारत में शासन ऊपर से नीचे को होता था। लोक तन्त्र की भांति नीचे से ऊपर को नहीं। अर्थात् यहां नौकर शाही राज्य था। इन नौकर शाहियों पर नियन्त्रण रखने के लिये भारत मन्त्री की आवश्यकता पड़ी। लेकिन, भारत मन्त्री के ऊपर भारत जैसे देश के शासन का उत्तरदायित्व छोड़ना भी तो ठीक न था। कारण, भारत-मन्त्री प्रायः भारत से विशेष परिचित नहीं होता। इस लिये उसे अपने उत्तरदायित्व को जिम्मेदारी में सहायता तथा परामर्श देने के लिये भारत समिति की आवश्यकता पड़ी। १८५८ के एक्ट के अन्तर्गत तो इसके १५ मेम्बर थे। लेकिन १९१६ के विधान अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक १२ सदस्य होते थे। इन में से तीन स्थान भारतीयों के लिये थे। इन सदस्यों में से कम से कम आधे ऐसे होने चाहिये जिन का भारत से व्यक्तिगत

परिचय हो। पहले (१६०७ तक) तो यह १० वर्ष तक मेम्बर रह सकते थे। लेकिन १६१६ एक्ट के अनुसार इन्हें पांच वर्षों के लिये नियुक्त किया जाता था।

भारत-मन्त्री को, इस विधान के अनुसार, कुछ अधिकारों का प्रयोग करते समय, भारतसमिति से परामर्श लेकर काम करना होता था। दोनों को मिलाकर समिति सहित भारत मन्त्री (Secretary of state in Council) कहते हैं। साधारण तौर पर सभी विषयों का निर्णय बहुमत से किया जाता था, पर भारत-मन्त्री को इस समिति के निर्णयों को रद्द करने का अधिकार था। लेकिन भारतीय आय और व्यय तथा शाही-नौकरियों के विषय में सब निर्णय बहुमत से होने आवश्यक थे। गोपनीय विषयों के लिये भारत-मन्त्री, बिना भारत-समिति के काम करता था। अतः भारतसमिति तो केवल परामर्शसमिति मात्र ही थी। भारत का राष्ट्रीय लोकमत तो इसके विरुद्ध ही रहा, क्योंकि एक तो इससे कोई लाभ न था। उस पर इसके सदस्य प्रायः भारत से अवसरप्राप्त व्यक्ति होते थे। इमसे इस समिति में अनुदारत्व का अंश अधिक होने से यह समिति भारत की राष्ट्रिय प्रगति के पथ में बाधक हो जाती थी। नये विधान में इसका स्थान भारतमन्त्री के परामर्शदाताओं ने ले लिया।

**भारत मन्त्री तथा गवर्नर जनरल**

भारत मन्त्री का पार्लियामेण्ट में स्थान तथा उसका भारत-समिति से सम्बन्ध तो बताया जा चुका है। यहां भारत के वस्तुतः

शासक गवर्नर जनरल से उसका सम्बन्ध बताना शेष रह गया है ।

(कानून की दृष्टि से तो गवर्नरजनरल को भारतमन्त्री के सभी आदेशों का पालन करना पड़ता है) लेकिन ऐसा होता नहीं रहा । कारण, गवर्नर जनरल भारत जैसे विस्तृत देश के शासन का अधिष्ठाता ठहरा । और भारतमन्त्री भारत से, स्वेज़ नहर खुलने से पहले, ६ हजार मील पर इंग्लैण्ड में रहता था । इस अवस्था में शासन का उत्तरदायित्व गवर्नर जनरल पर ही रहता रहा है । क्योंकि भारत मन्त्री का भारतशासन में हस्ताक्षेप करना, ऊँठ की पीठ पर बैठकर भेड़ों को चराने के समान होता था । लेकिन यह बात बहुत कुछ भारतमन्त्री तथा गवर्नर जनरल के परस्परिक व्यक्तिगत सम्बन्ध पर ही निर्भर होती थी । कई भारत मन्त्री गवर्नर जनरल को अपना ऐजेंट मात्र समझते थे । और कई ऐसे गवर्नर जनरल भी थे जिनके लिये भारत मन्त्री का काम पार्लियामेण्ट में उनकी नीति का प्रतिपादन करना था ।

लेकिन स्वेज़ नहर के खुलने से तथा समुद्री तार लगाये जाने पर एक ओर भारत तथा इंग्लैण्ड परस्पर निकट हो गये तथा दूसरी ओर भारतमन्त्री को भारत से विशेष जानकारी रखने वाले भारतसमिति के सदस्य मिल गये । इससे गवर्नर जनरल की स्वतन्त्रता में कमी आने लगी और भारतमन्त्रियों ने भारत के शासन कार्य में हस्ताक्षेप करना भी आरम्भ किया । लार्डन एल्लिगन तथा लार्ड रिपन ने इस हस्ताक्षेप

के विरुद्ध आवाजें उठाईं। लेकिन तो भी उनको भारतमन्त्री की नीति तथा आदेशों का पालन करना ही पड़ा।

### शासनविधान में भारत-मन्त्री का स्थान

सिद्धान्त की दृष्टि से तो उत्तरदायी शासन में भारतमन्त्री के लिये कोई स्थान नहीं रहता। “नौकरशाही राज्य” में तो उसकी आवश्यकता थी। क्योंकि ऊपर से नीचे वाले शासन में उत्तरदायित्व सब से ऊपरवाले अर्थात् भारत-मन्त्री में रहना था। लेकिन प्रान्तों को स्वराज्य मिल जाने पर शासन का उत्तरदायित्व भारतीयों के हाथ होगया है। उदाहरण के लिये अर्थ विभाग को लीजिये। अब प्रान्तों में प्रान्तीय आय-व्यय का ज़िम्मा उत्तरदायी मन्त्रिमण्डल पर है। इससे पहले सारे भारत के आय-व्यय का ज़िम्मा भारत-मन्त्री पर था। लेकिन अब, जब कि भारत का उत्तरदायित्व ही भारतमन्त्री पर नहीं रहना है, तो भारतमन्त्री की आवश्यकता ही क्यों हो? उसके अतिरिक्त किसी नये विधान में, जहाँ कि सिद्धान्त की दृष्टि से स्वतन्त्र प्रान्तों को संघ शासन में इकट्ठा करना हो, वहाँ न तो प्रान्त अपने अधिकार गवर्नर जनरल से, और न गवर्नर जनरल या केन्द्रीय सरकार अपने अधिकार भारतमन्त्री से पाते हैं। संघशासन के इन दोनों भागों को अपने अधिकार सीधे सम्राट् से मिलने चाहिये। इस बात को संयुक्त पार्लियामैण्ट्री कमेटी ने भी माना था। अतः नये विधान में भारत सरकार को वैधानिकरूप से भारतमन्त्री के अधीन नहीं किया गया। इसी

कारण से भारतमन्त्री को विधान के ११वें विभाग में रखा गया है। लेकिन केवल ११वें विभाग के अध्ययन से ही भारतमन्त्री के अधिकारों का पता नहीं चल सकता है। उसके अधिकारों को ढूँढ़ने के लिये विधान के सभी विभागों की छानबीन करने की आवश्यकता पड़ती है। उनमें से मुख्य यह हैं:—

नये विधान में निम्नलिखित क्षेत्रों में भारतमन्त्री के पुराने अधिकार सुगृहित रखे गये हैं—

१—भारतीय रियासतें।

२—बाह्य मामले (भारत के अन्य उपनिवेशों के साथ सम्बन्ध के अतिरिक्त)।

३—रक्षा।

४—अर्धसभ्य जातियों के प्रदेश।

५—आबाषाशी विभाग के उच्चतम कर्मचारियों को नियुक्त करना।

६—आई. सी. एस (सिविल विभाग); आई. एम. एस. (चिकित्सा विभाग) तथा आई. पी. एस (पोलीस विभाग) में नियुक्तियां करना।

७—उच्च सिविल कर्मचारी विभाग के विषय में अन्तिम अपील।

इसके अतिरिक्त भारत मन्त्री का गवर्नर जनरल तथा गवर्नरों पर भी नियन्त्रण रहेगा। क्योंकि जिन क्षेत्रों में गवर्नर ने अपनी विवेचनात्मक शक्तियों से अथवा अपने व्यक्तिगत निर्याय

से काम लेना होगा, वहाँ वह गवर्नर जनरल के सामान्य नियन्त्रण में रहेगा। इसी प्रकार जिन क्षेत्रों में गवर्नर जनरल ने अपनी विवेचनात्मक शक्तियों से अथवा व्यक्तिगत निर्णय से काम लेना होगा—वहाँ गवर्नर जनरल, भारतमन्त्री के सामान्य नियन्त्रण में रहेगा। गवर्नर तथा गवर्नर जनरल की विवेचनात्मक शक्तियों के अन्तर्गत एक प्रकार से शासन के सभी मुख्य अङ्ग आ जाते हैं। अतः चाहे भारत भारत मन्त्री को वैधानिक दृष्टि से कोई भी स्थान नहीं दिया गया—तो भी वास्तव में भारतमन्त्री की स्थिति बदली नहीं। अब वह रंगमञ्च पर चाहे न भी दृष्टिगोचर हो, तो भी कर्त्ता-धर्ता एक प्रकार से वही रहेगा। हम इस बात को और स्पष्ट करते हैं। आर्थिक व्यवस्था किसी राष्ट्र की जीवात्मा के समान होती है। भारत के आय-व्यय के जिस अंश पर व्यवस्थापिका सभा को वोट देने का अधिकार नहीं, वह परोक्ष रूप से भारत-मन्त्री के नियन्त्रण में आ जाता है।

रेलवे विभाग (federal railway authority) को लीजिये। इस विभाग को संघ शासन के नियन्त्रण में नहीं रखा गया, ताकि इसे राजनीतिक प्रभावों से पृथक् रखा जा सके और इसका कार्य व्यापारिक सिद्धान्तों के अनुसार निर्बाध रूप से चल सके। संघ शासक रेलवे विभाग सम्बन्धी नीति के संबन्ध में केवल निर्देश ही दे सकता है। लेकिन गवर्नर जनरल का रेलवे विभाग पर पूरी तरह से नियन्त्रण रहेगा। क्यों कि यह विभाग गवर्नर जनरल के विशेष उत्तरदायित्वों के अन्तर्गत है।



विशेष उत्तरदायित्व होने के कारण गवर्नर जनरल को इस विषय में व्यक्तिगत निर्याय से काम लेना होगा और जिस क्षेत्र में गवर्नर जनरल अपने व्यक्तिगत निर्याय से काम ले,—इस क्षेत्र में वह भारत मन्त्री के नियन्त्रण में रहेगा। रेलवे विभाग को गवर्नर-जनरल के अधीन करने के महत्व के समझाने के लिये यहां यह बताया जाय कि १६३५-३६ के भारत सरकार के सरकारी वक्तव्य के अनुसार भारत सरकार पर १२२५ करोड़ रुपये का ऋण था। इस सम्पूर्णा ऋण में ७५६ करोड़ रुपया रेलवे पर व्यय किया गया था। इसके अतिरिक्त “रिज़र्व बैंक” पर भी भारतमन्त्री का नियन्त्रण रहेगा। इस अवस्था में नये विधान में भारत मन्त्री के महत्व पर अधिक कहने की आवश्यकता नहीं।

( १० )

## रक्षा

सर ए. बी. कीथ के शब्दों में—“बिना भारतीयों की अपनी प्रबल सेना के स्वराज्य का होना असम्भव है।” यह बात प्रायः हम नहीं समझते। यद्यपि आधुनिक परिस्थितियों में यह बात सब से पहले किसी भी विचारशील व्यक्ति के मन में आनी चाहिये। संसार का यह नियम है—चाहे बुरा या भला, इस बात से हमें यहां कोई मतलब नहीं—कि बलवान निर्बल को अपने काबू में रखना चाहता है। चीन, ऐबीसीनिया, ज़ैकोस्लोवाकिया, पोलैण्ड, फिनलैण्ड आदि के नग्न उदाहरण इस विषय पर दो मतों के लिये स्थान नहीं छोड़ते। भारत के इतिहास को ही लीजिये। आर्यों के समय से लेकर आज तक यूनानी, शक, कुशान, हूण, अफ़गान, तुरक, मंगोल आदि कितनी ही विदेशी आक्रमणकारी जातियों ने भारत की स्वतन्त्रता को हरण किया। तब तक तो उत्तर पश्चिमीय देशों से ही आक्रमणकारियों के आक्रमण करने का माग था। लेकिन १७ वीं, अठारहवीं शताब्दी में भारत की स्वतन्त्रता सामुद्रिक मार्ग से आने वाले व्यापारी

सैनिकों के द्वारा छीन ली गई। अभी तक भारत स्वाधीन नहीं है। परन्तु भारत में राष्ट्रीय भावना के जागृत होने पर अंग्रेजों ने शनैः शनैः भारत के शासन कार्य को भारतीयों के सुपुर्द करना प्रारम्भ किया। कहां तक ? और कैसे ? इस बात पर हम विचार कर चुके हैं। लेकिन रक्षा के विषय में क्या परिस्थिति है, अथवा यों कहिए कि अपनी रक्षा का भार कहां तक भारतीयों के जिम्मे है—इस विषय पर यहां हमने विचार करना है।

भारत की रक्षा सम्बन्धी व्यवस्था को समझने के लिये हमें भारतीय सेना के ऐतिहासिक विकास को देखना होगा। जब अंग्रेज १७ वीं सदी में भारत में आये थे, तो उनके साथ सेना नहीं थी और उस समय मुगल सम्राटों में सारे देश में शान्ति तथा व्यवस्था स्थापित करने की क्षमता थी। जो थोड़े-बहुत सिपाही अंग्रेजों के पास थे—उनका कार्य कारखानों की चौकीदारी करना था। तब अंग्रेजों के मन में राज्य स्थापना करने के लिये युद्ध करने का कोई विचार न था। यह परिस्थिति १७०६ तक रही।

१७०६ से, भारत में ब्रिटिश सेना के इतिहास का दूसरा काल आरम्भ होता है। इस काल में अंग्रेजों ने देशी फौजों को भरती करना प्रारम्भ किया। सेन्ट टामस के युद्ध में मुट्टी भर फ्रांसिसियों द्वारा अनवरुद्दीन की सेना की पराजय ने, यूरोपियनों की उत्कृष्टता की धाक जमा दी। फ्रांसिसियों के हौंसले खुले। देखादेखी अंग्रेजों ने भी फ्रांसिसियों का अनुसरण किया, तथा १७४८ में जेजुस-लार्नेस ने मद्रास में बहुत से देशी सिपाहियों की

भर्ती की। इसके बाद अंग्रेजों-फ्रांसीसियों की प्रतिद्वन्द्विता से, अंग्रेजों की सेना की संख्या बहुत बढ़ गई। इस लिये क्लाइव को सेना की व्यवस्था करने की आवश्यकता पड़ी। १७८६ में पुनः व्यवस्था की गई। इस समय कम्पनी के पास १८००० यूरोपियन तथा ५७००० देशी सैनिक थे। इस व्यवस्था से पहले अंग्रेजी अफसरों की संख्या और उनके अधिकार अधिक कर दिये गये। इससे भारतीय अफसरों के अधिकारों तथा उनके गौरव को हानि हुई। इसके बाद १८२१ में कुछ और परिवर्तन किये गये। इस काल में सेना के तीन विभाग किये जा सकते हैं। भारतीय सैनिक, यूरोपियन सैनिक तथा स्थानीय आवश्यकताओं के लिये रक्खे जाने वाले तथा अनियमित सैनिक। यूरोपियन सैनिक दो प्रकार के थे— एक कम्पनी के नौकर तथा दूसरे ब्रिटिश सम्राट के। १८५७ में इस सेना में ३६, ५०० यूरोपियन तथा ३,११,०३८ भारतीय थे।

इसी सेना में अंग्रेजों के लिये, बर्मा से लेकर अफगानिस्तान की सीमा तक तथा पंजाब से लेकर मैसूर तक—सम्पूर्ण भारत को जीता था। लेकिन समय समय पर इसमें विद्रोह भी होते रहे थे, १७६४, १८०६, ( बैलोर ), १८०६ तथा १८२४ में कभी भारतीय सिपाहियों ने और कभी यूरोपियन सिपाहियों ने विद्रोह किया। लेकिन सब से महत्वपूर्ण तथा अन्तिम विद्रोह १८५७ में हुआ। यह विद्रोह एक प्रकार से बंगाली सेना का विद्रोह था। धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक कारणों से यह केवल बंगाल तक ही सीमित न रहा। बम्बई, मद्रास, पंजाब तथा कुछ राजभक्त देसी

रियासतों की सेवाओं की सहायता से इस विद्रोह का दमन किया गया। लेकिन १८५७ का प्रभाव अभी तक दृष्टिगोचर होता है। कारण, आज की सेना नीति का प्रारम्भ १८५७ से ही होता है।

विद्रोह का एक कारण भीरनीय सेनाओं में, यूरोपिअन सेनिकों की कम संख्या भी थी। और यदि यूरोपिअन अधिक संख्या में भारतीय सेना में होते, तो १८५७ का विद्रोह इतना प्रचण्ड रूप धारण न करता। १८५७ से पहले लार्ड डल्हौज़ी ने यूरोपिअनों की संख्या बढ़ाने के लिये कहा था। लेकिन तब इसकी किसी ने नहीं सुनी थी। १८५७ के बाद, भारतीय सिपाहियों की संख्या घटा कर, सेना में यूरोपिअनों का भारतीयों के मुकाबले में अनुपात बढ़ा दिया गया। सारी सेना की ४० प्रतिशत संख्या कम की गई। लेकिन अंग्रेज़ सिपाहियों की संख्या ६० प्रतिशत बढ़ा दी गई। एक और बात भी की गई। पूरबियों की पलटनों को विसर्जित करके सिक्खों तथा गोरखों की अधिक भर्ती की गई। एक पलटन किसी विशेष जाति या सम्प्रदाय से भर्ती की जाने लगी तथा इन पलटनों के बीच स्पर्धा को प्रोत्साहन दिया जाने लगा।

भारत में अंग्रेज़ी सिपाहियों का स्थान तथा उद्देश्य क्या होगा, इस बात पर बहुत बहस हुई। अन्त में अंग्रेजों की साम्राज्य-सम्बन्धी आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर अंग्रेज़ी सिपाहियों की संख्या निश्चित करदी गई। इसके बाद १८७२ में मिस्टर कार्डवेल ने एक नई योजना प्रारम्भ की, जिसके

अनुसार अंग्रेज़ सिपाही केवल १० साल तक नौकरी करता है। और दस साल के बाद वह पेंशन का हकदार हो जाता है। मजे की बात यह है कि उसे पेंशन तो हिन्दुस्तान से मिलती है, पर वह इंग्लैण्ड की स्थायी सेना का सिपाही बन कर रहता है।

१८७६ में लार्ड लिटन ने एक सेना-संगठन-कमीशन बैठाया। जिसने सेना के अफसरों की संख्या को कम कर दिया और तीनों मुख्य प्रान्तीय सेनाओं को एक ही नियन्त्रण में रखने की सिफ़ारिश की। लेकिन १८६३ तक इसको कार्यरूप में परिणत नहीं किया गया। १८८५ की सीमाप्रान्त की दुर्घटना के अनन्तर, उत्तर-पश्चिमीय सीमा प्रान्त के सुरक्षण के लिये १२,६०० सैनिक और भर्ती किये गये। इसी घटना के बाद रियासतों ने सहायता के लिये एक सेना खड़ी की, जिसे इम्पेरियल सर्विस ट्रूप्स (Imperial Service Troops) कहा जाना है।

१८६५ से भारतीय सेना के इतिहास का चतुर्थ काल का आरम्भ होता है। क्यों कि १८६५ में ही भारत की मुख्य प्रान्तीय सेनाओं (Presidency armies) को एक नियन्त्रण में कर दिया गया। इन तीन मुख्य प्रान्तीय सेनाओं के स्थान पर सम्पूर्ण सेना को चार भागों में विभक्त किया गया। एक भाग पञ्जाब के, दूसरा मद्रास के, तीसरा बम्बई के तथा चौथा बंगाल के लेफ़्ट नेएट गवर्नरों के अधीन कर दिया गया। लार्ड किचनर के प्रधान सेनापति बनने पर बर्मा में एक पांचवा विभाग स्थापित कर दिया गया।

लार्ड किचनर ने यह प्रस्ताव किया कि युद्ध सम्बन्धी मामलों में, प्रधान सेनापति को ही भारत सरकार का एकमात्र परामर्शदाता होना चाहिये। इससे पहले शासन समिति के युद्ध सचिव के द्वारा ही, प्रधान सेनापति अपने प्रस्ताव भारत-सरकार के संमुख पेश कर सकता था। इस प्रस्ताव का मतलब यह था कि युद्ध सचिव (Military member) के पद को हटा दिया जाये। पर ऐसा करने से प्रधान सेनापति के अधिकार बहुत अधिक बढ़ जाते थे। इसलिये तत्कालीन वायसराय, लार्ड कर्जन इस प्रस्ताव के विरुद्ध था। लेकिन अन्त में ब्रिटिश सरकार ने किचनर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसके विरोध में लार्ड कर्जन ने त्यागपत्र दे दिया। अतः १९०६ से, युद्ध सम्बन्धी मामलों में प्रधान सेनापति ही भारत-सरकार का एकमात्र परामर्शदाता होता है। १९०८ में ५ सेना विभागों के स्थान पर उत्तरीय तथा दक्षिणीय दो सेना विभाग कर दिये गये।

१९१४ में पिछले महायुद्ध प्रारम्भ हुआ। भारतीय पलटनें फ्रांस, फ्लैण्डरज़, पूर्वी-अफ्रिका, तुर्किस्तान, ईजिप्ट, पैनेस्टाइन तथा इराक में लड़ीं। लेकिन इराक युद्ध के अवसर पर भारतीय सेनाओं की त्रुटियां सामने आईं। उनको दूर करने के लिये एशर कमेटी (Esher Committee) बैठाई गई। यह एक महत्वपूर्णा निश्चय पर पहुंची। वह निश्चय था कि भारतीय सेना का उद्देश्य भारत की रक्षा करना ही है।

१९१८ में मौंटेगू चेम्सफ़ोर्ड रिपोर्ट में यह प्रस्ताव किया

कि सेना में भारतीयों को अफसर भी बनाया जाना चाहिये । भारतीय सेना में दो प्रकार के अफसर होते हैं—एक वे जिन्हें किंगज़ कमिशन (Kings Commission) मिलता है, दूसरे वे जिन्हें वायसराय कमिशन (Voisry's Commission) दिया जाता है वायसराय-कमिशन का पद, किंगज़-कमीशनकी अपेक्षा बहुत नीचा होता है । महायुद्ध से पहले भारतीयों को वायसराय कमिशन तो मिलता था, लेकिन किंगज़-कमिशन किसी को भी नहीं मिलता था । युद्ध में वीरता दिखाने पर कुछ भारतीयों को किंगज़ कमिशन मिला था, लेकिन ऐसे भारतीय इने-गिने थे, यद्यपि भारतीय सेनिकों की संख्या यूरोपियन सेनिकों के मुकाबले म दुगनी थी ।

राष्ट्रीय भावना के जागृत होने पर, अपने देश के रक्षा-कार्य को अपने हाथों में लेने की आकांक्षा का होना स्वाभाविक है । विशेषतया जब इसके बिना स्वराज्य शब्द ही निर्थक हो जाता है । अतः गत महायुद्ध के बाद इस बात पर भारतीय जनता में एक आन्दोलन उठ खड़ा हुआ । यह आन्दोलन दो मुख्य रूपों में जनता तथा सरकार के सन्मुख आया । एक ओर तो भारतीयों ने यह मांग की कि जहां तक होसके, जल्दी से जल्दी स्थायी सेना के सभी कमिशन प्राप्त अफसर भारतीय हों, दूसरे, भारतीयों के लिये सेना सम्बन्धी शिक्षा का अधिकतम प्रबन्ध किया जाये । इसके अतिरिक्त फौज़ी खर्च कम करने की भी मांग की गई । क्योंकि तब, हिन्दूस्तान की केन्द्रीय सरकार



अपनी कुल आमदनी का  $६२\frac{३}{४}$  प्रति शत भाग सेना पर व्यय करती थी। यदि केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकारों की आय को मिलाकर यह अनुपात देखा जाय तो भी यह  $३१\frac{३}{४}$  प्रतिशत आता है। फौजी व्यय और सरकारी आमदनी में इतना अधिक अनुपात किसी देश में ढूँढनेपर भी नहीं मिलेगा। भारतमें इतना अधिक सेना व्यय अंग्रेज़ी सिपाहियों के होने के कारण भी है। भारत में ६०,००० अंग्रेज़ी सिपाही हैं। अफ़मर तो अधिकतर अंग्रेज़ ही हैं। इसके अतिरिक्त एक अंग्रेज़ का खर्च, हिन्दुस्तानी सिपाही पर होने वाले खर्च से तिगुना है।

खर्च घटाने के विषय पर सरकार ने कुछ कमेटियां बैठाई थीं। १९१३ तक यह खर्च केवल ३० करोड़ रुपये ही था। लेकिन महायुद्ध के पश्चात् खर्च में काफ़ी वृद्धि हुई। १९१७-१८ में यह खर्च ४४ करोड़ हो गया और १९१८-१९ में ६७ करोड़। १९२०-२१ में तो यह बढ़कर ६६ करोड़ तक पहुँच गया। सन् १९२२-२३ इंचेप कमेटी की राय के अनुसार फौजी खर्च घटा कर १९२७-२८ में ५५ करोड़ कर दिया गया। लेकिन सेना के यन्त्रीकरण के प्रोग्राम के अपनाने के कारण यह खर्च पुनः बढ़ गया। बाद में १९३७-३८ सेना रिफ़ायन कमेटी (Army retrenchment Committee) की सिफ़ारिश के अनुसार सेना का खर्च घटा कर ४४ $\frac{३}{४}$  करोड़ कर दिया गया। लेकिन इस कतर-ब्योत ने भारतीयोंको सन्तुष्ट नहीं किया, क्योंकि उनके विचारमें मितव्ययता के लिये अभी पर्याप्त गुंजाइश है, जो कि अंग्रेज़ी सिपाहियों के

संख्या कम कर देने से, रिज़र्व सेना की वृद्धि आदि से की जा सकती है।

ब्रिटिश सरकार अंग्रेज़ी सिपाहियों की संख्या कम करने को तैयार नहीं। भारत में सेना के तीन कार्य हैं—एक तो देश को बहरी आक्रमणों से बचाना, दूसरे सीमाप्रांत के स्तन्त्र ट्राइबों के आक्रमणों से, भारतीय सीमा में शान्तिपूर्वक रहने वाली जनता की रक्षा करना, तीसरे देश की आन्तरिक व्यवस्था करना। इसी विचार से भारत की स्थायी सेना में ६०,००० अंग्रेज़ और १,५०,००० भारतीय सिपाही हैं। इसके अतिरिक्त ३४,००० रिज़र्व reserve में रखे जाते हैं। रिज़र्व सेनिकों को कुछ देर के लिये सैनिक शिक्षा दे दी जाती है। ऐसे सैनिक स्थायी सेना में नहीं रखे जाते और हमेशा लड़ने के लिये तैयार रहते हैं। वे केवल लड़ाई छिड़ने पर ही काम आते हैं।

ब्रिटिश सरकार का (साइमन कमीशन की रिपोर्ट के शब्दों में) कहना है—वैसे तो हमें अंग्रेज़ी सिपाहियों की संख्या को कम करने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ऐसा करना भारत के हित में उचित नहीं। कॅनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैण्ड, न्यूफाउण्डलैण्ड, आयरलैण्ड, संयुक्त दक्षिण अफ्रिका में से भी तो हमने अंग्रेज़ी सैनिक निकाल लिये थे। क्योंकि ऐसा करने से इन उपनिवेशों के निवासो अपनी रक्षा का प्रबन्ध आप कर सकते थे। एक ओर तो इन उपनिवेशों में रक्षा का प्रश्न इतना महत्वपूर्ण नहीं था; दूसरे वे देश एक राष्ट्रीय सेना खड़ी कर सकते थे। तीसरे

आन्तरिक व्यवस्था के लिये सेना की उन्हें की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, लेकिन भारत में परिस्थितियां भिन्न हैं। यहाँ १८५० से १९३० तक, सीमाप्रान्त पर उपद्रवियों को दबाने के लिये ७२ बार सेना का प्रयोग करना पड़ा। इसके अतिरिक्त साम्प्रदायिक दंगों के अवसरों पर भी सेना की आवश्यकता पड़ती रहती है। इन दंगों में सभी लोग अंग्रेज़ी सिपाहियों की ही मांग करते हैं - क्योंकि वे तटस्थ होते हैं। इसी लिये आन्तरिक व्यवस्था कायम रखने के लिये जो सेना है, उसमें ७ भारतीयों के मुकाबले में ८ अंग्रेज़ी सिपाही रखे जाते हैं। जब कि शेष सेना (जिसका काम देश की बाह्य आक्रमणों से रक्षा करना है) में अंग्रेज़ तथा भारतीय सिपाहियों का अनुपात १:२५ है। तीसरी बात यह है कि भारत में एक अखिल भारतीय सेना का खड़ा करना एक महा कठिन कार्य है, क्योंकि भारत के सभी प्रान्तों के निवासी युद्ध कार्य के योग्य नहीं होते। ऐसी परिस्थिति यूरोप के किसी देश में नहीं। नीचे प्रान्तों के अनुसार सिपाहियों के आंकड़े दिये गये हैं:—

सीमाप्रान्त में से	५६००
काश्मीर    "   "	६५००
पंजाब       "   "	८६,०००
नेपाल       "   "	१६,०००
युक्तप्रान्त   "   "	१६,०००

ऊपर के आंकड़ों से पता चलता है कि सारी सेना का ५४ प्रतिशत भाग पंजाब से भर्ती किया जाता है और यदि

गोरखों को निकाल दिया जाय, तो यह अनुपात ६२ प्रतिशत हो जाता है। इस अवस्था में यदि अंग्रेज़ी सिपाही भारत से चले जायें, तो इस बात का भय है कि कहीं पंजाब ही सारे भारत पर न छा जावे।

लेकिन राष्ट्रवादियों को ये युक्तियां ठीक नहीं जचतीं। उनके कहने के अनुसार यह आश्चर्यजनक बात है कि भारतीय सेना के ७२ बार से अधिक सीमाप्रान्त पर प्रयोग किये जाने के बावजूद भी सीमाप्रान्त की समस्या हल नहीं हो सकी, जब कि ऐसी समस्या नहीं जैसे देश ने हल कर ली है। अर्थात् उन्होंने ने ऐसी ही उपजातियों का नियन्त्रण कर लिया है। इससे दो परिणाम निकाले जा सकते हैं। या तो हमारी सेना अच्छी नहीं, या इस समस्या को दत्तचित्त होकर हल नहीं किया जाता। साम्प्रदायिक दंगों के लिये राष्ट्रवादी, ब्रिटिश सरकार को ही उत्तरदायी करार देते हैं। उन का कहना है कि भारत सरकार की "भेद तथा शासन" की नीति के कारण ही दंगे बढ़ गये हैं, विशेषतया पृथक्-निर्वाचन-पद्धति के चलने के बाद से। इस बात का प्रमाण राजा नरेन्द्रनाथ सरीखे राज-भक्त ने दिया था। उन्होंने ने मिण्टो-माले स्कीम से पूर्व तथा बाद के दंगों के आंकड़े इकट्ठे किये थे। उन आंकड़ों के अनुसार मिण्टो-माले सुधारों के बाद दंगों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई। अंग्रेज़ी सरकार, उत्तर में कहती है कि हमने पृथक् निर्वाचन-पद्धति इस लिये चलाई, क्योंकि मुसलमान इसको चाहते थे। तीसरी बात

के उत्तर में, राष्ट्रवादियों का कहना है कि सरकार फ्रौज को विशेष प्रदेशों से जानबूझ कर ही भरती करती है । बंगालियों, मद्रासियों, पूरबियों आदि के लिये सेना में कोई स्थान नहीं— विशेषतया जब इन्हीं लोगों की सेनाओं ने अंग्रेजों के लिये भारत को जीता था । यदि वह तब अच्छे लड़ाके समझे जाते थे, तो सन् १८५७ के बाद से लड़ने के अयोग्य क्यों समझे जाते हैं ।

### भारतीय करण

यह सब होते हुए भी, भारतीयों के जोर देने पर, सेना में थोड़ा बहुत भारतीयकरण ( Indianisation ) हुआ भी है । १९१७ की माँटेगू चेम्सफ़ोर्ड रिपोर्ट के अनुसार भारतीयों को भी किंग्ज कमिशन मिलना आरम्भ हुआ—यह हम बता चुके हैं । इस कमिशन को पाने के तीन तरीके थे । या तो सैण्डहर्स्ट अथवा वूलविच के सैनिक कौलेजों में सैनिक-शिक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता होती थी, या पल्टनों के नौन-कमिशन—अर्थात् जिनको कमिशन नहीं मिलता—सैनिकों को तरक्की दी जाती थी । इसके अतिरिक्त कुछ अनपढ़ अथवा वयस्क अफसरों को वैसे ही अवैतनिक किंग्ज कमिशन मिल जाता था । १९३१ तक वूलविच में तीन तथा सैण्डहर्स्ट कालिज में १० स्थान भारतीयों के लिये सुरक्षित रखे जाते थे । सैण्डहर्स्ट तथा वूलविच के कालिजों में प्रवेश पाने के लिये कुछ शिक्षा देने के लिये देहरादून में, प्रिंस आफ वेल्ज़ इण्डियन मिलिटरी ट्रेनिंग कालेज, खोल दिया गया था ।

१९२३ में लार्ड रालिन्सन ने एक नई स्कीम निकाली। जिसके अनुसार ८ पलटनें केवल भारतीयों द्वारा ही पूरी की जाने लगीं। ऐसा करने से सरकार के कथनानुसार यह पता लगना था कि भारतीय कारण का कार्य सफल रूप से चल रहा है या नहीं। इन ८ पलटनों में सैनिक तथा अफसर सभी भारतीय ही होने थे। प्रारम्भमें तो उच्च अफसर अंग्रेज ही थे। लेकिन १९४६ तक इनके सारे के सारे अफसर भारतीय होंगे। यहां यह बता दिया जाय कि भारत में कुल पलटनें १३२ हैं। उन में से केवल ८ में भारतीय अफसर भरे जायेंगे। उस पर इस स्कीम का उद्देश्य यह भी था कि अंग्रेज़ी अफसर भारतीय अफसरों के अधीन न होने पावें। बात इसी लिये भारतीयोंको नहीं जँची। १९२५ में भारतीय सैण्डहर्स्ट कमेटी,—जिसे स्कीन कमेटी भी कहते हैं—बैठी। इस ने राय दी कि भारतीयकरण करते समय प्रत्येक क्रम पर युद्ध सम्बन्धी निपुणता का ख्याल रखा जाय, सैण्डहर्स्ट पर पहले की अपेक्षा दुगुने भारतीयों के लिये स्थान सुरक्षित रखे जायें, १९३३ में देहरादून में इण्डियन मिलिटरी कालिज खोल दिया जाय, १९५१ तक आधे भारतीय अफसर हों, तथा ८ टुकड़ी वाली स्कीम को छोड़ दिया जाय। भारतीय सरकार ने इस रिपोर्ट के अनुसार १९३२ में देहरादून में इण्डियन मिलिटरी कालिज खोल दिया, सैण्डहर्स्ट में भारतीयों के लिये स्थान बढ़ा दिये, लेकिन ८ टुकड़ी वाली स्कीम को नहीं छोड़ा। इसका कारण हम अभी बता चुके हैं। ऐसी अवस्था में भारत में अधिक भारतीय कारण की मांग बनी ही रही।

### वैधानिक स्थिति

भारत की सेना के छः भाग हैं।—१. स्थायी सेना, जिस में ब्रिटिश सेना की टुकड़ियां भी हैं। २. आग्निज लिथरी सेना—जिस में केवल अंग्रेज तथा गंग्लो इण्डियन भारती किये जाते हैं। ३. टेरीटोरिअल सेना जिस में केवल भारतीय ही भरती किये जाते हैं। इस के अन्तर्गत यूनिवर्सिटी ट्रेनिङ्ग कोर्स भी आ जाते हैं। ४. भारतीय रियासती-सेनाएं—रियासती नरेश अपनी रक्षा के लिये अंगरेजी सरकार को ये सेनाएं देते हैं। ५. जल-सेना। ६. वायु-सेना।

यह सारी सेना हिज्ज एक्सिलेंसी प्रधान सेनापति के अधीन होनी है। नेहरू रिपोर्ट ने यह सिफारिश की थी कि भारतीय सेना भी भारतीय मन्त्रियों के अधीन होनी चाहिये। गोलमेज कांफ्रेंस पर जो भारतीय बुलाये गये थे, उन्होंने ने यह प्रस्ताव किया था कि युद्ध सम्बन्धी मामलों में, गवर्नर जनरल गैर सरकारी निर्वाचित भारतीय को परामर्शदाता चुने, अर्थ मन्त्रि का फ्रौजी व्यय पर नियन्त्रण रहे तथा सेना सम्बन्धी नीति तथा बजट पर केन्द्र का सारा मन्त्रि-मण्डल मिल कर विचार करे। लेकिन ये प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार नहीं किये। संयुक्त-पार्लियामेण्ट्री-कमेटी की रिपोर्ट में तो यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि यद्यपि केन्द्र में एक प्रकार की द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की जायेगी, परन्तु रक्षा सम्बन्धी क्षेत्र में गवर्नर जनरल का उत्तरदायित्व अखण्ड रहेगा। रक्षा-विभाग बिलकुल उसी के नियन्त्रण में रहेगा तथा नये शासन

विधान के अनुसार सेना के खर्च पर देश के प्रतिनिधि चूं भी नहीं कर सकते ।

अब एक बात और कहनी है । नये शासन विधान में, किसी स्थान पर भी यह नहीं बताया गया कि इतनी भारी सेना रखने का उद्देश्य क्या है ? १०० वें सैक्रेशन के अन्तर्गत व्यवस्थापिका सभा सम्राट् के भारत में स्थित नौ, स्थल तथा वायु सेना के विषय में कानून बना सकती है । इस धारा के अन्तर्गत सेना का उद्देश्य निश्चित किया जा सकता है, लेकिन जब तक ऐसा न हो जाय, तब तक तो सेना के रखने के लिये वैधानिक प्रमाण नहीं—सिवाय इस बात के कि रक्षाविभाग को रखना सम्राट् के विशेषाधिकारों के अन्तर्गत माना जाये । सम्राट् तो वैधानिक नियन्त्रण से ऊपर हैं । लेकिन प्रायः इस सेना के रखने के तीन उद्देश्य माने जाते हैं । देश की रक्षा तथा देश की आन्तरिक व्यवस्था का तो हम जिक्र कर चुके हैं । एक शेष रहता है । वह है—साम्राज्य सम्बन्धीरक्षा में भाग । यह बात साइमन कमिशन की रिपोर्ट में मानी गई है ) उसके अनुसार भारत की बाह्य-रक्षासम्बन्धी समस्या अंग्रेजों की सामान्य साम्राज्य-सम्बन्धी नीति के साथ बांध दी गई है । अतः साम्राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये जो व्यय होगा, उसके लिये ब्रिटिश सरकार ने भारतीय रक्षा-विभाग को प्रति वर्ष १५००,००० पौंड देना स्वीकार किया है । तथा अब सेना के यन्त्रीकरण के लिये भी कुछ रुपया दिया गया है ।

---



( ११ )

## राष्ट्रीयता की ओर

गांधी जी के कथनानुसार भारत में राष्ट्रीयता अंग्रेजों की देन है। १८८४ तथा ८५ ईसवी में एक अंग्रेज़ सज्जन श्री एलन आक्ट्रे-विअन ह्यूम के प्रभाव तथा उत्साह से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव रखी गई थी। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हम किसी विशेष तिथि से राष्ट्रीयता के काल का आरम्भ मानते हैं। राष्ट्रीयता एक मानसिक प्रवृत्ति है। यह किसी एक व्यक्ति के उत्साह तथा प्रभाव से ही देश में व्याप्त नहीं हो जाती। राजनीतितत्त्वज्ञ हेगल के कथनानुसार कोई भी सुधार बिना पुनरुज्जीवन के नहीं होता। ऐसे ही, यह भी कहा जा सकता है कि बिना धार्मिक, समाजिक तथा सांस्कृतिक पुनरुज्जीवन के कोई भी राजनीतिक उत्थान तथा क्रान्ति नहीं हो पाती। १९वीं सदी में भारत में पुनरुज्जीवन का काल था। उस जागृति के काल में जनता ने अपने आपको अपनी गिरी हुई अवस्था से उठाने की, अपना उद्धार करने की आवश्यकता को अनुभव किया। यह चेतना राष्ट्र के सभी क्षेत्रों में शनैः-शनैः व्याप्त होने लगी।

इसने समाज, धर्म, साहित्य और संस्कृति पर गम्भीर प्रभाव डाला। साथ ही साथ यह चेतनता राजनीतिक क्षेत्र में पहुंची। वहां भी इसने हलचल मचा दी।

१५वीं, सोलहवीं तथा १७वीं शताब्दियों में भी भारत में पुनरुत्थान हुए थे। लेकिन तब इनका प्रभाव सांस्कृतिक तथा धार्मिक क्षेत्रों तक ही सीमित रहा। राजनीतिक क्षेत्र में मराठों तथा सिक्खों ने अपने स्वतन्त्र राष्ट्र कायम किये थे। पर तब भारत में ऐसा कोई आन्दोलन नहीं उठा था, जो कि सम्पूर्ण भारत में, हिन्दुओं तथा मुसलमानों में, समान रूप से व्याप्त हो सका हो। १६वीं शताब्दी का पुनरुत्थान, एक दृष्टिकोण से उस पुनरुत्थान से भिन्न है। क्योंकि इस पुनरुत्थान ने वस्तुतः सम्पूर्ण भारत में एक राष्ट्रीय आन्दोलन खड़ा कर दिया। यह हुआ क्यों ? और कैसे ?

इसका श्रेय अंग्रेजों को है। पाश्चात्यों के सम्पर्क से भारत ने अपनी स्वतन्त्रता खोई, लेकिन पाश्चात्यों की स्वतन्त्रता के आदर्श ने ही भारतवासियों को अपनी स्वतन्त्रता पाने के लिये उकसायी। अंग्रेजों ने भारत को अपने अधीन किया। लेकिन इससे भारत जैसे उपमहाद्वीप को एक शासन मिला। राजनीतिक क्षेत्र में राष्ट्रीयता का उद्देश्य होता है, एक शासन। वह भी अपना। अंग्रेजों के आने से एक शासन तो मिला। पर स्वराज्य नहीं। उस समय स्वराज्य पाने की अकांक्षा ही कहां थी। उस समय वह भावना, जो देश भर को एक सूत्र में बंधा हुआ देखना चाहे, यहां न थी।

लेकिन जब, अंग्रेज़ी पढ़कर भारतीयों ने मिल्टन, बर्क, मिल, मेकाले, स्पेन्सर की कृतियों को पढ़ा, तो उन में भी स्वतन्त्रता के, राष्ट्रियता के, स्वराज्य के भाव जाग उठे । उस समय भारत में एक राष्ट्रभाषा भी न थी । अंग्रेज़ी ने उसका स्थान लिया । सड़कों, रेलों, डाक तथा तार ने देश को दूरी को दूर कर दिया । देश के लोगों को अपनी भौगोलिक एकता समझ आने लगी । भिन्न-भिन्न प्रान्तों वाले भारतीय सब आसानी से एक दूसरे से मिल सकने लगे । केवल इतना ही नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने भी लगे । इस सम्पर्क से जनता के हृदयों में एकता की भावना आई ।

विद्वानों, कवियों, धार्मिक सुधारकों का भी इस पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण स्थान है । श्री जेम्स, कोलब्रुक, मैक्समूलर, मोनिअर विलिअम्स, आदि यूरोपियन विद्वानों ने तथा राजेन्द्रलाल मित्र, रानाडे, रामकृष्णगोपाल भण्डारकर, हरप्रसाद शास्त्री आदि भारतीय विद्वानों ने भारत के प्राचीन साहित्य का अध्ययन तथा प्रकाशन किया । उन्होंने प्राचीन साहित्य के गौरव को, केवल पाश्चात्यों के सन्मुख ही नहीं, बल्कि भारतीय जनता के सन्मुख भी रखा । जनता को अपनी प्राचीन सभ्यता की महत्ता का तब तक ज्ञान न था । राजा राम मोहन राय, केशव चंद्रसेन, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द आदि धार्मिक तथा सामाजिक सुधारकों ने अपने प्राचीन दार्शनिक तथा धार्मिक तत्वों के महत्त्व का प्रचार कर जनता में आत्माभिमान जागृत

किया। लोगों के दिलों में तब ये भाव उठने लगे—यदि हमारे पूर्वज सभ्य संसार के नेता थे, तो हम क्यों न हों। भारतीय पत्रों तथा नव साहित्य ने भारत में राष्ट्रीय भावना के प्रचार में पूरा साथ दिया।

इधर भारत की गिरती हुई आर्थिक दशा ने, तथा लोगों की बेरोज़गारी ने राष्ट्रीयता की इस अशान्त ज्वाला को और भी भड़काया। भारतीय उद्योग-धन्धे बन्द हो रहे थे, क्योंकि सरकार की व्यापार में बेरोकटोक नीति के कारण, भारत के उद्योग-धन्धे, मशीनों से बनी हुई वस्तुओं का मुकाबिला नहीं कर सकते थे। ऐसी अवस्था में सरकार को भारतीय उद्योग धन्धों की रक्षा के लिये बाहर से आने वाली वस्तुओं पर विशेष कर लगाना चाहिए था। परन्तु यहां विदेशों के हितों का विचार रख कर इस बेरोक-टोक नीति का अनुसरण किया गया। इसके फल स्वरूप आगे से भी अधिक जनता को कृषि से अपना पेट पालना पड़ा। लोग पहले ही अमीर न थे। अब वे और गरीब हो गये। उस पर बरसात में अनावृष्टि से हज़ारों लाखों की संख्या में बेचारे किसानों को जीवन से हाथ धोने पड़ते थे।

१८५७ का विद्रोह, भारत में राष्ट्रीयता के आन्दोलन के इतिहास में एक युगप्रवर्तक घटना थी। इस महाविद्रोह के बाद अंग्रेजों के हृदयों में भारतीयों के प्रति विश्वास का भाव न रहा। जो थोड़ी बहुत सहानुभूति अंग्रेजों तथा भारतीयों में हुआ करती थी, वह भी न रही, जाती विद्वेष बढ़ा। इसका प्रभाव यह हुआ

कि फौज़, पोलीस, विदेशी तथा राजनीतिक विभाग आदि सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारतीयों को महत्वपूर्ण स्थानों से वंचित रखा गया। जनता को शस्त्र रखने की कड़ी मनाही कर दी गई। इससे भारतीय जनता की शारीरिक स्थिति भी अच्छी न रही। साम्राज्य की जातीय समानता की घोषणा से उन्हें कुछ आशाएं हुई थीं। लेकिन वे पूरी न हुईं। भारतीयों को शासन विभाग के उच्च पदों पर नियुक्त न किया गया। सन १८७७-७८ में आई. सी. एस. (Indian civil service) की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं में प्रवेश करने के उद्देश्य से यह नियम बनाया गया कि १६ वर्ष की आयु वाला व्यक्ति ही उस परीक्षा में बैठ सकेगा। इससे पहले २१ वर्षीय व्यक्ति को बैठने की आज्ञा थी। इस बात से भारत की शिक्षित जनता में पहली बार एक संगठित आन्दोलन उठ खड़ा हुआ। इस आन्दोलन के लिये श्री सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी ने उत्तरीय तथा दक्षिणीय भारत में दो दौरे लगाये। तथा इस आन्दोलन के फलस्वरूप एक अखिल भारतीय आवेदनपत्र तैयार कर हाउस आफ कामन्स को भेजा गया।

इस सब परिस्थितियों ने भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन को जन्म दिया तथा उसका पोषण किया। मुख्य प्रान्तों में भारतीय संस्थाओं की स्थापना की गई। लेकिन उनका कार्य सरकार के व्यवस्थापन तथा शासन सम्बन्धी कार्यों की मधुर आलोचना करना ही था। उस पर ये संस्थायें प्रान्तीय थी, इनका सम्पूर्ण भारत से कोई

सम्बन्ध न था। लार्ड रिपन के शासन काल में इल्बड बिल पर यूरोपियनों के विरोध तथा भारतीयों की पराजय से, शिक्षित जनता ने राष्ट्रीय कार्यों के लिये एक संगठित तथा शक्तिशाली संस्था की आवश्यकता को अनुभव किया। इल्बर्ट बिल ने यूरोपियनों को भारतीय मैजिस्ट्रेटों तथा न्यायाधीशों के अधिकार क्षेत्र में करना चाहा। इससे पहले यूरोपियनों के मुकदमों में यूरोपियनों की अदालतों में पेश किये जा सकते थे। लार्ड रिपन का उद्देश्य इस असमानता को दूर करने का था। परंतु यूरोपियनों में एक घोर आन्दोलन उठ खड़ा हुआ। यहां तक कि यूरोपियनों ने लार्ड रिपन का सामाजिक बायकाट कर दिया तथा एक यूरोपियन रक्षा समिति की स्थापना की। अन्त में सरकार को समझौता करना पड़ा। लेकिन भारतीयों के आत्मभिमान को इससे ठेस पहुंची। इससे जातीय विद्वेष बढ़ा। बंगाल में राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वालों ने श्री सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय फण्ड के लिये आन्दोलन खड़ा किया। सन् १८८३ में, २२ से ३० दिसम्बर तक, एक राष्ट्रीय कान्फ्रेंस की गई। प्रथम मार्च १८८४ में मि० ह्यूम—जो एक मुख्य सरकारी कर्मचारी रह चुके थे और जिन्होंने १८७२ में अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था—ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों के नाम, एक राष्ट्रीय संस्था बनाने के लिये, एक खुला पत्र लिखा। इस आन्दोलन के फलस्वरूप सन् १८८५ के दिसम्बर २७ को श्री उमेश चन्द्र बैनर्जी के सभा-

पतित्व में राष्ट्रीय काँग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ।

यहां हमने काँग्रेस का इतिहास विस्तार से नहीं देना। केवल दो तीन विषयों पर ही कुछ कहना है। आज काँग्रेस के सन्मुख तीन मुख्य समस्यायें हैं—अंग्रेजी सरकार, मुसल्मान तथा रियासतें। अतः हमने इन के साथ काँग्रेस के सम्बन्ध का अध्ययन करना है।

### काँग्रेस तथा अंग्रेजी सरकार

इस शीर्षक के अन्तर्गत हमने काँग्रेस के सरकार के प्रति तथा सरकार के काँग्रेस के प्रति भावों के विकास को देखना है। एक लेखक का कहना है कि भारत की राष्ट्रीय काँग्रेस को सब से पहले उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया, फिर इसके साथ खेला गया, फिर इसे धमकाया गया, उसके बाद इसकी बात को सुनना पड़ा, लेकिन अब उसकी शक्तिको भी मानना पड़ा है। यह कथन सार-युक्त है। १८३५ में लार्ड डफ़रिन ने काँग्रेस अधिवेशन की कोई पर्वाह नहीं की थी। तब यह एक राजभक्त संस्था थी। ह्यूम, सर विलियम वैडरबर्न, सर हैनरा काटन, जार्ज यूल, नोर्टन आदि उदार सरकारी तथा गैर सरकारी यूरोपिअनों ने काँग्रेस के अधिवेशनों में प्रमुखभाग लिया। १८८६ तथा १८८७ में वायसरायों ने काँग्रेस के अधिवेशनों के अवसरों पर काँग्रेस के प्रतिनिधियों को गवर्नमेंट हाउस पर “गार्डेन पार्टीज़” पर बुलाया था। लेकिन यह बात चली नहीं। क्योंकि प्रारम्भ से ही काँग्रेस ने वैधानिक तथा प्रतिनिधि सत्तात्मक शासन की मांग की। इसके पहले अधिवेशन में ही

व्यवस्थापिका सभाओं में निर्वाचित सदस्यों के अनुपातको बढ़ाने, बजट वह बहस करने, शासनकार्य के विषय में प्रश्न पूछने, तथा भारत मन्त्री की भारतसमिति को हटाने के लिये प्रस्ताव पास किये गये। १८६२ में काँग्रेस को 'खिलाने के लिये' इण्डिया-काँग्रेसिल एक्ट से भारतीयों को कुछ रियायतें दी गईं।

इस सुधार से काँग्रेस में दो दल बन गए। एक उनका जो कि सुधार से संतुष्ट थे। दूसरे वह जो इससे असन्तुष्ट थे। असंतुष्ट दल के नेता थे श्री बाल गङ्गाधर तिलक और इसका गढ़ था पूना में। बाद में बङ्गाल में भी गरम दल वालों की संख्या तथा प्रभाव बढ़ने लगा। इस प्रभाव को बढ़ाने में लार्ड कर्जन का हाथ भी था। लार्ड कर्जन ने १९०५ में बङ्गाल को दो भागों में बाँट कर बङ्गालियों को सरकार के विरुद्ध कर लिया। इसके विरोध में सुरेन्द्र-नाथ बैनर्जी तथा विपिन चंद्र पाल के नेतृत्व में स्वदेशी तथा "एन्टी पार्टीशन" आन्दोलन बड़े जोरशोर के साथ चल पड़े। इससे लोकमान्य तिलक, लाला लाजपतराय तथा विपिनचन्द्र पाल के गरमदल का प्रभाव बढ़ा। १९०७ में तो खुलमखुल्ला, सूरत काँग्रेस के अत्रसर पर, इन दोनों दलों में विभेद हो गया। लेकिन काँग्रेस गरमदल वालों के हाथों में न आई, क्योंकि अभी तक वहाँ नरम दल वालों का बहुमत था।

१९०५ से १९१० तक का काल राजनीतिक क्षेत्र में घोर अशांति का काल था। बङ्गाल से क्रान्तिकारी विचार अन्य प्रांतों में फैले। क्रान्तकारियों ने गुप्त संस्थाएँ स्थापित की, बम्ब



आदि बनाये, सरकारी अफसरों को धमकियां दी तथा कुछ को गोली से उड़ाया । इस आन्दोलन को रोकने के लिये गवर्नमेंट को कठोर नीति का प्रयोग करना पड़ा । सरदार अजीतसिंह, लाला लाजपतराय तथा लोकमान्य तिलक को कैद करके मांडले भेज गया । दिय वायसराय ने कई आर्डिनैस जारी किये तथा फौजदारी कानूनों में परिवर्तन हुए, पत्रों पर कड़ी निगरानी रक्खी गई । क्रांतिकारियों का किसी सोमा तक दमन कर दिया गया ।

सन् १६०६ में, इण्डिया कांऊंसिल एक्ट ( मिएटों मौलें सुधार ) पास हुआ । नरम दल के नेताओं ने इसका स्वागत किया । लेकिन बाद में वे भी इससे सन्तुष्ट न रह सके, क्यों कि सुधारों के बावजूद भी निर्वाचित सदस्यों के हाथ में कोई अधिकार न था और न सरकार उनकी बातों की परवाह करती थी । इसी बीच में भारत से बाहर की परिस्थितियों ने भारत को प्रभावित करना प्रारम्भ किया । लेकिन इस विषय पर लिखने से पहले हम कांग्रेसके प्रति मुसलमानों के भावों का अध्ययन करेंगे ।

कांग्रेस एक हिंदू संस्था नहीं, तो भी हिंदू ही अधिक संख्या में इसके सदस्य हैं । जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तभी मुसलिम सुधारक तथा अलीगढ़ विश्वविद्यालय के स्थापक सर सैयद अहमद ने मुस्लिम जनता को कांग्रेस से पृथक रहने की सलाह दी । तीन वर्ष बाद तो आप कांग्रेस के विरोधी बन गये और कांग्रेस के मुकाबले में १८८८ में "पैट्रिआटिक एसोसिएशन" की स्थापना की । यही एक प्रकार से आज की मुसलिम लीग

का पूर्व रूप था। मुसलिम लीग को १९०६ में हिज़ हाइनैस आगा ख़ां ने स्थापित किया था। यह एक राजभक्त संस्था थी। और इसका उद्देश्य मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करता था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सारी की सारी मुसलिम जनता कांग्रेस के विरुद्ध थी। प्रारम्भसे ही कई मुसलमान इसके साथ थे। १८९० में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ७०३ प्रतिधियों में से १५४ अर्थात् २२ प्रतिशत मुसलमान थे। तय्यब जी, तथा रहीमतुल्ला मोहमद ख़वानी १८८७ तथा १८९६ के अधिवेशनों के सभापति भी चुने गये थे।

गनमहायुद्ध ने भारतकी राजनीतिक स्थिति पर गम्भीर प्रभाव डाला। युद्ध क्षेत्र में भारतीय सैनिकों की वीरता ने चैनल की बन्दरगाहों को शत्रु के हाथ पड़ने से बचाया। मनुष्य, धन तथा शस्त्रास्त्रों से भारत ने मित्र राष्ट्रों की सहायता की। दूसरी ओर भारतमें एक नई भावना आई। भारतीयों का आत्माभिमान जाग गया। हिंदू तथा मुसलमानों ने इकट्ठे हो कर भारत के नाम पर कार्य करना ठीक समझा। १९११ में यद्यपि हिंदू मुसलमानों में समझौता न हो सका, लेकिन १९१६ में कांग्रेस तथा मुसलिम लीग ने सुधार की एक संयुक्त स्कीम तैयार की। १९१३ में लीग ने अपनी संस्था का उद्देश्य भारत के लिये स्वराज्य प्राप्त करना मान लिया।

१९०८ से १९१६ तक कांग्रेस में नरम दल वालों का बोल बाला रहा। लेकिन श्री गोखले तथा फ़िरोज़शाह महता की मृत्यु के अनन्तर नेतृत्व नरम दल वालों के हाथ में न रह कर लोक-

मान्य तिलक के हाथों में आगया। इधर मुसलमान भी तुर्किस्तान के विषय पर खिजे बैठे थे। इस अशांति के निराकरण के लिये १९१७ में श्री मौंटेंगू ने क्रमशः उत्तरदायी शासन देने की घोषणा की। १९१८ में मौंटेंगू चेम्स फोड सुधारों के सम्बन्ध में नरम दल वालों ने कांग्रेस से पृथक होकर ईण्डियन नैशनल फिडरेशन की स्थापना की। कुछ मुसलमान संस्थाओं ने भी १९१९ के विधान का अनुमोदन किया। इस प्रकार फिर एक बार सुधारों ने ही राजनीतिक दलों को छिन्न-भिन्न कर दिया।

{ १९१९ का विधानअशुभ मुहूर्त्त में लागू किया गया। रौलेट एक्ट, जलियांवाला बाग की घटना, पंजाब में मार्शलला—इन सब बातों ने जनता को सरकार के विरुद्ध कर दिया। मुसलमानों में खिलाफत आंदोलन चल रहा था। राष्ट्रवादी तथा मुसलमान दोनों ही—सरकार के विरोधी थे। इस लिये महात्मा गांधी के प्रयत्न से एक बार फिर हिंदू मुसलिम एकता की स्थापना हुई। संतोष का स्थान अशांति ने लिया। १९२० की कांग्रेस के कलकत्ते वाले अधिवेशन में लाला लाजपतराय के सभापतित्व में असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव बहुमत से पास हुआ। गांधी जी के नेतृत्व में यह आंदोलन १९२४ तक चला।

लेकिन भारत के राजनीतिक नेता बहुत देर तक इकट्ठे मिल कर न रह सके। असहयोग आंदोलन उन्हें व्यर्थ लगा, इस लिये १९२३ में चित्तरंजन दास, पण्डित मोतीलाल नेहरू तथा श्री केलकर ने स्वराज्य दल की स्थापना की तथा प्रांतीय और केंद्रीय

व्यवस्थापिका सभाओं प्रवेश किया। उधर साम्प्रदायिक एकता भी बहुत देर तक न रह सकी। १९२४ में मि० जिन्हा ने फिर से मुसलिम लीग की स्थापना की। १९२७ में जब कमाल पाशा ने तुर्किस्तान में खलीफा के पद को ही हटा दिया, तो खिलाफत आंदोलन का कारण ही न रहा। भारत में साम्प्रदायिक एकता के स्थान पर दंगे होने लगे। १९२६-२७ में भारत में घोर अशांति तथा निगाशा थी। हिंदू मुसलमानों के दङ्गे; भारत में साम्यवादी आंदोलन, विनिमय दर में परिवर्तन तथा स्कीन कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार के निश्चय—और उस पर साइमन कमिशन, जिसमें एक भी भारतीय को स्थान न दिया गया था।

पर साइमन कमिशन का एक अच्छा प्रभाव पड़ा। भारत में राजनीतिक दलों को फिर से एक होने की आवश्यकता अनुभव हुई। १९२८ में भारत के सभी दलों की एक काँग्रेस बुलाई गई। इस काँग्रेस ने पण्डित मोतीलाल नेहरू के सभापतित्व में विधान बनाने के लिये एक कमेटी बैठाई। इस कमेटी का रिपोर्ट ने—( जिसे नेहरू रिपोर्ट का नाम दिया जाता है ) भारत के लिये औपनिवेशिक स्वराज्य की तथा अल्पसंख्यक जातियों के लिये सुरक्षित स्थानों के साथ संयुक्त निर्वाचन पद्धति की स्थापना के लिये सिफारिश की। १९२८ में काँग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में काँग्रेस ने तो कुछ संशोधनों के साथ नेहरू रिपोर्ट का अनुमोदन किया। लेकिन मुसलमानों तथा सिक्खों को यह न

रुची। दूसरी ओर कांग्रेस के गरम दल वाले—परिणत जवाहर लाल नेहरू तथा श्री सुभाषचन्द्रबोस के नेतृत्व में—औपनिवेशिक स्वराज्य से सन्तुष्ट नहीं थे। वे भारत के लिये पूर्ण स्वतन्त्रता चाहते थे। १९२८ के अधिवेशन में महात्मा गान्धी के प्रभाव से स्वतन्त्रता का प्रस्ताव गरमदल वालों ने वापस लेलिया। गांधी जी ने उन्हें आश्वासन दिलाया कि यदि ३१ दिसम्बर १९२६ तक भारत सरकार ने भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य देना स्वीकार न किया, तो वह स्वयं स्वतन्त्रता के आन्दोलन के नेता बनेंगे। १९२६ में, इंग्लैण्ड से वापस लौट कर लार्ड इरविन ने, नरम दल वालों को संतुष्ट करने के लिये, यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य देना है। लेकिन कब? इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। कांग्रेस को इससे सन्तोष कैसे हो सकता था। अतः १९२६ के लाहौर अधिवेशनमें, पं० जवाहरलाल के नेतृत्व में, कांग्रेस ने घोषणा की कि कांग्रेस का उद्देश्य भारत में पूर्ण स्वतंत्रता स्थापित करना है, और कांग्रेसने गोजमेज़ कांग्रेस में भाग लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद कैसे असहयोग आंदोलन महात्मा जी के नेतृत्व से चला और कैसे नया विधान बना, यह दूसरे अध्याय में हम बता चुके हैं।

लार्ड इरविन के बाद लार्ड विलिंगटन भारत का वायसराय बना। लार्ड इरविन ने भारत में अपने अंतिम भाषण में कहा था—जहां तक इस आंदोलन का उन भावनाओं से सम्बंध है—

जिन्हें हम राष्ट्रीयता कहते हैं, वहां यदि इस भावना का कड़ी तरह से केवल विरोध किया जायगा, तो यह एक गलती होगी। लेकिन विलिंग्डन साहिब के विचार लार्ड इरविन से भिन्न थे। उन्होंने आते ही कई आर्डिनेंस से जारी किये तथा भारत में पोलिस और लाठी का राज्य का आरम्भ हुआ। कठोरता ने कांग्रेस-वादियों को जनता की दृष्टि में शहीद बना दिया। राष्ट्रीय भावना दब जाने के स्थान पर देश में और जोर से फैली, इसकी सत्यता का प्रमाण, नये विधान के अन्तर्गत व्यवस्थापिका सभाओं के लिये प्रतिनिधियों के चुनाव के अवसर पर १९३७ में मिला। इस चुनाव के फल स्वरूप, ११ प्रान्तों में से ६ प्रान्तों में कांग्रेसियों का पूर्ण बहुमत आया और ३ प्रान्तों में काँग्रेस दल सब से बड़ी संख्या में चुना गया। केवल दो प्रांतों में ही कांग्रेस को विशेष सफलता नहीं मिली।

लेकिन कांग्रेसियों ने १९३५ के नवविधान को अस्वीकार किया था। गवर्नर के विशेष अधिकारों तथा उत्तरदायित्वों के रहते हुए—नवशासन विधान के दिये गये प्रान्तीय स्वराज्य को प्रान्तीय स्वराज्य मानना उनकी राय में एक भ्रम था। अतः कांग्रेस में, इस विषय पर कि कांग्रेस को प्रान्तों में मंत्रिमण्डल बनाने चाहिये या नहीं, बहुत विवाद चला। अन्त में महात्मा जी ने एक मार्ग दिखाया। कांग्रेस ने मांग की, कि यदि हमें वह आश्वासन दिया जाय कि गवर्नर अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग नहीं करेंगे, तब हम अपने इन बहुमत वाले प्रान्तों में मंत्रि-मण्डलों की

स्थापना करेंगे। पञ्जाब, बङ्गाल, सिंध, आसाम और सीमाप्रांत में मंत्रिमण्डलों की स्थापना हो चुकी थी। लेकिन शेष प्रान्तों में कांग्रेस का बहुमत होने से बहुमत के मन्त्रिमण्डल न बनसके। काम चलाने के लिये, १९३५ के विधान के अनुसार, इन प्रान्तों के गवर्नरों ने अल्पमत वालों के दल की सहायता से मन्त्रिमण्डल बनाये। लेकिन ऐसे मन्त्रिमण्डल जनता को स्वीकार कैसे होसकते थे, तथा ऐसे मन्त्रिमण्डलों की स्थापना से प्रांतों में उत्तरदायी शासन कैसे होसकता था? अतः लार्ड लिनलिथगो ने कांग्रेस को उपर्युक्त आश्वासन देना ही उचित समझा। कांग्रेसने संयुक्त प्रान्त, बिहार, मध्यप्रान्त, उड़ीसा, बम्बई तथा मद्रास में मन्त्रिमण्डल बनाये। सिन्ध, आसाम, तथा सीमाप्रान्त में किसी एक दल का बहुमत न होने से स्थायी मन्त्रिमण्डलों की स्थापना न होसकती थी। पहले, जब कि कांग्रेस ने शासन भार स्वीकार न किया था, इन प्रान्तों में कुछ दल वालों ने मिलकर मन्त्रिमण्डल बनाये थे—जिनमें प्रधान मुसलिम लीग वालों का था, लेकिन जब कांग्रेस ने पद ग्रहण करना स्वीकार कर लिया, तो कांग्रेस ने अन्य दलों के सदस्यों के सहयोग से सीमाप्रान्त तथा आसाम में भी मन्त्रिमण्डल का निर्माण कर लिया। पञ्जाब में यूनियनिस्ट दल का बहुमत था, लेकिन तो भी यूनियनिस्ट दल के नेताने अन्य दलोंके कुछ सदस्यों को भी अपने साथ मिला लिया था।

प्रांतीय स्वराज्य क्रियात्मक रूप में कहां तक सफल

रहा, इस पर यहां विचार नहीं करना और न गत दो वर्षों का कार्य विवरण देने का हमारा विचार है। तो भी केवल दो एक विषयों पर कहना शेष रहता है। वर्तमान महायुद्ध ने एक असाधारण स्थिति उत्पन्न कर दी है। केवल इस लिये नहीं कि आज महायुद्ध के सीधे प्रभाव से हम अपने को अछूते नहीं रख सकते। वल्कि इस लिए भी कि इस युद्ध में सफल होने के लिये ग्रेट ब्रिटेनको भारतीय सहायताकी आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त युद्धकाल में शासन को अधिक से अधिक केन्द्रित करने की आवश्यकता पड़ती है। केन्द्रित करने पर प्रान्तीय स्वराज्य के स्वराज्यत्व में कमी आती है। यहां तो पहले ही काँग्रेसवादी नये विधान से सन्तुष्ट न थे। उस पर शासन का अधिक केन्द्रीय होना उन्हें कैसे स्वीकार हो सकता था। यदि केन्द्र में स्वराज्य होता तो वे कदाचित्त इसे स्वीकार कर भी लेते।

महायुद्ध के प्रारम्भ होने पर काँग्रेस दुविधा में पड़ गई। क्योंकि एक ओर तो काँग्रेसवादी हिटलरवाद के विरुद्ध थे। तथा हिटलर को पराजित हुआ देखना चाहते थे। इसलिये उन्हें अंग्रेजों की सहायता करनी चाहिये थी। दूसरी ओर वे स्वराज्य चाहते थे। इस दुविधा को हल करने के लिये काँग्रेस ने निश्चय किया कि पहले अंग्रेजी सरकार इस महायुद्ध के उद्देश्य बताये, तथा भारत के सम्बन्ध में उन उद्देश्यों की पूर्ति क्रियात्मक रूप में कैसे की जायगी—इस विषय पर निश्चित प्रकाश डाले। मतलब यह था कि ब्रिटिश सरकार साफ़-साफ़ यह बताये



कि भारत को पूर्ण स्वराज्य कब तक दिया जायेगा। उसके बाद सहायता दी जा सकेगी।

इस समस्या को सुलझाने के लिये वायसराय लार्ड लिनलिथगो ने, पहले तो महात्मा गान्धी तथा मिस्टर जिन्हा से मुलाकात की। बाद में हिन्दू महासभा, हरिजन आदि के नेताओं के विचारों को भी सुना। इसके बाद लार्ड लिनलिथगो ने, ब्रिटिश सरकार की ओर से घोषणा की कि हमने तो पहले ही १९१७ में, मिस्टर मांटेगू की घोषणा द्वारा भारत में अपना उद्देश्य बना दिया था। अर्थात् हम भारतको धीरे-धीरे उत्तरदायी शासन दे देंगे। इसके अतिरिक्त संघशासन की स्थापना स्थागित कर दी गई। युद्ध के समाप्त होने पर एक गोलमेग्न कांग्रेस और बुलाई जायेगी, जिसमें संघशासन में जो कुछ सुधार करने होंगे, उन पर विचार किया जायेगा। युद्ध के दिनों में वायसराय ने अपनी एग्ज़िक्यूटिव काउंसिल को बढ़ाना स्वीकार किया। ताकि कुछ प्रमुख भारतीय नेताओं को उसमें स्थान मिल सके। इस समिति का काम विमर्श देना ही होगा। इसके अतिरिक्त वायसराय ने इस बात पर भी जोर डाला कि स्वराज्य प्राप्त करने के लिये भारतीयों को पहले अपनी साम्प्रदायिक समस्या को सुलझाना होगा, तथा रियास्ती नरेशों का भी ध्यान रखना होगा। क्योंकि इन दोनों क्षेत्रों में ब्रिटिश सरकार का विशेष उत्तरदायित्व है।

कांग्रेस को वायसराय की घोषणा से सन्तोष न हुआ। उन्होंने मांग की थी स्वराज्य के लिये। उत्तर में १९१७ की मिस्टर

मान्टेगू की घोषणा ही सुना दी गई। इसके अतिरिक्त विमर्श-समिति में सहयोग करने से भी कांग्रेस को कोई लाभ प्रतीत न हुआ। कांग्रेस को यह बात पसन्द न आई कि वायसराय भारत के राजनीतिक प्रश्न के उत्तर में साम्प्रदायिक तथा रियासती समस्याको लाकर खड़ा करे। अतः कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने वायसराय की घोषणा से असन्तुष्ट होकर, प्रांतीय सरकारों से पद-त्याग दिया। इससे उन प्रान्तों में, जहां कांग्रेस का बहुमत था, उत्तरदायी शासन का अन्त हो गया और शासन का सारा कार्य गवर्नर के हाथों में जापड़ा।

अब क्या होगा ? यह कौन जाने। कांग्रेस ने मुसलिम लीग से समझौता करने का प्रयत्न किया। लेकिन कुछ बन न सका। क्योंकि मुसलिम लीग वालों का मत है कि प्रजातन्त्र शासन भारत के लिये उपयुक्त नहीं, क्योंकि इससे अल्प संख्यक मुसलमानों के हितों की हानि होती है। जब मुसलिम लीग से समझौता न हो सका, तो महात्मा जी ने कौंस्टीच्यूएण्ट एसेम्बली (Constituent Assembly) की मांग की। इसके अनुसार सम्पूर्ण देश के सब बालिगों को मताधिकार दिया जाता है। वह अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। यह प्रतिनिधि मिलकर एक कांग्रेस में अपने विधान का निर्णय करते हैं। लेकिन यह बात मुसलिम लीग को स्वीकार नहीं। उधर मुसलिम लीग के नेता ने एक रायल कमीशन की मांग की है जो कि कांग्रेस प्रांतों में किये गये सच्चे या भूठे अत्याचारों के बारे में जांच करे।

अब एक बात विशेष हुई है, वह है वायसराय की घोषणा । इसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर भारत में ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य औपनिवेशिक-स्वराज्य (वेस्टमिनिस्टर स्टैच्यूट की परिभाषा के अनुसार) देना घोषित किया है । यह औपनिवेशिक स्वराज्य लगभग पूर्ण स्वराज्य ही होता है । लेकिन वह मिलेगा कब ? और आगे क्या होगा ? इस सम्बन्ध में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता ।

---

# विज्ञान की प्रगति

---

# विज्ञान की प्रगति

## सृष्टि की उत्पत्ति और रचना

चार तत्त्व—कुछ शताब्दियों के अनुभव के पश्चात् वैज्ञानिकों ने प्रकृति के बहुत से नियमों को मालूम कर लिया है। किन्तु अब भी यह कहा नहीं जा सकता कि प्रकृति के सब नियम और सिद्धान्त ज्ञात हो गए हैं। और यह भी नहीं कहा जा सकता कि शेष कितने नियमों का ज्ञान बाकी रह गया है। तथापि प्रकृति के नियमों को कम से कम इतना तो अवश्य समझा जा चुका है कि उन का समुचित उपयोग कर मनुष्य की हजारों कठिनाइयों को दूर किया जाय। यह भौतिक जगत् ( Physical Universe ) चार तत्त्वों से बना हुआ है। प्रथम 'पदार्थ' ( जिसे पृथिवी भी कहा जा सकता है ) (Matter), द्वितीय 'शक्ति' (Energy), तृतीय 'आकाश' ( Space ), और चतुर्थ 'समय' ( Time ) इन चारों को किस ने बनाया ? इस समस्या से वर्तमान वैज्ञानिक जगत् को कोई प्रयोजन नहीं। किन्तु वैज्ञानिक अब भी इस खोज में अवश्य लगे हुए हैं कि ये चार तत्त्व भी कहीं किसी एक या दो चीजों से तो नहीं बने।

तत्त्वों की एकता—हाल ही में जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक 'एन्स्टाइन' ने यह सिद्ध कर दिया है कि समय और आकाश कोई दो पृथक् तत्त्व नहीं। इन दोनों के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में सन्स्टाइनने इनके एक प्रवाह की कल्पना की और कहा कि इस तत्त्व का एक पहलू समय और दूसरा पहला आकाश है। इसी तरह पदार्थ और शक्ति भी एक उद्गम से निकलती सी मालूम होती हैं। प्रकृति की बहुत-सी उद्भूत बातें (Phenomenons) इस बात को सिद्ध करती हैं कि 'पदार्थ' अपनी सत्ता को खोकर शक्ति प्राप्त करता है। 'मिलिकन' नामक एक अमेरिकन वैज्ञानिक ने तो यहां तक कल्पना कर ली कि 'शक्ति' किसी न किसी तरह 'पदार्थ' में बदल जाती है। यद्यपि अभी तक इस विचार को सिद्ध करने के लिये कुछ विशेष उदाहरण नहीं मिले, तथापि इसे केवल 'एक विचार' कह कर ही इस की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यह भी बहुत संभव है कि—'शक्ति' भी 'पदार्थ' में बदल सकती हो, और 'शक्ति' तथा 'पदार्थ' एक ही चीज़ हों, जो दो रूपों में प्रकट हो रहे हैं।

सर ओलिवर लाज 'पदार्थ' की बनावट की खोज करते हुए इस परिणाम पर पहुंचे कि यह संभव है कि 'पदार्थ' के परमाणु के बिजली के कण शायद आकाश के ही बने हुए हों। आजकल इन विद्युत्कणों पर बहुत से परीक्षण किये जा रहे हैं। जिन से यह मालूम होता है कि वे आकाश की बहुत-सी विशेषतायें (गुण) प्रकट करते हैं। यदि इस बात को ठीक मान लिया जाय, तो वह

बिना दूर नहीं, जब कि वैज्ञानिक उस मौलिक चीज़ पर पहुंच जायेंगे जिस के पदार्थ आकाश शक्ति और समय ये चार अङ्ग हैं। किन्तु यदि यह सिद्ध हो भी जाय कि ये चारों एक ही चीज़ से बने हैं तो भी इन के गुणों में परस्पर इतना अधिक अन्तर है, कि हमें इन चारों को पृथक् पृथक् वस्तु मान कर संसार की उत्पत्ति, बनावट, रचना और विभिन्न अद्भुत बातों को सिद्ध करना पड़ेगा, और इन चारों को पृथक् पृथक् मान कर इन के गुणों ( Properties ) को मालूम करना होगा।

पदार्थ—पदार्थ ( Matter ) क्या है ? प्रारम्भ से अब तक वैज्ञानिक इस बात की गवेषणा करते आ रहे हैं किन्तु आज भी पदार्थ के कतिपय गुणों का निर्देश कर देने के अतिरिक्त हम कुछ भी नहीं कह सकते। पदार्थ कुछ ऐसी वस्तु है, जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं, जो भार रखता है, स्थान घेरता है और अपने आप को ठोस, द्रव, गैस इन तीन द्रव्यों में बदल देता है। यद्यपि इन तीनों रूपों में इस के गुण बिल्कुल बदल जाते हैं। किन्तु वह रहता फिर भी 'पदार्थ' ही है। पदार्थ सख्खिद्र ( Porus ) हैं, लचकदार ( Elastic ) है और उस का एक बड़ा गुण यह भी है कि 'शक्ति' का प्रकटीकरण सदैव उसी के द्वारा होता है। पदार्थ का एक कण दूसरे को खींचता भी है। सर आइज़क न्यूटन ने पदार्थ का एक बहुत महत्वपूर्ण गुण मालूम किया; वह यह कि 'पदार्थ' स्वयं तो जड़ ( Inert ) है। अर्थात् वह अपनी चल ( Moving ) और अचल ( Stationary ) दशा को नहीं

बदल सकता। इसी लिये हजारों लाखों वर्षों से घूमती हुई पृथ्वी अब तक नहीं ठहरी और सड़क का कोई भी पत्थर स्वयमेव नहीं हिलने लगता। जब भी इस 'पदार्थ' की चल या अचल अवस्था को बदलने का प्रयत्न किया जाता है, तब उस के लिये बाह्य शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। जब 'पदार्थ' की दशा परिवर्तित होती है, तब वह इस परिवर्तन को रोकने के लिये अपने आप शक्ति पैदा करता है। न्यूटन ने यह सारी बात अपने तीन बड़े नियमों में बताई है।

**नक्षत्र विद्या** — न्यूटन ने सृष्टि की उत्पत्ति और तारागण्य के आश्चर्यजनक कार्यों को भी समझाया। उन को मरे हुए आज कई सौ साल हो गए। इस ब्रह्माण्ड की यात्रा करने वाले अपनी दूरबीनें लगा कर इस के कोने कोने की जांच कर रहे हैं, परन्तु कोई ऐसी बात दृष्टिगोचर नहीं हुई जिस से यह नियम अशुद्ध सिद्ध हो सकें। यह नहीं कहा जा सकता कि इन नियमों का ज्ञान न्यूटन ही को हुआ। हमारी भारतीय नक्षत्र विद्या तो न्यूटन से भी हजारों वर्ष पुरानी है और उस में उक्त नियम का निर्देश है। पर यह ठीक है कि न्यूटन ने ही सब से पूर्व इन तीन आधारभूत नियमों का स्पष्ट रूप से पृथक पृथक वर्णन किया है।

ज्योतिष ( Astronomy ) में ब्रह्माण्ड की रचना इस तरह बताई जाती है कि जब भी और जैसे भी प्रकृति के अणु बने, उनमें परस्पर आकर्षण पैदा हुआ। वे कहीं-कहीं इकट्ठे होने



शुरू हो गए और ज्यों-ज्यों ये परिमाणु पास-पास आते गए, त्यों-त्यों इनमें अधिकाधिक आकर्षण उत्पन्न होता गया और इनकी गति भी बढ़ती चली गई। अब वे परस्पर एक दूसरे से ज़ोर-ज़ोर से टकराने और रगड़ खाने लगे। इससे वे गरम होने शुरू हो गए। ज्यों-ज्यों इन अणुओं की धुन्ध पिचक-पिचक कर छोटी होती गई, त्यों-त्यों ये अणु अधिक-अधिक गरम होते गए और अन्त में वे चमकने लग गए। इस पदार्थ की उबलती हुई गैस में धीरे-धीरे भंवर भी पैदा हो गए और ये भंवर धीरे-धीरे- बढ़ने लगे। फिर उन भंवरों में से जलती हुई प्रकृति के बहुत बड़े-बड़े छींटे निकले, जिनको आज हम तारों की शकल में देखते हैं। ये तारे अपनी जगह पर स्थिर नहीं, बल्कि आकाश मण्डल में प्रायः नियमित और कभी-कभी अनियमित रूप से घूमते फिरते हैं। इसी लिये कभी-कभी कोई तारा किसी दूसरे के बहुत समीप भी आ जाता है। जब कभी ऐसा होता है तो उन दोनों तारों में परस्पर इतना आकर्षण पैदा हो जाता है कि वे फिर टूट जाते हैं और उनमें से फिर जलते हुए पदार्थ के टुकड़े निकलते हैं, जिनमें से एक ग्रह हमारी पृथिवी भी है।

तारों की संख्या—यों तो प्रत्येक मनुष्य तारों को अनगिनत कहता है, किन्तु किसी अत्यन्त स्वच्छ रात में अधिक से अधिक जितने भी तारे कोई मनुष्य देख सकता है, इनकी गणना ३००० के लगभग है। परन्तु यदि किसी दूरबीन (Telescope) से देखा जाय तो उनकी संख्या करोड़ों तक जा पहुंचती है।

आज कल दुनिया की सब से बड़ी दूरबीन, जिसके शीशे का व्यास (Diameter) एक हजार इंच है, माउण्ट विजसन में है। उससे मालूम हुआ है कि हमारी सृष्टि में एक अरब के लगभग सितारे हैं।

**सौर मण्डल का निर्माण**—इस तारक समूह में सब से दूर वाला तारा हमारी पृथ्वी से ३,००,००,००,००,००,००,००,००० मील है और सब से पास वाला तारा २,४०,००,००,००,००,००० मील। सम्पूर्ण सृष्टि में अरबों सितारे हैं, सृष्टि का विस्तार १०० संख×संख×संख मील से भी अधिक है और इतनी सृष्टि में ये एक अरब सितारे किसी गिनती में नहीं आते। इस लिये किसी तारे का एक दूसरे के पास आना बहुत दुर्लभ है। परन्तु अरब साल से १० अरब साल के काल व्यवधान में कभी हमारे सूर्य के समीप कोई तारा आया, जिससे हमारे सूर्य में बड़े जोर का ज्वार पैदा हुआ और सूर्य गोल होने के स्थान पर लम्बूतरा-सा हो गया। किन्तु तारा और भी पास आता गया जिससे सूर्य में भयङ्कर तूफान पैदा हुए। वह इस अत्यधिक तनाव और तूफान को सहन नहीं कर सका और उसमें से कई खण्ड टूट-टूट अलग हो गए। पर ये जलती हुई आग के नाशपाती की शकल के टुकड़े मध्यवर्ती सूर्य और समीपवर्ती तारे के आकर्षण के कारण लट्टू की तरह अपने तथा सूर्य के चारों ओर घूमने लगे। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी यह पृथ्वी बन गया। उस समय यह इतनी तेजी से घूम रहा था कि अहोरात्र २४ घण्टे के स्थान पर केवल ३ घण्टे का ही

होता था। यह नाशपाती की शकल का जलता हुआ अग्नि का पिंड इतनी तेजी से घूमा कि नाशपाती की गर्दन सिकुड़ती ही चली गई और एक बड़ा भूखण्ड इससे टूट कर अलग हो गया। वही पृथक् हो गया भूखण्ड आज चाँद कहलाता है। सूर्य को इस तरह झटका देने के बाद वह तारा न मालूम कहां चला गया और यह भी ज्ञात नहीं कि उसका क्या अन्त हुआ। इस प्रकार सूर्य के जीवन में एक बिल्कुल नया सिलसिला शुरू हुआ। एक नए और मण्डल का जन्म हुआ। यह सम्भव है कि सृष्टि में और सितारों को भी इसी तरह का झटका मिला हो, या आगे और तारों को भी मिले। पर इस समय सिवाय कल्पना करने के हम कुछ और नहीं कह सकते। क्योंकि हमारी दूरबीनें भी अभी इतनी तेज नहीं हैं कि इससे कुछ अधिक पता लगाया जा सके। आजकल एक नई दूरबीन बन रही है, जिसके शीशे का व्यास २०० इञ्च रहेगा। इससे मनुष्य एक मोमबत्ती को ४१००० मील दूर से देख सकेगा। यह मनुष्य की आँख से १०,००,००० गुना अधिक तेज होगी। न मालूम यह दूरबीन क्या-क्या नई बातें बताएगी।

**हमारा सौर मण्डल**—इस तारे के झटके के कारण सूर्य में से जितने ग्रह निकले, उनमें से ८ तो बहुत समय से ज्ञात थे। किन्तु १६३२ में एक और ऐसे ग्रह का पता लगा है जो इसी सौर मण्डल में है, इस लिये अब यह नहीं कहा जा सकता कि हमारे सूर्य में से केवल ६ टुकड़े ही निकले या अधिक। इनमें से

सब से छोटा भूखण्ड 'बुध' (Mercury) है। इसका व्यास ३८०० मील है। सूर्य के पास होने से इसकी गरमी ३५० अंश तक रहती है। इसके बाद दूसरा भूखण्ड 'शुक्र' (Venus) है जो सूर्य से लगभग ६,७०,००,००० मील दूर है। इस का व्यास ७७०० मील है। इसके बाद वाला खण्ड हमारी पृथ्वी है। इसका व्यास ८००० मील है, यह सूर्य से ६,७२,००,००० मील दूर है। तत्पश्चात् 'मङ्गल' (Mars) है। जो केवल ४००० मील व्यास का है और सूर्य से १४,१५,००,००० मील दूर है। वैज्ञानिक लोग इसमें पृथ्वी की तरह से जीव जन्तु तथा वृक्ष वनस्पति का होना मानते हैं। हमारी पृथ्वी की तरह इसके पास भी दो छोटे-छोटे चाँद घूमते हैं। परन्तु वे चाँद केवल ५ या १० मील व्यास के हैं। उसके बाद का नक्षत्र 'बृहस्पति' (Jupiter) है इसका व्यास ८६,५२० मील है। सूर्य और इसमें ४६,५०,००,००० मील का अन्तर है। इसके चारों ओर ६ चाँद घूमते हैं। इसके बाद शनि (सैट्रन) ७०,००० मील व्यास का है। सूर्य से इसकी दूरी ८२,५६,००,००० मील है। इसके पास कोई चाँद न होकर तिरङ्गी धुन्ध के अनेक चक्र-से हैं। जो अत्यन्त सुन्दर और आश्चर्य-जनक हैं। यह ख्याल किया जाता है कि यह धुंध हजारों लाखों छोटे-छोटे चाँदों के कारण है। उस के बाद का ग्रह 'यूरेनस' (Uranus) है। यह १८७१ में देखा गया था। इस का व्यास ३२४०० मील है। यह सूर्य से १,५८,२३,००,००० मील की दूरी पर है। इस के समीप ४ चाँद हैं। फिर 'नेपचून' (Neptune) है। इस

का व्यास ३१००० मील और सूर्य से दूरी २२,७८,२७,००,००० मील है। ज्ञात नक्षत्रों में से अन्तिम 'प्लूटो' ( Pluto ) है। यह १९३० में मालूम हुआ था। सूर्य से इस की दूरी ३,७०,००,००,००० मील है। इसी प्रकार शायद और भी कुछ ग्रह हों। ये सब ग्रह और सूर्य मिल कर एक सौर मंडल ( Soler system ) बनाते हैं। सूर्य पृथ्वी से १० लाख गुणा भारी है। पृथ्वीका भार ६० संख टन है। यह सम्पूर्णा भार सूर्य पर ही अवलम्बित है। इसी लिये बहुत प्राचीन काल से अब तक सूर्य की पूजा होती रही है। न केवल भूमि तथा ग्रह, उपग्रह इस के हिस्से हैं, बल्कि उन में जो कुछ भी होता है, वह सब सूर्य के कारण ही होता है। सूर्य एक सैंक्रिड में ४० लाख टन 'पदार्थ' को प्रकाशित बना कर आकाश में फैक देता है और उस का बोझ एक दिन में कई खरब टन होता चला जा रहा है। यदि किसी तरह सूर्य पुनर्जीवित (Replanish) न हो होता रहता, तो यह कभी का ठंडा पड़ जाता।

एन्स्टाइन का सिद्धांत—ऋषि मुनियों के समय से ले कर अब तक विश्व के स्रोत और निर्माण के सम्बन्ध में खोज होती रही है किन्तु हाल ही में एन्स्टाइन ने एक बड़ा विचित्र सिद्धान्त निकाला है, जो उस के गणित के नियमों पर आश्रित है। इस के मत में आकाश इधर-उधर घूम-फिर कर किसी तरह से पुनः अपने आप ही में वापस आ जाता है। हमारे प्राचीन साहित्य में भी इस का उल्लेख मिलता है।

एक वृत्त में घूमती हुई रेखा अपने आप में ही वापस आ जाती है, पर गोले में घूमता हुआ धरातल पुनः अपने में आ मिलता है, और इस तरह बन्द हो जाता है कि उस का कोई सिरा नहीं रहता। दोनों अवस्थाओं में यह नहीं कहा जा सकता कि रेखा या पृष्ठ अनन्त हो गया है। इसी तरह आकाश मंडल भी 'सांत' ( Finite ) और 'अनन्त' ( Infinite ) दोनों है। वह घूम कर अपने आप में इस तरह आ मिलता है कि उस का कोई सिरा नहीं रहता। एन्स्टाइन के आकाश मंडल का 'व्यासार्द्ध' ( Radius ) ५००००, संख ( ५,००,००,००,००,००,००,००,००,००,००० ) मील है। इस अन्तर को प्रकाश, जिस की चाल एक सैकड़ में १८६००० मील है, इस से भी तेज़ चलने वाली चीज़ ८४,००,००,००,००० साल में पूरा करेगी। इस लिये यह सोचा जा सकता है कि सूर्य से निकली हुई किरणों तथा शक्ति फिर घूम कर खरबों सालों के पश्चात् उसी में वापस आ जाती हैं। इसी तरह और तारों की शक्ति भी उन से निकल कर पुनः उन में ही आ रही है, आई थी और आ जायगी। और इस प्रकार सूर्य की खोई हुई शक्ति पुनः उसे ही प्राप्त हो जाती है। किन्तु आकाश में घूमती हुई शक्ति विभिन्न वस्तुओं से टकराती है इस लिये वापिस आने वाली शक्ति उतनी ही नहीं रह सकती। वह क्रमशः घटती जाती है। अतः प्रत्येक सितारा धीरे धीरे मरता ही चला जाता है। साधारणतः तारे की आयु की ५०,००,००,००,००,००० वर्ष मानी गई है। सूर्य भी अपनी आयु का ७ भाग समाप्त कर

चुका है लेकिन अब भी करोड़ों वर्ष बाकी हैं और हमें चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं।

**सूर्य**—पृथ्वी न केवल सूर्य से पैदा होती है बल्कि इस पर होने वाले संपूर्ण प्राकृतिक परिवर्तन बादल, वर्षा, नदी नाले, जङ्गल और तरह तरह के जीव जंतु तथा अन्य सब कुछ उसी के कारण हैं। सूर्य एक बड़ी भारी भट्टी है, जिस में 'पदार्थ तत्व' से विभिन्न प्रकार के धातु बनते हैं। सूर्य से केवल ताप और प्रकाश ही नहीं निकलता अपितु विद्युत् के छोटे छोटे 'कण' (Electrones), जो कि 'परमाणु' (Atom) के एक अङ्ग हैं भी निकलते हैं और जब ये आकाशमण्डल की यात्रा करते हुए पृथ्वी के बहुत पास आ जाते हैं तो उस की चुम्बकीय आकर्षण-शक्ति (Magnetic Energy) के कारण उस के वायु मण्डल में आ कर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर वह दृश्य पैदा करते हैं जिसे 'अरोरा' कहते हैं। जिस कं कारण आकाश घंटों तक इस तरह चमकने लग जाता है कि मानों उस में आग लग गई है।

**पुच्छल तारे**—सूर्य मंडल में सब से विचित्र चीज़ पुच्छल तारे और टूटने वाले तारे ( Meteors ) हैं। १६१० में एक ऐसा पुच्छल तारा हमारे सूर्य के पास आया, जिस की पूंछ इतनी बड़ी थी कि कुछ दिनों के लिये पृथ्वी उस की पूंछ में ही रही। और उस का सिर सूर्य के समीप पहुंच गया था। उन दिनों आकाश में रात के समय भी मन्द मन्द प्रकाश रहता था। यह तारा एक बार पहले भी हमारे सूर्य के निकट आ चुका है और अब फिर १६८५

में आया, ऐसा वैज्ञानिकों का अनुमान है। कहा जाता है कि यह तारा भी पृथ्वी की तरह है। पृथ्वी तो सूर्य के चारों ओर घूमती है, किन्तु यह पृथ्वी तथा एक और सितारे के चारों ओर घूमता है इस प्रकार के १००० तारे “नक्षत्र विद्या” विशारदों ने देखे हैं। दूटने वाले तारों का तो पता ही नहीं चलता कि वे कहां से आते हैं। वे वस्तुतः पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो ‘आकाश’ (Space) में घूमते फिरते हैं, और जब भी भूमि के आकर्षण से भूमि के निकट वायु मंडल में गुजरते हैं, तो वायु से रगड़ खाकर गरम होने से चमक उठते हैं और ज़मीन पर गिर पड़ते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति के लोग इन तारों को अपशकुन समझते थे और उस को ऐसा भयानक रूप देते थे कि कोई मनुष्य उन के विषय में खोज करने का प्रयत्न ही नहीं करता था। वे तो सूर्य ग्रहण और चन्द्र ग्रहण को भी देवताओं का प्रभाव मानते थे।

**सूर्य के धब्बे**—सूर्य में एक वस्तु पाई गई है जिसे ‘सूर्य के धब्बे’ कहते हैं। इन का भेद अभी अच्छी तरह नहीं खुला। परन्तु यह देखा गया है कि पृथ्वी पर इन का बहुत प्रभाव पड़ता है। यह कहा जाता है कि उन का प्रभाव न केवल वर्षा ऋतु आदि पर पड़ता है बल्कि वनस्पति जगन् पर भी पड़ता है। कई वैज्ञानिकों ने इन का प्रभाव संसार की जन संख्या पर भी माना है।

**पृथ्वी** :—इस भूखण्ड को सूर्य से अलग हुए दो अरब से १० अरब वर्ष तक का समय हो चुका है। जब यह टुकड़ा सूर्य से अलग हुआ था तब यह सूर्य की ही तरह



गरम आग का गोला था । और हजारों-लाखों वर्षों तक यह प्रसन्न अग्नि का पिण्ड ही रहा । कालान्तर में यह धीरे-धीरे ठण्डा होता गया और उसका बाहर का भाग जमकर चट्टानों तथा ठोस भूमि के रूप में बदल गया । ये भूमि भाग तथा चट्टानें 'पपड़ी' (Cream) के टुकड़े की तरह पिघले हुए मादे पर तैरने लगी, किन्तु भारी होने के कारण अन्दर को धंस भी जाती थी, और उसके बादपुनः पिघल कर लावा बन कर बहती रहती थीं । क्रमशः भूमि भाग तथा चट्टानों की पपड़ी की तहें जमती गईं और सारी जमीन उससे घिर गई । पर ज्यों-ज्यों पृथ्वी ठण्डी होती गई, त्यों त्यों इस प्रकार दबाव पैदा होता गया कि अन्दर से खौलता हुआ लावा इस पतली-सी पपड़ी को फाड़ कर फुबारों के रूप में वह निकला और एक नई तह बन कर उन पर जम गया । इस प्रकार से लावे के हजारों लाखों फुबारे बाहर निकले और नई नई तहें जमाते गए । यहां कि भूपृष्ठ पर एक ठोस और मोटी तह बन गई । इसके बाद जो लावा निकला वह हर जगह एक बराबर तह न जमा सका और स्थान स्थान पहाड़ खड़े हो गए । विद्वानों का विचार है कि पर्वत शृंखलाओं में हिमालय पहाड़ सब से नया है । इसीलिये यह सब से ऊंचा है । बहुत जगह इस पपड़ी के फट जाने से बड़े बड़े गढ़े भी बन गए । यही आज कल के समुद्र हैं । पृथ्वी के पृष्ठ का एक तरफ तो लावे पर दबाव पड़ता है जिस से पिघले हुए लावे के फुबारे ज्वालामुखियों के मुंह से निकल कर बाहर आते हैं । दूसरी तरफ प्रकृति

ने ऐसे सामान भी पैदा किये हैं, जो इन पहाड़ों को तोड़ तोड़ कर समतल कर रहे हैं। पृथ्वी के केन्द्र में ५,००,००,००० पौण्ड का दबाव माना गया है। यह ठोस पदार्थ की पपड़ी सिर्फ कुछ मील मोटी है और इस तह के नीचे ५०० मील तक पिघले हुए लावे और चट्टानों का विस्तृत भंडार है। इस से भी नीचे १००० मील तक मोटे लावे की तह है और फिर २००० मील तक पिघला हुआ द्रव रूप पदार्थ है। ख्याल किया जाता है कि ये विस्तृत महाद्वीप लावे की तह पर तैरते फिरते हैं। भूगर्भशास्त्रियों (Geologists) का तो यहाँ तक अनुमान है कि किसी बड़े भूचाल में एक बड़ा भूखंड टूटा और उस से अमेरिका अफ्रीका आदि महाद्वीप बन गए। शुरू शुरू में सम्भवतः पृथ्वी का स्थल इकट्ठा ही था।

**प्रकृति का समीकरण**—प्रकृति अपनी 'समीकरण' (leveling forces) की शक्तियों का वर्षा-अग्नी-ओले के रूप में प्रयोग करके पहाड़ों और चट्टानों को तोड़ फोड़ कर मिट्टी और रेत के रूप में समुद्रों का ओर बधाये लिये जा रही है। इस पृथिवी पर प्रति वर्ष ३००० घन मील के लगभग वर्षा होती है। अगर ज्वालामुखी बिल्कुल बन्द हो जाय तो सम्पूर्ण नदियां भू पृष्ठ को १,५०,००० वर्षों में समान कर देंगी, और अगर यह क्रम कुछ समय तक चलता रहे तो हमारी पृथ्वी पर ६०० फीट पानी खड़ा हो जायगा ! दक्षिणी अमेरिका की अकेली मिसिसिपी नदी ही सालभर में ५१,६०,००,००० मन मिट्टी

समुद्र में डाल देती है। परन्तु आजकल भी प्रकृति ज्वालामुखी के द्वारा लाखों-करोड़ों टन लवा उगल उगल कर पृथ्वी को स्थिर रखती है।

## रसायन (Chemistry)

पदार्थ की खोज—वैज्ञानिकों को बहुत शीघ्र ही इस बात का ज्ञान हो गया कि पृथ्वी में एक ही प्रकार का 'पदार्थ' नहीं। रेत-मिट्टी-पानी-हवा तो सबको पृथक् दिखाई देते ही हैं। इसलिये वैज्ञानिक ने यह खोज प्रारम्भ की कि संसार में कितने प्रकार का पदार्थ हो सकता है। और क्या ईश्वर ने यह पदार्थ पृथक् पृथक् ही बनाये हैं या एक बार में ही पैदा कर दिये हैं। क्या इन में से कोई नया पदार्थ भी बन सकता है ? और क्या इनको मानव जीवन को सुखा और दार्घजीवी बनाने के लिये प्रयुक्त भी किया जा सकता है ? सदियों की खोज के पश्चात् मनुष्य इस परिणाम पर पहुँचा कि सम्पूर्णा 'पदार्थ' को दो भागों में बाँटा जा सकता है। एक तो 'वस्तु' (Element) जैसे लोहा-गन्धक, कोयला, चाँदी, ताम्बा, पारा, सोना आदि। और दूसरे 'समास' (Compounds) हैं। जो वस्तुतः दो-तीन या अधिक तत्वों के परमाणुओं के इस तरह मिलने से बनते हैं कि उस मेल से सम्पूर्णा तत्व अपनी-अपनी सत्ता को खो बैठते हैं और एक बिल्कुल नई चीज़ पैदा कर देते हैं। जैसे जलने वाली 'उद्भजन,

( Hydrogen ) और जलाने वाली 'अम्लजन' ( Oxigen ) के परमाणु शीतल-जल पैदा करते हैं। किसी को ख्याल भी नहीं आ सकता कि पानी के अणुओं में इन दो गैसों का निवास है। तत्वों के परमाणु सैकड़ों विभिन्न प्रकारों से मिल कर भिन्न-भिन्न वस्तुएं बना देते हैं। वही कोयले और उद्भजन के अणु कभी खांड, कभी तेल, कभी सिरका, कभी सुगन्ध, कभी रङ्ग, कभी मांस, कभी लकड़ी, कभी रूई, कभी ऊन, कभी कपड़ा और कभी न जाने क्या कुछ बन जाते हैं।

१११ धनु और समास—दुनियां में करोड़ों प्रकार के समास हैं, किन्तु उनकी छानबीन से मालूम हुआ है कि सम्पूर्ण सृष्टि की वस्तुएं केवल ६२ तत्वों से बनी हुई हैं। इनमें से ६० तो 'प्रयोग-शाला' ( Laboratory ) में जाने भी जा चुके हैं। वैज्ञानिक ( Chemist ) को सूझा कि अगर ये लाखों करोड़ों पदार्थ केवल ६२ ही तत्वों से बने हुए हैं तो वह उस नियम को मालूम करे, जिसके द्वारा ये विभिन्न तत्व मिल कर उन वस्तुओं को बनाते हैं, जिनकी दुनियां में बड़ी मांग और कीमत है। दुर्भाग्य से उसकी धुन सोना बनाने की ओर लगी। पर क्योंकि यह स्वयं एक तत्व है अतः वह उसे बना न सका। किन्तु इस प्रयत्न में उसने हज़ारों ऐसी और चीजें बना डालीं जिनकी संसार में कमी थी और मांग अधिक थी। किसी समय जिन वस्तुओं को दुर्लभ समझा जाता था, और जिनके लिये राजा महाराजा भी तरसते थे उन्हें आज मामूली आदमी भी बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकता है।

रसायन का प्रयोग—उदाहरणार्थ गुलाब का इतर जहांगीर की बेगम नूरजहां ने अपने स्नानागार में अचानक पाया था। कालान्तर में इसकी मांग इतनी अधिक बढ़ी कि वह सैंकड़ों रुपयों में तोला भर मिलने लगा। आज न केवल असली इतर इतने परिमाण में पैदा किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति इसका आनन्द उठा सके, किन्तु 'नकली इतर', जिसका फूल से कोई सम्बन्ध नहीं, इतना सस्ता और इतना अधिक आकर्षक बनाया जाता है कि उससे असली इतर भी मात हो गया है। केवल गुलाब का इतर ही नहीं, अपितु अच्छी से अच्छी सुगन्धि इसी दुर्गन्धित और असुन्दर तारकोल से निकलती हैं, जिन सुगन्धों का पहले कभी ख्याल भी न आया होगा। यह इतर गरीब से गरीब घर में भी सुगन्ध पैदा कर सकता है।

रेशम कभी अमीरों को भी कठिनता से मिलता था। आज रेशम के कीड़ों को अच्छी तरह पालन कर उनसे हजारों गुना रेशम तो बनाया ही जाता है, साथ ही साथ लकड़ी के बुरादे को साफ करके, विभिन्न चीजों में घोल कर तथा इस घुले हुए 'द्रव-पदार्थ' ( Solulose solution ) को बहुत छोटे-छोटे छेदों के अन्दर से पिचकारी की सहायता से निकाल कर नकली रेशम के धागे बनाये जाते हैं। और इनको इतने सुन्दर ढङ्ग से रङ्गा जाता है कि प्रकृति भी शर्मिन्दा हो जाय। आज यह नकली रेशम गरीब से गरीब की इच्छा को पूरा करता है। वैज्ञानिकों ने प्रत्येक सम्भव उपाय से मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने का

प्रयत्न किया है और जहाँ भी दुर्लभ प्राकृतिक वस्तुओं को बनाने में वे असफल रहे, वहाँ उन्होंने उनकी स्थानापन्न-वस्तुएं बना डालीं। आज जर्मनी में लकड़ी से खाँड बनती है और सड़कों पर बिछाने वाली कोलतार से, जो किसी समय कोयले की कानों में एक आफत गिनी जाती थी, अनेक प्रकार के सुन्दर फलफूलों के रस, अनेक प्रकार के सुन्दर रङ्ग, और अनेक प्रकार की सुगन्धें तैयार की गई हैं। मनुष्य की तरह-तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आज अनेक प्रकार के नकली चमड़े, रबड़, मक्खन, घी आदि वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत कर दिए हैं। केवल इतना ही नहीं कि पिछले हुए लोहे में कोयले को घोल कर असली हीरे बनाये गए हैं, अपितु वैज्ञानिकों ने अब तक ३ लाख ऐसी चीजें बना डाली हैं, जो पृथ्वी पर नहीं। इनमें से हजारों दवाइयों तथा अन्य विभिन्न रूपों में प्रयुक्त की जाती हैं।

पिछले थोड़े से वर्षों में बिजली ने तो कमाल ही कर दिया है। उसके द्वारा आज पारे से असली सोना बन चुका है और विभिन्न तत्वों को एक से दूसरे में बदला जा चुका है। वैसे तो यह विचार पहले भी मनुष्य को तङ्ग करता था कि ईश्वर ने सम्पूर्णा ६२ तत्व अलग अलग बनाये हैं या ये तत्व भी किसी मूल तत्व से बने हैं। प्राकृतिक खजाने में कुछ वस्तुएं इतनी थोड़ी थीं कि वे मानवीय आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती थी और इस लिये आज उन चीजों के 'पूरक' ( substitutes ) तैयार किए गए हैं।

इनमें से पौधों से 'सैलोलाइड' दूध से 'ब्रोक्लाइट' से 'पेट्रोलियम' से नकली रबड़ निकलता है ।

मनुष्य के प्रयत्न अपने जीवन को सुखी बनाने के साथ साथ उसे दीर्घजीवी बनाने के भी रहे हैं । इस दीर्घायुष्य के लिये उसे अपने बचाव का भी प्रबन्ध करना होता है । जङ्गली जानवरों तथा जन्तुओं से तो मनुष्य बच ही सकता है परन्तु वह घातक बीमारियों के 'कीटाणुओं' ( Germs ) के आक्रमण को रोकने में असमर्थ रहा । वैज्ञानिकों ने इन बीमारियों से लड़ने के लिये हज़ारों तरह की दवाइयाँ निकाली हैं । सृष्टि के अनेक भागों से तो अनेक रोगों के कृमि बिल्कुल ही नष्ट कर दिये गये हैं ।

परन्तु वे कौन से नियम हैं जिनके द्वारा ये ६२ तत्व एक दूसरे से मिल कर आश्चर्यजनक प्रभाव वाली वस्तुयें बन जाते हैं । यह तो स्पष्ट ही है कि विभिन्न तत्वों में आपस में मिलने की बड़ी प्रवृत्ति है । पर यह प्रवृत्ति क्यों है और क्या ये सम्पूर्णा ६२ तत्व एक दूसरे से बिल्कुल पृथक्-पृथक् हैं या ये भी किसी और मौलिक तत्व से निकले हैं ?

**तत्वों के भेद**—इन सब तत्वों में से हलकी और सादी 'उद्रजन' ( Hydrogen ) है । यदि इस तत्व के परमाणुओं के भार को एक माना जाय, तो शेष तत्वों का तोल इससे अनेक ( एक-दो-दस-बीस या किसी न किसी पूरी संख्या में ) गुना ही

ही होगा। इसमें कभी भाग नहीं आता। अर्थात् किसी तत्व का परमाणु उद्रजन से  $६\frac{1}{2}$  गुना या  $११\frac{1}{2}$  गुना भारी नहीं हो सकता। वह अवश्य ही ६ या  $११\frac{1}{2}$  गुना होगा। इससे यह विचार उत्पन्न होता है कि जितने पदार्थ से उद्रजन बना हुआ है। वह 'पदार्थ' ही मौलिक परमाणु है। यहां एक और बात भी विचारणीय है कि ये सम्पूर्णा ६२ तत्व कुछ समूहों या श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं और प्रत्येक श्रेणी या समूह के तत्व बहुत से समान गुणों को धारण करते हैं। उदाहरणार्थ ताम्र, रजत, सुवर्ण, कुछ एक से हैं। नत्रजन ( Nitrogen ), फास्फोरस, संक्षिया ( Arsenic ), हरिया गेस ( Chlorine ), प्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हिलियम, नियोन, आरगोन, क्रिप्टोन, रडोन आदि दूसरी तरह के हैं।

अब से ५००-६०० वर्ष पूर्व मैण्डलीफ नामक अरब के एक वैज्ञानिक ने तत्वों के श्रेणीकरण की ओर ध्यान दिया। जितने भी तत्व उस समय तक ज्ञात थे, उन्हें वह उन के तोल के अनुसार लिखता गया। उस ने अनुभव किया कि प्रत्येक ८वां तत्व पहले तत्व से कुछ मिलता जुलता है। इस तरह उस ने सारे तत्वों को ८ श्रेणियों में बांटा। यद्यपि इङ्गलिस्तान के प्राइस्ट नामक एक वैज्ञानिक मैण्डलीफ से पहले ही यह विचार प्रकट किया था कि शायद सम्पूर्णा तत्वों के परमाणु उद्रजन के तत्वों से ही बनें हो, किन्तु उस समय उसे दीवाना कह कर इतना दुत्कारा गया कि वह विष खाकर मर गया। परन्तु मैण्डलीफ के कार्य से पुनः यह विचार पैदा हुआ



कि शायद ईश्वर ने इन सब तत्वों को एकदम न रचा हो, और वे क्रमशः 'उद्भजन' से ही बने हों ।

प्रकृति की इस रचना शक्ति के सम्बन्ध में सन्देह तो मैंडलीफ के समय से ही उत्पन्न हो गया था, परन्तु इस के असली भेद तो सर थामसन के विद्युत् के परीक्षणों के पश्चात् ही मालूम हुए । बादलों में चमकती विद्युत् किस ने नहीं देखी । इसी तरह से बिजली की चिंगारियां प्रयोगशाला में भी पैदा की जा सकती हैं । इन चिंगारियों के कारण हवा दुर्वाहक से सुवाहक हो जाती है । यह क्यों ? इस बात की तह तक पहुँचने के लिये थामसन साहब ने शीशे की बन्द नलियों में चिंगारियां पैदा करने की चेष्टा की । और साथ ही साथ वह वायु पम्प से नली में से वायु भी निकालता गया । उस ने देखा कि जब हवा काफी खाली होगई, तो परीक्षण नलिका पतली चिंगारियों के स्थान पर प्रकाश से भर गई । इन परीक्षणों से सिद्ध हुआ कि रेडीफाइड वायु के अणु बिजली की ताकत से टूट जाते हैं । और उन के टूटने पर बिजली के कण तथा प्रकाश पैदा होता है । पिछले ५०,६० वर्षों में विद्युत् के द्वारा परमाणुओं के अन्दर की बनावट की खोज करने से पता लगा है कि इन के अन्दर बिजली के कणों तथा विद्युत् चुम्बकीय शक्ति ( जो कि परमाणु के टूटने पर एकस किरण, जामनी किरण, तप्त किरण या साधारण प्रकाश के रूप में पैदा होती है ) और कुछ भी नहीं है । किसी भी चीज़ के परमाणु को तोड़ा जाय तो यही तीन चीज़ें मिलती हैं । इन परीक्षणों से तो यह साफ प्रकट

होता है कि ईश्वर ने ये ६२ तत्व पृथक्-पृथक् नहीं बनाये । किन्तु ये सब किसी विशेष प्रकार से इन विद्युत्कणों और विद्युत्चुंबकीय शक्ति से ही बने हैं ।

**एलैक्ट्रॉन और प्रोटोन**—यह सर्वथा संभव है कि 'उद्रजन' जो कि सब से हल्की है, कम से कम विद्युत्कणों से बनी हो, क्योंकि उद्रजन के परमाणु और अणु किसी प्रकार के विद्युतीय गुणों को प्रकट नहीं करते । इस के परिमाणुओं में ऋण और धन विद्युत् एक जैसी होनी चाहिये । इस लिये जितनी भी ऋण विद्युत् इस में है, वह कम से कम परिमाण में है और उसे एक इलैक्ट्रॉन ( Electron ) माना जा सकता है । इसी तरह धन विद्युत् भी उद्रजन के अणु का एक प्रोटोन ( proton ) है । धन और ऋण विद्युत् में बड़ी भारी आकर्षण शक्ति है, फिर वह एक परमाणु में परस्पर मिले बिना क्यों कर रह सकती हैं । इस बात को जर्मनी के एक बड़े वैज्ञानिक नाइलबोर ने इस प्रकार सुलभाया कि एक बिजली का कण दूसरे के पास इस तरह घूमता है जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर । और जिस कारण से पृथिवी सूर्य के साथ नहीं छू जाती, ठीक उसी कारण से यहां भी विद्युत् के दोनों विभिन्न श्रेणी के कण एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं ।

परमाणु का व्यास सैंटीमीटर के ( C. M. )  $\frac{1}{100,000,000}$  वें हिस्से के बराबर है । एलैक्ट्रॉन का व्यास सैंटीमीटर का  $\frac{1}{1,00,00,00,00,00,000}$  वां हिस्सा है । प्रोटोन का व्यास सैंटी-

मीटर का  $\frac{1}{1,000,000,000,000,000,000}$  वां हिस्सा है। इस का अर्थ यह हुआ है कि इलैक्ट्रॉन प्रोटोन से १००० गुणा बड़ा है। अर्थात् एक परमाणु के अंदर कई लाख एलैक्ट्रॉन (Electron) भरे जा सकते हैं। जब कि वह उद्रजन का केवल एक परमाणु में जो प्रोटोन हैं वे उस से १००० गुणा छोटे हैं। सूर्य मण्डल के समान परमाणु भी बिलकुल खोखला है। प्रोटोन यद्यपि एकट्रॉन से १००० गुणा छोटा है, परन्तु वह उससे १७०० गुणा अधिक भारी है। इस लिये परमाणु के अंदर प्रोटोन स्थिर रहता है और इलैक्ट्रॉन इस के चारों ओर घूमता है। उद्रजन से भारी तत्व के प्रत्येक परमाणु में इलैक्ट्रॉन और प्रोटोन अधिक होंगे। पर दोनों की संख्या बराबर होगी, क्योंकि कोई भी परिमाणु साधारणः विद्युत् के गुण प्रकट नहीं करता। इलैक्ट्रॉन और प्रोटोन में यदि एक सदृश विद्युत् हो तो वे एक दूसरे को धकेलेंगे, अतः वे एक परमाणु में इकट्ठे हो ही कैसे सकते हैं? अन्वेषण करने से मालूम हुआ है कि परमाणु के भीतर एक भारी सा हिस्सा होता है, जिस में सम्पूर्ण प्रोटोन तथा उन से आधे इलैक्ट्रॉन बड़ी दृढ़ता से एक दूसरे को पकड़े रखते हैं और शेष परिमाणु के आधे इलैक्ट्रॉन इस के चारों तरफ़ विभिन्न अंतर पर विभिन्न पथों में घूमते हैं। धीरे धीरे वे पारस्परिक आकर्षण के कारण अपने पथों को बदलते चले जायेंगे।

रदलफोर्ड ने बहुत से तत्वों के परमाणुओं को जोरदार

विजली के छर्रों से तोड़ा। उसने ये छर्रें रेडियम से लिये थे, जिनसे उद्रजन से ४ गुना भारी विजली के कण भी बड़ी तेज़ी से छूटते हैं। उसमें देखा कि जब भी कोई परमाणु टूटता है, तो उसमें से या तो केवल 'हिलियम गैस' के टुकड़े निकलते हैं या हिलियम तथा उद्रजन के। यह भी मालूम हो चुका है कि उद्रजन से अगला भारी तत्व 'हिलियम' ही है जो कि उद्रजन से चार गुना भारी है। उद्रजन से २ या ३ गुना भारी तत्व कोई नहीं है। इससे ख्याल पैदा होता है कि जहां विजली के धन और ऋण कणों का सबसे स्थायी निर्माण उद्रजन का परमाणु है, उसके बाद द्वितीय स्थायी निर्माण हिलियम है। उद्रजन और हिलियम के परमाणु तत्व की बढ़ती में ईटों का सा काम देते हैं। प्रत्येक अगले तत्वके अन्दर दो उद्रजन के परमाणु जाते हैं जिनमें 'धन-विद्युत्', ऋण विद्युत् का एक एक कण तो केन्द्रीय भाग (nucleus) में चला जाता है और बाकी का एक 'ऋण-विद्युत्' का कण बाहर घूमते हुए कणों में शामिल हो जाता है। इस तरह 'यूरेनियम' ( ९२ संख्या वाला तत्व ) में १८४ प्रोटोन और ९२ इलेक्ट्रॉन्स मिला कर एक केन्द्रीय भाग (Nucleus) बनते हैं। उसके चारों ओर ९२ इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। जब इनकी मात्रा अधिक हो जाती है, तो आंतरिक विद्युत्शक्तियों का दबाव इतना बढ़ जाता है कि ऐसे परमाणु आपसे आप टूटते रहते हैं। और फिर इनमें से वही 'विद्युत्चुम्बकीय-शक्ति' तथा विद्युत् कण और हिलियम के केन्द्रीय कण फूट फूट कर निकलते हैं। केवल उस यूरेनियम के ही परमाणु नहीं टूटते, किन्तु जितने परमाणु सिके से

भारी है वे सभी इसी प्रकार टूटते रहते हैं। इनमें 'रेडियम' सबसे प्रसिद्ध है। उसमें से अपने आप बहुत तेज एक्स किरणों की तरह का प्रकाश निकलता है, जिसे गामा-किरण (Gamma-Rays) कहते हैं। और साथ ही साथ हिलियम के केन्द्रीय भाग से अल्फारेज़ (Alfa-Rays) तथा ऋण विद्युत् के कण जिन्हें बीटा-किरण (Beta rays) कहते हैं भी निकलते रहते हैं। इन किरणों में घुसने और प्रवेश करने की बड़ी शक्ति होती है, जिसका प्रयोग मनुष्य की नासूर (कैंसर) जैसी कष्टदायक बीमारियों में किया जाता है। सभी परमाणु विजली के कणों से ही बने हैं और विद्युत्कणों में खिंचाव होता है, इससे विभिन्न परमाणुओं द्वारा इस विद्युत् के खिंचाव के कारण विभिन्न वस्तुओं में परिवर्तित हो सकना कुछ कठिन नहीं।

अगर सारे परमाणु विद्युत् के ही बने हुए हैं, तो यह सम्भव होना चाहिए कि उसमें से कुछ विद्युत् कण निकाल कर या उसमें कतिपय नए विद्युत् कण डाल कर एक तत्व से दूसरा तत्व बनाया जा सके। सोने में पारे के एक विद्युत्कण से केवल दो प्रोटोन तथा दो इलेक्ट्रोन ही तो कम हैं। यदि किसी प्रकार पारे के परमाणु से उन्हें निकल दिया जाय तो वह सोना बन जायगा। इस कार्य में अब सफलता भी प्राप्त हो चुकी है। परन्तु इस तरह सोना बनाने में कानों से असली सोना निकालने की अपेक्षा कई गुणा अधिक खर्च आता है। उधर वैज्ञानिक उपायों से 'रेडियम' जैसी दुर्लभ और अमूल्य वस्तु बनाना अधिक लाभदायक है। रेडियम हीरे से

भी २० गुना मंहगी है। सिके के परमाणुओं में अगर बिजली के कण भर दिये जाय, तो उसमें रेडियम की विशेषतायें (गुण) पैदा हो जायगी। इसी कारण रेडियम का इतना मूल्य है। यह परीक्षण भी अब सफलतापूर्वक क्रिया जा चुका है। न केवल सीसे में, बल्कि प्रायः प्रत्येक चीज़ में रेडियम की सी शक्ति दी जा सकती है। और हज़ारों लाखों बीमारों को, जिन्हें रेडियम की चिकित्सा कराना असंभव प्रतीत होता था, आज बड़ी आशायें बंध गई हैं। अभी तक यह बात पूर्णरूप से नहीं कही जा सकती कि बिजली के कण किस चीज़ के बने हुए हैं, परन्तु पिछले दस सालों से वैज्ञानिकों को इस बात का ख्याल हो गया है कि वे आकाश के ही विकृत और पुष्ट रूप हैं। बिजली के कणों में लहरों की विशेषतायें भी पाई गई है, परन्तु अभी यह पहेली सुलभ नहीं सकी।

**शक्ति**—(Energy) जैसा कि पहले कहा जा चुका है, न्यूटन साहब ने मालूम क्रिया कि - पदार्थ निष्क्रिय है और इसमें जितनी भी क्रिया है वह किसी अन्य वस्तु के कारण है, जिसे हम शक्ति कह सकते हैं। यह शक्ति कई प्रकार की होती है। उदाहरणार्थः—

- १—यान्त्रिक शक्ति (Mechanical Energy)।
- २—तापकी शक्ति (Heat Energy)।
- ३—प्रकाश की शक्ति (Light Energy)।
- ४—विद्युत् की शक्ति (Electrical Energy)
- ५—चुम्बक की शक्ति (Magnetic Energy)

६—रासायनिक शक्ति (Chemical Energy)

७—आत्मिक शक्ति (Biological Energy)

इनमें से प्रथम ५ प्रकार की शक्तियां कुछ एक ही प्रकार की हैं। 'रासायनिक शक्ति' इनसे कुछ भिन्न है। शक्ति वह चीज़ है, जो पदार्थ में कुछ जान-सी डाल देती है। जो अणुओं और परमाणुओं में गति पैदा कर देती है। पर क्या शक्ति का प्रभाव पदार्थ के इन अणु-परमाणु और कणों से बाहर है? इस सम्बन्ध में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

**शक्ति का वर्गीकरण**—संसार में ३ प्रकार की शक्तियां हैं। प्रथम भौतिक (Physical) द्वितीय रासायनिक (Chemical) और तृतीय जीवन शक्ति (Biological)। (१) यांत्रिक शक्ति (Mechanical) (२) ताप (Heat) (३) प्रकाश (Light) (४) विद्युत् (Electrical) (५) चुम्बक (Magnetic) की शक्तियां वास्तव में भौतिक (प्रथम) शक्ति का ही एक रूप हैं।

**यांत्रिक शक्ति**—यांत्रिक शक्ति (Mechanical Energy) दो प्रकार की होती है। प्रथम वह जो गतिमान् पदार्थ में होती है। चलती हुई रेलगाड़ी या मोटर में वह शक्ति पैदा होती है कि सब लोग उससे दूर हट जाते हैं। मोटर चाहे कितना ही तेज़ क्यों न चल रही हो, उसमें कोई अन्तर नहीं आता। उसका लोहा, पेट्रोल तथा गद्दे वैसे ही बने हैं। परन्तु जिस मोटर की ठहरी हुई दशा में लोग उसको हाथ लगा कर देखते हैं, बड़ी खुशी से उसमें बैठकर

झर-उधर की सैर करते हैं, उसी की गतिमान् दशा में उसके पास आने में भी हिचकते हैं।

द्वितीय वह शक्ति है जैसी कि तनी हुई कमान में होती है। धनुष का चिल्ला चढ़ा हुआ देख कर बड़े-बड़े योद्धा मैदान से भाग जाते हैं। परन्तु क्या धनुष की लकड़ी या डोरी लोहे की हो जाती है ? वह तो आखिर लकड़ी और तागा ही है। वह शक्ति पदार्थ में उस समय पैदा होती है जब कि उसके किसी हिस्से को इस तरह मोड़ा या दबाया जाय कि पदार्थ अपनी पहली आकृति पुनः प्राप्त करने का प्रयत्न करे। वह शक्ति जिसके कारण यह अपनी असली अवस्था में आने का प्रयत्न करता है। पदार्थ में लचक का होना ही इस शक्ति को पैदा करता है। सब मशीनों के अन्दर इन्हीं दोनों यांत्रिक शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। दबाई हुई भाप (Compressed Steam) के कारण एन्जिन के पहिये चलते हैं। और बहता हुआ पानी पनचक्की चलाता है।

(२) ताप की शक्ति—(Heat Energy) यह एक बड़ी आधार भूत-शक्ति है। जाडल के परीक्षणों से यह पता लगा है कि यह शक्ति वास्तव में 'पदार्थ' के अणुओं के हिलने-जुलने के कारण पैदा होती है। यह भी मालूम हुआ है कि किसी भी चीज़ के अणु स्थिर नहीं। वे तभी स्थिर हो सकते हैं, जब उनमें ताप की शक्ति न रहे। यह अवस्था २७३.२ डिग्री पर होती है। जब कि 'पदार्थ' के अणु बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं। और क्यों कि 'पदार्थ' के अणु की शक्ति को इससे कम किया ही नहीं जा सकता, इस



लिए किसी भी प्रकार से किसी भी चीज़ में २७३.२ से कम ताप करना असम्भव है। ठोस अवस्था में तो प्रत्येक अणु का स्थान निश्चित है और वह उसी स्थान पर कांपते से रहते हैं। वे एक दूसरे से आंतरिक खिंचाव के कारण जकड़े हुए हैं, किन्तु जब गरम होने के कारण उनके अणु अधिक जोर से थरथराने लगते हैं, तो एक ऐसी दशा आ जाती है जब कि पदार्थ अपने आंतरिक खिंचाव पर काबू नहीं रख सकता। तब ठोस वस्तु पिघल कर द्रव बन जाती है। और इसी प्रकार और अधिक गरम होने पर अणु एक दूसरे से बिल्कुल अलग होकर गैस बन जाते हैं। इसी लिये गरम होने पर चीज़ फैलती और हल्की हो जाती है। संसार की सारी घटनाएं वस्तुतः इसी शक्ति पर अबलम्बित हैं। ताप से न केवल रोटी ही पकती है बल्कि रेलगाड़ी तथा जहाज़ भी चलते हैं। कारखानों का चलना भी इसी पर आश्रित है। सूर्य शक्ति का महान् उद्गम है। इसी द्वारा सारे जीव जन्तु जीवित हैं।

३ प्रकाश की शक्ति ( Light Energy ) प्रकाश ही से दिन को रात और रात को दिन बनाया जा सकता है। इसी से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ( प्रकाश और ताप में अंतर है, यद्यपि सामान्यतया दोनों में परस्पर बहुत सम्बन्ध है। प्रकाश से हमारा अभिप्राय केवल उस शक्तिसे है जिस से आंख देखने का अनुभव कर सकती है। पर वस्तुतः यह शक्ति इतनी ही नहीं। वास्तव में सारी प्रकाशित शक्तियों में “गामा किरण, एक्स किरण, अल्ट्रावायलेट किरण, वायलेट किरण, लाल किरण, ताप किरण,

और बेतार की लहरें, रेडियो की लहरें आदि सभी एक ही परिवार की हैं। हमारी आंख इस परिवार के एक बहुत छोटे हिस्से को देखती है। आकाश की लहरों की लंबाई

सैंटीमीटर के  $\frac{1}{1,00,00,00,00,00,00,00}$  वें हिस्से से लेकर ३०, ००,००,००० सैंटीमीटर तक है। आंख तो केवल उस प्रकाश का

अनुभव करती है, जिस की लहरों की लंबाई  $\frac{३६}{१०,००,०००}$  वें हिस्से से

ले कर  $\frac{७८}{१०,००,०००}$  वां हिस्सा हो सकती है। प्रकाश वस्तुतः

आकाश की लहरें ही मानी गई हैं, और प्रकाशके द्वारा ही आकाश की छानबीन की जा सकती है। प्रकाश ही सारे ज्ञान का कारण है। यहां तक कि जीव भी इस के बिना जीवित नहीं रहता। वृक्ष वनस्पति आदि इसी शक्ति के द्वारा अपना शरीर बनाते हैं। शेर आदि हिंस्र जंतु भी अपना भोजन कन्दमूल खाने वाले जानवरों से ही लेते हैं।

**विद्युत्**—( Electricity ) इस शक्ति को आजकल भी अच्छी तरह से नहीं समझा गया। परन्तु २०वीं सदी का जादूगर यही शक्ति है। इसी के बल से रेडियो बना, सिनेमा उसी के आधार पर चलते हैं। टेलीफोन, स्वयं उड़ने वाले हवाई जहाज, सब इसी के आधार पर काम करते हैं। इसी के प्रयोग से केवल एक बटन दबाने से नकली फौजों के दस्ते तथा बड़े बड़े कारखाने और जहाज स्वयं काम करने लग जाते हैं। घर में लैंप जलने लगते हैं, पंखा

चलने लगता है। बाल घुंघरीले हो जाते हैं। बुढ़ापे की झुर्रियां दूर हो जाती हैं और भी न जाने क्या कुछ हो सकता है। वस्तुतः बिजली आजकल ज्ञान विज्ञान और कला कौशल की आत्मा बनी हुई है।

**चुम्बकीय शक्ति**—(Magnetic energy) वह शक्ति है जिस के कारण बहुत सी चीजें लोहे को खींच लेती हैं। इसी शक्ति के द्वारा पथभ्रष्ट जहाज और नौकायें अपने घर वापस आ जाते हैं। यह शक्ति आजकल बिजली की सहयोगिनी बनी हुई है। और शायद ही बिजली की कोई एसी करामात होगी, किस में यह चुम्बकीय शक्ति बिजली की सहायता न करती हो।

**रासायनिक शक्ति**—(Chemical Energy) इस शक्ति के आश्चर्योत्पादक कार्यों का वर्णन पहले किया जा चुका है। यह शक्ति भी अन्त में बिजली की शक्ति में ही बदल जाती है। इन सब शक्तियों से गूढ़ शक्ति जीवन शक्ति है। (Biological Energy) है। धार्मिक लोग चाहे इसे कुछ भी कहें, किन्तु यह वह शक्ति है जिस से मृत पदार्थ में बढ़ने की तथा उत्पादन करने की शक्ति आती है।

## शक्ति (Energy)

शक्ति के सम्बन्ध में ज़रा अधिक विस्तार से लिखने की आवश्यकता है—



## विज्ञान की प्रगति

शक्ति के प्रकार—शक्ति तीन प्रकार की होती है। प्रथम वह—जो अणुओं-परमाणुओं में ही हो और उसका प्रभाव भी उन्हीं में हो। यांत्रिक शक्ति और ताप की शक्ति, इनके बड़े उदाहरण हैं। द्वितीय—जिनका प्रभाव तो पदार्थ के बाहर हो और मूल पदार्थ में हो, जैसे चुम्बक की शक्ति और विद्युत् की शक्ति। इन दोनों उदाहरणों में शक्ति का प्रभाव आकाश में है तथा यह अपना प्रभाव दूर से ही करती है। पर पदार्थ के बिना शक्ति की सत्ता नहीं रह सकती। चुम्बक पत्थर को आगे पीछे ले जाने से उसका चुम्बकीय क्षेत्र भी उसके साथ साथ चला जाता है। तृतीय वह शक्ति है जो प्रकाश की तरह है और जो पदार्थ को छोड़ कर बिल्कुल ही आकाश में चली आती है और लहरों के रूप में संपूर्ण आकाश-मण्डल में घूम सकती है। ऐसी शक्ति को व्यापक शक्ति (Radiant Energy) कहते हैं। वैसे तो 'वाणी की शक्ति' तथा 'समुद्र की लहरें' भी इसी प्रकार की शक्तियां हैं, पर वे आकाश में प्रवेश नहीं करती। बल्कि पदार्थ के अणु से ही उनका सम्बन्ध है। यदि ध्यान से देखा जाय तो इन तीनों अवस्थाओं में शक्ति का प्रदुभाव पदार्थ से ही होता है और जब तक वह किसी और पदार्थ से नहीं मिलती, उसकी सत्ता प्रकट नहीं होती। आकाश में शक्ति का होना ही इस बात में सन्देह पैदा कर देता है कि आकाश में पदार्थ के गुण छिपे हुए हैं। यह बात हमारे इस विचार को और अधिक पुष्ट बना देती है कि जब-जब और जहां-जहां

आकाश के अन्दर ये गुण पूर्णतया प्रकट होते हैं उसे हम पदार्थ कह देते हैं ।

**शक्ति के नियम** - शक्ति का सब से बड़ा और आधार-भूत नियम यह है कि शक्ति न तो उत्पन्न की जा सकती है और न वह नष्ट की जा सकती है । दुनियां की सम्पूर्णा शक्ति सदैव उतनी रहती है । जैसे एक दूसरे में पदार्थ बदल सकता है । इसी प्रकार एक तरह की शक्ति दूसरी प्रकार की शक्ति में बदल सकती है । पदार्थ की एक शकल से दूसरी में बदलने के विज्ञान को रसायन (Chemistry) कहते हैं । और शक्ति के एक रूप से दूसरे रूप में बदलने वाले विज्ञान को भौतिकी (Physics) कहा जाता है । केवल भौतिक शक्तियां ही अपने आप में नहीं बदलतीं । भौतिक से रासायनिक और रासायनिक से भौतिक बन सकती हैं । एंस्टाइन के सिद्धांतों और और परीक्षणों से यह बात सिद्ध हो चुकी है कि पदार्थ 'शक्ति' में बदल जाता है । सूर्य तथा सितारों में उद्रजन से हिलियम और उससे भारी तत्व स्वयमेव बन रहे हैं । हिलियम का एक अणु ४ उद्रजन के अणुओं से  $\frac{32}{1000}$  वां हिस्सा हलका है । इतना पदार्थ हिलियम के बनाने के कार्य में ही टूट गया और शक्ति के रूप में प्रकट हो गया । यह अनुभव किया गया है कि — यह सूर्य और सितारों के ताप का परिणाम है । यदि उद्रजन का पूरा अणु शक्ति में बदला जा सके तो तो यह शक्ति इतनी होगी

कि उससे प्रशान्त महासागर के सारे जहाज़ ६ महीने तक चलाए जा सकेंगे ।

**शक्ति का ह्रास**—परन्तु शक्ति का असली भेद अभी तक नहीं खुला ये सब शक्तियां पदार्थ की तरह एक ही चीज़ से बनी हैं अथवा वे सबपृथक् २ हैं ? यदि कोई एक शक्ति उनकी उत्पादक है तो वह कौनसी है । फिर भी यह तो मालूम हो चुका है कि शक्ति का भी एक अणु-सा है और कोई कार्य ऐसा नहीं जिसमें इससे भी कम शक्ति लगे । किसी भी कार्य में जितनी शक्ति प्रयुक्त होती है वह इसका पूर्ण गुणानफल (Multiple) है । यदि हम ठीक ठीक कहें तो शक्ति कार्य से ही मापी जा सकती है तथा छोटे से छोटा कार्य—अर्थात् जिससे छोटा कोई कार्य हो ही नहीं सकता, उसे प्लैंक के कार्य का अणु (Plank's quantum of action) कहते हैं । शक्ति के घेरे (Volume) और लम्बाई चौड़ाई को मालूम करना बिल्कुल व्यर्थ है । क्योंकि यह तो पदार्थ के गुण हैं शक्ति के नहीं । शक्ति तो केवल कार्य की जनक है । यह हम पहले ही कह चुके हैं कि शक्ति अपना रूप बदल सकती है । कोयले के जलने से रासायनिक-शक्ति ताप में बदल जाती है । इससे भाप बनती है और इससे प्रबल यांत्रिक शक्ति बनती है । उसीसे गाड़ी चलती है । इस कार्य में जो कुछ वस्तुतः हुआ वह इतना ही कि 'घटी हुई भाप' (Compressed Steam) केवल फौज़ी और गाड़ी चली । भाप की मात्रा कम नहीं हुई । साथ ही शक्ति के विषय में हम कह चुके हैं कि शक्ति का क्षय नहीं हो

सकता। तो प्रश्न होता है कि शक्ति फिर गई तो कहां गई। यह शक्ति पहियों की रगड़ तथा अन्य अनेक हिस्सों में रगड़ के कारण से फिर ताप में बदल गई। वास्तव में किसी भी कार्य में अन्त में शक्ति अपने आपको ताप में बदल लेती है। पर इस ताप का दर्जा इतना नीचा होता है कि वह और काम करने लायक नहीं रहता। अर्थात् वह शक्ति ऊंचे से नीचे दर्जों तक पहुंच कर निष्क्रिय हो जाती है जैसे प्रपात का पानी ऊपर से नीचे गिरते हुए बड़ी बड़ी मशीनें चला सकता है पर नीचे पहुंचने पर उसमें शक्ति नहीं रहती। अर्थात् प्रत्येक कार्य में शक्ति अपना निर्दिष्ट कार्य करके ठण्डी हो जाती है और तब वह मनुष्य के लिये व्यर्थ हो जाती है। इससे स्पष्ट है कि संसार की लाभप्रद शक्ति दिन प्रति दिन कम होती जाती है और कभी वह दिन आयेगा जब कि सारी शक्ति समाप्त हो जायगी।

**सूर्य की शक्ति**—ताप की शक्ति अणुओं की गति के कारण है। अन्ततोगत्वा हर तरह की शक्ति इसी अणुओं की गति में बदल जायगी। ठण्डा ताप ही सारी शक्तियों की अन्तिम स्थिति है। शक्ति की दृष्टि से तारे और सूर्य बड़े ऊंचे दर्जों पर हैं। पृथ्वी पर की सम्पूर्ण शक्ति सूर्य की ही दी हुई है। पृथ्वी ने इस को ग्रहण करने के लिये बहुत से साधन बना रखे हैं। सम्पूर्ण बेलो पौधों या वृक्षों के हरे हरे पत्ते इस शक्ति को वश में करने के साधन हैं। वे इसी शक्ति के द्वारा अपने भीतर कारवानिक

एसिड गैस की कार्बन निकाल कर और पानी के उद्भजन और अमृजन से मिलाकर अपने शरीर के प्रत्येक हिस्से को सुराक पहुंचते हैं और उसीका उनका शरीर बनता है। इंगलिस्तान के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक बेली साहब ने पिछले कुछ सालों में सूर्य की शक्ति को, जंसे प्रहण करने का अधिकार प्रकृति ने केवल हरे पत्तों को ही दे रखा था, कृत्रिम उपायों से वशीभूत करके फिर उसी 'कार्बोनिक-एसिड गैस'की कार्बन को सूर्य के प्रकाश से खांड में बदल दिया। इस प्रकार उन्होंने प्रकृति के सब से पेचीदा जादू को दोहरा कर दिखाया। १९३० के लगभग सिसल(cicel)ने सूर्य के प्रकाश से और नया उपयोग लेकर दिखा दिया। इसके आधार पर उन्होंने जीवन शक्ति के अनेक प्रयोग किए।

**सूर्य और जीवन शक्ति** — अमोनियम सलफाइड के घोल को फोरमैल्डी हाइड्र के वाष्प में सूर्य के प्रकाश में एक दिन रखने के बाद देखा गया कि उस से एक ऐसी चीज बन गई जो जो जीवित पदार्थों के सदृश गुण दिखाने लगी। परीक्षणों से यह सन्देह उत्पन्न हो गया कि जीवन शक्ति भी किसी प्रकार से सूर्य के प्रकाश की शक्ति से ही न बनी हो। जनरल स्मट् ने १९३३ के लगभग इंगलिस्तान के वैज्ञानिकों की सभा के प्रधानपद से भाषण करते हुए इसी बात पर बल दिया कि हो न हो यह 'जीवनी-शक्ति' सौर शक्ति से बनती है। और ज्यों-ज्यों सूर्य का प्रकाश सदियों से पृथ्वी को प्रकाशित करता रहा, त्यों-त्यों जीवन की शक्ति



बढ़ती ही चली गई। आज पृथ्वी पर हजारों प्रकार की योनि के जानवर हैं तथा पृथ्वी का अधिक हिस्सा प्राणियों से आबाद है। जब सभ्यता का आविर्भाव हुआ, तब इस पृथ्वी पर केवल एक अरब मनुष्य थे और उनकी संख्या उससे दुगनी हो चुकी है। माना कि कतिपय बड़े बड़े जानवर तथा कतिपय विशेष वृक्षादि अब नहीं पाये जाते, परन्तु प्राणियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। पृथ्वी के बहुत से प्रदेश जो निर्जन थे आजकल घनी आबादी से भरे पड़े हैं और किसी भी जगह आबादी की कमी नहीं हुई।

सूर्य का प्रकाश जीवन शक्ति का उत्पादक हो या नहीं परन्तु पृथ्वी पर जितनी भी शक्तियां दिखाई देती हैं और जितने भी कार्य हो रहे हैं, उन के लिये शक्ति सूर्य से ही आती है। उसी के कारण वनस्पतियाँ अनैन्द्रियिक वस्तुओं से न केवल अपना शरीर ही बनाती है अपितु शेष संपूर्ण प्राणियों के लिये खुराक भी देती हैं।

संसार में ४ प्रकार के प्राणी माने गए हैं। १—घास खाने वाले—घोड़ा, गाय, बकरी बैल आदि। २—मांसाहारी—शेर, चीता आदि। ३—रक्त शोधक—जो किसी जानदार का रस चूस लेते हैं। जैसे—रोगकृमि और बेरी पर लगी हुई लाख। ४—मृत भक्षक—(सैप्रोफेटिक) अर्थात् जो कि मुर्दा खाते हैं) यथा—ढोंगरी, गुच्छी, खुम्ब आदि। इन चारों प्रकार के जीवों के लिये खुराक, प्रकाश की शक्ति से ही पत्तों की हरियाली द्वारा बनती है।

कोइले और तेल की कानों प्रारम्भ में संसार में बड़े बड़े जङ्गल थे जो भूकम्पों में लावे के नीचे दब गए और धीरे धीरे झुलस कर हजारों वर्षों के बाद वे अमूल्य कोयले की कानों के रूप में प्रकट हुए। इन में वही सूर्य की शक्ति भरी हुई है। और इसी के कारण वे रेल जहाज और बड़े बड़े कारखाने चलाते हैं। इन्हीं भूडोलों से सामुद्रिक जानवर मछलियां आदि भी कहीं कहीं लावे के नीचे दब गईं और हजारों सालों के बाद उन का रस (सत्) भीट्टी के तेल के रूप में कई हजार गज गहरे कूँओं में सेफुब्बारे के रूप में निकल रहा है। जो हमें हवाई जहाजों और मोटरों के लिये पेट्रोल तथा हर तरह की सुन्दर वैसलीन, नकली रबड़ और नकली चमड़ा देता है। ये दोनों वस्तुएं सूर्य के प्रकाश का ही उपहार हैं और मनुष्य जाति के लिए सब सुखों का उद्गम हैं। यद्यपि प्रकृति ने यह भंडार बहुत ही अधिक बनाया है, तथापि लोभी मनुष्य इसे बुरी तरह खाली कर रहा है कि अब इस बात का डर होगया है कि कहीं यह अक्षय कोश भी एक दिन समाप्त न हो जाय। इसीलिए पिछले कुछ सालों में पौधों के रस से (Spirit) बनाने की विधि निकाल ली गई है जिस से यह आशा बंध गई है कि सूर्य की दी हुई शक्ति को हजारों सालों तक पृथ्वी की लावे की भट्टी के नीचे पकाए बिना भी थोड़े दिनों में उपयोग के योग्य बना लिया जा सकेगा। यही 'पावर'-'अलकोहल' अब खांड के कारखानों के बचे हुए बदबूदार शीरे से भी तैयार होने लगी है।

जल प्रपात और वायु सूर्य की किरणों समुद्र के जल को उड़ा कर बादलों के द्वारा ऊंचे पहाड़ों पर बरसाती हैं और इस तरह उस में चह शक्ति भर जाती है जो कि प्रपात से बिजली के बड़े बड़े कारखाने चलाते हैं। बम्बई में इस तरह की एक हाईड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम है। जो जी० आई० पी० की संपूर्ण रेल गाड़ियों तथा बम्बई शहर के संपूर्ण कारखानों को चला सकती है। ऐसा ही एक कारखाना योगेन्द्र नगर ( मंडी स्टेट ) में खोला गया है जो सारे पंजाब की रेलों और कारखानों तथा अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं। इस के अतिरिक्त शक्ति का उद्गम हवा के झोंके हैं। हजारों सालों तक व्यापारी हवाएं ( Trade Winds ) और विरुद्ध व्यापारी हवाएं बड़े बड़े जहाजोंको चलाती रहीं। किसी एक तूफान की सारी शक्तको यदि किसी प्रकार से बांध लिया जाय तो वह किसी बड़े नगर के संपूर्ण कारखानों को कईदिनों तकचलाने के लिए काफी होगी। हालैण्ड, अमेरिका, जर्मनी और दुनियां के अन्य हिस्सों में 'पवन चक्कियां' ( Wind Mills ) चलाई जाती हैं, जो कि साधारण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काफी शक्ति दे देती हैं। जर्मनी और अमेरिका में इस बात के सम्बन्ध में बड़े बड़े परीक्षण हो रहे हैं कि बड़े बड़े शहरों के लिए संपूर्ण विद्युत् इन पवनचक्कियों से ही ली जावे।

भूपृष्ठ से ऊपर ४००-५०० फीट की ऊंचाई से ले कर कई हजार फीट तक हवा हर समय चलती रहती है। और इससे प्रत्येक

काम के लिये असीम शक्ति ली जा सकती है। ये हवाएं भी तो सूर्य की गरमी के कारण ही हैं। आजकल इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि किसी न किसी तरह से सूर्य की गरमी को केन्द्रित (F'ous) कर के फौरन ही इंजन चलाने के लिये प्रयुक्त किया जावे। पर ऐसी मशीनें अभी तो बे खिलौने ही समझी जानी चाहियें। वैसे तो हर तरह की शक्ति अपनी अपनी जगह लाभप्रद और अनिवार्य हैं, किन्तु मनुष्य की दृष्टि से विद्यन की शक्ति का महत्व बहुत अधिक है।

**भाप की शक्ति** सन् १७०० के लगभग 'स्टीवन्सन' ने भाप की शक्ति के कारण केतली के ढ़कने को उछलते हुए देख कर भाप का इंजन बनाया और दुनियां को भाप के द्वारा अग्नि का एठ नया और अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रयोग सिखाया। भाप के इंजन के विभिन्न कार्यों का विस्तृत करना हमें यहां अभिप्रेत नहीं। मनुष्य की वर्तमान सभ्यता की नींव इसी इंजन ने डाली है। उसके बाद पेट्रोल के इंजन ने तो कमाल ही कर दिखाया। मोटर-कार और हवाई जहाज का जो असर संसार की सभ्यता पर पड़ा है, कौन उसे दृष्टि से ओझट कर सकता है। पेट्रोल के इंजन ने अपनी तेज गति के कारण सभी स्थानों को सुलभ बना दिया। हवाई जहाज की सहायता से आज लोग पेरिस से लंडन में चाय पीकर केवल आध घंटे में वापिस लौट आ सकते हैं। आज एक दिन में ही हिन्दुस्तान से लंडन पहुंचा जा सकता है। मोटरकारों

ने तो शहरों और गांवों का नक्शा ही बदल दिया है। शहर फैल कर बीसियों मीलों तक बढ़ गए हैं। शहरों और ग्रामों में आना जाना और वणिज व्यापार करना आसान हो गया है।

**बिजली और चुम्बक की शक्ति**—यद्यपि बिजली क्रे. डाइनेमो (Dynamo) उसी भाप के इंजन से चलते हैं और भाप के इंजन के बिना विद्युत् शायद इतनी प्रचलित न हो सकती। तथापि अब तो प्रपातों से विद्युत् इतनी अधिक मात्रा में मिलती है कि उसे भाप पर आश्रित न होना पड़ेगा। बिजली की शक्ति की महानता के कुछ विशेष कारण हैं। १—बिजली की चाल १,८६,००० मील प्रति सैकंड है। यह सैकड़ों हजारों मीलों तक ताँबे की तारों के द्वारा लेजाई जा कर घर घर बांटी जा सकती है। केवल दो तारों के छूने से ही बिजली कहीं की कहीं जा पहुंचती है। २—यह शक्ति बहुत सरलता से ताप चुम्बक और रासायनिक शक्ति में बदली जा सकती है। इस का संपूर्ण कार्य इन्हीं पर आश्रित है।

बिजली के सारे कार्य उस ही तीन प्रमुख विशेषताओं पर आश्रित हैं। १—जब यह किसी तार में से गुजरती है तो कणों के अणुओं की रगड़ के कारण वह तार गरम हो जाती है। २—इसी गरमी के कारण विद्युत् के तापक (Heater), तरह तरह की भट्टियां, बिजली के गद्दे और रजाइयां आदि बनाए जाते हैं। इसी गुण के कारण सब तरह के विद्युत् के लैंप बने और उन में से कुछ

इतने छोटे लैंप बनाये गए हैं जो कि सुई की नोक पर लगा कर शरीर के अंदर डाले जा सकते हैं और वहां प्रकाश पैदा कर के शरीर के अन्दर के हिस्सों को देखा जा सकता है । भट्टियों का तापमान ( Temperature) कई हजार डिग्री तक हो सकता है । अमेरिका में एक बिजली की भट्टी बनाई गई । इस का तापमान लगभग १००० अंश था । \* इस में डाली जाकर प्रत्येक वस्तु धूआं हो जाती थी । इसी प्रकार बिजली के लैंप इतने तेज बनाए गए कि आंख उन को देख ही नहीं सकती । ३.—जब बिजली किसी तार से गुजरती है तो उसके चारों ओर चुम्बकीय शक्ति पैदा हो जाती है और इस प्रकार चुम्बक लोहे को गति दे सकता है । बिजली की इस चुम्बकीय गति की शक्ति से बिजली की रेल गाड़ी १०० मील प्रति घण्टा से चल रही है ।

**बिजली के प्रयोग—**बिजली का पहला आश्चर्यजनक कार्य 'तार' ( Telegraphy ) है । जिसे बनाने का अधिकांश श्रेय मोर्स नामक वैज्ञानिक को है । इस के पश्चात् 'ग्राहम बैल' के टैलीफोन ( Telephone ) के आविष्कार से हजारों मील दूर बैठे हुए दो व्यक्ति आपस में इस तरह बातें करते हैं जैसे कि एक ही कमरे में बैठ कर धीरे धीरे बातें कर रहे हों । वैसे तो चलचित्रों ( Movies ) के बनाने के लिये विद्युत् की आवश्यकता नहीं । सवाक्-चित्रपट ( Talkies ) बिजली के बिना चलाने असंभव

---

\* सूर्य का बाह्य तापमान ६००० है ।

थे। आजकल तो विद्युत् के द्वारा इन तस्वीरों के साथ साथ देखने वालों पर ऐसी लहरें फँकी जाने लगी हैं, जिस से गर्मी-सर्दी-भय व खुशी का अनुभव हो।

**प्रकाश**—मनुष्य की बहुत सी खोजें तथा बहुत से ज्ञान प्रकाश पर आश्रित हैं। परन्तु प्रकृति के बहुत से रहस्य प्रकाश की सीमा से बाहर हैं अनेक स्थानों पर तो साधारण प्रकाश जा नहीं सकता और कई वस्तुओं के लिए प्रकाश की लहरें इतनी मोटी हैं कि वह इस प्रकाश से चमक ही नहीं सकती और दिखाई नहीं दे सकती। जैसे अणु, परमाणु। विद्युत् से इतनी तेज़ और सूक्ष्म लहरें पैदा की जाती हैं जो शरीर के अन्दर से गुजर जाती हैं और उस की आन्तरिक अवस्था दिखा देती हैं जो कि साधारण प्रकाश की लहरों के लिए असम्भव था। इन्हीं लहरों को एक्स-किरण कहते हैं। एक्स-किरण केवल टूटी हुई हड्डियों को देखने में ही प्रयुक्त नहीं होता, किन्तु आजकल ये हवाई जहाज़, पनडुब्बी, जंगी जहाज़ आदि के मज़बूत और ढले हुए लोहे के पुर्जों की आन्तरिक दशा को देखने के लिए भी प्रयुक्त की जाती हैं ताकि कोई पुर्जा बाहर से पक्का और अन्दर से कच्चा होने से किसी आड़े मौका पर धोखा न दे जाय।

**सूक्ष्म वीक्षण यन्त्र**—सूक्ष्म वीक्षण यन्त्र की सीमा भी प्रकाश की लहरों की स्थूलता के कारण है। वह उतनी ही छोटी चीज देख सकता है जो प्रकाश की लहरों से छोटी न हो। परन्तु

ऋण विद्युत् के कण बिजली की लहरों से कहीं छोटे हैं । आज-कल बिजली के एक नए 'ढंग के सूक्ष्म वीक्षण यन्त्र' तैयार किए जा रहे हैं, जिन से अणु और परमाणुओं के विषय में बहुत कुछ जानने की आशा है । उन से छोटे छोटे कीटाणुओं को, जो प्रकाश की कमजोरी की आड़ में छिपे हुए हैं, देखा जा सकेगा और उन से पैदा होने वाली बीमारियों का अवरोध हो सकेगा ।

**आकाशीय विद्युत् लहरें**—बिजली के कण एक तरफ तो परमाणुओं के हिस्से हैं और दूसरी तरफ इन का क्षेत्र आकाश है । बिजली के बहुत से स्वतन्त्र कण आकाश में भी व्याप्त हैं । जब इन्हें झटका लगता है तो वह झटका उसके क्षेत्र द्वारा आकाश में लहरें पैदा कर देता है । १८८८ में इन लहरों को 'हर्ट्ज' ने प्रयोगशाला में ढूंढा । यद्यपि उससे लगभग २० वर्ष पहले क्लार्क मैक्सवेल ने अपने गणित के द्वारा ऐसी लहरों की भविष्यवाणी की थी । इटली के एक नवयुवक 'मारकोनी' को इन लहरों में विशेष दिलचस्पी पैदा हुई और उस ने अपनी आयु इन्हीं के अर्पण की । उस ने इन लहरों को 'रेडियो' के रूप में संसार को दिया । ये लहरें भी प्रकाश की तरह हैं । इन में शक्ति भी है और आकाश की लहरों द्वारा यह शक्ति किसी जगह से हजारों मील दूर भेजी जा सकती है । आज रेडियो की लहरें कई असम्भव काम कर के दिखा रही हैं । इन के द्वारा बिजली की मशीनों को कई मील दूर से चलाया जा सकता है । जहाजों, रेलों, मोटरों



तथा कारखानों को एक आदमी दूर से ही चला सकता है। वर्तमान योरोपीय युद्ध में इङ्गलिस्तान के वायु युद्ध निरोधक तोपें ( Anti-Air-craft gunners ) के संचालकों के आराम के लिये रेडियो के द्वारा किसी चालक के बिना ही हवाई जहाज उड़ाये जा सकते हैं। उड़ने के साथ साथ साथ ये जहाज प्रत्येक संभव उपाय से निशाने से बचने की कोशिश भी करते हैं।

रेडियो की शक्ति—अमेरिका में एक बार ४ जङ्गी जहाज तथा दो पनडुब्बियों की नकली लड़ाई में युद्ध का पूरा नाटक खेला गया, जब कि उनमें मनुष्य एक भी नहीं था। इसी प्रकार न्यूयार्क में गलियों के भीड़-भड़ककों में भी, बिना ड्राइवर की मोटरकारों स्वयं अपने मार्ग के इशारे देती हुई, कभी स्वयं तेज और कभी स्वयं धीरे चलाई जा चुकी हैं। आज अमेरिका के किसान घर के बरा-एडे में बैठ कर अपने सम्पूर्ण खेत में हल चला लेते हैं। पर साधारण के उपयोग के लिये प्रथम रेडियो ट्रांसमिटर (Radio-Transmitter) १९२२ में बना और रेडियो का पूर्ण उपयोग तो सन १९३० के बाद ही हुआ है। इतने थोड़े समय में ही रेडियो ने संसार की सभ्यतापर बहुत अधिक प्रभाव डाला है। आज एक मनुष्य—किसी जगह से सम्पूर्ण दुनियां को भाषण दे सकता है और अपने विचार संसार के सामने रख सकता है। अब तो यह भी संभव है कि—बहुत शीघ्र ही इसके द्वारा सृष्टि में एक धर्म तथा एक सभ्यता फैलाने का प्रयत्न किया जाय जिससे विभिन्न जातियों

के पृथक् २ व्यक्तित्व एवं विभिन्न जातीयता के भाव नष्ट हो जाँय और संसार में अन्तर्राष्ट्रीयता और भ्रातृभाव का प्रसार हो सके ।

**ऋतु का नियन्त्रण**—इस प्रकार से विद्युत् ने ऋतु पर भी विजय पाना प्रारम्भ कर दिया है । अब घरों में जितनी देर के लिये जैसी भी ऋतु चाहें कर सकते हैं । गर्मी-सर्दी-बरसात, प्रातःकालीन सुहावना समय और मध्याह्न की कड़कती धूप और संध्या तो खेल बन गए हैं । विद्युत् के द्वारा ही आज बादलों से इच्छानुसार वर्षा कराई जा सकती है । हालैण्ड में कई बार बिजली की सहायता से वर्षा करवाई जा चुकी है ।

विद्युत् का प्रयोग केवल इन्हीं कार्यों तक ही सीमित नहीं—इसके विस्मयावह कार्य चिकित्सा के क्षेत्र में भी कुछ कम नहीं । यह केवल सर्जन के औजारों को चलाने के काम में ही नहीं आती पर अब तो चिकित्सक लोग रोग का पता भी इसीसे लगाते हैं । मानव शरीर में बिजली की लहरें दौड़ती हैं और इसीके कारण मनुष्य के चारों ओर एक विद्युत्-चुम्बकीय क्षेत्र बना हुआ है । मनुष्य जब बीमार होता है, तब इस क्षेत्र में विकार आ जाता है । इस क्षेत्र के अध्ययन से न केवल बीमारी का पता चलता है परन्तु उसका उपचार भी जानते हैं ।

**हृदय पर बिजली का प्रभाव**—देखा गया है कि हृदय की धड़कन पर भी विद्युत् का नियन्त्रण है । हृदय की गति के

बन्द हो जाने पर उसे बिजली के कम्पन देकर पुनः चालू किया जा सकता है। इस तरह बीसियों मिनट का मृत व्यक्ति पुनर्जीवित कर लिया गया है।

**रौबट**—ईश्वर की बनाई हुई चीजों में मनुष्य को उसकी सर्व श्रेष्ठ रचना माना जाता है। और क्योंकि मनुष्य अपने आपको केवल ईश्वर से ही कम मानता है, अतः वह इस बात के लिए प्रयत्नशील है कि वह भी एक ऐसा आविष्कार करे जो मनुष्य की तरह काम कर सकें। ऐसी मशीन को **रौबट** (Robot) कहते हैं। इस मशीन के अन्दर माइक्रोफोन—बिजली का कान, लाउड स्पीकर—बिजली का मुँह, फोटो इलेक्ट्रिक सैल—बिजली की आंख, तथा बिजली की मोटर-हाथ-पाँव की जगह कार्य करती है। ऐसी मशीन बात चीत करती है, चल फिर सकती है एवं और भी बहुत से काम वह कर लेती है जो कि केवल मनुष्य ही कर सकता है। परन्तु अब तक किसी भी उपाय से उसमें वास्तविक जीवन के गुण नहीं दिखाये जा सकते।

**जीवन शक्ति**—जीवित वस्तु में निम्न विशेषताएं होती हैं—  
—प्रथम—वह विभिन्न चीजें खाकर अपना शरीर बनाती और बढ़ाती है।  
—द्वितीय—वह सांस लेती है जिससे वह अल्मजन तो शरीर के अन्दर ले जाती है और 'कैल्सियम एसिड गैस' छोड़ देती है।  
—तृतीय—वह सदा एक जैसी नहीं रहती।  
—चतुर्थ—वह अनुभव कर सकती है और स्थानीय प्रभावों के अनुसार अपने

को बदलती है ताकि परिवर्तित अवस्थाओं में भी वह अच्छी तरह से रह सकें। पाँचवें—वह अपनीसी सन्तान पैदा करती है। परन्तु 'रोबोट' में ऐसी कोई विशेषता नहीं। फिर भी यह विचार तो मन में उठता ही है कि अन्ततोगत्वा प्रकृति ने सब जीव 'पदार्थ' से ही बनाये हैं। इस 'पदार्थ' में ऐसी कौनसी विशेष बात पैदा हो जाती है और क्या यह जीवन-शक्ति बिल्कुल नई तरह की है अथवा यह भी औरों से मिलती जुलती है। क्या यह किसी दूसरी शक्ति से बनाई जा सकती है? यदि नहीं तो यह शक्ति क्या और कहाँ से आई है। संज्ञाहीन या निष्क्रिय पदार्थ के स्वयमेव-जीवित हो जाने की कल्पना करना कुछ कठिन है। इस विषय में यह ख्याल किया जाता है कि—जीव के बीज (Spurms) किसी अन्य सृष्टि से टूटने वाले तारों के साथ आये, क्योंकि इन तारों के पदार्थ में जीव पाये गये हैं। पर जहाँभी जीव सबसे पहली बार बना, कैसे बना! अभी तक इसका उत्तर नहीं मिला। जीवन शक्ति कुछ ऐसी पेचीदा और लचकदार है कि हम इसे अब तक बिल्कुल भी नहीं समझ सके। प्रो० सिरल (Ciral) ने एक चकित करने वाला परीक्षण किया। अमोनियम सल्फाइड के घोल को 'फोरमैल डी हाइड' के वाष्पों में रख कर एक दिन तक सूर्य के प्रकाश में रखने पर देखा कि उस घोल के अन्दर कुछ समास-सा बन गया है जिसमें कुछ-कुछ जीव के गुण थे। वह हिलता-जुलता-खाता-पीता और बढ़ता भी था। पर वह सन्तान पैदा नहीं कर सकता था और दो-एक दिन में ही मर भी जाता था। चाहे यह जीव हो या न हो

पर वह जीव से इतना मिलता जुलता था कि एक बार तो सबको ख्याल हो ही गया कि प्रो० सिरल ने जीव बना लिया है।

**जीवन तत्त्वों की खोज**— वैज्ञानिकों ने जीवों की तरफ बहुत थोड़े समय से ध्यान दिया है। उनकी खोज के परिणाम स्वरूप सृष्टि में दो तरह के जीवों का पता चला है। एक वानस्पतिक-जगत् और दूसरा प्राणि-जगत्। पिछली दो चार शतब्दियों में ही १० लाख विभिन्न प्रकार के प्राणधारी जीव पाये गये हैं। जैसे कुत्ता, घोड़ा, बैल, बिल्ली, साँप आदि। मनुष्य जाति में भी आज २,००,००,००,००० के लगभग जीव हैं। इसी तरह वानस्पतिक-जगत् में भी लाखों जातियाँ हैं। क्या यह संभव है कि ये सब जातियाँ एक दम बनीं हैं अथवा वे भी पदार्थ और शक्ति की तरह किसी मौलिक जीवित तत्व से बनीं हैं और क्या कोई जानवर सारे का सारा जीवित है या उसके अंग-प्रत्यंग स्वतन्त्र रूप से जीवित हैं।

एक अपराधी को फांसी देने के ११ घण्टे बाद उसमें से दिल निकाल लिया गया और उसको जिन्दा करके धड़कने वाला बना दिया गया। इसी प्रकार एक अन्य परीक्षण में एक कुत्ते का सिर काट कर ५ घंटे तक जीवित रक्खा गया। साँप का शरीर तो सिर कट जाने पर भी बहुत देर तक अपने आप ही जीवित रहता है। यदि गिजाई (Earth worm) को बीच में से काट कर दो कर दिया जाय तो कुछ ही समय में धड़ वाला हिस्सा सिर और सिर

वाला हिस्सा धड़ पैदा कर लेता है। इसी सिलसिले में अमेरिकन वैज्ञानिक सिरल ने एक मुर्गी के अण्डे से बढ़ते हुए बच्चे के दिल का टुकड़ा काट लिया और एक विशेष प्रकार के घोल (द्रव) में उचित गरमी में रखा। आज १ सदी बाद भी वह 'दिल का टुकड़ा' जीवित है और प्रत्येक ४८ घण्टे बाद वह दुगना हो जाता है और सब उसके टुकड़े काट काट कर फेंक दिये जाते हैं अन्यथा वह अब तक सूर्य से भी बड़ा हो गया होता। इन २५ सालों में तो न जाने मुर्गी की कितनी नसलें हो चुकी होंगी। ये परीक्षण प्रकट करते हैं कि शरीर का एक एक अंग स्वयमेव जीवित है। अब यह विचार उत्पन्न होता है कि—वह कौनसी छोटी से छोटी चीज़ है जो जीवित है और जिसे काट कर छोटा करने से वह जीवित नहीं रहती। ऐसी चीज़ को सैल कहते हैं।

**एक सैल के जीव**—बहुत से जीव ऐसे हैं जिनका सारा शरीर केवल एक सैल का बना होता है। ये जीव दूरबीक्षण से ही दिखाई देते हैं। फिर भी वे जीवन की सारी क्रियाओं को सम्भ्रकृत्य करते हैं। इनका शरीर जैली की तरह का बना होता है। तेज दूरबीन से देखने से मालूम पड़ा है कि इसके शरीर के दो हिस्से हैं। अन्दर वाले हिस्से को (Nucleus) कहते हैं। यह कुछ अधिक तरल वस्तु का बना होता है। यह विभिन्न रंगों से रंगा भी जा सकता है। उसे क्रोमोटिन (Chromotin) कहते हैं। और इसके चारों तरफ वाले पदार्थ को साइटोप्लाज़्म (Sytopl-

asm) कहते हैं। यह प्राणी खुराक के टुकड़े के चारों ओर लिपट कर उसे कहीं से भी अपने शरीर के अन्दर कर लेता है। और इसका रस चूम कर शरीर के जिष्ठ भी किसी भाग से चाहे उगल देता है। इस तरह यह बढ़ना शुरू होता है। यहां तक कि इसका शरीर इतना बड़ा हो जाता है कि उसे अपने आप को संभालना भी कठिन हो जाता है। तब एक विचित्र दृश्य पैदा होता है। सम्पूर्ण क्रोमोटिन अपने आप कुछ हिस्सों में बंट जाता है और उससे एक विशेष प्रकार के लम्बून्तरे से कीड़े बन जाते हैं जिनको 'क्रोमोजोन्स' (Cromojons) कहते हैं। फिर ये क्रोमोजोन्स अपने आप ही अपनी लम्बाई में टूट और फट कर दो बन जाते हैं और हरेक 'क्रोमोजोन' का एक एक टुकड़ा सैल के अन्दर दो विभिन्न हिस्सों पर इकट्ठा हो जाता है। पश्चात् 'साइटोप्लाज्म' या (Cell) का शरीर बीच बीच में से फटना शुरू हो जाता है और अन्त में टूट कर दो टुकड़े हो जाते हैं। फिर ये दोनों नये सिरे से खुराक लेना प्रारम्भ कर देते हैं और बड़े हो होकर पुनः दो दो बन जाते हैं।

**अधिक सैल्स के प्राणी**—बड़े प्राणियों के शरीर की पगीक्षा करने पर पता लगा है कि किसी भी प्राणी के शरीर के टुकड़े इसी प्रकार के बहुत-से सैल्स से बने हुए हैं। इन सैल्स के अन्दर जब 'क्रोमोजोन्स' बनते हैं तो उनकी संख्या सैल्स के बराबर होती है। विभिन्न जातियों के शरीर के सैल्स के 'क्रोमोजोन्स' की संख्या एक दूसरे से भिन्न है।

**मनुष्य के सैल**—मनुष्य के अन्दर के सैल में ४८ क्रोमोजोन्स बनते हैं। उसके दिमाग, पेट, बाजू और पैर आदि किसी भी हिस्से के सैल में भी इतने ही 'क्रोमोजोन्स' होने हैं। अन्य किसी भी जाति में इतने 'क्रोमोजोन्स' नहीं होते। क्रोमोजोन्स की खोज करते हुए यह पता चला है कि ये छोटे छोटे टुकड़ों से मिल कर बने हुए हैं। इनको 'जन' (gen) कहते हैं। मनुष्य के ४८ 'क्रोमोजोन्स' में ५००० के लगभग 'जन' हैं और प्रत्येक जन किसी विशेष स्वभाव को प्रकट करता है तथा उस स्वभाव को उन सब प्राणियों में प्रकट करता है जिनमें वह या उसकी नसल के 'जन' हों। 'क्रोमोजोन्स' के फटते समय वस्तुतः 'क्रोमोजोन्स' के ही दो टुकड़े होते हैं और इस प्रकार हर-एक 'जन' दो हो जाता है। एक 'सैल' से बने प्रत्येक नये 'सैल' में भी पहले सैल के ही गुण रहते हैं। इसी लिए हजारों लाखों साल के बाद भी घोड़ा-घोड़ेपन को नहीं छोड़ता, बन्दर-बन्दर ही रहता है और गेहूँ-गेहूँ ही है। ऊंची श्रेणी के प्राणियों में माँ और बाप दोनों के गुणों के 'जन' बच्चों में पाये जाते हैं। मनुष्य के रज और वीर्य के कणों में २४—२४ 'क्रोमोजोन्स' होते हैं और उनके मिलने से ही ४८ 'क्रोमोजोन्स' का पूरा 'पदार्थ' बनता है। जिसके बढ़ने से हम सब बने हैं।

**जन**—अणु-परमाणु तथा इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन की तरह आज तक किसी ने 'जन' को नहीं देा। किन्तु इनकी इतनी



अधिक महानता है कि इनही को आजकल जीवन शक्ति का मूल माना जाता है। इन 'क्रोमोजोन्स' को फाड़ कर यह देखने की कोशिश की गई है कि 'जन' किस चीज़ के बने हुए हैं। किन्तु उन्हीं ६२ तत्वों के सिवाय जो कि विभिन्न वस्तुओं में विभिन्न रूप से १-२-४ आदि के अनुपात में हैं और कुछ नहीं मिला। मानव शरीर १६ से १८ तत्वों का बना हुआ है। इनमें कार्बन-अल्मजन और उद्रजन तो बहुत ही अधिक हैं। एवं गन्धक, फास्फोरस, मैगनेशियम, लोहा, हरिण गैस आदि अन्य भी बहुत से तत्व है।

क्या जीवन शक्ति बनाई जा सकती है ?--रसायन विद्या हमें सिखाती है कि विभिन्न तत्वों के परमाणु मिल कर एक बिल्कुल नई चीज़ बन जाते हैं और यह भी संभव है कि किसी ऐसी रासायनिक विधि से जिसे अभी तक समझा नहीं गया। ये तत्वों के अणु मिलकर इस 'क्रोमोटीन' से 'साइटोप्लाज्म' तथा 'प्रोटोप्लाज्म' जैसा पदार्थ बन जाय या कभी बन गए हों। जिस प्रकार प्रो० सिरल की विधि से नकली 'प्रोटोप्लाज्म' बना, कुछ ऐसे ही तरीके से असली भी बन सकता हो। सम्भव है कि यह 'जीवित पदार्थ' (Living Matter) एक विशेष प्रकार का रासायनिक-समास ही हो और जीवन-शक्ति की कल्पना हमारी कम समझी की ही त्रुटि हो।

वनस्पति जगत में सैल्स का विकास--पहला सैल

जब भी बना, इन्हीं तत्वों से बना होगा। पर ये तत्व जीव का स्वाभाविक भोजन नहीं। इस लिये कुछ सैल इन तत्वों को पहले अपनी शक्ति से ही अपने भोजन के रूप में बदलते हैं। इस काम के लिए वे सूर्य के प्रकाश की सहायता लेते हैं। इन सैल में एक हरी-हरी चीज़ जिसे क्लोरोफिल (Chlorofil) कहते हैं, पैदा हो जाती है। इसकी सहायता से यह जीव साधारण तत्वों से ऐसे रासायनिक समास बना देता है, जो कि सब जीवों का भोजन बन सकते हैं। और मानों सभी जन्तुओं के लिये आहार उत्पन्न करने का ठेका इस वानस्पतिक-जगत् ने ही ले रक्खा है। दूसरी तरह के सैल ने अपनी खुराक स्वयं तैयार करने के स्थान पर पहली तरह के सैल से तैयार की हुई खुराक छीन लेना आसान समझा। इसीलिये उन्होंने कार्य कर सकने की क्षमता प्राप्त की। पहली प्रकार के सैल सृष्टि के उस हिस्से में रहने लगे जहां उन्हें हवा, पानी और प्रकाश के अतिरिक्त दूसरे अनैन्द्रियिक तत्व (Inorganic substance) ऐसी हालत में मिल सकें, जिससे उन्हें सुगमता से आहार में बदला जा सके। सौभाग्यवश, ऐसी जगह मिल जाने पर उन्हें वहां से हिलने डुलने की कोई आवश्यकता नहीं रही। बल्कि उन्होंने कुछ ऐसे नये सैल बनाये जो पृथ्वी के अंदर घुस कर अधिक से अधिक मात्रा में 'नार' (Salts) निकाल सकें और हवा के भोके या पानी के बहाव से उस लाभप्रद स्थान से हटकर कहीं और न जा सकें। किन्तु इस प्रकार जो सैल पृथ्वी में घुस गये थे उनको प्रकाश और हवा मिलना कठिन

हो गया और इसके साथ-साथ उन्हें दूसरी तरह के आक्रामक सैल्स, जो अन्धकार में अपना काम आसानी से कर सकते हैं, के आक्रमण के भय से अपनी रक्षा के साधन भी पैदा करने पड़े ।

**विकास की दूसरी स्थिति**—प्रथम तो इन सैल्सने अपने ऊपर मोटी और कठोर त्वचा चढ़ानी शुरू की और दूसरा इन्होंने एक दूसरे से जुड़ कर रहना शुरू किया । इन सैल्स के समूह में प्रत्येक सैल को पर्याप्त मात्रा में हवा, प्रकाश और क्षार मिलने कठिन हो गये । पृथ्वी के पास वालों को तो प्रकाश की कमी अनुभव हुई, और दूर वालों को क्षार की कमी । इस समस्या को दूर करने का यही उपाय मिला कि वह आपसमें काम बांट लें । अब पृथ्वी के पास वाले सैल्स ने क्षार इकट्ठा करके आकाश के सैल्स को पहुंचाना शुरू किया और दूर वालों ने प्रकाश से खुराक बना कर पृथ्वी वाले सैल्स को देना शुरू किया । बीच वाले सैल्स ने पृथ्वी से क्षार को लेजाने और प्रकाश से खुराक को नीचे लाने का काम सम्भाला । बस, इस प्रकार जड़, तने, शाखाएं और पत्ते बन गए । पूरा वृक्ष बनने में तो हजारों-लाखों साल लगे होंगे और इसमें जीव को न जाने कितनी अवस्थाओं में से गुज़रना पड़ा होगा ।

इन अकेले सैल्स और पीपल के पेड़ के बीच में लाखों प्रकार की जातियां बनी हैं और वे सब जातियां अभी तक विद्यमान हैं । सैल्स ने धीरे-धीरे ही विशेष विशेष कार्य को करना शुरू किया । विकास की अवस्था में जो जातियां पहले पहल बनीं

उनके सैल्स यद्यपि प्रधानतः एक ही कार्य करने वाले थे, परन्तु उन्होंने दूसरे कार्य करने की शक्ति को बिल्कुल नहीं भुला दिया था। इसलिये यदि कभी वे कट कर पृथक् भी हो गये तो भी जीवन के सारे काम, कटे हुए दोनों टुकड़े स्वयं करने लग गये और फिर बढ़कर उन्होंने ने सैल्स का समूह बना लिया।

**जन्तु जगत के सैल्स का विकास**—खुराक छीन कर खाने वाले सैल्स ने पहले तो अपने में चलने फिरने की शक्ति पैदा की परन्तु क्योंकि उनमें किसी किसी ने आपस में ही एक दूसरे को खाना शुरू कर दिया, अतः अपने बचाव के लिये न केवल उन्हें त्वचा ही बनानी पड़ी, अपितु आक्रमणात्मक और रक्षणात्मक अंग भी बनाने पड़े। और इसी तरह आहार छीनने, उसे पचाने और उसका विभाजन करने के लिये उन्होंने अपने में विभिन्न सैल्स को विशेष रूप से तैयार किया। इस तरह के सैल्स के समूह ही जीव-जन्तु बन गए।

— **जन्तु जगत का विकास** प्राणियों की पूर्वोक्त दोनों जातियों में विशेष बातों की प्रवीणता का विकास धीरे-धीरे हुआ है। विकास के प्रत्येक कदम पर एक नई जाति बनती गई। जो पहली जगत से कुछ अधिक बलवान और चालाक थी। संसार के सम्पूर्ण प्राणि-जगत का विकास दो बड़े नियमों पर हुआ है।

प्रथम— परिस्थितियों के अनुसार अपने को बना लेना। द्वितीय

अपनी सत्ता बनाये रखने के लिये संघर्ष करना । इन्हीं कारणों से मछलियों से तंग आकर मगरमच्छ आदि पानी के जानवरों ने स्थल पर रहने की चेष्टा करते हुए अपने को इस तरह बदला कि ज़मीन पर रह सकें । और अनेक स्थल पर रहने वाले जीवों ने अपने प्रतिद्वन्दियों से बचने के लिये समुद्र में बसने का आश्रय खोज लिया । कुछ ने हवा में उड़ने का साधन ढूँढ़ा । और वे वृक्षों पर ही रहने लगे । कुछ ने अपने आपको बड़ा बड़ा कर हाथी और गेंडे की तरह कठोर और बलशाली बना लिया । कुछ शेर और चीते बन कर अत्यन्त फुर्तीले हो गये और कुछ साँप आदि के रूप में रेंगने वाले बन गये ।

**वंश-परम्परा का विकास**—इस विचार के अनुसार सैल्स ने अपने आपको बचाने तथा एक दूसरे को आराम देने के लिये बड़े जानवर का रूप धारण किया । जैसे कि मनुष्य ने जङ्गली जानवरों और आक्रमण वगैरह से बचने के लिये गाँव, कस्बे, शहर आदि बनाये और इनके अन्दर रहने वालों ने भिन्न-भिन्न काम आपस में बाँट लिये । उनमें से कुछ तो खेतीबाड़ी करके सबके लिये खुराक जुटाने लगे, कुछ शस्त्र-विद्या से सब की रक्षा और कुछ आपसी झगड़े ही निपटाने लगे । जीवन के लिये संघर्ष के कारण प्राणिमात्र की अपने से अधिक बलवान, योग्य और चतुर सन्तान पैदा करने की इच्छा होनी स्वाभाविक है । इसलिये उन्होंने अपनी सन्तान में अधिक से अधिक गुण पैदा करने का प्रयत्न किया । इस प्रकार दो

प्राणियों ने मिलकर एक सन्तान बनानी सीखी, जिससे सन्तान में एक प्राणी के स्थान पर दो प्राणियों के गुण मिल जाय और इस प्रकार बनी हुई चीज़ दोनों की अपेक्षा अधिक उत्तम हो। यह बात जीवों ने बहुत जल्दी ही सीख ली और बहुत छोटे-छोटे जीवों ने, जिनके सैल्स में अभी पूरी तरह से किसी एक गुण का विकास भी न होने पाया था, नर और मादा ये दो ऐसे प्राणी पैदा किये, जिन से सन्तान उत्पन्न हो सके। सन्तानोत्पत्ति में दो प्राणियों के सैल्स परस्पर इस तरह मिलते हैं कि उन के 'क्रोमो जोन्स' के द्वारा उनके 'जन' मिल जाते हैं। और क्योंकि दो प्राणियों के 'जन' परस्पर थोड़े बहुत भिन्न होते हैं, इसलिये भावी सन्तान के अन्दर भी पहले की अपेक्षा अधिक गुण पैदा हो सकेंगे।

**जीवन शक्तिके परीक्षण**—माता-पिता के गुणों का संतान में जाने का यह नियम आस्ट्रेलिया के मैण्डुल नामक पादरी ने जानने का प्रयत्न किया। उसने मटर तथा तत्सदृश जाति की बेलों पर परीक्षण शुरू किये। उसने देखा कि माता-पिता के विशेष गुण—जैसे फूलों का रङ्ग और पत्तियों का आकार आदि किसी विशेष प्राकृतिक नियम के अनुसार पैदा होते थे। उसने यह भी मालूम किया कि फल के बीज में सारे 'जन' सक्रिय नहीं होते और यह आवश्यक भी नहीं कि एक पीढ़ी के सब प्राणियों में वही 'जन' मुख्य और वही गौण हो जाय, जैसे पहले प्राणियों में थे। साथ

ही उसने यह भी देखा कि—ये विशेषताएं एक माता-पिता की एक पीढ़ी की सन्तानों में किसी विशेष नियम के अनुसार होती हैं। तत्पश्चात् प्रो० 'मारगन' और उसके शिष्यों ने और भी अधिक खोज करके जीवन के बहुत से भेद मालूम किये। उन्होंने मक्खी पर परीक्षण किये। मक्खी जल्दी-जल्दी सन्तान पैदा करती है—इसीलिये मक्खी ही को उन्होंने अपने परीक्षण के लिए चुना। उन्होंने देखा कि पीढ़ी दर पीढ़ी इन मक्खियों की सन्तान एक-सी होती है, परन्तु कभी कभी उनसे एकदम भिन्न बिल्कुल नई-सी मक्खी बन जाती है। उन्होंने अब तक ४०० बार ऐसे आकस्मिक परिवर्तन होते देखे हैं। ये बदली हुई मक्खियां नई और पुरानी दोनों तरह की सन्तान पैदा करती हैं। वैज्ञानिक हैरीसन और मुलर ने इस बात पर विशेष ध्यान दिया। हैरीसन ने देखा कि इन मक्खियों तथा अन्य जानवरों को विशेष प्रकार की खुराक खिलाने और विशेष परिस्थितियों में पालने पर उनमें कुछ नये गुण पैदा हो जाते हैं। जिनमें से कतिपय गुण सन्तान में नहीं जाते और कतिपय चले जाते हैं। इस प्रकार हैरीसन ने अनेक पक्षियों के पंखों का रंग बदल दिया। मुलर ने तो कमाल ही किया। उसने 'रज' और 'वीर्य' के सैल्स पर 'एक्स किरण' डाली। इन किरणों ने सैल्स के भीतर पहुँच कर 'जनों' को कुछ ऐसा झटका दिया कि उनमें कुछ रासायनिक परिवर्तन हो गये और रज-वीर्य के सैल बिल्कुल नई तरह के जीव बनाने लग गये। कहने का अभिप्राय यह है कि 'एक्स किरण' ने 'जनों' को बिल्कुल ही बदल दिया।

**प्राणी उत्पन्न करना।**—इन 'एक्स' किरणों से प्रभावित किए हुए सैल्स से अच्छे गुणों वाली सन्तान पैदा होगी या बुरे गुणों वाली, यह नहीं कहा जा सकता। फिर भी इतना तो स्पष्ट है कि अगर कमज़ोर और बुरे गुणों वाली सन्तान पैदा हो तो उन्हें नष्ट भी किया जा सकता है। अगर वह कमज़ोर होगी तो स्वयमेव नष्ट हो जाएगी, और यदि अच्छे गुणों वाला कोई जानवर बना तो वह अपनी सन्तति कायम कर लेगा। मुलर के परीक्षणों से यह मालूम हुआ कि इच्छानुसार सन्तान की 'जाति' बदली जा सकती है। प्रकृति में 'एक्स' किरणों के प्रकार की किरणें और खुबने वाली किरणें रेडियम जैसी धातुओं से अपने आप निकल रही हैं, और जब भी कोई ऐसी किरण किसी जाति के रज वीर्य के 'सैल्स' पर अपना असर डाल देती है, तो उससे एक नई जाति बन जाती है।

**जीवों में विशेष गुण उत्पन्न करना।**—किमी एक जाति की सन्तानों में भी विशेष प्रकार के गुण पैदा किये जा सकते हैं। ऐसा करने में तो केवल उन गुणों वाले माता-पिता से ही सन्तान पैदा करके एक विशेष प्रयोजन के लिये विशेष प्रकार की सन्तान बनाई जा सकती है। इस तरह आस्ट्रेलिया में साधारण भेड़ से दो ऐसी भेड़े बनाली गईं, जिनमें से एक कई मन मांस दे सकती थी और दूसरी केवल अस्थि-पंजर ही रह गई। किंतु इस अस्थिपञ्जर मात्र भेड़ के शरीर पर ऊन ही ऊन भरी हुई थी। इसी सिद्धांत पर अमेरिका में, एक दिन में एक मन से भी अधिक दूध देने वाली गौ.



की नसल बन गई है और इस प्रकार साधारण मुर्गी से तिगुने बड़े अंडे देने वाली मुर्गी तैयार की जा चुकी है। एक ही जाति के माता-पिता से उत्पन्न होने वाले जीव को मां बाप की जाति में गिना जा सकता है। कई बार दो विभिन्न जातियों के माता-पिता से एक बिल्कुल नई जाति की सन्तान पैदा हो जाती है। जैसे कि घोड़े और गधे से खच्चर। पर यह सन्तान आगे नहीं चल सकती। इस प्रकार आज कई तरह के जानवर बनाये जा रहे हैं, जो विशेष प्रयोजन के लिए उपयोगी हो सकते हैं। आजकल विशेष विशेष रोगों की चिकित्सा के लिए नये-नये गुणों वाली जड़ी-बूटियां बहुत अधिक मात्रा में तैयार की जाती हैं।

**नये परीक्षण**—यह मान लिया गया है कि रज के सैल्स अपने आप ही बढ़ कर पूरी सन्तान बना सकते हैं। 'रज' के प्रत्येक सैल में एक तो 'जन' की पोटली होती है और दूसरी उनकी खुराक रहती है, जिससे वह यथोचित काल तक कहीं और से खुराक मिले बिना ही बढ़कर जानवर की शकल पैदा करना शुरू कर दे। इसी तरह वीर्य के अन्दर भी जन की पोटली के अतिरिक्त एक सुई-सी होती है, जिसको चुभा कर यह 'रज' के सैल को बढ़ने की प्रेरणा करता है। मेंढ़क के अंडों को केवल खून में डूबी हुई सुई चुभा कर वह प्रेरणा दी गई और इस प्रकार मेंढ़क के रज का एक सैल स्वयं मेंढ़क बन गया। इस प्रकार 'नर और मादा' के सम्बन्ध के बिना रज के सैल्स से अधिकतर नर मेंढ़क ही बनते हैं। एक

परीक्षण में 'नर-खरगोश' और 'मादा-खरगोश' से वीर्य और रज के सैल्स निकाल कर एक शीशे की सुराही में मिलाये गये। उसके बाद उस मिश्रण को एक अन्य 'मादा-खरगोश' के गर्भाशय में डाला गया। इसी कार्य से वहां मी खरगोश के साधारण बच्चे पैदा हो गये। अमेरिका में कई मनुष्यों पर भी इसी प्रकार के परीक्षण किए गये हैं।

मोटे तौर पर वीर्य और रज में यह अन्तर है कि जहां वीर्य के सैल्स तो एक सुई की नोक-सी हैं, जिसके द्वारा वह रज के सैल्स को प्रथम उत्पत्ति और पश्चात् वृद्धि के लिए प्रेरित करता है, वहां रज के सैल्समें खुराक भर दी गई है जिससे कि रज के सैल्स अपने में से ही खुराक लेकर तब तक बढ़ते रहें, जब तक कि वे बाहर से खुराक नहीं पा सकते। किंतु चौपाये तथा अन्य प्रकार के जानवरों में रज के साथ खुराक की पर्याप्त मात्रा में न होने के कारण उन्हें जल्दी ही माता से गर्भाशय के भीतर से खुराक लेनी पड़ती है। यदि यही खुराक किसी रासायनिक विधि से बनाकर बढ़ते हुए रज के टुकड़े को गर्भ के बाहर ही दी जा सके, तो यह सम्भव है कि यह शीशे की नली में रक्खा हुआ हुआ रज पूरा जीव बन सके।

**सैल्स का पृथक् जीवन** — ऊंची श्रेणी के जीवों और पौधों के सैल्स किसी विशेष दिशा में बहुत विकसित हो चुके हैं और सैल्स ने अपना-अपना काम पूरी तरह बांट लिया है। जब तक इन सैल्स को उचित खुराक मिलती चली जायगी वे अपना कार्य भी सम्यक-

तया करते चले जायंगे, चाहे शेष वस्तुओं को कुछ भी क्यों न हो जाय। इसीलिए तो प्रो० 'कैरल' की मुर्गी के 'दिल का टुकड़ा' आज २५ साल से जीवित है। वह अपनी खुराक इन रासायनिक द्रव्यों से ही प्राप्त कर लेता है। मेंढक का जिगर काटकर बाहर निकाल लेने पर भी वह एक विशेष घोल में कई घण्टे तक जीवित रह सकता है।

**पौधे लगाने के परीक्षण**—इसी नियम पर विश्वास रखते हुए अमेरिका में एक कृषि विशारद ने ताड़ के वृक्ष पर विभिन्न प्रकार के १६ फलों की टहनियों की पौध लगाई। इस ताड़-वृक्ष की इन विभिन्न शाखाओं में एक बार में ही एक साथ १६ तरह के फल लगे। ताड़ का पेड़ वस्तुतः इन सब विभिन्न शाखाओं के लिये पर्याप्त पानी और चार आदि आवश्यक और पुष्टिकारक सामग्री देता रहा, जिन्हें ये टहनियां अपने में लेती थीं। जब उनको अपने जीवन के लिए आवश्यक और उपयोगी सामग्री एक ताड़ के तने से ही मिल गई, तो इन्होंने अपने फल-फूल नियमित रूप से देने ही थे। इसी तरह आज पञ्जाब में हज़ारों गलगल और नारंगी के पेड़ों में मालटे और सन्तरे की पौध लगा कर, इनकी फसल कई गुना बढ़ा दी गई है। इस प्रकार यह भी सम्भव है कि जंगली और व्यर्थ के पेड़ों पर भी ठीक तरह की पौध लगाकर उनको लाभदायक पेड़ों में बदल दिया जा सके। यह बाहर की पौध केवल वृक्षों पर ही नहीं लगती। अब यह मनुष्यों में भी लगाई जाती है। हड्डी और

चमड़े के टुकड़े तो एक जानवर से दूसरे में लगाये ही जाते थे, पर अब तो एक जानवर के ग्लैंड्स (Glands)—गले की गिलटियां—निकाल कर एक दूसरे जानवर में लगाई जा सकती हैं। इसी प्रकार मनुष्य की दूषित गिलटियों को निकाल कर उनकी जगह बन्दर की गिलटियां लगा दी जाती हैं, जिससे बूढ़े भी जवान बन जाते हैं। इसी तरह वीयना ( जर्मनी ) के एक डाक्टर ने १२ साल के एक अंधे को, जिसकी आंख का कोर्निया छिल-छिल कर छलनी हो गया था, निकाल दिया और एक दूसरे मनुष्य का कोर्निया लगा कर पुनः उसकी आंखें ठीक कर दीं। आज गंजों के सिर पर बालों वाली खाल लगाई जा सकती है और स्वस्थ पुरुषों के रक्त को अस्वस्थ पुरुषों में डाल कर उन्हें स्वस्थ बनाया जा सकता है।

**मृत्यु**—एक फांसी लगे हुए अपराधी का दिल, उसकी मृत्यु के ११ घण्टे बाद निकाल कर उसे पुनर्जीवित किया जा चुका है। इस दशा में हमें कानूनी मृत्यु दंड के अर्थ न जाने क्या लेने होंगे। वस्तुतः मृत्यु तो उसे कहेंगे, जब प्राणी के विभिन्न सैल्स एक दूसरे की सम्यक्तया सहायता करना छोड़ दें। मृत्यु तो केवल सैल्स की पूर्ण अव्यवस्था ही है। क्या मृत व्यक्ति का प्रत्येक अङ्ग मर जाता है? इस मौत का तात्पर्य यह है कि शरीर के सम्पूर्ण सैल्स में बढ़ने की शक्ति, और बढ़ कर दो-दो हो जाने की शक्ति नहीं रही। वस्तुतः ऊंची श्रेणी के जानवरों और पौधों के सैल्स

क्रमशः एक दिशा में इतने उन्नत हो जाते हैं कि वह जीवन के सारे कार्य स्वयं नहीं कर सकते। यही कारण है कि यदि किसी पट्टे के सैल्स को उचित रासायनिक घोल में रखा जाय, जैसा कि 'कैरल' ने किया था, तो ये सैल्स सदा जीवित ही रहेंगे। इनके लिये मौत कीई चीज़ नहीं रहेगी। इसी तरह उन सब सैल्स के लिये, जो अपने सब काम अपने आप कर सकते हैं, मृत्यु के कोई अर्थ नहीं। एक बूढ़ा सैल टूट कर दो नौजवान सैल बन जाता है, तो फिर मौत किस की हुई ? जिन जानवरों और वनस्पतियों के सैल्स ने एक विशेषता होते हुए भी आवश्यकता के समय जीवन के सारे कार्य करने की शक्ति नहीं खोई, वे आड़े मौके पर उन शक्तियों का प्रयोग करके जीवित रह सकते हैं : पत्थरचून के वंश के पत्ते की विशेषता है कि यदि उसे तोड़ कर फेंक दिया जाय, तो अनुकूल भूमि पाकर वह न केवल जीवित ही रहेगा, किन्तु उसी से पुनः पूरा पेड़ भी बन जायगा। इसी तरह आलू का टुकड़ा—गन्ने की पोरी (आंख), अदरक की गट्टी—और गुलाब की टहनी भी बढ़ कर पूरा पेड़ बन जाते हैं।

इसलिये वस्तुतः जीवन तो इन सैल्स का है और इन्हीं सैल्स ने अपने आराम के लिये मिल-जुलकर शरीर को एक साधन-सा बनाया हुआ है, जिसे हम गौ, घोड़ा, पीपल, आम या मनुष्य कहते हैं।

मनुष्य की अमरता—तो फिर यह विचार उत्पन्न होता है कि मनुष्य के सारे सैल्स सदा जीवित रक्खे जा सकते हैं या नहीं। प्रो० 'कैरल' का कथन है कि सैल्स के जीवन को दो प्रकार से लम्बा करना पूरी तरह सम्भव है। प्रथम यह कि उन को सदा ठीक खुराक मिलती रहे और उनसे निकला हुआ 'मल' ( Dirty matter ) उनके आम-पाम इकठा न होने दिया जाय। क्योंकि यह मैल ( refuse ) उनके लिये ज़हरीला होता है। द्वितीय प्रकार यह है कि—सैल्स के जीवन होते हुए भी उनके सब कार्यों को रोक दिया जाय, जिनके करने के लिये उसे खुराक की आवश्यकता है। हमारे प्राचीन ऋषि-मुनि लोग योगाभ्यास में अपने शरीर के सैल्स के ऐसे सब कार्यों को बन्द कर देते थे और घण्टों, दिनों, महीनों और वर्षों तक समाधि लगाकर ऐसी हालत पैदा कर लेते थे कि उनके सैल्स को किसी भी प्रकार की खुराक की आवश्यकता न होती थी। प्रो० कैरल का यह विचार है कि इस तरह मानवीय शरीर के कार्य को सदियों के लिये बन्द करके पुनः चलाया जा सकता है। यदि मनुष्य को थोड़ी देर के लिये इस तरह निर्जीव-सा बनाकर पुनर्जीवित किया जाय, तो जितने समय वह निर्जीव रहा, उस मनुष्य के जीवन का तो क्या कहना, उसके लिये तो प्रत्येक वस्तु तथा समय भी ठहर गया। और ३० वर्ष का नवयुवक ५० वर्ष की समाधि के पश्चात् फिर भी ३० वर्ष का ही होगा !

परन्तु जीवनोपयोगी सभी कार्य करते हुए दीर्घायु होना ही मनुष्य की इच्छा रही है प्रत्येक पशु तथा प्रत्येक संभव उपाय से उन नियमों की खोज की जा रही है, जिस से मनुष्य माधुर्या जीवन बिताते हुए भी बहुर देर तक मृत्यु से बच सके। यह बात अभी तक तो ठीक है कि मृत्यु ही जीवन का अन्त है। क्योंकि अब तक किसी ऐसी विधि का ज्ञान नहीं हो सका, जिस से मनुष्य सर्वदा जीवित रहे। मनुष्य जीवन के कार्य ही ऐसे हैं कि उम के सैलम धीरे-धीरे शरीर के अन्दर अधिक मे अधिक मात्रा में 'मल' ( Refuse ) पैदा करते चले जाते हैं। और विभिन्न सैलम अपने ही पैदा किये हुए 'मल' के अन्दर इस तरह घिरते चले जाते हैं कि उन को आवश्यक खुराक पहुँचानी भी कठिन हो जाती है। हड्डियाँ दृढ़ हो कर अपने सैलस को इसी पैदा होने वाले मल से घेरती चली जाती हैं। जिस से वह पूरी खुराक न मिलने के कारण कमजोर हो-होकर असमर्थ से होते चले जाते हैं। खून की नाडियों के सैलस अपनी ही क्रिया के कारण इस तरह कठोर और मटियाले हो जाते हैं कि बहुत बुढ़ापे में झटके खा कर वह सूखे रबड़ की तरह टूटने लगते हैं और इस तरह दिमाग, पेट, मेदा आदि के सैलस के समीप मलिनता के सैलस का लेप कर के, उन को कमजोर बना कर इन सैलस को भी खुराक पहुँचाना मुश्किल बना देते हैं। और इसी लिये शरीर के सब भाग धीरे-धीरे अपना काम करने के अयोग्य हो जाते हैं।

अन्ततोगत्वा इसी खुराक के न पहुंचने पर वे मर भी जाते हैं। किंतु मनुष्य की मृत्यु उस भाग के कारण मानी जायगी, जिस के सैल्स खुराक न मिलने के कारण सब से पहले काम छोड़ दें।

यह कमजोर हो गए सैल्स रोगों के भी बड़ी सुगमता से शिकार हो जाते हैं। ये रोग मनुष्य में दो कारणों से हो सकते हैं। एक तो उस के शारीरिक अङ्ग प्रत्यङ्ग के बाहर के कीटाणुओं के कारण अनर्बल हो कर यथाविधि कार्य न करने से और दूसरा बाहर के कारणों से।

**ग्लैण्ड्स**—शरीर के सब कार्यों को चलाने के लिये स्नायुओं से भी अधिक उपयोगी विशेष ग्लैण्ड्स को माना गया है। मनुष्य के अन्दर इस प्रकार ८ ग्लैण्ड्स हैं। इन में से प्रत्येक 'गिलटी' से 'एक तरह का रस' निकलता है और यह रस ही शरीर के लिये अमृत की बून्दें हैं। इन गिलटियों में सब से अधिक आवश्यक पिट्यूटरी ग्लैण्ड हैं, जो दिमाग के नीचे होता है और इस ग्लैण्ड का रस न केवल शरीर की सब रसायनिक क्रियाओं को अपने अधीन रखता है, अपितु शेष सब गिलटियों का काम भी करता है। इस गिलटी का रस ही अस्थियों की रचना और बौने तथा बहुत लंबे पुरुष बनाने में कारण है। दूसरा पेनीड ग्लैण्ड है जिस को कभी आत्मा का स्थान समझा गया था। यह भी दिमाग में ही है। यह शरीर की बनावट के साथ साथ पुरुष स्त्री के युवा या युवती बनने पर भी काबू करता है। ३ रा—ग्लैण्ड वह है,



जिस के रस के कारण खुराक पचता है और शरीर में फैलती है ।  
 ४—इस तीसरे ग्लैण्ड के पास ही दो और गेहूँ के दाने के बराबर ग्लैण्ड होते हैं जिन का रस हड्डियों पर अमर रखता है । ५—गले के नीचे छाती के पास ग्लैण्ड होता है । इस के रस का अभी ठीक तरह पता नहीं चला । पर जिन चूहों को इस के रस पर पाला गया, वे ८० से १२० दिन में सन्तान पैदा करने के स्थान पर केवल ४३ दिन में ही ८ बच्चों को पदा करने लग गए । ६—मेदे के नीचे इसी तरह का एक और ग्लैण्ड है । इस में से तीन रस निकलते हैं, जो भोजन पचाने का काम करते हैं । इन में से एक इन्सोलिन है जिस की कमी से बहुमूत्र तथा खाज की बीमारी हो जाती है और जिगर भी अपना काम छोड़ देता है । ७—गुदों के ऊपर एक और ग्लैण्ड है जिस का रस शरीर के तन्तुओं के कार्यों की देखभाल करता है । यह पेट, दिल, फेफड़े आदि सब का काम सम्यक्तया चलाता है । ८—इस के बाद रज और वीर्य पैदा करने वाली गिलटियां हैं, जिन का रस पुंस्त्व और स्त्रीत्व को वश में रखता है । शरीर के सम्पूर्ण कार्य इन ८ ग्लैण्ड्स में बंटे हुए हैं । और जब भी कभी एक ग्लैण्ड के रस में कमी या आधिक्य हो जाता है या किसी और प्रकार से उन में परिवर्तन हो जाता है तो शरीर में नाना रोग और दुर्बलताएं पैदा हो जाती हैं । इन ग्लैण्ड्स के रसों का मनुष्य के पुरुषत्व और स्त्रीत्व पर इतना प्रभाव है कि—इन रसों के इन्जेक्शन से ही

मनुष्यों में स्त्रियोचित गुण पैदा हो जाते हैं। स्तन बढ कर उन में दूध आने लगता है। वह स्त्री की वेशभूषा को पसन्द करने लगता है। घरेलू धन्धों में उस का मन लगता है। इसी तरह लड़कियों में रसों के इन्जेक्शन से उन में पुरुषों के गुण पैदा किए जा सकते हैं।

इन रसों में से कई 'रस' तो 'विज्ञान शाला' (Laboratory) में बनाये भी जा चुके हैं। और जिन रोगियों में इन की कमी होती है, उन्हें इन्जेक्शन ( Injection ) द्वारा दिये जाते हैं। आज हजारों लाखों मूत्र की बीमारी के रोगी इन्सोलिन के इन्जेक्शन के सहारे जीते हैं। यह भी संभव है कि शल्य-क्रिया के द्वारा पुरानी और कमजोर गिलटियों को निकाल कर नई गिलटियां लगाई जा सकें या किसी और आदमी की स्वस्थ गिलटी (Healthy Glands) का छोटा-सा टुकड़ा ले कर रोगी में से उस की पुरानी गिलटी निकाल कर इस तरह लगाया जाय कि यह गिलटी का टुकड़ा बढ कर पूरी गिलटी ( Complete Gland ) बन जाय और मनुष्य को पुनः नव-जीवन दे।

इति

